UGC App. No. 64785
Impact Factor: 4.213
ISSN 2348-3857

Research Reinforcement

ISSN 2348-3857

Research Reinforcement

(A Peer Reviewd International Refereed Journal)

रिसर्च रिइन्फोर्समेंट

Volume 7 Issue 1 May 2019 - October 2019

ISSN 2348-3857

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

Editor's Desk

Patron

Shri Rajendra Prasad Gupta, RAS (Rtd.)
Govt. of Rajasthan Jaipur (Rajasthan)
Address- 94/200 , Vijay Path, Mansarover, Jaipur-20, Rajasthan
Email Id : rpguptaraj@yahoo.com

Editor in Chief

Dr. Pankaj Gupta
Assistant Professor in Selection Scale
Department of College Education, Govt. of Rajasthan
Address- 111/142, Vijay Path, Mansarover, Jaipur-20, Rajasthan
Email Id : drpankajgupta1979@gmail.com

Editors

Commerce & Management Section
Vinay Kumar Sharma
Former Dean, Faculty of Commerce, University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)
Principal (Retd.), Govt. P.G. College, Sanbharlake, Jaipur (Raj.)
Address- 1 / 96 Chitrakoot near Global heart hospital , Vaishali Nagar Jaipur
Email Id : 59vinaysharma@gmail.com

Social Science & Environment Section
Dr. Vinod K. Bhardwaj
Associate Professor
Commissionerate of College Education, Rajasthan
Address-66 Gangotri Nagar, Gopalpura, Bypass, Jaipur-18, Rajasthan
Email Id : drvkb.25@gmail.com

Dr. Archana Bansal
Lecturer
Department of School Education, Govt. of Rajasthan
Address- 111/211, Vijay Path, Mansarover, Jaipur-20, Rajasthan
Email Id : pol_lec@yahoo.co.in

ISSN 2348-3857

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

Ms. Deepshikha Parasher
Senior assistant professor
IIS (deemed to be university) , Jaipur (Rajasthan)
Address- 93/71, Vijay Path, Mansarovar, Jaipur
Email Id : foreverdeeya@gmail.com

Education Section
Dr. Sanjay Kedia
Asst. Principal
ICG Institute of Educational Research & Development, Jaipur (Rajasthan)
Address- C2-604, Raheja Residential Complex, Patrakar Colony
Email Id : drsanjaykedia9@gmail.com

Arts & Huminities Section
Dr. Jagadeesh Giri
Assistant Professor
Department of Hindi, University of Rajasthan, Jaipur
Address- L-09 B, university of Rajasthan, jaipur-302004
Email Id : dr.jagdishgiri@gmail.com

Associate Editors
Social Science & Environment Section
Dr. Nandkumar N. Sawant
Principal
Parvatibai Chowgule College, Madgaon (Goa)
Address: Parvatibai chowgule college, Post fatorda Margoa Goa-403602
Email Id : drnandkumarsawant@gmail.com

Dr. Batskhem Myrboh
Associate Professor
Synod College, Shillong (Meghalaya)
Address: Synod College, Jaiaw, Shillong, Meghalaya-793002
Email Id : bmyrboh07@gmail.com

Dr. Shakti Singh Shekhawat
Assistant Professor
Commissionerate of College Education, Rajasthan
Address- 3,Lions Lane,Anjani Marg,Hanuman Nagar Ext.,Sirsi Road,Jaipur, Rajasthan
Email Id : Shekhawatedwa@gmail.com

ISSN 2348-3857

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

Dr. Monika Kannan
Associate Professor
Sophia (Autonomous) Girls' College, Ajmer
Address : Siddhi Vinayak Complex, Opp. D.A.V College, Ajmer (Rajasthan) 305001
Email Id : kannanmonika@gmail.com

Education Section
Dr. Savita Mishra
Principal
Vidyasagar College of Education, Darjeeling (West Bengal)
Address : Vill. Rupandighi, P.O. Phansidewa, Dist. Darjeeling-734434 (W. B.)
Email Id : vcprincipalmishra@gmail.com

Commerce & Management Section
Dr. Sheenu Jain
Assistant General Manager
Address: 71-B, Shanti Nagar A, Gujar ki thadi New sanganer road – Jaipur-19
Address: Jaipuria Institute of Management, Jaipur (Raj.)
Email Id : Sheenujain007@gmail.com

Arts & Huminities Section
Dr. Ashish Vyas
Assistant Professor in Selection Scale
Seth R L Saharia Govt PG College, Kaladera
Address: F-1,D 96,Maruti Tower,Sindhu Nagar,Murli pura,Jaipur-302039
Email Id : avcvrv@gmail.com

Dr. Vishal Vikram Singh
Assistant Professor
Hindi Vibhag, University of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan
Address : L-8 G, Rajasthan University Campus, Jaipur, 302004, Raj.
Email id : vishalhindi@gmail.com

ISSN 2348-3857

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

International Editorial Advisory Board

Prof. B.L. Sukhwal
Wisconsin University, Medison, USA

Prof. Miroljub Jevtic
University of Belgrade, Belgrade

Prof. Lal Mervin Dharmisiri
Director, NCAS, Colombo, Sri Lanka

Prof. Dr. Mohammad Iqbal
Shah Jalal University of Sci. & Tech., Sylhet, Bangladesh

Prof. Syeda Rozana Rashid
Dhaka University, Bangladesh

Dr. Kedar P. Acharya
UGC, Nepal

National Editorial Advisory Board

Prof. P.N. Shastry
Vice Chancellor, Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi

Prof. S.K. Sharma
Vice Chancellor, M.G. Central University, Motihari (Bihar)

Prof. Kaushal Kishore Mishra
Banaras Hindu University, Varanasi (U.P.)

Prof. M. Pareek (Rtd.)
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. Uma Gole
Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (Chh.)

Prof. Rajeev Gupta (Rtd.)
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. Ravindra G. Jayabhaye
Savitrbai Phule Pune University, Pune (Maharashtra)

Prof. K.G. Sharma
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. B. Srinagesh
Osmania University, Hyderabad (Telangana)

Prof. P.S. Bhatnagar (Rtd.)
University of Rajsthan, Jaipur (Raj.)

Prof. Archana Purohit
Mata Jijabai Govt. Girls College (Auto.), Indore (M.P.)

Prof. B.L. Fadia (Rtd.)
JNV University, Jodhpur (Raj.)

Prof. Virendra Nagarale
SNDT Women University, Pune (MH)

Dr. Vimal Prasad Agarwal
Ex-Chairman, RBSE, Ajmer (Raj.)

Prof. B.C. Kalita
Cotton College State University, Guwahati, Assam

Prof. H.S. Sharma
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

Prof. K.S. Sharma
The IIS University, Jaipur (Raj.)

Dr. Inakshi Chaturvedi
University of Rajasthan, Jaipur (Raj.)

ISSN 2348-3857

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

Board of Refrees

Dr. Wangshimenla Jamir
Associate Professor, Geography
Nagaland Central Uni., Nagaland

Dr. Monika Dave
Associate Professor, Economics
Govt. Meera Girls College, Udaipur (Raj.)

Dr. Iyatta M. Upreti
Associate Professor, Geography
Sikkim Govt. College, Rhenok (Sikkim)

Dr. Sherap Bhutia
Assistant Professor, Geography
Darjeeling Govt. College, Darjeeling (W.B.)

Dr. Anju Beniwal
Assistant Professor, Sociology
Govt. Meera Girls College, Udaipur (Raj.)

Dr. Poonam Chhetri
Assistant Professor, Education
N.B. Degree College, Tadong, East Sikkim (Sikkim)

Dr. Shivangna Sharma
Assistant Professor, Sanskrit
Govt. Arts College, Chimanpura, Jaipur (Raj.)

Dr. Sameena Hameed
Assistant Professor, Economics
WAS, SIS, J.N.U., New Delhi (Delhi)

Dr. Sunil Kumar
Associate Professor, Law
Govt. Law College, Ajmer, Rajasthan

Dr. Ravindra Tailor
Assistant Professor, History
Maulana Azad University, Jodhpur (Raj.)

Dr. Ibalari Phylla Khongjoh
Assistant Professor, Economics
Synod College, Shillong (Meghalaya)

Dr. Lakhimi Gogoi
Assistant Professor, Geography
Narangi Anchalik Mahavidyalaya, Guwahati (Assam)

Virendra Sharma
Assistant Professor, History
Govt. Girls PG College, Ajmer (Raj.)

Dr. Avdhesh Sharma
Assistant Professor Sanskrit
Govt. Arts College, Chimanpura, Jaipur (raj.)

Dr. Minal Sharma
Assistant Professor , Political Science
Kanoria, Mahila PG Mahavidyalaya, Jaipur (Raj.)

Dr. Shivkumar Mishra
Associate Professor, History
Govt. Arts College, kota (Raj.)

Research Reinforcement

ISSN 2348-3857

ISSN 2348-3857

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

From the Editor

Dear Authors /Readers/ Reviewers of Research Reinforcement Journal (RRJ),

I am privileged to handing over this prestigious new volume of the RRJ (Vol. 7; Issue -1; May 2019- October 2019).

This Research Reinforcement journal, an initiative, was started to share research works, commenced in the disciplines of social science and humanities. Our focus is to provide platform to young and mature scholars who have been keenly exploring the possibilities to get their research published on one hand and also to ensure reach up to the pioneer researchers and learners in their respective fields. This journal is moving in its 7 th year of its circulation, is attracting academicians from all corners of the country, and even from abroad like Nepal, Sri Lanka and Bangladesh. It is a peer-reviewed journal, which is academically cooperated by legendary experts from various disciplines as advisor and referees. Research papers and articles from social science and humanities backgrounds are published in this journal. We more prefer the first hand based research and analytical articles in this journal. Besides, we are equally providing space to the research papers based on survey, discussions and reviews.

This volume 24 includes research papers & articles. We expect more scholarly research papers and articles on issues of concurrent importance and socio-politico-economic analysis based. Besides, we welcome the research papers and articles related to other allied fields including humanities, social sciences, science and commerce interpreting socio-economic relevance.

Best Wishes

Dr. Pankaj Gupta

The Editor in chief

Research Reinforcement

ISSN 2348-3857

ISSN 2348-3857

Research Reinforcement

(A Peer Reviewed International Refereed Journal)

Contents

S.No.	Particulars	Page No.
1.	**स्वतंत्रता प्राप्ति के सात दशक के उपरान्त विकास का सामाजिक व आर्थिक प्रभाव : समावेशी विकास के सन्दर्भ में** सोनिका नागर एवं डॉ. प्रविता त्रिपाठी	1
2.	**हिन्द महासागर में चीन के बढ़ते कदम और भारत: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन** डॉ. विकास शर्मा	7
3.	**सविनय अवज्ञा एक राजनीतिक चिन्तन : हेनरी डेविड थोरो** डॉ. रुचि मिश्रा	11
4.	**आर्य आक्रमण विमर्श और डॉ. भीमराव अम्बेडकर** डॉ. मोहम्मद कामरान खान	19
5.	**भारत की परमाणु नीति** डॉ. अनिल कुमार यादव	26
6.	**अध्यापक शिक्षा में महिला संदर्भित अनुसंधानों की प्रवृत्ति का संबंधित साहित्य के सन्दर्भ में अध्ययन** डॉ. अजय सुराणा एवं गौरव रानी	32
7.	**पं. जवाहरलाल नेहरू और भारतीय लोकतंत्र** डॉ. बीना महलावत	38
8.	**राष्ट्रीय आन्दोलन में राजस्थान की भूमिका** डॉ. संजीव कुमार	43
9.	**ग्रामीण समाज में परिवर्तन** दिनेश कुमार	49
10.	**राम मनोहर लोहिया का समाजवाद** विनोद कुमार प्रजापत	54
11.	**हॉन्गकॉन्ग प्रो- डेमोक्रेसी मूवमेंट और चीन की एक देश दो प्रणाली की नीति** डॉ. बबीता चौधरी	61
12.	**आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के राजनीतिक विचारों का भारतीय राजनीति पर प्रभाव : एक मूल्यांकन** डॉ. राजेश रावत	64

S.No.	Particulars	Page No.
13.	**भारत में मानवाधिकार एवं महिलाएँ** डॉ. रामफूल जाट	68
14.	**न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता: न्यायिक निष्पक्षता एवं स्वतन्त्रता हेतु एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता** विजय लक्ष्मी	75
15.	**महात्मा गाँधी एवं कौशल विकास** डॉ. विरेन्द्र सिंह चौधरी	79
16.	**यौगिक क्रियाओं (योग शिक्षा) का संवेगात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन** डॉ. विष्णु कुमार	83
17.	**भारतीय परिवेश में दिव्यांगजन के मानव अधिकार, चुनौतियाँ एवं उपाय** हर्ष सिंह गहलोत	88
18.	**भारतीय संस्कृति, राजनीति और वेद** डॉ मीना बरड़िया	92
19.	**गाँधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत एवं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर)** डॉ. सीमा अग्रवाल	95
20.	**राजनीतिक अपराधिकरण प्रजातन्त्र की सबसे बड़ी चुनौती** सुमित्रा सारण	99
21.	**सुशासन की अवधारणा** हेतल कंवर	103
22.	**भारत एवं दक्षिण एशिया में सहयोग : उभरती प्रवृतियां एवं चुनौतियाँ** रूबी मीना	109
23.	**मध्य अरावली क्षेत्र में बदलते जनांकिकीय स्वरूप का भौगोलिक अध्ययन** डॉ. एस. एल. चौपड़ा एवं डॉ. बी. सी. जाट	115
24.	**राजस्थान में उच्च शिक्षा अध्ययन में महिला सहभागिता: स्थिति एवं चुनौतियां** डॉ. मंजू शर्मा एवं प्रीति शर्मा	121

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 1-6

स्वतंत्रता प्राप्ति के सात दशक के उपरान्त विकास का सामाजिक व आर्थिक प्रभाव : समावेशी विकास के सन्दर्भ में

सोनिका नागर

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

डॉ. प्रविता त्रिपाठी

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, स्व. रघुनंदन सिंह डिग्री कॉलेज, संरवा, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

शोध सारांश

समावेशी विकास, विकास का एक बहुआयामी प्रदर्शन है जो कि सर्वजन हिताय और बहुजन सुखाय पर आधारित है। साथ ही इसमें सामाजिक न्याय का लक्ष्य भी समाहित है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो समावेशी विकास यदि प्रक्रिया है तो सामाजिक न्याय उसका प्रतिफल है। समावेशी विकास के अन्तर्गत समाज के सभी वर्गों (विशेषकर उस वर्ग को जो मुख्यधारा से वंचित है) के प्रति विकास के लाभों की पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में समावेशी विकास से तात्पर्य है कि भारत के पिछड़े हुए लोगों एवं अल्पविकसित क्षेत्रों को विकास के दौर के साथ जोड़ा जाए। पिछले सात दशकों के दौरान विभिन्न सरकारों द्वारा तमाम योजनाओं, कार्यक्रम एवं नीतियों के द्वारा विकास प्रक्रिया को आगे बढाया गया है लेकिन वर्तमान विकास के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के मद्देनजर अभी और समेकित प्रयत्नों की अवश्यकता है। इन प्रयत्नों के साथ ही जन-जागरूकता एवं आम आदमी की नीतियों में सहभागिता भी समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यावश्यक है।

संकेताक्षर : *समावेशी विकास, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव*

प्रस्तावना

''जो विकास समाज की अन्तिम पंक्ति में अन्तिम स्थान पर खडे व्यक्ति तक ना पहुँच सके, वह विकास नहीं विकास के नाम पर छलावा मात्र है।''[1]

भारत एक विशाल आबादी वाला वृहद देश है। विश्व की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग भारत में निवास करता है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों व क्षेत्रीय विभिन्नताओं को स्वयं में आत्मसात किये हुए है। वर्षों दासता में रहने के कारण देश का आर्थिक, सामाजिक व भावनात्मक रूप से शोषण हो चुका था। आर्थिक संसाधन अत्यन्त जर्जर अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। अंग्रेजों ने देश को आजाद करते समय न केवल आर्थिक स्तर पर खोखला कर दिया था वरन् सामाजिक स्तर पर भी राष्ट्र को विभिन्न स्तरों व वर्गों में विभाजित कर दिया था। जिसकी परिणाति अंतत: राष्ट्र विभाजन के रूप में सामने आई।

भारत को अपनी खोई हुई गरिमा, प्रतिष्ठा व वैभव को प्राप्त करने के लिये एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता थी, जो सभी वर्गों धर्मों व स्तरों को साथ लेकर आगे बढे व अपना खोया हुआ मान सम्मान पुन: प्राप्त कर सके। आजादी के उपरान्त देश की राजनीतिक व्यवस्था के संचालन हेतु संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है व इस दिशा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया गया।[2]

संविधान का निर्माण करते समय प्रस्तावना के माध्यम से देश के सभी नागरिकों के लिये सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय और व्यक्ति की गरिमा व एकता को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया। संविधान द्वारा देश के सभी नागरिकों के लिये मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गयी व राज्य के लिये नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भी किया गया है। संविधान में वर्णित (मौलिक अधिकारों) के माध्यम से उन सभी दूषित वर्जनाओं को समाप्त कर दिया गया जो पूर्ववर्ती औपनिवेशिक सामाजिक संरचना व सामन्तवादी व्यवस्था द्वारा आरोपित की गयी थी।

संविधान के द्वारा केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों को अपने शासन संचालन हेतु विभिन्न शक्तियाँ प्रदान की गयी है। न केवल सरकारों

को वरन् देश के सभी नागरिकों को भी बिना किसी भेद भाव के शासन में सहभागिता का अधिकार प्रदान किया गया है। किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि आजादी के इतने दशकों के उपरान्त भी समाज का एक बहुत बड़ा तबका इन अधिकारों का उपभोग करने में स्वयं को असहाय पाता है। इस तबके में आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े, शोषित, वंचित व दमित वर्ग के व्यक्ति आते हैं। ये शिक्षा की कमी, आत्मनिर्भरता व जागरूकता के अभाव के कारण अपने अधिकारों का उपभोग करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं।

किन्तु यह भी एक क्रूर सत्य है कि इन सभी वर्गों का विकास किये बिना व इनकी राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक व बौद्धिक सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित किये बिना लोकतन्त्र के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं किया जा सकता है तथा संविधान में वर्णित मूल्यों व मानकों का परिपालन भी सम्भव नहीं है।

अत: इन सभी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया कि राज्यों द्वारा ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जायें व ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों का संचालन किया जाये, जिनके माध्यम से इन दबे व शोषित वर्गों को भी मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।

संविधान निर्माण में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अम्बेडकर जी ने कहा था कि ''हम एक ऐसे समाज में प्रवेश करने जा रहे हैं जो विसंगतियों से भरा हुआ है। एक ऐसा समाज जिसमें राजनीतिक रूप से तो सभी समान होंगे किन्तु सामाजिक व आर्थिक आधार पर असमानता के दृश्य परिलक्षित होंगे।''[3]

अत: प्रस्तुत निबन्ध के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 72 वर्षों के उपरान्त भी भारत में निर्धन, पिछडे व शोषित वर्गों की क्या स्थिति है। सरकारों ने उल्लिखित दिशा निर्देशकों को ध्यान में रखते हुए राज्य द्वारा समावेशी विकास की जो नीति अपनाई गई उसका स्वरूप क्या रहा?

समावेशी विकास

समावेशी विकास एक ऐसी धारणा है जिसमें इस तथ्य पर पर्याप्त बल दिया जाता है कि समाज के सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के स्वतन्त्रता, समानता व गरिमा के साथ सार्थक व सफल जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है।

समावेशी विकास की अवधारणा गरीबी उन्नमूलन व निर्धनता कार्यक्रम की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। इस धारणा में समाज के उन सभी वर्गों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है जो कमजोर, साधनविहीन, वंचित, देश के सुदूर कोने में रहने वाले व हाशिये पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसमें न केवल सभी वंचित व कमजोर वर्गों का विकास करने पर ध्यान दिया जाता है अपितु उन्हें विकास प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाकर लाभान्वित भी किया जाता है।

यह सर्वविदित सत्य है कि किसी भी राष्ट्र की उत्पादकता को बढाने में एक स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ जनसमुदाय ही सहयोग कर सकता है। अत: समावेशी विकास का अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है। जिसमें देश के सभी नागरिक योगदान कर सके व उसमें भाग ले सकें। और इन परिस्थितियों को साकार रूप प्रदान करने में राज्य द्वारा सरकारी पहल व सक्रिय नियोजन आवश्यक है। 1947 में जब भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई और देश के नीति नियन्ताओं ने शासन व्यवस्था संभाली तब यह विदित हुआ कि देश अनेक सामाजिक व आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ है और इन समस्याओं का समाधान करने के लिये अनेक योजनाओं व परियोजनाओं की आवश्यकता है।[4]

संविधान निर्माताओं ने इन समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही संविधान में ऐसे उपबन्ध किये जो देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके।

विकास के सामाजिक प्रभाव

समावेशी विकास सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। और यह सर्वविदित सत्य है कि सामाजिक सशक्तीकरण को प्राप्त किये बिना आर्थिक सशक्तीकरण की प्राप्ति नहीं की जा सकती है।

सामाजिक सशक्तीकरण को प्राप्त करने का सबसे प्रमुख साधन शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति की अर्न्तनिहित सम्भावनाओं को विकसित करती है व उसकी तर्कक्षमता का विकास करके उसे तर्क करने योग्य बनाती है। आजादी के उपरान्त देश में अज्ञानता व असमानता का एक बहुत बड़ा कारण जन समुदाय तक शिक्षा की पहुँच का न होना था। अत: संविधान द्वारा देश के सभी नागरिकों को अपना सर्वागीण विकास करने हेतु बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त सरकार द्वारा कई शिक्षा आयोग स्थापित किये गये। जिनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने हेतु दिये गये सुझावों व कार्यक्रमों को सरकार द्वारा लागू किया गया। संविधान द्वारा उपबन्धित प्रावधानों के आधार पर विभिन्न वर्गों (अनु0 जाति, अनु0 जनजाति व पिछडा वर्ग) को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण भी प्रदान किया गया है। किन्तु अनेक शिक्षा आयोगों, योजनाओं व कार्यक्रमों के बाद भी समावेशी शिक्षा

के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें अभी और समेकित प्रयत्नों की आवश्यकता है।

समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी हम बहुत पीछे हैं। देश अनेक राज्यों में शिक्षा का अनुपात एक जैसा नहीं है। भारत के एक राज्य केरल की साक्षरता प्रतिशत जहाँ 93.91% है वहीं बिहार की साक्षरता दर मात्र 63.82% है। आँकडों के अनुसार बिहार में अभी भी 37% जनता निरक्षर है। देश के अन्य राज्यों क्रमश: राजस्थान, झारखण्ड, उडीसा, आंध्रप्रदेश, अरूणाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर की साक्षरता दर औसत से भी कम है।[5]

इस पर भी अगर महिला शिक्षा की बात की जाये तो वस्तुस्थिति और भी निराश करने वाली है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% मात्र है। सोचने वाली बात है कि तमाम प्रयासों के बाद भी देश की आधी आबादी को हम शिक्षा प्रदान क्यों नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्न यह भी उठता है कि जिस देश की आधी आबादी शिक्षित ही नहीं है उस देश का सम्पूर्ण विकास कैसे सम्भव है? अत: विडम्बना यह है कि हम आजादी के 72 वर्षों के उपरान्त भी शिक्षा का स्वरूप समावेशी शिक्षा का नहीं बना पाये है।

इसके साथ ही वर्तमान भारतीय शिक्षा पद्धति का एक अन्य दोष यह भी है कि यह व्यावहारिक होने के स्थान पर सैद्धान्तिक अधिक है। देश में एक बहुत बड़ी युवा शक्ति निवास करती है जो ऊर्जा व जोश से परिपूर्ण है। किन्तु सैद्धान्तिक शिक्षा के द्वारा यह युवा शक्ति अपनी ऊर्जा का समुचित उपयोग नहीं कर पाती है और बेरोजगारी के दलदल में धँस जाती है।

यद्यपि सरकार द्वारा पिछले दशको में शिक्षा के सुधार हेतु अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। इनमें प्रमुख है सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, ब्लैड बोर्ड प्रोग्राम आदि। ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम'' द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार में स्थान प्रदान किया गया है। किन्तु इन सभी योजनाओं व कार्यक्रमों का कोई लाभ नहीं जब तक यह निश्चित न हो कि इनका क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है व समाज के अंतिम वंचित व्यक्ति तक इसकी पहुँच हो रही है। समय-समय पर इन कार्यक्रमों के समाज पर पडने वाले प्रभाव व इसकी समीक्षा की भी आवश्यकता है।[6]

शिक्षा के साथ ही सामाजिक सशक्तीकरण का अन्य प्रमुख उपकरण स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी व्यक्तियों की पहुँच से सम्बन्धित है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के कारण जो सेवा मिलती है उसका स्वरूप वैकल्पिक निजी स्वास्थ्य सेवा का है। जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को जनसमुदाय तक पहुँचाने का उत्तरदायित्व सार्वजनिक क्षेत्र का होना चाहिये था वहाँ स्वास्थ्य सुविधायें निजी हाथों के चँगुल में फँस गयी है। स्वास्थ्य सेवाओं के निजी स्वरूप के कारण उन व्यक्तियों का शोषण होता है जो निम्न आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं के अत्यधिक महँगी होने के कारण या तो उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते या फिर अत्यधिक आर्थिक शोषण का शिकार हो जाते हैं। आजादी के 72 वर्षों के उपरान्त भी स्वास्थ्य सेवाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं तक आम जनमानस की पहुँच न होना एक सोचनीय विषय है।

हालांकि सरकार द्वारा समय-समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हेतु अनेक प्रयास किये गये है। ''राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन'' राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ''जननी सुरक्षा योजना'' ''प्रधानमंत्री आयुष योजना'' आदि इसके उदाहरण है। इन कार्यक्रमों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु जो प्रयत्न किये गये उसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए है।

इसके अतिरिक्त भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि से सम्बन्धित सुधारों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। जहाँ देश की लगभग 70% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न हैं वहाँ कृषि क्षेत्र का कायाकल्प एक संवेदनशील मसला है। क्योंकि देश के सकल घरेलू उत्पाद कृषि की उत्पादकता 18% है।[7]

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त कृषि विकास को बढावा देने हेतु सरकार ने अनेकों योजनाओं की शुरूआत की। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सुधार के अनेक प्रयास किये गये। किन्तु कृषि सुधारों का जो रूप वर्तमान में दृष्टिगोचर होता है वह सन्तोषजनक नहीं है। आजादी के इतने दशकों के उपरान्त भी किसानों से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ है जो विकराल रूप से सर उठाए खड़ी है।

सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधारों से सम्बन्धित ''राष्ट्रीय कृषि विकास योजना'' व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आदि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने व उत्पादन में वृद्धि करने हेतु प्रारम्भ की गयी थी। इन सब प्रयासों के उपरान्त भी कृषि से सम्बन्धित बुनियादी समस्याओं का अभी भी समाधान होना शेष है।

भारत जैसे कृषि प्रधान विकासशील देश में जब तक कृषि सुधारों को मूर्त रूप प्रदान नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्र की प्रगति के बारे में सोचना अतिशयोक्ति ही होगा।

आर्थिक प्रभाव

भारत में सन् 1990-91 में उदारीकरण के दौर की शुरूआत हुई। देश में उदारीकरण की नीतियों को स्वीकार कर विकास प्रक्रिया को गति देने की कोशिशें शुरू की गयी। तत्कालीन केन्द्र सरकार

द्वारा उदारीकरण व वैश्वीकरण की जिस प्रक्रिया को विकास हेतु स्वीकार किया गया उसके माध्यम से यह स्वप्न संजोया गया कि देश विकास के एक नये पथ पर अग्रसर होगा व आर्थिक तौर पर सशक्त होगा।

किन्तु उदारीकरण के द्वारा सरकार द्वारा विकास की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गयी थी, अब उसकी समीक्षा का वक्त आ चुका है। उदारीकरण के माध्यम से गरीबी व विपन्नता दूर करने का जो स्वप्न देखा गया था वह तो मात्र स्वप्न ही बनकर रह गया प्रतीत होता है। इसके विपरीत अमीर व गरीब के बीच की खाई और ज्यादा चौडी हो गयी है। अमीर और अधिक अमीर हो गये हैं व गरीब और अधिक गरीब हो गये हैं।

यद्यपि यह कहना गलत न होगा कि उदारीकरण के कारण हमें अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों की प्राप्ति हुई है। किन्तु इन उपलब्धियों के साथ-साथ अनेक विसंगतियाँ भी भेंट स्वरूप प्राप्त हुई है जिनमें प्रमुख है- बेरोजगारी, असंतुलित क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि आदि।

इसके साथ-साथ औद्योगीकरण व नगरीकरण के प्रभावों की समीक्षा करना भी आवश्यक हो गया है। औद्योगीकरण व नगरीकरण के कारण विकास की गति को तेज करने हेतु कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहित कर नये-नये कारखानों, उद्योगों व संयत्रों को स्थापित किया गया। इससे हजारो लाखों लोगों को अपनी कृषि योग्य भूमि को छोड़ना पड़ा व विस्थापित होकर अपना जीवन गुजारने पर मजबूर होना पड़ा।[8]

औद्योगीकरण व नगरीकरण की इस प्रक्रिया द्वारा न केवल कृषि योग्य उपजाऊ भूमि का ह्रास हुआ वरना बिना सोचे समझे वनों व जंगलों का सफाया करके और उनके स्थान पर उधोग स्थापित करके विकास की एक ऐसी अंधी दौड शुरू की गई जिसका परिणाम आज पर्यावरण असन्तुलन के रूप में हमारे सामने है।

सड़क निर्माण, बाध निर्माण व पनबिजली परियोजनाओं हेतु व शहरीकरण की प्रक्रिया हेतु हजारों, लाखों पेड़ों को प्रतिवर्ष काट दिया जाता है। पहाड़ों में विस्फोटक लगाकर रास्तों का निर्माण किया जाता है किन्तु इन विस्फोटकों के कारण कच्चे पहाड़ों का क्षरण होता है और हजारों लाखों टन मलबा नदियों में डाल दिया जाता है जो मैदानी इलाकों में भयानक बाढ़ का कारण बनती है। विकास के नाम पर पर्यावरण क्षरण की यह विनाशकारी प्रक्रिया किसी भी दशा में समावेशी विकास के मापदण्डों पर खरी नहीं उतरती प्रतीत नहीं होती है। **समावेशी विकास में उन वंचित वर्गों को सम्मिलित किया जाता है जो मुख्य धारा में शामिल नहीं है व वंचनाओं में अपना जीवन यापन का रहे है।**

किन्तु विकास की इन योजनाओं के द्वारा उन्ही वर्गों को उनकी जमीनो व निवास स्थानों से विस्थापत कर मजबूरी का जीवन को मजबूर किया जा रहा है। आदिवासी व जनजातीय समूह का वनों व जंगलों के साथ एक अटूट सम्बन्ध रहा है। जनजातियों समूहों की वनों पर निर्भरता मात्र आर्थिक आधार तक सीमित नहीं है वरन यह सामाजिक आर्थिक व भावनात्मक निर्भरता है। विकास की जिस प्रक्रिया के द्वारा आज जंगलों का सफाया करके आदिवासियों को उनके निवास स्थानों से निकालकर बाहर फेंका जा रहा है उससे आदिवासियों के द्वारा अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखना असम्भव सा हो गया है। आदिवासी व जनजातिय समूहों को उनके निवास स्थान से विस्थापित कर दिया गया व उनसे जमीन के बदले जमीन देना का वायदा पूरा नहीं किया गया। और अगर जमीन दी भी गई तो या तो बहुत कम जमीन दी गयी या बेहद घटिया दी गई। इस तरह विस्थापितों को पुनर्वासित करने की योजना ने इस आबादी के सामाजिक व आर्थिक ढाँचे का पूरा ताना बाना विस्थापन के साथ बिखर गया।

नर्मदा नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी परियोजना, टिहरी बाँध आदि अन्य अनेक ऐसी योजनाओं को विकास के नाम पर स्वीकार किया गया जिनसे लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया गया और पर्यावरण को अपूर्णनीय क्षति पहुँचाई गई। एक तरफ तो इतनी बड़ी-बड़ी नदी परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है दूसरी और बिहार राज्य में प्रत्येक वर्ष में आने वाली भयंकर बाढ का अभी तक कोई समाधान नहीं किया जा का है जिससे प्रत्येक वर्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं। **क्या इतनी बड़ी आबादी के उचित पुर्नवास के बिना किसी समावेशी विकास की कल्पना की जा सकती है?**

देश को जब स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तो विभिन्न भागों व क्षेत्रों में सामाजिक व आर्थिक स्तर पर अनेक विभिन्नताएँ विद्यमान थी। यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है कि विविधता एक भौगोलिक नियम है। अलग-अलग क्षेत्रों में असमनताएँ विभिन्न स्वरूपों में बनी रहती है व इसी कारण देश के सभी क्षेत्रों का एक समान विकास सम्भव नहीं है। किन्तु आजादी के सात दशकों के उपरान्त क्षेत्रीय विकास असन्तुलन एक बड़ी समस्या के तौर पर बना हुआ है।

क्षेत्रीय असंतुलन के चलते विभिन्न राज्यों की विकास दरों में काफी अन्तर व्याप्त है। जहाँ एक ओर पंजाब, हरियाणा, गुजरात व दक्षिण भारतीय राज्यों में विकास दर अधिक है। वही बिहार, मध्यप्रदेश कम है।[9] अत: विकास की इन क्षेत्रीय विभिन्नताओं के

कारण सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति निम्न बनी हुई है।

इन सब के अतिरिक्त बेरोजगारी भ्रष्टाचार जैसी समस्यायें की भरत के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी बाधाओं के तौर पर खड़ी है। रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण द्वारा कराये गये अध्ययन में यह बात साफ तौर पर देखी जा सकती है कि आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग आज बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। शिक्षा के बजट में उत्तरोत्तर वृद्धि के उपरान्त भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आज आवश्यकता ऐसी शिक्षा की है जो व्यावसायिक, कौशलयुक्त व रोजगारपरक हो। उचित कौशल प्राप्त व व्यावसायिक शिक्षा में युवा अपनी क्षमताओं का बेहतर विकास कर सकता है व एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकता है जो समावेशी विकास का मूल लक्ष्य है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाने वाली मानव विकास सूचकांक में कुल 189 देशों की मानव प्रगति से सम्बन्धित रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। जिसमें मुख्यत: तीन बिन्दुओं जीवन प्रत्याशा, शिक्षा व पर-कैपिटा इनकम को आधार बनाकर किसी भी देश की प्रगति को मापा जाता है। **हाल ही में जारी की गयी इस रिपोर्ट में भारत को 130 रैंक प्रदान की गई है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ विश्व जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग रहता है वहाँ इस रैंकिग को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।**[10]

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आजादी के उपरान्त स्वर्णिम भारत का जो स्वप्न देखा गया था, उस स्वप्न को साकार करने के लिये अभी बहुत लम्बा रास्ता तय करना है।

हालांकि सरकार द्वारा हाल के कुछ वर्षों में अनेक योजनाओं व नीतियों को व्यवहार में लाया गया है जो विकास के पथ पर अग्रसर भारत को नई गति व ऊर्जा प्रदान कर सकती है। **सरकार द्वारा जारी की गई आयुष्मान भारत योजना, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, उज्जवला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्वच्छ भारत अभियान, स्टार्ट अप प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उडान योजना, स्किल इंडिया आदि अनेक कार्यक्रमों को कार्यरूप में परिणत करने का प्रयास जारी है।** किन्तु इन योजनाओं के सकारात्मक परिणाम तभी प्राप्त हो सकते हैं जब सरकार द्वारा अपनी नीतियों में पारदर्शिता लाई जाये, सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली का विकास किया जाये व सुशासन को भी प्रभावी रूप से लागू किया जाये क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन ही निर्विवाद रूप से चिरस्थाई विकास की आधारशिला है।

समावेशी विकास हेतु रणनीतियाँ

सर्वप्रथम सरकार को सहयोग का ऐसा वातावरण तैयार करना पडेगा जो किसान वर्ग व व्यापारियों और उद्यमियों के सामंजस्य का वातावरण तैयार कर सके।

द्वितीय ग्रामीण व शहरी ससमावेशी विकास हेतु बुनियादी व आधारभूत ढाँचे के विकास में सरकार को मुख्य भूमिका अदा करनी होगी।

तृतीय वंचित, निर्धन व साधनविहीन व्यक्तियों को अपनी आजीविका कमाने व जीवन स्तर में सुधार करने हेतु सरकार को विशेष कार्यक्रम चलाने होंगे।

चतुर्थ सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल व कौशल विकास रोजगार जैसी मूलभूत सुविधायें प्राप्त हो। इन सेवाओं के बिना समावेशी विकास को प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

पंचम सतत विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए जमीन, जल व जंगल जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

अत: हमारा सुझाव यह है कि आज समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विकास के एकांगी स्वरूप को अपनाने से बचना होगा तभी समावेशी विकास में एक ऐसे विकास की परिकल्पना की जाती है जिसमें निर्धन, वंचित, अनुसूचित जाति जनजाति, साधनविहीन पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में शामिल कर लाभ पहुँचाना सुनिश्चित किया जाता है। आशा यही की जा सकती है कि भारत जैसे युवा शक्ति से सम्पन्न राष्ट्र के लिये समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरन्तर कठिन प्रयास किये जाएंगे और भविष्य में भारत अपने सभी नागरिकों को साथ लेकर उसी प्रतिष्ठा व गरिमा को प्राप्त कर सकेगा जिस भारत के सन्दर्भ में ''सोने की चिडिया'' जैसी कहावत प्रसिद्ध हुई थी।

सन्दर्भ सूची

1. सिंह, डॉ. अंगद, भारत में समावेशी विकास की चुनौतियाँ, एकेडमिक बुक हाउस, भोपाल, 2011, पृ.सं. 94-95
2. सेन, आमर्त्य एवं ज्यां ड्रेज, एन अनसर्टेन ग्लोरी : इण्डिया एण्ड इटस कंट्राडिक्शस, प्रिंसटन पब्लिकेशन्स, प्रिंसटन, पृ.सं. 28
3. चौबे, पी.के., इकॉनॉमिक इन्क्लूजन थ्रू इन्क्लूजिव फाइनेंस, ए.के. अग्रवाल एवं भारतेन्द्र सिंह (सम्पादित), डी.वी. पब्लिशर्स ग्रवाहाटी, 2013, पृ.सं. 76

4. सेंसस ऑफ इण्डिया, 2011
5. सिंह, आर.यू., इन्क्लूसिव ग्रोथ इन इण्डिया, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, दरियागंज, दिल्ली, 2009, पृ.सं. 52
6. चन्द्र, विपिन, आजदी के बाद का भारत- 1947-2009, हिन्दी माध्यम कार्यन्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2002, पृ.सं. 46
7. सेन, गीता एवं डी. राजशेखर, सोसल प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसीज, एक्स्पीरियंसेज एण्ड चैलेंज इन ग्रोथ, आर नागराजन (सम्पादित) 'इन इक्वलिटी एण्ड सोसल डेवलपमेंट इन इण्डिया', पेलग्रेव मैकमिलन, 2012, पृ.सं. 91-134
8. देव, एस. महेन्द्र, इन्क्लूसिव ग्रोथ इन इण्डिया, ऑक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 2007, पृ.सं. 227-232
9. भारत 2010, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2010
10. तिवारी, नवीन कुमार, ग्रामीण विकास में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की भूमिका, कुरूक्षेत्र, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, अक्टूबर 2009, पृ.सं. 12

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 7-10

हिन्द महासागर में चीन के बढ़ते कदम और भारत: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. विकास शर्मा

रक्षा एवं सामरिक अध्ययन, हे.न.ग. केन्द्रीय विश्वविद्यालय,श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

शोध सारांश

हिन्द महासागर अस्थिर व अशान्त होने के कारण विश्व राजनीतिक पटल पर महाशक्तियों की प्रतिद्वन्द्विता को मुख्य रूप से उत्तेजित करता है। नौ सैनिक शक्तियों के महत्व विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुआ, नौ सैनिक शक्तियों के कारण विश्व स्तर पर संघर्ष, तनाव और टकाराव का केन्द्र महा सागर बन गये है। नौ सैनिक शक्ति का परचम लहराने के लिए विश्व की महाशक्तियाँ हिन्द महासागर में क्रमबद्ध होने में प्रयासरत है। 19वीं शताब्दी में नौ सैनिक विशेषज्ञ अलफ्रेड महान ने बताया कि जो भी राष्ट्र हिन्द महासागर पर नियन्त्रण कर पायेगा, वही एशिया पर वर्चस्व स्थापित करने में समर्थ होगा। हिन्द महासागर सभी महासागरों की कुंजी है यही किसी भी देश के भाग्य का निर्धारण करेगा। 21वीं शताब्दी में भारत शक्ति सन्तुलन को केन्द्रित करने के लिए चहुंमुखी विकास व राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रही है। भारत अपने विकास सम्बन्धित उपादेयता ने हिंद महासागर के भू-राजनैतिक व रणनीतिक महत्व में अभिवृद्धि कर दी है यही कारण है कि जहाँ एक ओर फारस एवं अदन की खाड़ी से पूर्वी एशिया तक विस्तृत सामुद्रिक मार्ग के गुरूत्व केन्द्र में भारतीय स्थिति, अंडमान-निकोबार द्वीप क्षेत्र तथा मलक्का जलडमरू मार्ग की सामरिक महत्ता भारत को प्रभावी नौसैन्य शक्ति बनाने हेतु विवश कर रही है, वहीं वैश्विक शक्ति संरचना में आर्थिक विकास हेतु हिंद महासागर पर निर्भरता उसकी सुरक्षा जिम्मेदारियों का अहसास भी कराती है। स्पष्ट है, कि हिंद महा सागर में चीन की भारत से आगे निकलने की होड़ भारत के सामरिक हितों को चुनौती है इसलिए भारत को नौसेना समुद्री बेड़े में नई शक्ति का तत्कालीन इजाफा करना तथा अपने हितों की रक्षा के लिए और सतर्क रहना चाहिए।

संकेताक्षर : *हिन्द महासागर, चीन, सामरिक तटीय राष्ट्र, नौ सैनिक शक्ति*

प्रस्तावना

अनन्त काल से ही भारत और समुद्र का शाश्वत सम्बन्ध रहा है। भारत की उसके पौराणिक इतिहासों से लेकर यथार्थिक वैज्ञानिक अनुसंधानों तक की एक सुदीर्घ यशस्वी यात्रा में समुद्र के स्पष्ट वर्णन मिलते हैं। समुद्र अनादि काल से भारत के भौगोलिक स्वरूप को तीनों ओर से पाद प्रक्षालित करता आ रहा हैं, और भारत ने भी प्रत्युत्तर में सदैव समुद्र की यथोचित आराधना की है।[1] प्रशान्त महासागर तथा अटलान्टिक महासागर के बाद हिन्द महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह महासागर 73,556,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है तथा पृथ्वी के जल सतह का 20 प्रतिशत हिस्सा है। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में इण्डोनेशिया, सुंडा द्विप तथा आस्ट्रेलिया है तथा इसके दक्षिण में दक्षिणी महासागर है। भारत के दक्षिण में स्थित हिन्द महासागर का भू-राजनैतिक एवं अत्यधिक सामरिक महत्व है। स्थल रूद्ध होने के कारण इस महासागर ने भारत को एक प्रभावशाली स्थान प्रदान किया है।[2] सामरिक दृष्टिकोण से विश्व के मानचित्र में भारत और हिन्द महासागर की स्थिति महत्व की है, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्र है जिसे तीनों ओर से हिन्द महासागर प्रभावित करता है। भारत हिन्द महासागर के केन्द्र में स्थित है और इसकी तटीय रेखाएं हिन्द महासागर के द्वारा निर्धारित होती है। इसलिए हिन्द महासागर भारत के लिए सामरिक महत्व रखता है। प्राचीन काल से भारत का 85 प्रतिशत सामुद्रिक व्यापार हिन्द महासागर के वक्ष स्थल द्वारा सम्पन्न होता रहा है। इस कारण हिन्द महासागर का भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सामरिक उपयोगिता अधिक है।[3] चीन की भी हिन्द महासागर क्षेत्र में बहुत पुरानी दिलचस्पी है। 12वीं एवं 13वीं

शताब्दी के पश्चात् दक्षिणी शुंग शासन काल में चीन की रुचि हिन्द महासागर पर दृष्टिगत होती प्रतीत होती है। हिन्द महासागर में चीनियों के आवगमन के इतिहास का प्रारम्भ पूर्व प्रथम शताब्दी से होता है।

भारत हिंद महासागर में चीन के बढ़ते कदम को लेकर चिन्तित है, वहीं दूसरी ओर चीन द्वारा ब्रहमपुत्र के पानी को रोकना या मोतियों की माला की नीति। ले.क. क्रिस्टोफर जेफर्सन पर्ल्स ऑफ स्ट्राटेजी चीन के भू-राजनैतिक प्रभाव के आक्रमक विस्तार की नीति का वर्णन करते हैं, जिसके अर्न्तगत चीन एशिया के दूर-दराज के बंदरगाहों तथा हवाई अड्ड़ों तक अपनी पहुच बना रहा है साथ ही अपने सैन्य बलों का आधुनिकीकरण भी कर रहा है।

चीन अपने आर्थिक हितों के नाम पर अपने सैन्य लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहा है। चीन कुछ देशों को भारी-भरकम कर्ज देकर अपने साथ मिलाना चाहता है, ताकि हिंद महासागर में बढ़ते सामरिक महत्व को स्थायित्व प्रदान कर सके है। मालदीव का सामरिक महत्व किसी से छिपा नहीं है, चूँकि लक्षद्वीप से मालदीव की दूरी 1200 किलोमीटर है, श्रीलंका चीनी कर्जजाल में ऐसा फँसा है कि उसे अपने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष तक चीन को लीज पर देना पड़ा है।

Source : www.indiamaps.com
हिन्द महासागर में चीन की गतिविधियाँ

चीन हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बनाये रखने में समर्थ हुआ है। चीन के लिए ग्वादर बंदरगाह सामरिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, और एक हारमुज जलडमरू के निकट होने के कारण, यहाँ से विश्व का 40 प्रतिशत तेल भी निर्यात होता है। अत: चीन ने इस बंदरगाह का निर्माण केवल व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया बल्कि वह इसके माध्यम से नौसैनिक अड्डे स्थापित करना और महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर प्रभुत्व कायम करना है। चीन ग्वादर बंदरगाह से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पाँच नये बंदरगाह बनाने की रणनीति पर कार्य कर रहा है। चीन ने इस नीति को पर्ल नेकलेस का नाम दिया गया है। इस नीति के द्वारा सम्पूर्ण हिन्द महासागर पर चीन की प्रभुत्व स्थापित हो जायेगा। भारतीय उपमहाद्वीप में या दक्षिण एशिया में चीन की सामरिक उपस्थिति बढ़ती जा ही है। भारत और चीन के आपसी रिश्तों में सुधार तो हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता कि चीन के दक्षिण एशिया की ओर बढ़ते कदम भारत के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करते हैं। इस खतरे का सबसे ज्यादा असर भारत पर पडेगा। चीन हिन्द महासागर को एक साझे समुद्र के तौर पर देख रहा है। जिसको भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि हिन्द महासागर में बड़ी शक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा से सर्वाधिक खतरा भारत की सुरक्षा को ही है। भारत की सुरक्षा हिन्द महासागर पर पूर्णरूपेण निर्भर करती है। भारत सम्पूर्ण विश्व में और विशेषकर, एशिया महाद्वीप में भी शान्ति ओर सुरक्षा के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वहीं दूसरी ओर भारत के पड़ोसी देशों पर चीन का मालदीव व नेपाल पर चीन का बढ़ता दबाव भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है।[7] चीन ने भारतीय उपमहाद्वीपों के चारों ओर एक चक्रव्यूह बना लिया है, जिसमें चीन पड़ोसी देशों को एक कड़ी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। चीन मालदीव के मराओं द्वीप पर एक सैनिक अड्डा बनाने की योजना बना रहा है। मराओं द्वीप पर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी न्यूक्लियर हथियारों से लेस पनडुब्बियों व विध्वशंक बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर चुका है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर में चीन की न्यूक्लियर गतिविधियाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है जिसकी वजह से 2040 तक पूरा मालदीव या उसका अधिकांश भाग सागर में समा जायेगा। चीन को हिंद महासागर तक पहुचाने में म्याँमार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। चीन ने सितवे नामक स्थान पर सी-हार्बर बना रखा है। कोको द्वीप पर व अन्य द्वीपों को म्याँमार से पट्टे पर लेकर वहाँ शक्तिशाली संचार व खुफिया तन्त्र विकसित कर रखा है। बंगाल की खाड़ी में स्थित यह कोकोद्वीप भारत के केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह से केवल 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्वीप से भारतीय नौ-सैनिक गतिविधियाँ, पूर्वी नौसैनिक कमान, बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के चाँदीपुर मिसाइल टेस्टिंग रेंज पर चीन की ओर से जासूसी करने की पुष्टि हो चुकी है। अपने मैत्री पूर्ण सम्बन्धों के आधार पर ही चीन को म्याँमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुँचने का सुदृढ़ मार्ग मिला है।

चीन हिन्द महासागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए अपनी नौसेना में वृद्धि करता जा रहा है। साथ ही उप महाद्वीप से लगे राष्ट्रों को अपने नियन्त्रण में लेता जा रहा है। चीन की नौसेना कभी तीनों सेनाओं में सबसे कमजोर मानी जाती थी। आज चीनी नौसेना अमेरिका एवं रूस के बाद दुनिया की तीसरी सर्वश्रेष्ठ सेना मानी है। चीनी नौसेना ने 2012 में अपने पहले विमान वाहक को लायोनिंग जलावतरण किया था। वह सोवियत दौर का बना जहाज था।

उसके बाद 27 अप्रैल 2017 को चीनी नौसेना ने एक कदम ओर बढ़ाते हुए अपना दूसरा विमान वाहक पोत समुद्र में उतरा। इसे सी0वी0-001 ए का नाम दिया गया है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना यह 70000 टन वजनी विमानवाहक पोत 2020 तक सेवा के लिए तैयार हो जायेगा। इसे चीनी नौसेना की उस महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें चीन अपनी तकनीक के दम पर विमान वाहक पौतों के निर्माण को बढ़ावा देना की तैयारी कर रहा है। अगर यही रूझान कायम रहा तो 2020 तक चीनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौसेना बनने के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। नया विमान वाहक पोत चीनी नौसेना की उस महत्वकांक्षी योजना का हिस्सा है जिसके तहत 2020 तक 250 से अधिक युद्धपोत, पन्नडुब्बियों और अन्य जहाजों का बेड़ा तैयार करने का लक्ष्य है।[9]

चीन उभरती हुई शक्ति है। ऐसे में सैन्य मोर्चे पर भी उसकी ताकत बढ़ना स्वाभाविक है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की नौसैनिक मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। चीनी पन्नडुब्बियों ने समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्यवाही के बहाने दिसम्बर 2013 से गाहे-बगाहे हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सक्रियता लगातार बढ़ायी है। चीनी सामुद्रिक रेशम मार्ग का मकसद भी हिंद महासागर क्षेत्र में अपना कद बढाना है। चीनी नौसेना को स्थापित करने के लिए मजबूती से लेकर हम्मनटोटा और ग्वादर तक नये सैनिक केन्द्र बनाये गये है इन सबसे यही सकेंत मिलता है, कि चीनी नौसेना अब अपनी ताकत की की दुंदुभी बजाने को तैयार है। इन सबका मकसद हिंद महासागर में अपना वर्चस्व बढ़ाना है। मिसाल के तौर पर दक्षिणी चीन सागर में विमानवाहक पोत की तैनाती समीकरणों को पलट देगी। चीन जिस तरह से हिद महासागर में भारतीय सामरिक हितों की में बाधा उत्पन्न कर रहा है भारत के लिए एक चिंता का विषय है।[10]

हिंद महासागर में भारत एक मजबूत राष्ट्र था लेकिन समय के साथ काफी बदलाव आए हैं। चीन के एक महा शक्ति के रूप में उभरने से स्थिति काफी बदल गई है। हिंद महासागर से मिल रही रक्षा सम्बन्धित चुनौतियाँ, चीन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, जो कि हिंद महासागर में भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए अत्यन्त नुकसानदेह है। भारत हिंद महासागर के केन्द्र में स्थित होने के कारण व्यापारिक मार्गो एवं ऊर्जा की जीवन रेखा के दोनों ओर स्थित है। दोनों ओर संचार स्थापित करने के लिए भारत को हिंद महासागर में अपनी नौ सैना का दबदबा आवश्यक है। पुराने अन्तर्राष्ट्रीय समीकरण उलट पुलट हो रहे हैं, हिन्द महासागर को बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। चीन अपनी नौ सेना की गुणवत्ता एवं आकार की दृष्टि से पूर्ण रूप से सक्षम है। पी.एल.ए. की नौसेना परम्परागत रूप से तटीय शक्ति के रूप में उभर रही है। यदि भारत ने अपनी नौसैनिक शक्ति खासकर पन्नडुब्बियों की संख्या एवं मार्गक्षमता नहीं बढ़ायी तो हम मूकदर्शक बने रहने के सिवा कुछ नहीं कर पायेगें। भारतीय नौसेना के प्रमुख करमबीर सिंह ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा चीन को नौसेना के सशक्तिकरण के प्रभाव को महत्वपूर्ण बिन्दू मानते हुए भारतीय नौसेना को चेताया। चीन द्वारा प्रेक्षित नये युग में चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के श्वेत पत्र के माध्यम से चीन की नौसेनिक शक्ति को विश्व स्तर पर प्रतिबिम्बित किया। श्वेत पत्र मात्र एक पत्र नहीं बल्कि यह एक वैश्विक शक्ति बनने का आधार हो सकता है।[15]

हिंद महासागर भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और भारत पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाले जल मार्ग की निगरानी कर सकता है जहाँ से विश्व का एक तिहाई व्यापार होता है लेकिन चीन का कहना है कि हिंद महा सागर को भारत का आंगन नहीं माना जा सकता। इस तरह चीन भारत की पंरपरागत भूमिका पर सवाल खड़े करता है। चीन का तर्क है कि मुक्त महासागर को किसी का आंगन नहीं कहा जा सकता है- यदि हिंद महासागर भारत का आंगन है तो अमेरिका, आस्ट्रेलिया एवं रूस की नौसेनाएँ क्या कर रही है। चीन चेतावनी भरे अदांज में कहता है यदि उसे भारत का आंगन माना जाता रहा तो संघर्ष से इन्कार नहीं किया जा सकता। बार बार वह यही जताने की कोशिश करता है कि हिंद महासागर में उसका भी दखल है।[11] आज हिंद महासागर का क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील है इस कारण इस क्षेत्र में निरन्तर चौकसी एवं निगरानी रखने के साथ शक्ति सन्तुलन बनाये रखना आवश्यक हो गया है।[12]

निष्कर्ष

भारतीय स्वतन्त्रता के पश्चात् हिंद महासागर में दो शक्ति ध्रुवों के मध्य शक्ति स्पर्धा से न केवल भू-राजनीति प्रभावित हुई है, बल्कि विश्व स्तरीय शान्ति क्षेत्र की अवधारणा पर कुठारघात हुआ है। एशिया केन्द्रित चीन-अमेरिकी स्पर्धा से सम्पूर्ण हिंद महासागरीय क्षेत्र की भू-राजनीति प्रभावित हुई है। आंतकवाद से पीड़ित दक्षिण एशिया इस समय विश्व का सर्वाधिक अस्थिर क्षेत्र बन गया है। विश्व स्तरीय शक्ति प्रदर्शन पर अग्रसरित राष्ट्र शक्ति के रूप में भारत में भी सामरिक, आर्थिक एवं संवेदनशीलता बढ़ रही है। हिंद महासागर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत के लिए यह आवश्यक है, कि वह अपनी नौसैनिक शक्ति को अत्यधिक

सुदृढ़ एवं विकसित करें। क्योंकि भारत को उन हितों की रक्षा करनी चाहिए जो भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जब दूत नीति और प्रचार असफल हो जाते हैं, तो उस समय राजनीति को स्थाई रखने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। एशिया प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत को नये नीति पर कार्य करने की आवश्यकता है, जिसमें गुटनिरपेक्षता नीति के विपरीत जाना आवश्यक हो गया है। चीन का हिंद महासागर पर बढ़ता वर्चस्व भारत के लिए चिंता का विषय है। वर्तमान में हम इस वास्तविकता से मुख नहीं मोड़ सकते कि भारतीय प्रवेश द्वार अब सामुद्रिक हो गया है और भारत को इस मार्ग की रक्षा करने के लिए एक लिए ठोस नीति की आवश्यकता है। भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती हुई शक्तियों के साथ तालमेल बनाना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि हिंद महासागर सातों समुद्रों की कुँजी है।

सन्दर्भ सूची

1. मिश्रा, शुभ्रता, अन्तराष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान के पचास वर्ष, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली, 2017, पृ.सं. 01
2. हुसैन माजिद, भारत का भूगोल, टाटा मैग्राहिल, नई दिल्ली, 2012, पृ.सं. 425-427
3. सिंह, एल.जे., राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपों, बरेली, 2017, अध्याय 27 पृ.सं. 337
4. बघेल, डॉ. विरेन्द्र सिंह, भारत को घेरता चीन, आत्माराम एण्ड संस, नई दिल्ली, 2013, पृ.सं. 178-180
5. राष्ट्रीय जागरण, 22 अप्रैल 2017
6. सिंह, आर.पी., भारत चीन सैन्य शक्ति, आत्माराम एण्ड संस, नई दिल्ली, 2016 पृ.सं. 21
7. दैनिक जागरण, 20 मई 2017
8. दैनिक जागरण, भारत की घेराबन्दी में जुटा चीन, 20 मई 2017
9. दैनिक जागरण, 26 सितम्बर 2018, पृ.सं. 8
10. दैनिक जागरण, चीन की नई चाल, 13 मार्च 2015
11. राष्ट्रीय सहारा, हिंद महासागर पर चीन का साया, 9 सितम्बर 2015 पृ.सं. 9
12. मिश्रा, डॉ. सुरेन्द्र कुमार, राष्ट्रीय रक्षा व सुरक्षा, मॉर्डन पब्लिशर्स, जालन्धर, 2012, पृ.सं. 248-250
13. सिवाच, आर.एस. एवं कुमार, सतीश, हिंद महासागर एवं भारत की सामुद्रिक सुरक्षा, श्री साई पिंटरग्राफर्स, नई दिल्ली, 2015, अध्याय 5, पृ.सं. 198-200
14. सिंह, एल.जे., राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 2017 पृ.सं. 349-351
15. डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.जनसत्ता.कॉम

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 11-18

सविनय अवज्ञा एक राजनीतिक चिन्तन : हेनरी डेविड थोरो

डॉ. रुचि मिश्रा

विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग

श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी गर्ल्स कॉलेज, किशनगढ़ (राजस्थान)

शोध सारांश

थोरो अपने द्वारा खोजे गये सविनय अवज्ञा के विचार के लिए जाने जाते हैं। सविनय अवज्ञा उनका सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली व रचनात्मक राजनीतिक निबन्ध एवं विचार था। यह मूलतः 'नागरिक सरकार का प्रतिरोध' (1849) के नाम से ऐस्थेटिक पेपर्स में प्रकाशित हुआ था। महान विचारक हेनरी डेविड थोरो का कहना है कि एक सच्चा आदमी ऐ सौ हजार असत्य व्यक्तियों से ज्यादा बेहतर होता है। हम जानना चाहते हैं कि हममें से कितने सच्चे आदमी हैं। इस निबन्ध में थोरो ने मानवीय अन्तःकरण पर राजनीतिक सत्ता से ज्यादा बल दिया क्योंकि राजनीतिक सत्ता बहुमत के स्वार्थों व हितों को पूरा करने के लिए यंत्र का कार्य करती है। इसलिए थोरो ने कहा कि वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करती है। थोरो ने अपने निबन्ध में यह मत व्यक्त किया है कि सिद्धान्तों पर आधारित कार्यवाहियाँ नागरिक अवज्ञा के आरम्भिक बीजों में अंकुरित होता है और बाद में उसके तर्क समाज में गहन महत्त्व के रूप को दिखाने के रूप में फैलते हैं। थोरो के लिए अन्तःकरणीय व्यक्ति अमानवीय समाज का अनुसमर्थन करने में असक्षम होता है। थोरो का कहना है कि मैं ऐसी सरकार को मान्यता नहीं देता जो दासों के द्वारा या दासों के लिए बनी हो। इसी विचार ने आगे चलकर गाँधीजी को प्रभावित किया और उन्होंने 1930 में दाण्डी मार्च कर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। वे राजनैतिक दार्शनिक क्रान्ति के बारे में सलाह देते हैं जैसा कि जीन जैक्स रूसो, वाल्तेयर, दिदरो आदि ने फ्रांसीसी क्रान्ति के विचार को प्रस्फुटित किया जिसके फलस्वरूप 1789 में फ्रांसीसी क्रान्ति हुई। इस गम्भीर विचार के आधार पर ही थोरो ने अमेरिकी छास कानूनों और मैक्सिको अमेरिकी युद्ध की जमकर आलोचना की और उससे प्रेरित होकर ही अपने विचार प्रतिपादित किए। हम समस्या के लिए पूर्णतया दासता के प्रति रुख रखने वाले दक्षिणी गोलार्द्ध के राजनीतिज्ञों की निन्दा नहीं कर सकते हैं लेकिन हमें उन पर अवश्य आरोप लगाना होगा जो मैसाच्युसेट्स में रहते हैं। जो वाणिज्य और कृषि में बहुत रुचि रखते हैं बजाय मानवता के कल्याण के।

संकेताक्षर : *सविनय अवज्ञा, अन्तःकरण, अहिंसा, प्रतिरोध, न्याय, कानून, नैतिकता*

प्रस्तावना

हेनरी डेविड थोरो एक प्रसिद्ध अराजकतावादी अमेरिकी निबन्धकार एवं सक्रिय कार्यकर्त्ता थे। उनका जन्म 1817 में कॉनकॉर्ड, मैसाचुसेट्स में हुआ था। उन्होंने अपना सम्पूर्ण अध्ययन हार्वर्ड कॉलेज में प्रवेश लेकर पूरा किया। सन् 1862 में अधेड़ अवस्था में ही उनका निधन हो गया था। थोरो अपने द्वारा खोजे गये सविनय अवज्ञा के विचार के लिए जाने जाते है। सविनय अवज्ञा उनका सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली व रचनात्मक राजनीतिक निबन्ध एवं विचार था। यह मूलतः 'नागरिक सरकार का प्रतिरोध' (1849) के नाम से ऐस्थेटिक पेपर्स में प्रकाशित हुआ था। वास्तव में यह 1848 में थोरो द्वारा कॉनकॉर्ड लाईसेम में सरकार के सम्बन्ध में व्यक्ति के अधिकार एवं कर्त्तव्य नामक शीर्षक से दिये गये भाषण का नया नाम मात्र था।[1] उसने नागरिक कानून पर अन्तःकरण के कानून को महत्त्व प्रदान किया और कहा कि सरकार एक मशीन है। यदि मशीन अन्याय का कार्य करे तो अन्तःकरणशील नागरिकों का यह दायित्व बनता है कि वे उस सत्ता का विरोध करे और उसे अन्याय करने से रोकें।[2]

मैक्सिको युद्ध (1793, 1846 तथा 1850 के भगौड़े दास कानून) जो दासों को पकड़ने वालों को संघीय सहायता सुनिश्चित करते थे, कि निन्दा की थी। थोरो अन्याय की व्यापक जटिलता के साथ जुड़े हुए थे। वे बहुमतीय शासन को व्यक्ति की आजादी के विरुद्ध मानते थे क्योंकि वह बहुमत के हित में ही काम करती

है। मानव के नैतिक उत्थान के लिए नहीं। थोरो ने मैक्सिको युद्ध के विरुद्ध प्रतिरोध का सार्वजनिक कार्य किया। थोरो ने स्वयं मतदान कर चुकाने से मना कर दिया था। इस कारण वे रात भर जेल में बन्दी बनाकर रखे गये। सन् 1854 में थोरो ने वाल्डेन या लाईफ इन वुड्स नामक पुस्तक प्रकाशित करवायी। इस पुस्तक में थोंरो के वाल्डेन तालाब में रहने के अनुभवों को आलेखबद्ध किया गया है। इसमें सादा और आनन्दमयी जीवन पर सबसे अधिक बल दिया गया है। यह पुस्तक दैनिक जीवन में सादगी का सन्देश देती है। थोरो ने 31 सितम्बर, 1839 तक अपने भाई जॉन के साथ की गई नाव यात्रा के अनुभवों को आलेखबद्ध करते हुए ''ए वीक ऑन द कॉनकॉर्ड एण्ड मेरीमेक रिवर्स'' (1849) नामक पुस्तक की रचना की थी जिसमें प्रकृति के बारे में शानदार बखान किया गया है। थोरो के जीवन और विचार से जुड़ी उक्त पुस्तकों व निबन्धों का प्रभाव महात्मा गाँधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन बूबर आदि के जीवन और विचारों पर पड़ा जिसमें गाँधीजी उनके सविनय अवज्ञा नामक निबन्ध से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने थोरो के अन्त:करण की स्वतन्त्रता नामक विचार को ग्रहण किया और इसके लिए उन्होंने थोरो के इस विचार को सहर्ष स्वीकार किया कि ''वह सरकार सर्वोतम होती है जो सबसे कम शासन करती है।''[3]

सविनय अवज्ञा : हेनरी डेविड थोरो

थोरो के राजनीतिक चिन्तन व दर्शन सम्बन्धी विचार उनके द्वारा रचित सुप्रसिद्ध निबन्ध ''रेजीस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट'' में व्यक्त है, जो बाद में उनके मरणोपरान्त ''सिविल डिसओबिडियेन्स'' के नाम से जाना जाने लगा। यह निबन्ध सत्याग्रह के आरम्भिक प्रयोगकर्ताओं के लिए एक अति उत्तमता का प्रतिमान बनकर उभरा। इस निबन्ध के माध्यम से थोरो ने अपने अनुयायियों को अन्त तक अन्त:करण की स्वतन्त्रता को राजनैतिक सत्ता से सर्वोच्च मानने और अनैतिक, गैरकानूनी या अवैध कानूनों का प्रतिरोध करने का उपदेश दिया तथा कई थोरो पैदा करने पर बल दिया। विशेषकर थोरो सादगी, सरल, सहज और प्रकृति के प्रति प्रतिबद्धतामयी भावानुमयी जीवन जीने या अनुकरण करने पर बल देते थे।[4]

महान विचारक हेनरी डेविड थोरो का कहना है कि, ''एक सच्चा आदमी एक सौ हजार असत्य व्यक्तियों से ज्यादा बेहतर होता है। हम जानना चाहते हैं कि हममें से कितने सच्चे आदमी हैं।[5] साथ ही थोरो का यह भी कहना है कि एक योग्य या उपयोगी काम या कार्य समाप्तप्राय नहीं होना चाहिए जो कि सत्य की विजय के प्रति प्रतिबद्ध है और जहाँ तक सम्भव हो, कम से कम एक सच्चे मनुष्य को अपने हक या अधिकार के लिए लड़ना चाहिए।[6] बन्दी जीवन को थोरो ने दोषी व्यक्ति के रूप में निरूपित नहीं किया बल्कि कहा कि एक अच्छे आदमी के लिए एक आततायी राज्य की जेल ही एकमात्र पवित्र स्थान होता है।[7]

हालाँकि थोरो इस विचार का अनुसरण करते हुए 24 घंटे के लिए जेल गये जबकि इस विचार का अनुसरण करते हुए गाँधीजी 5 वर्ष और दस महीने तक (1908-1942) तक दस बार जेल गये थे। इन लोगों ने बन्दी जीवन को सकारात्मक, सृजनात्मक, सुधारात्मक व क्रान्तिकारी रूप में देखने का प्रयास किया था जिसके गम्भीर व्यापक व सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। क्योंकि एक सच्चा व्यक्ति जब बन्दी जीवन जीता है तो सम्पूर्ण समाज व राष्ट्र उसके प्रति निरन्तर आशा भरी नजरों से देखता है और उसकी हर गतिविधि में उसके साथ होता है।

इस निबन्ध में थोरो ने जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि मानवीय अन्त:करण पर राजनीतिक सत्ता से ज्यादा बल दिया क्योंकि राजनीतिक सत्ता बहुमत के स्वार्थों व हितों को पूरा करने के लिए यंत्र का कार्य करती है। इसलिए थोरो ने कहा कि ''वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करती है।''[8]

सरकार विशेष रूप से ज्यादा नुकसानदायक होती है बजाए लाभ के क्योंकि वह व्यक्ति की आजादी को कम करती है, उसकी आजादी में हस्तक्षेप करती है। इसलिए इसे वैध नहीं ठहराया जा सकता। सरकार के सभी रूप चाहे लोकतान्त्रिक हो या तानाशाही कभी-कभी अकालोचित होते हैं और वे अपने उद्‌देश्यों को पूरा करने के लिए सेवा या अन्य संगठनों का सहारा लेती है। लोकतन्त्र में भी इसके लिए कोई उपचार नहीं है क्योंकि लोकतन्त्र में सामान्यतः बहुमत द्वारा ही निर्णय होता है और बहुमत को बुद्धिमत्ता और न्याय का सद्‌गुण हासिल नहीं होता है। यही कारण था कि जीन जैक्स रूसो ने प्रतिनिधि या अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र की बजाय प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का समर्थन किया क्योंकि मानव की प्राकृतिक स्वतन्त्रता के समर्थक रूसो भी यह मानते थे कि कोई अन्य व्यक्ति या राज्य या समाज व्यक्ति की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। व्यक्ति की इच्छा का प्रतिनिधित्व स्वयं व्यक्ति के अलावा अन्य कोई नहीं कर सकता है।[9]

क्योंकि हर मनुष्य अपने अन्त:करण की आवाज के अनुसार संचालित होता है और होना भी चाहिए। इसी विचार को थोरो ने अनैतिक सत्ता का प्रतिरोध करने के लिए प्रयुक्त किया जो बहुत सीमित अर्थों में जैसे मतदान कर नहीं चुकाना प्रयुक्त किया गया

था जिसको गाँधीजी ने सामाजिक, राजनैतिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों में लागू कर व्यापक अवधारणा बनाने का प्रयास किया।

एक व्यक्ति के अन्त:करण का निर्णय राजनैतिक निकाय या बहुमतीय निकाय के निर्णयों से अनिवार्य या सम्भाव्य रूप से निम्न स्तर का नहीं माना जा सकता है। क्योंकि अन्त:करण की आजादी के द्वारा लिये गये निर्णय से न केवल परिवार, समाज, राष्ट्र व व्यक्तियों के मध्य विभेद किया जाता है बल्कि इससे भी बढ़कर महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह देवतुल्य और अदेवतुल्य या राक्षसी प्रवृत्तियों को अलग-अलग करती है। इसलिए कानून के लिए सम्मान को पोषित करना वांछित नहीं है जो कि केवल एक बाध्यता है। मुझे यह अधिकार प्राप्त है कि जो मैं सोचूँ उसे कर सकूँ। कानून व्यक्ति को नहीं बनाता है बल्कि कानून व्यक्तियों के विवेक की खोज होती है। कानून का सम्मान वहीं तक किया जाना चाहिए जहाँ तक ये मनुष्य को अन्याय का प्रतिकार करने और उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो। समाज में अन्यायपूर्ण कानूनों का अस्तित्व है। मनुष्य को सामान्य रूप से उन कानूनों का समर्थन करना चाहिए जो बहुमतीय शासन व्यवस्था को अच्छा बनाये और उन कानूनों का विरोध करना चाहिए जो अल्पसंख्यकों के मतों के विरुद्ध है।[10]

मूलत: आप अपने देश की सेवा देश के कानून के पक्ष में अपने अन्त:करण को दबा करके नहीं कर सकते हैं और यदि करते हैं तो यह बहुत ही निम्न दर्जे की सेवा होगी। देश को अन्त:करण के धारकों की ज्यादा जरूरत होती है बजाय अन्त:करण विहीन रोबोटों के। क्योंकि अन्त:करण युक्त मनुष्य आत्म चेतन शक्ति रखता है और आत्म चेतन शक्ति मनुष्य को अन्याय का प्रतिकार करने और सत्ता का निर्भीक होकर प्रतिरोध करने तथा इसके लिए चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, के लिए उसे सक्षम और सबल बनाती है और यह कार्यवाही सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए क्योंकि सिद्धान्तों पर आधारित कार्यवाही के आधार पर अधिकारों की निष्पादकता और धारणा वस्तु और सम्बन्धों में बदलाव लाती है और यह बदलाव काफी गम्भीर और व्यापक होता है।[11]

थोरो ने अपने निबन्ध में यह मत व्यक्त किया है कि सिद्धान्तों पर आधारित कार्यवाहियाँ नागरिक अवज्ञा के आरम्भिक बीजों में अंकुरित होता है और बाद में उसके तर्क समाज में गहन महत्त्व के रूप को दिखाने के रूप में फैलते हैं। उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि विचारधारा तात्विक रूप से व्यवहारिक अनुप्रयोग में रूपान्तरित होनी चाहिए। जैसा कि थोरो का आरम्भ में बहुसंख्यक शासन के ऊपर व्यक्तिगत अन्त:करण की सर्वोच्चता में विश्वास था। उन्होंने आगे चलकर कहा कि यदि व्यक्ति के नैतिक अन्त:करणीय विश्वासों का राज्य में विश्वासों और व्यवहार के साथ संघर्ष हो तब एक व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह समाज के द्वारा जारी अन्यायपूर्ण कृत्यों से अपने आपको अलग कर ले। उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति राज्य के द्वारा किये जा रहे सभी अन्यायपूर्ण कृत्यों के उन्मूलन के दायित्व को वहन करने में असक्षम होता है लेकिन व्यक्ति को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि वह राज्य के साथ अपना व्यावहारिक अनुसमर्थन वापस ले ले। उन्होंने आगे लिखा है कि व्यक्ति को राज्य के साथ न केवल अपनी निष्ठा से नकारना चाहिए बल्कि व्यक्तिगत और सम्पत्तिगत दोनों ही प्रकार के अनुसमर्थनों से अलग कर ले। थोरो के लिए अन्त:करणीय व्यक्ति अमानवीय समाज का अनुसमर्थन करने में असक्षम होना।[12]

सिद्धान्त आधारित जीवन के आधार पर कार्य करने वाला मनुष्य अन्यायपूर्ण राज्य के सदस्य के रूप में अपने अन्त:करणमयी जीवन को उसके साथ समन्वयीकृत नहीं करेगा और ना ही इस बात की इजाजत देगा। इस प्रकार मनुष्य को अपनी प्रकृति के साथ जीवन जीना चाहिए। यहाँ तक कि चाहे स्वयं को राज्य से अलग ही क्यों ना करना पड़े। यह विचार नागरिक सरकार का प्रतिरोध करने का मुख्य केन्द्र बिन्दु बन गया है। एक जगह थोरो ने लिखा है कि - ''मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि एक हजार एक सौ ..... यदि दस ईमानदार आदमी, यदि एक ईमानदार आदमी मैसाच्यूसेट्स राज्य में दासों के अनुसर्मथन करने वाले कानून का विरोध करे, सरकार के साथ सहभागिता से अपने को अलग कर लें और इसके लिए देश की जेल में भी जाना पड़े तो जाए ऐसा करने पर अमेरिका की दासता का उन्मूलन अवश्य होगा।'' थोरो के इस आह्वान में अन्तर्निहित है कि व्यक्तियों का समूह यदि समाज से अलग होने के अधिकार का प्रयोग करे तो इससे न केवल अनैतिक राज्य का प्रतिरोध होगा बल्कि इससे राज्य अपनी नैतिक प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन करने और सुधार को बाध्य होगा।[13]

थोरो का कहना है कि मैं ऐसी सरकार को मान्यता नहीं देता जो दासों के द्वारा या दासों के लिए बनी हो। उनके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकीय सरकार के साथ जुड़ाव बनाना असुखद है क्योंकि यह सरकार दासों के शोषण और अनुसमर्थन पर टिकी है। सरकार अपने कार्य में न केवल बहुत कम भ्रष्ट है या अन्यायी है प्राथमिक रूप से सरकार भ्रष्टाचार और अन्याय की एजेन्ट होती है इसके कारण ही ईमानदार व्यक्ति विद्रोही और क्रान्तिकारी स्वरूप धारण नहीं कर पाते हैं।[14]

राज्य कभी भी इरादतन रूप से मनुष्य के भाव, बौद्धिकता एवं नैतिकता के साथ नहीं है बल्कि केवल उसके शरीर के साथ उलझता है। इस अर्थ में राज्य भौतिक शक्ति के रूप में मनुष्य से ज्यादा बेहतर और शक्तिशाली होता है न कि ईमानदारी के मूल्य व आदर्श की दृष्टि से। मनुष्य स्वतन्त्र रूप से जन्म लेता है और सभी मनुष्य समान होते हैं लेकिन राज्य मनुष्य को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करता है और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो राज्य की आज्ञा व आदेशों को मानने के लिए राज्य की बाध्यकारी संस्थाओं के द्वारा उस पर दबाव बना रहता है। लेकिन हमें इस मशीन रूपी राज्य के आदेशों और निर्देशों का वहीं तक सम्मान करना चाहिए जहाँ तक वे हमारी प्रकृति के अनुकूल हो। यदि वे मनुष्य को अपने स्वतन्त्र चिन्तन व सिद्धान्तमयी जीवन जीने से रोके और उसके नैतिक आचरण के विकास में बाधक हो तो मनुष्य को यह अधिकार है कि वह उनका प्रतिकार व विरोध करे।[15]

एक समय थोरो ने अपने जेल के अनुभवों के संदर्भ में लिखा है कि जो मनुष्य कभी जेल नहीं गया वह सही अर्थो में मानव नहीं है अर्थात् वह राज्य रूपी मशीनरी के अनुदेशों को मानने वाले रॉबोट के समान है। अन्त:करण युक्त मनुष्य हर अन्यायपूर्ण व अनैतिक सत्ता का विरोध करते हैं और वे दूसरों को भी ऐसा ही करने को प्रेरित करते हैं। थोरो ने मतदान कर नहीं चुकाने का आन्दोलन चलाकर अन्य लोगों को यह सन्देश देने का प्रयास किया कि हमें अन्यायपूर्ण व अनैतिक कार्यों का विरोध करने का हक या अधिकार है क्योंकि राज्य की आज्ञापालन में राज्य की अवज्ञा भी अन्तर्निहित होती है। हमें कानूनों की अनुपालना करनी चाहिए लेकिन उन कानूनों की अवज्ञा भी करनी चाहिए जो व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के विरुद्ध हो।[16]

इसी विचार ने आगे चलकर गाँधीजी को प्रभावित किया और उन्होंने 1930 में दाण्डी मार्च कर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। राजनैतिक दार्शनिक क्रान्ति के बारे में सलाह देते हैं। जैसा कि जीन जैक्स रूसो, वाल्तेयर, सिसरो आदि ने फ्रांसीसी क्रान्ति के विचार को प्रस्फुटित किया जिसके फलस्वरूप 1789 में फ्रांसीसी क्रान्ति हुई। यहाँ के समकालीन समय इटली के राजनीतिक दार्शनिक एंटोनीयो ग्राम्शी ने भी बुद्धिजीवियों की भूमिका को सांस्कृतिक क्रान्ति या सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की स्थापना स्वीकार की। क्योंकि क्रान्ति का भूचाल विशेषकर अत्यधिक पीड़ा और व्यय का कारण बनता है हालाँकि ऐसे लागत लाभ विश्लेषण उचित नहीं होते हैं। जब सरकार सक्रिय रूप से अन्याय जैसी दासता को बढ़ावा देने में सहायता करती है। ऐसी चीजें मौलिक रूप से अनैतिक हैं और यहाँ तक कि इसे रोकना भी कठिन और खर्चीला होगा लेकिन इसका रुकना जरूरी है क्योंकि यह नैतिक रूप से गलत है। इन लोगों को दासों का रखना अवश्य रोकना चाहिए। मैक्सिको में युद्ध को रोक देना चाहिए क्योंकि इसकी लागत लोगों के रूप में चुकायी जाती है और इस लागत के आधार पर यदि जनहित का भला हो तो नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है लेकिन वास्तव में यह युद्ध इन लोगों के भले व स्वार्थो को पूरा करने हेतु लड़ा जा रहा है और जिसमें लागत के रूप में दासों को प्रयुक्त किया जा रहा है। यह अपने आप में सम्पूर्ण मानवता के लिए अनैतिक और अन्यायकारी है।[17]

इस गम्भीर विचार के आधार पर ही थोरो ने अमेरिकी दास कानूनों और मैक्सिको अमेरिकी युद्ध की जमकर आलोचना की और उससे प्रेरित होकर ही अपने विचार प्रतिपादित किए। हम समस्या के लिए पूर्णतया दासता के प्रति रुख रखने वाले दक्षिणी गोलार्द्ध के राजनीतिज्ञों की निन्दा नहीं कर सकते हैं लेकिन हमें उन पर अवश्य आरोप लगाना होगा जो मैसाच्युसेट्स में रहते हैं। जो वाणिज्य और कृषि में बहुत रुचि रखते हैं बजाय मानवता के कल्याण के। और वे दासों को मैक्सिकों के साथ अन्याय करने को मानसिक रूप से तैयार नहीं है चाहे इसकी जो भी कीमत हो। यहाँ हजारों लोग दासता और युद्ध के विरुद्ध मत रखते है और वे मौन हैं जो उन्हें अभी भी जीवित रखना चाहते है। निष्क्रिय रूप से कभी भी अन्याय के लिए मतदान के अवसर का इन्तजार न करें न्याय के लिए इच्छा रखने के रूप में मतदान अप्रभावी होता है। आपको क्या करने की आवश्यकता है इसका उत्तर है कि आपको वह करना चाहिए जो उचित हो। इसका यह भी तात्पर्य नहीं है कि आप अपना जीवन न्याय के लिए संघर्ष में लगाने को बाध्य है लेकिन आपकी इस बात के प्रति बाध्यता होती है कि आप अन्याय के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहें और अन्याय को व्यावहारिक समर्थन प्रदान नहीं करें।[18]

कर चुकाना एक रास्ता है। जो सुविज्ञ व्यक्ति अन्याय का समारोह मनाते है जो लोग मैक्सिको के युद्ध के गलत होने का करते है और दासता को लागू करना भी गलत मानते है। अपने आप में विरोधाभासी है यदि वे कर चुका कर उसके कोष का निर्माण करते हैं और वही लोग जो सैनिको द्वारा युद्ध करने या अन्यायपूर्ण युद्ध से मना करने पर वाह वाह करते हैं वे स्वयं को उस सरकार को फण्ड देने से मना नहीं करते हैं जो युद्ध शुरू करती है। थोरो ने सविनय अवज्ञा में लिखा है कि मैंने कभी भी राजमार्गीय कर देने से मना नहीं किया है क्योंकि मैं एक अच्छा पड़ोसी होने की इच्छा

रखता हूँ बजाय एक बुरा प्रजाजन बनने के। और इस रूप में, मैं अन्य लोगों का सहयोग करता हूँ और मैं इस रूप में देश के लोगों को भी अनुसरण करने की भी शिक्षा देता हूँ। कर देना राज्य के प्रति निष्ठा को बतलाता है। यदि कर देने से मना दिया जाता है तो इससे राज्य के प्रति निष्ठा में कमी प्रकट होती है। थोरो ने 'सविनय अवज्ञा' नामक निबन्ध के अन्तर्गत युद्ध के लिए कर अदायगी से मना करने पर अत्यधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कर जो युद्ध करने के लिए प्रेरित करे वे मानव के हित में नहीं होते हैं। वे अन्याय को बढ़ाते हैं और सम्पूर्ण मानवता के लिए दु:ख का कारण भी बनते हैं।[19]

हमारे गणराज्यों की तरह लोग प्राय: सोचते हैं कि अन्यायी कानून के प्रति उचित जवाब के लिए कानून के बदलाव की राजनैतिक प्रक्रिया का प्रयोग करे लेकिन जब तक कानून बदल ना जाये तब तक सम्मान और आज्ञापालन करें लेकिन यदि कानून स्वयं ही स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और अनैतिक हो और साथ ही कानून निर्माण की प्रक्रिया ऐसे अन्यायपूर्ण और अनैतिक कानूनों को तेजी से विलोपन को विरोपित नहीं करे तब यह कानून किसी भी सम्मान का हकदार नहीं होता है। ऐसे कानून को तोड़ दें। हमारे मामले में कानून निर्मात्री प्रक्रिया की कोई सहायता न करे और वास्तव में ऐसे संविधान की जो कि संस्था में श्रद्धा रखता है वह अशुभ और अन्यायी है। उन्मूलनवादी सरकार को समर्थन का पूर्णतया आहरण कर लेती है। कर देने से मना करती है। यहाँ तक कि चाहे इसके लिए जेल भी क्यों ना जाना पड़े।[20]

एक सरकार के तहत जेल में कैदी अन्यायी रूप से रखे जाते हैं लेकिन थोरो का मानना है कि एक सच्चे आदमी के लिए जेल भी सही स्थान होता है। उनकी इस बात ने गाँधीजी के हृदय को काफी प्रभावित किया था। जहाँ ऐसे स्थान उनके लिए होते हैं जो उसके साथ नहीं होते हैं लेकिन ये उसके विरुद्ध है। दास राज्य में केवल एक घर है जिसमें एक स्वतन्त्र आदमी के समान रखा जाता है जो पूर्ण मतदान प्रक्रिया का उपभोग करे, न कि केवल मतदान का मांग पत्र के टुकड़े के रूप में प्रयुक्त करे। एक अन्य सरकार व समुदाय शक्तिविहीन होता है। जब एक बहुमतीय सरकारों का समर्थन करते हैं। यहाँ तक कि यह तब अल्पसंख्यक भी नहीं रहते हैं बल्कि अप्रतिरोध्य हो जाते हैं।[21]

जब इनका सम्पूर्ण दबाव के द्वारा अडंगा लगाया जाता है यदि विकल्पों को, कि सभी उचित व्यक्तियों को जेल में रखे या दास बनाये या युद्ध त्याग दे। इसमें राज्य के चुनाव में हिचकिचाहट नहीं होगी यदि एक हजार व्यक्ति इस वर्ष सरकार को अपने कर बिलों का भुगतान नहीं करें तो वह हिंसक और खूनी तरीका नहीं अपनाएगी। जिस तरह इसे चुकाया जाता है उसी प्रकार राज्य हिंसा और निरपराधी लोगों का खून बहाता है। वास्तव में यह शान्तिपूर्ण क्रान्ति की एक परिभाषा है यदि इस तरह सम्भव हो तो क्रान्ति की जानी चाहिए।[22]

एक अन्यायी कानून की अवज्ञा सक्रिय, उत्साहित कार्यवाही से करना नागरिकों का कर्त्तव्य है। यह सत्य है कि एक शुभ संवैधानिक सरकार सामान्य रूप से आत्म सुधार के साधन उपलब्ध करवाती है, दुर्भाग्य से ये साधन जैसे मतदान धीमा और बाहरी करना। जब बहुमत दासता के उन्मूलन के लिए मतदान करेगा तब यह दासता के उन्मूलन का एक छोटा कारण बनेगा। अन्याय का केवल विरोध यहाँ करना पर्याप्त नहीं होता इसे महत्त्वपूर्ण बनाने के लिए कार्यवाही का अनुमान करते हुए सिद्धान्त आधारित कार्यवाही द्वारा विरोध अवश्य किया जाना चाहिए। यह हजारों लोगों का मत दासता के विरुद्ध है लेकिन उनके मत परस्पर विरोधाभासी हैं। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और वे यह नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है और करते कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वे भाषण देते हैं और याचिकाएँ भेजते हैं। ये नौ सौ निन्यानवें लोग हैं जो कि सद्‌गुणी मनुष्य की तरह अपने सद्‌गुण को प्रकट करते हैं। हालांकि वे जो बुद्धिमतापूर्वक कार्य करते हैं चाहे वे एक ही क्यों न हो। वह उससे ज्यादा उपयोगी और बुद्धिमान होता है जो केवल इसका विरोध करने के लिए विरोध करते हैं।

अन्यायपूर्ण कानून का तत्काल सिद्धान्त आधारित कार्यवाही कर प्रतिरोध करना चाहिए। यदि बहुमत उसका साथ नहीं भी दे तो भी और चाहे इस प्रतिरोध की कीमत उसे व्यक्तिगत पीड़ा के रूप में क्यों ना प्राप्त हो। यदि मैसाच्युसेट्स का एक व्यक्ति भी दासता का विरोध करता है तो उसे प्रभावी व सक्रिय रूप से सरकार को समर्थन वापिस लेना चाहिए। सम्पत्ति और व्यक्ति के रूप में बिना इसका इन्तजार किए कि बहुमत उसके पक्ष में आएगा।[23]

इस कार्यवाही के निष्पादन में वह अकेला नहीं होता है बल्कि ईश्वर हमेशा उसके साथ होता है। कोई भी व्यक्ति अधिक उचित होता है बजाय उसके पड़ोसी द्वारा बनाए गए बहुमत व समर्थन से। यदि मैसाच्यूसेट्स का एक भी व्यक्ति भी दासता का विरोध करने के क्रम में कर अदायगी से मना करता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है तो इससे अमेरिका में दासता का उन्मूलन होगा। जिसने एक बार अच्छा किया हुआ होता है तो वह हमेशा के लिए अच्छा होता है। थोरो की प्रसिद्ध उक्ति है कि : ''एक सरकार के तहत किसी भी व्यक्ति को न्यायपूर्ण तरीके से जेल की सजा दी

जाती है। एक सच्चे आदमी के लिए भी जेल भी उचित स्थान होता है।''[24]

अन्त:करण के अधिकारों की मुक्ति और न्याय की रक्षा में सहनीय पीड़ा विशेष नैतिक क्षमता रखती है। इससे भी ज्यादा थोरो ने अपने जेल की स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति को अहिंसा एवं पीड़ा का सौन्दर्यात्मक आदर्श के पद के साथ जोड़कर देखा। थोरो ने अपने चिरकालिक निबन्ध में बतलाया कि सविनय अवज्ञा हिंसा नहीं है बल्कि यह सत्य के लिए एक उपचार है। सविनय अवज्ञा में प्रतिरोधकर्ता अवज्ञा के परिणामों से पीड़ित होता है और ये परिणाम वैसे नहीं होते जैसे डेनियल के द्वारा मेडेस और पर्शियन कानून की अवज्ञा करने पर प्राप्त हुए थे। यही कार्य जॉन बुनियान ने किया था और यही काम भारत में समय-समय पर अविस्मरणीय तरीके से किसानों ने किया। और हाल ही में मिश्र की जनता ने किया। यह स्थल मण्डल के प्राणियों का कानून है। हिंसा हमारे अन्दर पशुता का नियम है जबकि अहिंसा देवताओं का कानून है। नागरिक प्रतिरोध के कारण प्राप्त स्व: वीड़ा मनुष्य का अन्तर्निहित प्राकृतिक नियम सुव्यवस्थित राज्य में नागरिक प्रतिरोध के अवसर कभी-कभी उत्पन्न होते हैं लेकिन अन्त:करण की स्वतन्त्रता से युक्त मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह सुव्यवस्थित राज्य के निर्माण के लिए राज्य सत्ता द्वारा किये जाने वाले अनैतिक व अन्यायपूर्ण कार्यों के जरिये स्वयं सावचेत रहे और अन्य को भी इसके बारे में बताये और बहुमत को इसके पक्ष में जुटाये और यदि बहुमत उसके साथ नहीं हो तो भी उसे स्वयं अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए क्योंकि यह मनुष्य का प्राकृतिक नियम है। और यह भी सत्य है कि जब राज्य सत्ता की अन्यायी और अनैतिकपूर्ण कार्यों का प्रतिरोध लगभग सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। इसकी सीमा यह है कि इसमें मनुष्य को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और इसके परिणाम दीर्घकालिक रूप से प्राप्त होते हैं लेकिन इसके परिणाम चिरकालिक होते हैं। इसलिए गाँधीजी ने शीघ्रता से इस सिद्धान्त का समर्थन किया कि इसके नागरिकों के जीवन, स्वतन्त्रता व सम्पत्ति पर राज्य कभी भी निरपेक्ष या अशर्त नहीं होती है। ये जब राज्य के व्यवहार पर उचित शर्त के रूप में होती है और जिस स्वरूप का व्यवहार उचित नहीं होता है जब न्यायपूर्ण नागरिकों को जो कि कानून विशेष की अवज्ञा करते हैं, को जेल में डाल देता है। इस सिद्धान्त का अभिप्राय है कि सविनय अवज्ञा का व्यवहार सभ्य जीवन, सम्पत्ति एवं स्वतन्त्रता के साथ कड़ी सुविधाओं से बिलगन की प्रवृत्ति पर बल देता है। एक सभ्य अवज्ञाकारी न्याय पाने के लिए इन सुविधाओं के त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए तथा जेल के सुविधापूर्ण जीवन को अपने मित्रों, आय व सम्पत्ति खाने को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए।[25]

थोरो के अनुसार जो नागरिक बुरी सरकार का प्रतिरोध करते हैं उन्हें अपने सम्पत्ति के अधिकारों को नजर अन्दाज कर देना चाहिए। थोरो ने बताया कि एक अशुभ सरकार के तहत सत्य पर धनिकों का स्वामित्व हो जाता है। तब सत्य का सद्गुण पाप बन जाता है। गरीबी एक सद्गुण है। एक आततायी राज्य में गरीबी एक सद्गुण है। और राज्य पर स्वामित्व एक पापाचार है। थोरो ने कहा कि स्वतन्त्रता सम्पत्ति की हानि तथा गहरी पीड़ा एक अन्यायपूर्ण सरकार के तहत संचित सम्मानजनक कार्य है। इनको उन्होंने पवित्र व उत्साहवर्धक माना।[26]

''यह सरकार बदला लेगी, कानून की अवज्ञा करने का लेकिन मैं सादा रहना पसन्द करता हूँ कि क्योंकि मैं इस प्रकार कम से कम खोता हूँ। मैं मैसाच्यूसेट्स के प्रति निष्ठा को नकारना सहन कर सकता हूँ..... इसकी लागत मुझे प्रत्येक दृष्टि से आर्थिक हानि से लेकर राज्य के अवज्ञा दण्ड तक भी उठाना पड़ सकता है, मैं महसूस करता हूँ कि मानव इस मामले में अनर्थ हो गया है लेकिन ये मेरा उचित कर्त्तव्य है।''[27]

इस कर्त्तव्य के अनुसरण में, मैं कुछ समय के लिए जेल में भी डाल दिया गया क्योंकि मैंने मतदान करने से मना कर राज्य के प्रति अनिष्ठा प्रकट की थी। लेकिन मैं राज्य सत्ता के आदेशों की अनुपालना करते हुए जितने स्वतन्त्रता का उपभोग और आनन्द प्राप्त करता हूँ उससे ज्यादा जेल में स्वतन्त्रता महसूस करता था। मेरा मानना है कि ये एक रुचिकर अनुभव है और ये सरकार व नागरिकों के मध्य सम्बन्धों पर मेरा एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। जेल में बन्दी जीवन के सम्बन्ध में थोरो का अल्पावधिक अनुभव था। जब इमर्सन थोरो से मिलने जेल गये और उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ यह क्यों बैठे हैं तब थोरो ने उनसे पूछा कि वे बाहर क्यों हैं? इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक सत्यवादी व्यक्ति को अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए। थोरो को जेल से उसके एक साथी द्वारा हस्तक्षेप कर, कर चुकाने के पश्चात् छोड़ा गया था।[28]

''मैं राजमार्गों का कर चुका देना चाहता हूँ जो कि मेरे पड़ोसी के लाभ के लिए जाएगा। लेकिन मैं सरकार की सहायता करने वाले करों का विरोध करता हूँ। यहाँ तक कि मैं नहीं कर सकता, यदि मेरा विशेष योगदान एक अनुचित या एक के लिए लाभकारी प्रोजेक्ट पर खर्च किया जाएगा, मैं साधारणतया राज्य के प्रति निष्ठा से नकारता हूँ और प्रभावी रूप से इनसे अलग करता हूँ। सरकार एक मानव त्रासदी मात्र है न कि एक प्राकृतिक घटना और

इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसके निर्माताओं को भी ऐसा सोचना चाहिए।''[29]

सरकार के रूप में अपने को उसकी सभी गलतियों के साथ जोड़कर देखने पर यह मालूम होता है कि यह पूर्णतया खराब नहीं है क्योंकि कुछ हद तक यह प्रशंसनीय गुण भी रखती है लेकिन हम अच्छे के लिए काम कर सकते हैं और उसके लिए जोर दे सकते हैं। निरपेक्ष सरकार से सीमित राजतंत्रीय सरकार की ओर तथा सीमित राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर प्रगति वास्तव में व्यक्ति के सम्बन्ध में होने वाली सच्ची प्रगति है। जैसा कि हम जानते हैं क्या यह लोकतन्त्रीय है, जो कि अन्तिम उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या व्यक्ति के अधिकारों की पहचान और संगठन की ओर कदम उठाना सम्भव नहीं है। यहाँ कोई भी राज्य वास्तव में स्वतन्त्र और प्रबोधन युक्त नहीं होता जब तक कि यह राज्य व्यक्ति की शक्ति को राज्य की शक्ति से ज्यादा उच्चतर रूप में मान्यता नहीं देवे और उसके साथ उसी तरह से व्यवहार किया जा सके।[30]

निष्कर्ष

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से सारांशत: यह स्पष्ट होता है कि - थोरो ने अपने लेख ''सविनय अवज्ञा'' का प्रारम्भ इसी विचार के साथ किया कि ''वह सरकार सर्वोत्तम होती है जो सबसे कम शासन करती है।'' थोरो उस सरकार का पक्षधर था जो मनुष्यों के जीवन में अनुचित रूप से हस्तक्षेप न करे। सरकार मात्र एक व्यावहारिक साधन है, साध्यों को प्राप्त करने को इसे सामान्य जनता ने चुना है केवल अपनी इच्छाओं को कार्य रूप में परिणत करवाने के लिए। किन्तु यह अनुचित कार्य भी कर सकती है। मैक्सिकन युद्ध इसी का एक उदाहरण है। जब बहुत कम लोगों ने सरकार का एक साधन के रूप में प्रयोग किया। थोरो की मान्यता है, सरकार वह संस्था है जो उन्हीं कार्यों के पूर्ण होने में बाधा डालती है जिनके लिए इसका निर्माण किया गया है। सरकार का अस्तित्व है व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बढ़ाना। ऐसे किसी भी कार्य को सहमति प्रदान नहीं करना जो सरकार को समाप्त करे। थोरो ने स्पष्ट कहा कि ''वह एक अच्छी सरकार चाहता है।''[31] बहुमत का शासन भौतिक शक्ति, बाहुबल पर आधारित है। सत्य और न्याय पर नहीं। व्यक्ति के अन्त:करण के अनुसार शासन होना चाहिए एवं सरकार को बहुमत के निर्णयों के अनुसार कार्य करना चाहिए। किन्तु थोरो खेद प्रकट करते हैं, विभिन्न विषयों पर जैसे-न्याय की कमी, नैतिक चेतना एवं अन्त:करण के अभाव पर। जिनके साथ नागरिक राज्य के कार्य करते हैं, व्यक्ति राज्य सत्ता के समक्ष बिना किसी कारण के झुक नहीं सकता।

संदर्भ सूची

1. स्नाईडर, रिचर्ड, जे., हेनरी डेविड थोरों, बोस्टन, एन.ए. : जी.के. हाल एण्ड कम्पनी, 1987, पृ.सं. 12
2. थोरो, हेनरी डेविड, लेटर टू आर. डब्ल्यू इमर्सन, 23 फरवरी, 1848, पृ.सं. 14
3. थोरो, हेनरी डेविड, लेटर टू आर. डब्ल्यू इमर्सन, 23 फरवरी, 1848, पृ.सं. 15
4. रेसपैक्टफुली क्रोटेड, ए डिशनरी ऑफ कोटेशन्स बार्टलेबाई डॉट कॉम, अमेसड, अप्रैल 4, 2006
5. गाँधी, एम.के., कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी, पृ.सं. 7, 217-18, 228-30
6. गाँधी, एम.के., पूर्वोक्त, पृ.सं. 159
7. उपर्युक्त, पृ.सं. 10, 386
8. उपर्युक्त, पृ.सं. 7, 304-05
9. रेसपैक्टफुली क्रोटेड, पूर्वोक्त, अप्रैल 4, 2006
10. रूसो, सामाजिक संविदा, पृ.सं. 206-7
11. थोरो, हेनरी डेविड, सिविल डिसओबिडियन्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1849, पृ.सं. 32
12. उपर्युक्त, पृ.सं. 35-38
13. अरूयर, ए.जे., मॉरल एण्ड पॉलिटिकल फिलॉसोफी ऑफ महात्मा गाँधी, ओ.यू.पी. 1973, पृ.सं. 12
14. उपर्युक्त, पृ.सं. 15
15. थोरो, हेनरी डेविड, ऑनदा ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबिडियन्स, हॉवर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1849, पृ.सं. 28
16. उपर्युक्त, पृ.सं. 32
17. स्मिथ, निकोले, आर्टीकल ऑन, एनालिसिस एण्ड समरी ऑफ, सिविल डिसओबिडियन्स, बाई हेनरी डेविड थोरो, 2010
18. थोरो, हेनरी डेविड, पूर्वोक्त, पृ.सं. 31
19. थोरो, हेनरी डेविड, पूर्वोक्त, पृ.सं. 25
20. उपर्युक्त, पृ.सं. 29
21. उपर्युक्त, पृ.सं. 37
22. थोरो, हेनरी डेविड, वाल्डेन एंड रेजिस्टेन्स टू सिविल गर्वन्मेन्ट, ए.डी. विलियम रोसी, डब्ल्यू. डब्ल्यू. नोर्थन, न्यूयार्क, 1992, पृ.सं. 45
23. होर्डिंग, वाल्टर, दा डेज ऑफ हेनरी थोरो, के नाफप एफ, न्यूयार्क, 1965, पृ.सं. 32
24. मेयर, माइकल, सेविरल मोर लाअव्य टू लाअव : थोरोज पॉलिटीकल रेप्यूटेशन इन अमेरिका, ग्रीनवूड, वेस्ट पोर्ट, 1977, पृ.सं. 25

25. थोरो, हेनरी डेविड, लाइफ विदाउट प्रिंसीपल, इन द पोर्टेबल, पेंगुईन बुक्स, न्यूयार्क, पृ.सं. 632
26. रिचर्डसन, रोबर्ट डी., हेनरी डेविड थोरो : ए लाईफ ऑफ द माउण्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, बर्कले, 1986, पृ.सं. 224
27. थोरो, हेनरी डेविड, लाइफ विदाउट प्रिंसीपल, इन द पोर्टेबल, पेंगुईन बुक्स, न्यूयार्क, पृ.सं. 635
28. हेरिस, पॉल, सिविल डिसओबिडियन्स, यूनिवर्सिटी प्रेस ऑफ अमेरिका, बेनहम, मेरीलैण्ड, 1989, पृ.सं. 33
29. रोजेलब्लुम, थोरोज मिलिटेन्ट कन्साईन, ''पोलिटिक्ल थियोरी'', 9 नं. -1 (1981), पृ.सं. 85
30. जैक टर्नर, पॉलिकटकल कम्पेनियन टू हेनरी डेविड थोरो (सम्पादक), कैनटेमी प्रेस, 2009, पृ.सं. 10-12
31. हेर, विलियम ए, ए मोर परफेक्ट स्टेट : थोरोंज कनसेप्ट ऑफ सिविल गर्वमेन्ट, मैसाच्यूसैटस रिव्यू 16(1975) : पृ.सं. 470-87

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 19-25

आर्य आक्रमण विमर्श और डॉ. भीमराव अम्बेडकर

डॉ. मोहम्मद कामरान खान

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर (राजस्थान)

शोध सारांश

आर्य आक्रमण सिद्धान्त औपनिवेशक दासता के समय से ही बौद्धिक विमर्श का हिस्सा रहा हैं। आर्य आक्रमण का सिद्धान्त औपनिवेशिक दासता को वैधता प्रदान करने वाले उपकरण के रूप में जाना जाता हैं। इस विमर्श ने भारत में सभी वर्गों को अपनी अनुक्रिया देने पर विवश किया फलस्वरूप जहाँ तिलक अपनी पुस्तक 'आर्कटिक होम इन वेदाज' में आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी होने को प्रमाणित कर यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे कि उच्च जाति के हिन्दू और अंग्रेज एक ही वंश 'आर्य' से सम्बन्धित हैं। वहीं ज्योतिबा फुले ने आर्य आक्रमण सिद्धान्त को सर के बल खड़ा कर शूद्र और अतिशूद्रों को भारत का मूल निवासी सिद्ध करके ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती देने वाले उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि इसके वैचारिक ढांचे को बहुजन सिद्धान्त में जगह मिली और आगे चलकर ई.बी.एम. रामास्वामी नायकर ने इसे उत्तर बनाम दक्षिण के विमर्श के रूप में प्रस्तुत किया। आश्चर्यजनक तथ्य यह हैं कि भारत में दलित आन्दोलन और विमर्श के प्रणेता डॉ. भीमराव अम्बेडकर 'आर्य आक्रमण सिद्धान्त को पूरी तरह अस्वीकार ही नहीं करते हैं बल्कि एक नये ज्ञानमीमांसीय ढाँचे से इसका खण्डन प्रस्तुत करते हैं। अम्बेडकर यह मानते हैं कि भारतीय समाज में शूद्रों की दुर्दशा किसी आर्य आक्रमण का परिणाम नहीं है। अम्बेडकर आर्य आक्रमण सिद्धान्त की ऐतिहासिकता और वैज्ञानिकता पर सवाल ही नहीं उठाते हैं बल्कि इसको पूर्वाग्रह ग्रस्त सिद्ध करते हैं।

संकेताक्षर : *आर्य आक्रमण, मूल निवासी, शूद्र, पुरुष सूक्त, ज्ञानमीमांसीय व्याख्या*

प्रस्तावना

सोशल मीडिया आजकल हमारे जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग बन गया हैं। इसने विभिन्न व्यक्तियों, समुदायों, क्षेत्रों, व्यवसायों में अत:क्रियाशील भूमिका निभाई हैं तथा लोकवृत्त में अनेक विमर्शों को अभिव्यक्त किया है। सोशल मीडिया के कारण विचारों का आदान प्रदान अब केवल बुद्धिजीवी वर्ग के एकाधिकार का विषय नहीं हैं वरन् इसने आम जनता को भी वैचारिक विश्लेषण से जोड़ा हैं। इसलिए अब किसी भी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक मुद्दे पर चर्चा केवल विश्वविद्यालय, अकादमिक संगठन तथा प्रेस क्लबों तक ही सीमित नहीं हैं वरन् आम जनता भी इस वैचारिक वाद प्रतिवाद का अभिन्न अंग बन गई हैं। सोशल मीडिया के एक वैचारिक मंच के रूप में उभरने पर उन विमर्शो की हिस्सेदारी बढ़ी हैं जिन विमर्शों को मुख्य धारा की मीडिया में स्थान नहीं मिल पाता था। इसमें दलित, महिला, अल्पसंख्यक विमर्श प्रमुख हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से यह विमर्श अपने स्वर को प्रभावी रूप से अभिव्यक्त कर रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से दलित विमर्श में एक नयी बहस आरम्भ हुई है उस पर वैचारिक क्रिया-प्रतिक्रिया भी उसी रूप में विकसित हुई है वह है दलित विमर्श में प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया जाने वाला 'आर्य आक्रमण' या 'मूल निवासी' सिद्धान्त जिसकी मूल मान्यता यह हैं कि भारत में रहने वाले सभी दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समूह यहाँ के मूल निवासी हैं जिन पर आर्यों ने आक्रमण करके उन्हें गुलाम बना लिया था और यही सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पराधीनता मूल निवासियों की नियति हैं।

आर्य आक्रमण सिद्धान्त की मूल मान्यता यह है कि आर्य जिन्होंने वैदिक सभ्यता को जन्म दिया था, साफ रंग की बर्बर जाति थी जो मध्य एशिया से प्रवासी के रूप में भारत आए तथा देशी हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया। प्रारम्भ में आर्य सिद्धान्त के समर्थन में भाषायी प्रमाण दिए गये, जो भारतीय यूरोपीय भाषायी एकता को प्रमाणित करते थे। आगे चलकर इसमें समर्थन में पुरातात्विक, मानवशास्त्रीय, पर्यावरणीय प्रमाण दिए गए! आर्य

आक्रमण का सिद्धान्त कोई नवीन सिद्धान्त नहीं हैं इसका प्रयोग ब्रिटिश साम्राज्यवादी बुद्धिजीवी वर्ग ने भारत में स्थायी सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित करने के लिए किया। यह सिद्धान्त भारत में ब्रिटिश शासन को वैधता प्रदान करने का सुविधाजनक और शक्तिशाली उपकरण था। इसके माध्यम से अंग्रेजों ने स्वयं को आर्यों का वंशज बताया जिसका उद्देश्य आर्य सभ्यता का प्रसार था। यह मान्यता भी स्थापित की गयी की अंग्रेजी शासन का यह अधिकार और कर्त्तव्य दोनों था कि वह भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करके आर्य शासन को पुनर्स्थापित करें जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया था। यह भी कहा गया कि उच्च जाति के हिन्दू भी इसी आर्य सभ्यता के वंशज हैं और अंग्रेज इन्हीं उच्च जाति के हिन्दूओं के साथ मिलकर आर्य पुर्नजागरण की शुरूआत करेंगे। औपनिवेशिक शासन द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त को उच्च जाति के हिन्दुओं ने व्यापक रूप से स्वीकार किया। इसकी चरम अभिव्यक्ति बालगंगाधर तिलक की 1903 में प्रकाशित पुस्तक 'आर्कटिक होम इन वेदाज' में हुई हैं जिसमें तिलक ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी धुव्र बताया है जो परिस्थिकीय कारणों के चलते अपना मूल स्थान छोड़ने पर विवश हुए थे। इसके समर्थन में तिलक ने वैदिक ऋचाएँ, अवेस्ता का साराशं तथा वैदिक कलैण्डर प्रस्तुत किया हैं।

अपनी पुस्तक 'आर्कटिक होम इन वेदाज' में तिलक खुद स्वीकार करते हैं कि उनकी यह रचना डॉ. वारेन की पुस्तक 'पैराडाइज फाउंड ओर द क्रेडल ऑफ द ह्यूमन रेस एट द नार्थ पोल' (Paradise found or the cradle of the human race at the north pole) से प्रेरित हैं जो अमेरिका में 1893 में प्रकाशित हुई थी।[1] तिलक का मानना है कि प्राचीन वैदिक काल के कुछ हजार वर्ष पहले आर्य सभ्यता की शुरूआत हुई थी। अगर हम उत्तर ग्लेशियर युग की शुरूआत 8000 ईसा पूर्व मानते हैं तो प्राचीन आर्य जीवन की शुरूआत 4500 ईसा पूर्व से शुरू होती हैं जो प्राचीन वैदिक युग हैं। ऋग्वेद में कई ऐसे उद्धरण है जो आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से प्रमाणित हो सकते हैं जिसमें वैदिक देवी देवताओं के ध्रुवीय गुण तथा प्राचीन आर्कटिक कलैण्डर का वर्णन मिलता हैं। प्राचीन ग्रन्थ अवेस्ता में एक खुशहाल भूमि का जो, आर्यन वेजो (ARYAN VAEJO) या आर्य स्वर्ग कही गई हैं जहाँ सूरज साल में एक ही बार निकलता हैं, का वर्णन मिलता हैं। लेकिन यह स्वर्ग समान भूमि बर्फ और हिमपात के कारण समाप्त हो गई जिसके कारण यहाँ के निवासी दक्षिण की ओर प्रवास के लिए विवश हुए। इसलिए इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन आर्यों का घर आर्कटिक या अन्त: ग्लेशियर नामक स्थान पर था।[2]

बाल गंगाधर तिलक अपनी पुस्तक में उत्तर ग्लेशियर युग से बुद्ध के जन्म तक के काल को चार भागों में विभाजित करते हैं।[3]

10,000 दस हजार या आठ हजार ईसा पूर्व––अन्तिम हिम युग के कारण मूल आर्य निवास का ध्वंस और उत्तर ग्लेशियर युग की शुरूआत।

आठ हजार से पाँच हजार ईसा पूर्व––अपने मूल निवास से आर्यों का प्रवास, शेष जीवित आर्य समूहों द्वारा निवास के लिए एशिया और यूरोप के उत्तरी भागों का भ्रमण।

पाँच हजार से तीन हजार ईसा पूर्व––मृग नक्षत्र काल, जब बंसत विषुव मृग नक्षत्र में था। इस काल के प्रमाण कई वैदिक ऋचाओं में ढूंढे जा सकते हैं। इस काल में मूल निवास की स्मृतियां आर्यों के मन में विद्यमान थी। इसी काल में पंचांग में सुधार किया गया और यज्ञ विधि को व्यवस्थित किया गया।

तीन हजार से चौदह सौ ईसा पूर्व––कृत्तिका युग, जब बंसत विषुव कृत्तिका तारा गुच्छ में था। ऋचाओं को संहिताओं में संग्रहित करने का कार्य इस युग में किया गया। मूल निवास के बारे में आर्यों की स्मृतियां इस युग में धुंधली पड़ने लगी। ब्राह्मण ग्रन्थ विकसित हुए।

चौदह सौ ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व––पूर्व बुद्ध काल जिसमें सूत्र और दार्शनिक निकाय अस्तित्व में आते हैं।[4]

तिलक मानते हैं कि आर्यों ने गैर आर्यों को हराकर उन पर अपनी शारीरिक और बौद्धिक श्रेष्ठता स्थापित की।

बाल गंगाधर तिलक के पश्चात् जवाहर लाल नेहरू ने इतिहास सम्बन्धित अपनी दो पुस्तकों भारत एक खोज (Discovery of India) व विश्व इतिहास की झलक (Glimps of World History) में आर्यों के भारत आगमन सिद्धान्त को स्वीकार किया हैं। नेहरू सिंधुघाटी सभ्यता तथा दक्षिण भारत की सभ्यताओं को द्रविड या मूल निवासी सभ्यताओं का प्रतिनिधि मानते हैं। 'विश्व इतिहास की एक झलक' पुस्तक में नेहरू लिखते हैं कि यह हो सकता हैं कि हम लोग उन प्राचीन लोगों के ठेठ वंशज हों जो उत्तर पश्चिम के पहाड़ी दर्रों से होकर लहलहाते हुए मैदान में आए जो ब्रह्मवर्त, आर्यव्रत, भारतवर्ष बाद में हिन्दुस्तान कहलाया।[5] 'भारत एक खोज' पुस्तक में नेहरू लिखते हैं कि आर्य कई गिरोहों में पश्चिमोत्तर से हिन्दुस्तान उतरे।[6] स्पष्ट हैं नेहरू आर्यों के भारत आक्रमण की अवधारणा के स्थान पर आर्य आगमन की अवधारणा स्वीकार करते हैं। आर्य जिनका मूल निवास एशिया था जो बाद में यूरोप में फैल गए। हिम युग के कारण यूरोप सर्द था मगर जलवायु गर्म होने के कारण हिम नदियां धीर-धीरे खिसकती गई तथा यूरोप में जंगल पैदा हो गए। आर्य लोग घूमते घामते मध्य यूरोप तक आ

पहुँचे।[7] नेहरू यूनानियों को आर्य ही मानते हैं। नेहरू स्वीकार करते हैं कि जब आर्यों ने भारत में कदम रखा तो भारत सभ्य हो चुका था। दक्षिण भारत तथा शायद उत्तर भारत में एक समृद्ध द्रविड़ सभ्यता थी।[8] यद्यपि नेहरू स्वीकार करते हैं कि आर्यों का आना सिंधुघाटी सभ्यता के एक हजार साल बाद हुआ हो लेकिन मुमकिन हैं कि वक्त की इतनी बड़ी खाई दोनों के बीच ना रही हो और जातियां और कबीले पश्चिमोत्तर से बराबर थोड़े-थोडे समय बाद आकर रहे हों।[9] नेहरू आगे लिखते हैं कि आर्यों के भारत आये वह हिन्दुस्तान में घुल मिल जाते रहे। आर्य और द्रविड़ों जो सिंधुघाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे के मेल जोल से एक बुनियादी संस्कृति तैयार हुई जिसमें दोनों के अंश थे।[10] नेहरू वर्ण व्यवस्था के प्रारम्भ के सन्दर्भ में तर्क देते हुए लिखते हैं आर्य, अनार्य और पिछड़ी हुई कदीम जातियों की कश-मकश और आपस की प्रतिक्रिया से ही वर्ण व्यवस्था की शुरूआत हुई। शायद यह न आर्यों की चीज थी न द्रविड़ों की। यह जुदा-जुदा जातियों को एक सामाजिक संगठन के अन्दर ले आने की कोशिश थी।[11] नेहरू आगे लिखते हैं वर्ण भेद जिसका मकसद आर्यों और अनार्यों से जुदा करना था अब खुद आर्यों पर अपना असर लाया कि ज्यों-ज्यों धंधें बढ़े और इनका आपस में बंटवारा हुआ, त्यों त्यों नये वर्णों ने वर्ण या जाति की शक्ल ले ली। इस तरह ऐसे जमाने में जब फतह करने वालों का यह कायदा था कि हारे हुए लोगों को या तो गुलाम बना लेते थे या उन्हें बिल्कुल मिटा देते थे वर्ण व्यवस्था ने एक शांतिवाला हल पेश किया।[12]

बहुजन साहित्य में 'आर्य आक्रमण' और 'मूल निवासी' सिद्धान्त का विस्तृत विवरण हमें सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फूले की रचना गुलामगिरी में मिलता हैं। 1873 में लिखी गई यह पुस्तक मूलत: संवाद शैली पर आधारित हैं। फूले के मत का मूल आधार आर्य प्रजाति सिद्धान्त था जो उनके समय में जातिवाद और भारतीय समाज का प्रमुख प्राख्यापक था।[13] अपनी पुस्तक गुलामगिरी की प्रस्तावना में ज्योतिबा फूले लिखते हैं भारत की अथाह प्राकृतिक धन सम्पदा में उपजाऊ जमीं, भरपूर फसल उत्पादन, यहाँ के मूल निवासियों की धनी सभ्यता व संस्कृति और कई अन्य लाभ के कारण आर्य यहाँ विजेता की तरह कब्जा कर शासन करने आये न कि शांतिपूर्ण ढंग से रहकर बसने के लिए।[14] फूले लिखते हैं इस देश में बाह्मणण पुरोहितों की सत्ता कायम हुए लगभग तीन हजार साल से ज्यादा समय बीत गया होगा। ये परदेश से यहाँ आए। उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर बार से वचिंत करके अपना गुलाम या दास बना लिया।[15] फूले के अनुसार पहले मूल निवासी सत्ता की दृष्टि से पराधीन हुए बाद में बाह्मण और पुराहितों में उन्हें ज्ञानहीन और बुद्धिहीन बना दिया था। धार्मिक ग्रन्थों की रचना बाह्मण वर्ण ने अपने स्वार्थ के लिए की हैं। फूले के अनुसार शूद्र और अतिशूद्र दोनों ही दमित और शोषित जनता का प्रतिनिधित्व करते थे और उन्होंने उसकी पराधीनता की तुलना अमेरिका के मूल निवासियों, इण्डियनों और अश्वेतों के दमन के साथ की।[16] ज्योतिबा फूले लिखते हैं कि अंग्रेजी राजसत्ता की स्थापना से शूद्रों और अतिशूद्रों को शारीरिक गुलामी से तो मुक्ति मिल गयी परन्तु उनकी मानसिक गुलामी अभी भी बाकी हैं।

ज्योतिबा फूले अपनी पुस्तक 'गुलामगिरी' में भारत में आर्य आक्रमण सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए आर्य आक्रमण का क्रम समझाते हैं कि बाह्मण लोग समुद्र पर जो ईराण नाम का देश था वहाँ के मूल निवासी थे। पहले जमाने में उन्हें इराणी या आर्य कहा जाता था। इन आर्यों ने बड़ी-बड़ी टोलियां बनाकर देश में आकर बर्बर हमले किए।[17] यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार-बार हमले करके बड़ा आंतक फैलाया। फूले के अनुसार आर्यों का पहला जत्था छोटी-छोटी नौकाओं में, भारत आया और वे नौकाएँ मछलियों की तरह तेजी से पानी के ऊपर चल रही थी। इसलिए उस जत्थे के अधिकारी का उपनाम मत्स्य हो गया। आर्यों का दूसरा कबीला कछवे (बड़ी-बड़ी नौकाएँ) से बंदरगाह पहुँचा और कछवे मछवे से कुछ बड़े होने की वजह से पानी में धीरे-धीरे चल रहे थे। इसी वजह से उस कबीले के मुखिया का नाम कच्छ हो गया।[18] कच्छ के बाद आर्यों का मुखिया वराह बना। वराह के बाद आर्यों का मुखिया नरसिंह बना। नरसिंह के बाद वटूवामन आर्यों का मुखिया बना। वटू (वामन) के बाद आर्य (ब्राह्मण) लोगों को बह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। ब्रह्मा के बाद आर्यों का मुखिया परशुराम बना। बाह्मणों ने मूल निवासियों के विरुद्ध लंबी लड़ाई लड़ी जिसमें अन्त में वह सफल हुए। ज्योतिबा फूले के अनुसार स्थानीय लोगों का राजा बली था जो बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय था जिसका युद्ध वटू वामन से हुआ जिसमें बली राजा पराजित हुआ और मारा गया। फूले के अनुसार राक्षस शब्द रक्षा करने के सन्दर्भ में आया हैं जो मूल निवासियों के सभ्यता, संस्कृति व भूमि के रक्षक थे। इसी तरह महाअरि (महार) शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता हैं जो आर्यों के सबसे बड़े शत्रु थे। इसी कारण बाह्मणों ने उनको अछूत स्तर पर ला दिया। मूल विजय के पश्चात् शूद्रों के कृषि कार्य के लिए मजबूर किया गया। कृषक शूद्रों को जिंदा रखने के लिए जमीन का कुछ हिस्सा शूद्रों को देकर शेष भाग इन स्वामियों को दे देने का नियम बनाया गया। फूले ब्रिटिश शासन को शूद्र और अतिशूद्रों के लिए वरदान मानते हुए यह कहते

हैं कि बलि राजा के रूप में ईसा का पुनर्जन्म हुआ हैं और उस बलि राजा के राज्य की स्थापना ही हमारा उद्देश्य हैं।

बहुजन साहित्य में आर्य आक्रमण सिद्धान्त का खण्डन खुद डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों में मिलता हैं। आश्चर्य का विषय हैं डॉ. भीमराव अम्बेडकर जो भारत में दलित चेतना और विमर्श के मूल प्रतीक हैं, 'आर्य आक्रमण' या 'मूल निवासी' सिद्धान्त के विपरीत अपने विचार प्रकट करते हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक 'शूद्र कौन हैं और वह चतुर्थ वर्ण में कैसे आए' (Who are the shudras, How they came in fourth varna) जिसे 1946 में प्रकाशित किया गया था में 'आर्य आक्रमण' और 'मूल निवासी' सिद्धान्त दोनों का खण्डन प्रस्तुत किया हैं और यह सिद्ध करने का प्रयास किया हैं कि शूद्र किसी आर्य आक्रमण के कारण दमन और पराधीनता के शिकार नहीं हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने यह पुस्तक महात्मा ज्योतिबा फूले को समर्पित की हैं यद्यपि इसकी प्रस्थापनाएँ और निष्कर्ष दोनो ज्योतिबा फूले के विचारों से बिल्कुल अलग ही नहीं वरन् विपरीत हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इस पुस्तक में शूद्रों को आर्य ही माना हैं और आर्यों द्वारा अपने ही एक वर्ग को शूद्रों की स्थिति में पहुँचा दिया गया। अम्बेडकर इसके लिए हिन्दू धर्म शास्त्रों के विभिन्न उद्धरणों का उल्लेख हवाला देते हैं। अम्बेडकर इस पुस्तक में दो निष्कर्ष स्थापित करते हैं और उनका मानना हैं कि यह निष्कर्ष आर्य समाजियों की मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत हैं। आर्य समाजी यह मानते हैं कि भारतीय आर्य समुदाय में चार वर्ण आदिकाल से ही अस्तित्व में रहे हैं। इस पुस्तक में स्पष्ट किया गया हैं कि एक समय था जब भारतीय आर्य समुदाय में केवल तीन वर्ण थे। दूसरा यह कि वेद शाश्वत और पवित्र हैं। इस पुस्तक में यह स्पष्ट किया गया हैं कि वेदों के कुछ अंश विशेषकर पुरूष सूक्त जो आर्य समाजियों का मूलाधार हैं, ब्राह्मणों ने अपने लाभ के लिए गढ़े हैं।[19]

अम्बेडकर के अनुसार भारतीय समुदाय में चातुवर्ण्य की उत्पत्ति ऋग्वेद के दसवें मण्डल के नब्बेवें स्तोत्र जिसे पुरूष सूक्त कहा जाता हैं, में मिलता हैं। पुरूष सूक्त के अनुसार ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पुरूष सूक्त विश्व की उत्पत्ति का सिद्धान्त हैं। दूसरे शब्दों में एक सृष्टि मीमांसा हैं। एक दैवीय निर्देश के रूप में यह स्वभाविक तौर पर भारतीय आर्य समुदाय का आदर्श बन गया। अम्बेडकर के अनुसार पुरूष सूक्त द्वारा निर्दिष्ट सामाजिक व्यवस्था पर बुद्ध के अतिरिक्त किसी ने भी कभी कोई सवाल खड़ा नहीं किया।[20] बाद में अनेक विधिकारों ने पुरूष सूक्त का समर्थन किया हैं। मनु ने पुरूष सूक्त को निहित चातुवर्ण्य के सामाजिक आदर्श में दिव्यता और अमोधत्व का पुट दिया। अम्बेडकर लिखते हैं वर्गों का विभाजन होना प्रत्येक समाज की तथ्यपरक शर्त हैं फिर भी किसी समाज में इस तथ्यपरक स्थिति को आदर्श समाज की दिशा में वैधानिक जामा नहीं पहनाया गया हैं। पुरूष सूक्त की योजना ही एकमात्र ऐसा उदाहरण हैं जिसमें यथार्थ को आदर्श की गरिमापूर्ण ऊँचाई तक ले जाया गया हैं तथा पवित्र व दैवीय माना गया हैं। यूनान और मिस्र के समाजों में भी वर्ग पाए जाते थे परन्तु ऐसा वर्गीकरण जो स्थाई हो जिसमें ऊँचे पायदान पर अवस्थित वर्ग को सम्मान और निचले पायदान पर अवस्थित वर्ग को घृणा और अवमानना मिले। पुरूष सूक्त व्यवस्था इस मायने में अनूठी हैं कि यह विभिन्न वर्गों अथवा वर्णो का ऊँच-नीच के आधार पर एक स्थाई श्रेणी में जड़ीभूत कर देती हैं जिसे न समय बदल सकता हैं न ही परिस्थितियाँ।[21]

अम्बेडकर आर्य आक्रमण सिद्धान्त की 7 मूल मान्यताओं का उल्लेख करते हैं जिसमें पाश्चात्य विद्वानों में सहमति पायी जाती हैं और इन 7 मान्यताओं का एक-एक खण्डन करके यह बताते हैं कि समाज में चौथे वर्ण की उत्पत्ति का मूल कारण क्या था? ये 7 मान्यताएँ हैं:

1. वैदिक साहित्य की रचना करने वाले आर्य प्रजाति के थे।
2. यह आर्य प्रजाति भारत में बाहर से आयी थी और उसने भारत पर आक्रमण किया था।
3. भारत के मूल निवासी दास या दस्यु कहलाते थे तथा उनकी प्रजाति आर्यों से भिन्न थी।
4. आर्य गोरे रंग के थे। दास और दस्यु काले थे।
5. आर्यों ने दास और दस्युओं को पराजित किया था।
6. पराजित और गुलाम बना लिए जाने के बाद ये दास और दस्यु लोग शूद्र कहलाए।
7. आर्य लोग रंग के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे इसलिए उन्होंने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था कायम की।[22]

सर्वप्रथम अम्बेडकर बालगंगाधर तिलक की इस सिद्धान्त का खण्डन करते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी थे। डॉ. अम्बेडकर का कहना हैं वैदिक आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा हैं। क्या घोड़ा उत्तर ध्रुवीय प्रदेश में पाया जाता था? अगर इसका उत्तर नहीं हैं तो यह सिद्धान्त निराधार हैं। आर्यों का मूल स्थान भारत से बाहर था इसकी आलोचना करते हुए अम्बेडकर लिखते हैं कि ऋग्वेद में सप्त नदियों का उल्लेख जिस भाषा में हुआ हैं, नदियों को मेरी गंगा, मेरी यमुना, मेरी सरस्वती कहकर सम्बोधित किया गया हैं। क्या कोई विदेशी किसी नदी को इतने परिचित और प्रेमिल

अंदाज में सम्बोधित करेगा?[23] अम्बेडकर के अनुसार पहला तथ्य यह हैं कि आर्य कोई प्रजाति नहीं हैं जिसमें एक समान वंशानुगत लक्षण पाये जाते हैं। व्युत्पत्तिमूलक अर्थ में भी आर्य का अर्थ होता हैं 'हल चलाने वाला या जोतने वाला' आर्यों ने यह नाम अपने लिए संभवत खानाबदोश प्रजातियों तुरानियों से स्वयं को भिन्न दिखाने के उद्देश्य से रखा होगा। मैक्समूलर ने भी माना हैं आर्य प्रजाति का सम्बन्ध रक्त से नहीं वरन् एक समान भाषा से हैं। वेद तो आर्य जैसी किसी प्रजाति से अनभिज्ञ हैं! वेदो में इस बात का कोई प्रमाण नहीं हैं कि आर्य प्रजाति ने कभी भारत पर आक्रमण किया था और भारत के 'मूल निवासी' माने जाने वाले दास और दस्युओं को अपने अधीन कर लिया था। इस बात का कोई प्रमाण नहीं हैं कि आर्यों और दास और दस्युओं में जो भेद था वह प्रजातिगत था। वेद इस तर्क को भी पुष्टि नहीं करते कि आर्य लोग दास और दस्युओं से भिन्न रंग के थे।[24] वैदिक साहित्य के विवेचन से यह पता चलता हैं कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग इकत्तीस (31) स्थानों पर हुआ हैं परन्तु इसमें किसी में भी इस शब्द का प्रयोग प्रजाति के अर्थ में नहीं हुआ हैं। इसका अर्थ यह हैं कि आर्य एक विशिष्ट प्रजाति नहीं थे। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार पहली बात तो यह हैं कि ऋग्वेद में दास और दस्युओं के विरुद्ध आर्यों की लड़ाईयों के उल्लेखों का अभाव हैं। ऋग्वेद में जिन 33 स्थानों पर इस शब्द का उल्लेख हुआ हैं उनमें केवल आठ स्थानों में दासों के विरुद्ध और सात स्थानों में दस्युओं के विरुद्ध हुआ और इसकी बात यह हैं कि यहाँ उनके और आर्यों के बीच जो भी टकराव था, इन दोनों के बीच आपसी समझौता हो गया था, जो सम्मान और शांति पर आधारित था। ऋग्वेद में कई उल्लेख हैं जिससे पता चलता हैं कि दास और आर्य एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो गये। तीसरी बात यह हैं कि यह टकराव जिस सीमा तक रहा हो यह प्रजाति का टकराव नहीं था। यह टकराव जनजातिगत न होकर धार्मिक था। इस तथ्य की पुष्टि स्वयं ऋग्वेद से होती हैं।[25]

इसी तरह अपनी एक और पुस्तक एनहिलेशन आफ कास्ट (जाति का विनाश) 1936 में डॉ. अम्बेडकर लिखते हैं कि ऐतिहासिक सच्चाई यह हैं कि जातियों की उत्पत्ति उस समय के बहुत बाद शुरू हुई जब भारत की अलग-अलग नस्लें रक्त और संस्कृति के कारण अलग थलग हो चुकी थी अर्थात् यहाँ के लोगों में रक्त व संस्कृति के विदेशी तत्व पहले ही घुल मिल चुके थे। अत: जाति भेद को वंश भेद मानते हुए यह दावा करना कि भारत की विभिन्न जातियां विभिन्न वंशों के कबीले हैं यह सच नहीं बल्कि गुमराह करने वाला दावा हैं।[26] डॉ. अम्बेडकर आगे प्रश्न करते हैं क्या पंजाब के बाह्मणों और मद्रास के बाह्मणों में कोई वंश सम्बन्ध हैं। इसी तरह क्या बंगाल व मद्रास के अछूतों में कोई निकट का वंश सम्बन्ध हो सकता हैं। वंश की दृष्टि से पंजाब में बाह्मण उसी प्रजाति या वंश में ही हैं जिसके वहाँ के चमार हैं।[27] अम्बेडकर आगे लिखते हैं कि वैदिक आर्यों के रंग को लेकर कोई पूर्वाग्रह नहीं था और होता भी कैसे! वैदिक आर्य स्वयं एक रंग के नहीं थे उनका रंग अलग-अलग था। कुछ ताम्र रंग वे थे कुछ श्वेत और कुछ श्याम। दशरथ पुत्र राम को श्याम अथवा काले रंग का कहा गया हैं। एक और आर्यकुल यदुवंश के कृष्ण काले हैं।[28] यह कहना कि चातुर्वर्ण्य संस्था तो आर्यों में रंग सम्बन्धी जन्मजात पूर्वाग्रह का प्रतिफल हैं, गलत हैं। चातुवर्ण्य व्यवस्था के लिए वर्णों के लिए चार विभिन्न रंग होने ही चाहिए जबकि यह सिद्धान्त दो विरोधी लोगों और आर्यों और दासों से शुरू होता हैं जिसमें एक का रंग गोरा और दूसरे का रंग काला माना गया हैं।[29]

आर्य आक्रमण और 'मूल निवासी' सिद्धान्त को निरस्त करने के पश्चात् अम्बेडकर इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि शुद्र कौन थे? इस मुद्दे पर अम्बेडकर की तीन प्रस्थापनाऐं हैं-

1. शूद्र आर्य थे।
2. शूद्र लोग क्षत्रिय वर्ण थे।
3. शूद्र इतने महत्त्वपूर्ण क्षत्रिय वर्ण के थे कि प्राचीन आर्य समुदायों के कुछ सर्वाधिक ख्यात और शक्तिशाली राजा शूद्र हैं।[30]

अम्बेडकर लिखते हैं इस सिद्धान्त का पहला आधार साक्ष्य महाभारत के शांतिपर्व के अध्याय 60 के श्लोक- 38-40 के इस अंश में मिलता हैं। ''हमने यह सुना हैं कि प्राचीन काल में पैजवन नाम के एक शूद्र ने (अपने यज्ञ में) दस लाख पूर्णपत्रों की दक्षिणा दी जो ऐंदाग्नि के आदेशानुसार थी'' इस अंश में तीन महत्त्वपूर्ण बातें कही गई हैं-

1. पैजवन एक शूद्र था।
2. इस शूद्र पैजवन ने यज्ञ किया।
3. बाह्मणों ने उसके लिए यज्ञ किया और उससे दक्षिणा ली।[31]

पैजवन के लिए दूसरा नाम सुदास आया हैं। सुदास एक राजा था जिसका राज्याभिषेक बाह्मण ऋषि वशिष्ठ ने किया। सुदास ऋग्वेद में वर्णित दसराज युद्ध अथवा दस राजाओं की लड़ाई का नायक हैं। युद्ध का असली कारण सुदास के विरुद्ध लामबंद राजाओं को अधार्मिक बताया हैं जिससे पता चलता हैं कि यह एक धार्मिक युद्ध था। सुदास एक शक्तिशाली शूद्र राजा था जो आर्य था साथ ही साथ एक क्षत्रिय था। अम्बेडकर लिखते हैं कि इससे बढ़कर कुछ

क्रान्तिकारी नहीं हो सकता।[32] ऋग्वेद में पुरूष सूक्त को छोड़ दें तो तीन वर्णों का उल्लेख बार-बार मिलता हैं। दो बाह्मण ग्रन्थों शतपथ और तैंतरीय दोनों ही में तीन वर्णो का उल्लेख मिलता हैं। शूद्रों के किसी पृथक वर्ण के रूप में उल्लेख नहीं मिलता हैं। डॉ. अम्बेडकर मानते हैं कि ऋग्वेद में पुरूष सूक्त बाद में लिखा गया हैं। इसके लिए वह तीन विद्वानों के कोलब्रुक, प्रो. मैक्समूलर और प्रो. वेबर के मतों का उल्लेख करते हैं। इन विद्वानों का मानना हैं कि पुरूष सूक्त अपने लक्षण और भाषा दोनों ही दृष्टि से आधुनिक हैं। इसकी रचना तभी हुई होगी जब संस्कृत भाषा इसकी लय और व्याकरण परिशुद्ध हो चुका होगा। इसके अतिरिक्त पुरूष सूक्त को कृष्ण यजुर्वेद की तैतिरीय, काठक और मैत्रायणी संहिताओं में सम्मिलित नहीं किया गया था तो इसका अर्थ यह निकलता हैं कि पुरूष सूक्त को ऋग्वेद में इन संहिताओं के बाद जोड़ा गया था। वेदों में भी इसे विविध और पूरक माँगों में स्थान किए जाने से यह स्पष्ट होता हैं कि इसकी रचना बाद में हुई थी।[33]

अम्बेडकर के अनुसार शूद्रों की गिरावट तो शूद्रों और बाह्मणों के बीच हिंसक टकराव का परिणाम हैं। शूद्र राजा सुदास और बाह्मण ऋषि वशिष्ठ के बीच हिंसक टकराव के साक्ष्य उपलब्ध हैं। अम्बेडकर लिखते हैं कि शास्त्रों में वर्णित ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र की शत्रुता मात्र दो पुरोहितो की शत्रुता नहीं थी। यह एक बाह्मण पुरोहित और एक क्षत्रिय पुरोहित की शत्रुता थी। बाह्मणों और क्षत्रियों में इन बातों को लेकर विवाद था। 1. दान लेने का अधिकार 2. वेद पढ़ाने का अधिकार 3. यज्ञ सम्पन्न कराने का अधिकार। अम्बेडकर लिखते हैं कि बाह्मणों ने क्षत्रियों को क्षत्रिय के स्थान से चौथे वर्ण में ला पटकने के लिए उपनयन संस्कार ना करने की विधि अपनाई। अनुष्ठान के रूप में उपनयन संस्कार अत्यन्त साधारण संस्कार होता था। बालक अपने हाथ में एक समिध लेकर आता था और गुरू से कहता था कि वह बह्मचारी बनना चाहता हैं और गुरू से याचना करता था कि वह उसे अध्ययन के लिए अपने पास रहने दे। उपनयन संस्कार का उद्देश्य व्यक्ति को वेदाध्ययन में सीमित करना था।[34] यह संस्कार केवल ब्राह्मण ही सम्पन्न करा सकता था। जब उपनयन का अधिकार आर्य और अनार्य सभी को मिला हुआ था तब यह सामाजिक महत्त्व का विषय नहीं था यह सभी का सामान्य अधिकार था। शूद्रों को उपनयन से वंचित रखने से इसके महत्त्व में आवश्यक तौर पर बदलाव आया। आध्यात्मिक महत्त्व के अतिरिक्त इसका सामाजिक महत्त्व भी हो गया जो पहले नहीं था। इस अधिकार का होना सम्मान का प्रतीक बन गया और इससे वंचित होना गुलामी का सूचक।[35] अम्बेडकर लिखते है कि सम्पत्ति का अधिकार यज्ञ करने की क्षमता पर निर्भर था जो व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता वह सम्पत्ति भी नहीं रख सकता। यज्ञ वहीं कर सकता था जिसका उपनयन संस्कार हुआ हैं। इस तरह उपनयन संस्कार से वंचित करके क्षत्रियों को ज्ञान और सम्पत्ति दोनों के अधिकार से वंचित करके शूद्रों की श्रेणी अर्थात् चतुर्थ वर्ण में ला दिया। अम्बेडकर के अनुसार बाह्मणों से टकराने वाले ज्यादातर सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। उपनयन संस्कार का प्रतिबंध ही वह सबसे घातक हथियार था जो बाह्मणों ने क्षत्रियों से बदला लेने के लिए खोज निकाला था इसका असर ऐटम बम से कम नहीं था।[36]

निष्कर्ष

इस तरह अम्बेडकर ने शूद्रों की गिरावट को आर्य आक्रमण सिद्धान्त से न जोड़कर वर्ण व्यवस्था में विद्यमान आपसी दो वर्णो बाह्मणों व क्षत्रियों के मध्य संघर्ष से जोड़ा हैं और इसके लिए पर्याप्त धर्मशास्त्रीय प्रमाण भी उपलब्ध कराए हैं। इस रूप में अम्बेडकर 'मूल निवासी' सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत दिशा में खड़े नजर आते हैं जो शूद्रों को आर्यों का ही एक वर्ग मानता हैं।

यद्यपि आर्य आक्रमण सिद्धान्त को वर्तमान में ज्यादातर इतिहासकारों द्वारा नकार दिया गया हैं और अब यह माना जाता हैं कि आर्य आक्रमण का सिद्धान्त औपनिवेशिक दासता की वैधता को स्थापित करने का सिद्धान्त था। परन्तु आज भी दलित साहित्य और विमर्श में इसकी गूंज सुनाई देती हैं साथ ही उत्तर दक्षिण विवाद में यह संकल्पना खुलकर सामने आती हैं। औपनिवेशिक दासता को वैधता प्रदान करने वाले आर्य आक्रमण सिद्धान्त को इतिहासकारों द्वारा नकार दिया गया हैं। ना ही इसके कोई पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हैं परन्तु दलित साहित्य और विमर्श में असकी अनूगुंज आज भी सुनाई देती हैं। भारत के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के विवाद में भी यह संकल्पना खुल कर सामने आती हैं। यह ऐसा ज्ञानमींमासीय उपकरण हैं जिसके उद्देश्य और प्रमाणिकता दोनों ही सदिंग्ध हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के शब्दों आर्य आक्रमण सिद्धान्त एक आविष्कार हैं जो इस संकल्पना पर आधारित हैं कि इण्डो जर्मन नस्ल के वर्तमान वंशज ही आर्य नस्ल के हैं। यह वैज्ञानिक सत्यता के विरुद्ध हैं और ना तथ्यों से इसकी प्रमाणिकता सिद्ध होती हैं। यह पूर्वाग्रह ग्रस्त हैं तथ्य को सुविधाजनक रूप से संकलित किया गया हैं। यह हर मुद्दे पर असफल हैं।

दूसरा बहुजन वैचारिकी में आर्य आक्रमण सिद्धान्त को महत्त्व मिलना खुद दलित आन्दोलन को कमजोर करने का प्रयास करेगा क्योंकि हर नस्लीय सिद्धान्त फासीवाद को दार्शनिक तत्व प्रदान करता हैं। जबकि बहुजन वैचारिकी और आन्दोलन में लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानतावादी मूल्यों की स्थापना करने पर बल

देता है। स्पष्ट है कि आर्य आक्रमण का नस्लीय सिद्धान्त ऐसे समाज की नींव को कमजोर करने का ही प्रयास करेगा क्योंकि स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज परस्पर सहयोग और बन्धुता की भावना से संचालित होते हैं ना की बदले की भावना से। इसलिए आर्य आक्रमण सिद्धान्त ना तो ऐतिहासिक ना ही ज्ञानमीमासीय उपकरण की दृष्टि से उपयुक्त हैं बल्कि बहुजन संघर्ष को भी गलत दिशा में भटका सकता हैं।

सन्दर्भ सूची

1. तिलक, बाल गंगाधर, आर्कटिक होम इन वेदाज, विजय गोयल पब्लिकेशन, दिल्ली, 2017, पृ.सं. 14
2. उपर्युक्त, पृ.सं. 13
3. उपर्युक्त, पृ.सं. 183
4. उपर्युक्त, पृ.सं. 184
5. नेहरू, जवाहर लाल, विश्व इतिहास की झलक, सस्ता साहित्य, मण्डल प्रकाशन, दिल्ली, 2011, पृ.सं. 35
6. नेहरू, जवाहर लाल, हिन्दुस्तान की कहानी (डिस्कवरी ऑफ इण्डिया का हिन्दी अनुवाद), सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, दिल्ली, 2016, पृ.सं. 84
7. नेहरू, जवाहर लाल, पूर्वोक्त, पृ.सं. 43
8. उपर्युक्त, पृ.सं. 47
9. नेहरू, जवाहर लाल, पूर्वोक्त, पृ.सं. 84
10. उपर्युक्त, पृ.सं. 84
11. उपर्युक्त, पृ.सं. 97
12. उपर्युक्त, पृ.सं. 98
13. ओम्वेट, गेल, जाति की समझ: महात्मा बृद्ध से बाबा साहब अम्बेडकर और उनके बाद, ओरियंट ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, पृ.सं. 26
14. फूले, ज्योतिबा गुलामगिरी, बुद्धम पब्लिशर्स, जयपुर, 2019, पृ.सं. 71
15. उपर्युक्त, पृ.सं. 7
16. ओम्वेट, गेल, पूर्वोक्त, पृ.सं. 26
17. फूले, ज्योतिबा, पूर्वोक्त, पृ.सं. 19
18. फूले, ज्योतिबा, पूर्वोक्त, पृ.सं. 21
19. अम्बेडकर, बी.आर., शूद्रों की खोज, सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011, पृ.सं. 22
20. उपर्युक्त, पृ.सं. 31
21. उपर्युक्त, पृ.सं. 31
22. उपर्युक्त, पृ.सं. 74
23. उपर्युक्त, पृ.सं. 84
24. उपर्युक्त, पृ.सं. 95
25. उपर्युक्त, पृ.सं. 85
26. अम्बेडकर, बी.आर., जात-पात का विनाश, बुद्धम् पब्लिशर्स, जयपुर, 2017, पृ.सं. 26
27. उपर्युक्त, पृ.सं. 26
28. अम्बेडकर, बी.आर., पूर्वोक्त पृ.सं. 91
29. उपर्युक्त, पृ.सं. 89
30. उपर्युक्त, पृ.सं. 125
31. उपर्युक्त, पृ.सं. 139
32. उपर्युक्त, पृ.सं. 148
33. उपर्युक्त, पृ.सं. 183
34. उपर्युक्त, पृ.सं. 171
35. उपर्युक्त, पृ.सं. 183
36. उपर्युक्त, पृ.सं. 184

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 26-31

भारत की परमाणु नीति

डॉ. अनिल कुमार यादव
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालाडेरा, जयपुर (राजस्थान)

ISSN 2348-3857

शोध सारांश
प्रस्तुत शोध पत्र के लेखन का उद्देश्य भारत के परमाणु कार्यक्रम के विकास के विभिन्न चरणों की विस्तृत व्याख्या करते हुए भारत की परमाणु नीति का विश्लेषण करना है। शोध पत्र में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के उद्देश्य एवं परमाणु परीक्षण करने के पश्चात विश्व समुदाय की प्रतिक्रियाओं की विवेचना करते हुए 'परमाणु अप्रसार संधि' एवं व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी.) पर भारत के रूख को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, साथ ही इन संधियों पर भारत द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के कारणों को भी समझाने का प्रयास किया है। भारत की परमाणु नीति की विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए चीन एवं पाकिस्तान की विदेश नीति एवं परमाणु कार्यक्रम का भारतीय परमाणु नीति पर पड़ने वाले प्रभावों की भी विवेचना इस शोध पत्र में की गई है, साथ ही भारतीय परमाणु नीति में आ रहे बदलावों की व्याख्या करते हुए उन बदलावों के लिए उत्तरदायी कारणों को भी समझाने का प्रयत्न इस शोध पत्र में किया है।
संकेताक्षर : *एक पथ नीति, शान्तिपूर्ण परीक्षण, नो फर्स्ट यूज*

प्रस्तावना

भारत विश्व के उन चुनिंदा राष्ट्रों में शामिल है जिन्हे परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है। भारत में परमाणु कार्यक्रम के विचार को प्रतिभाशाली वैज्ञानिक होमी जहाँगीर भाभा ने विकसित किया ताकि भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। ''पंडित जवाहर लाल नेहरू के कार्यकाल में भारत की परमाणु नीति एक पथ (Single Track) की थी जिसका तात्पर्य भारत द्वारा परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल शांतिपूर्ण एवं विकास कार्यों के लिए करना था, ना कि परमाणु शस्त्रों के निर्माण के लिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साफ शब्दों में कह दिया था कि भारत कभी भी विनाशकारी हथियारों का निर्माण नहीं करेगा।''[1] नेहरू जी की विदेश नीति में मुख्य जोर पंचशील एवं शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति पर रहा फलस्वरूप 1962 में चीन के साथ सैनिक मुठभेड़ होने तक नेहरू जी जोर-शोर से परमाणु नि:शस्त्रीकरण के अभियान में जुटे रहे। चूंकि नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान चीन भी अणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र नहीं था और पाकिस्तान के बारे में तो यह बात सोची भी नहीं जा सकती थी, वही दूसरी तरफ भारत भी आर्थिक विकास के लिए विकसित राष्ट्रों द्वारा दी जानी वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर था। फिर भी ''नेहरू जी की मृत्यु तक यह बात स्पष्ट होने लगी थी कि भारतीय परमाणु नीति में परिवर्तन आवश्यक है। 1962 की अपमानजनक हार के बाद कई विद्वान यह सुझाने लगे थे कि यदि भारत के पास परमाणु बम होता तो चीन भारत पर हमला करने का दुस्साहस नहीं करता।''[2]

नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान 'कोलम्बो योजना' के तहत भारत एवं कनाडा में परमाणु सहयोग हेतु समझौता हुआ जिसके द्वारा कनाडा की सहायता से भारत में 'साइरस' नामक परमाणु सयंत्र की स्थापना हुई। वहीं भारत-अमेरिका परमाणु सहयोग समझौते के माध्यम से 1963 में तारापुर में 'अप्सरा' नामक परमाणु सयंत्र स्थापित हुआ। भारत द्वारा इन परमाणु संयंत्रों की स्थापना का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करना था। 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तब तत्कालीन सूचना मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने 22 अक्टूबर 1964 को एक टेलीविजन वार्ता में कहा कि भारत 18 महिने के भीतर परमाणु बम बनाने की स्थिति में है, साथ ही यह भी कहा कि भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के उद्देश्य से भी नहीं हटेगा। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध एवं दक्षिण एशिया तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में बदलते सामरिक एवं सुरक्षा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यह बात भी मजबूती

से उभरकर सामने आई कि भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को गौण नहीं समझ सकता। लाल बहादुर शास्त्री नेहरू जी की तुलना में, कहीं अधिक यर्थाथवादी थे। दिसम्बर 1965 में शास्त्री जी ने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष को आदेश दिया कि परमाणु शक्ति के सैन्य उपयोग हेतु तुरन्त आवश्यक योजना बनायी जाये। दुर्भाग्यवश 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की मृत्यु हो गयी एवं श्रीमती इंदिरा गाँधी ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली। उनके द्वारा प्रधानमंत्री का पद संभालने के पश्चात भारतीय परमाणु नीति दोहरे पथ (Dual track) पर चल पड़ी। इन्दिरा काल में भारत ने अपने परमाणु विकल्पों को खुला रखने की घोषणा की, इसी के परिणामस्वरूप 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और इसके साथ ही भारत उन छ: चुनिंदा राष्ट्रों में शामिल हो गया जो परमाणु क्षमता से सम्पन्न थे। भारत ने इस परीक्षण को शांतिपूर्ण परीक्षण की संज्ञा दी एवं भारत सरकार ने घोषणा की, कि भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए होगा और यह परीक्षण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। भारत द्वारा किए गए परीक्षण की पश्चिमी देशों ने कटु आलोचना की एवं इस परीक्षण को दक्षिण एशिया में शस्त्रों की होड़ शुरू करने वाला बताया। कनाडा ने घोषणा की, कि वह भविष्य में भारत को तब तक प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्ध नहीं करायेगा, जब तक कि भारत अपने परमाणु संयत्रों को अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण एवं नियन्त्रण के लिए नहीं खोल देता।

अमेरिका ने 30 वर्षीय समझौता तोड़कर तारापुर परमाणु संयत्र को दिए जाने वाले ईंधन की आपूर्ति रोक दी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरीकी संसद एवं अमेरिकी प्रशासन को आश्वासन दिया कि भारत परमाणु शक्ति का उपयोग परमाणु हथियारों के निर्माण हेतु कभी नहीं करेगा। मोरारजी देसाई के आश्वासन के फलस्वरूप अमेरिका राष्ट्रपति ''कार्टर ने अमेरिका के कानून की सीमा के भीतर तारापुर के लिए ईंधन की सप्लाई जारी रखने तथा भारत के साथ परमाणु सहयोग को बनाये रखने का वचन दिया।''[3] मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार में भारत की परमाणु नीति के सन्दर्भ में नीति-निर्देश तो नहीं लेकिन श्री देसाई ने एक पक्षीय घोषणा की थी कि ''भारत कभी भी किसी भी हालत में परमाणु अस्त्र नहीं बनायेगा।'' 1974 में किए गए परीक्षण के पश्चात 1982-83 में श्रीमती इंदिरा गाँधी एवं 1995 में श्री पी.वी. नरसिंहराव के समय में भी परमाणु परीक्षणों के लिए प्रयास किए गए लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ये परीक्षण संभव नहीं हो पाये। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए 11 एवं 13 मई 1998 को पोखरण में पांच परीक्षणों की शृंखला का बहुउद्देशीय परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किए एवं कूट भाषा में इसे 'ऑपरेशन शक्ति' नाम दिया।

तत्कालीन रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार ए.पी.जे.अब्दुल कलाम के शब्दों में '' नाभिकीय अस्त्रीकरण अब पूरा हो गया है, हमारे पास नाभिकीय अस्त्रीकरणके लिए भरोसेमन्द आकार, वजह, निष्पादन क्षमता और पर्यावरणीय परिस्थितियां है'' एवं परमाणु परीक्षणों की शृंखला का उद्देश्य कम्प्यूटरीकृत परमाणु परीक्षण हेतु आंकड़े एकत्रित करना और तकनीक को विकसित करना है।''[4] मई 1998 में वाजपेयी जी ने राज्य सभा में कहा कि ''परमाणु परीक्षण का समय वैज्ञानिकों की सहमति से तय किया गया है। इनकी वर्षों से तैयारी चल रही थी, इसलिए इनको अनंत काल तक लटका हुआ नहीं देखा जा सकता था, इसलिए सरकार ने इस बार कार्य को पूरा करने का साहस किया। वाजपेयी शुरू से ही इस विचार के रहे है कि या तो सभी देशों का नि:शस्त्रीकरण कर दिया जाये या सभी देशों को बराबर से सुरक्षा का मौका दिया जाये।''[5] भारत के परमाणु परीक्षणों के प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने भी चग्घाई (Chaghai) में छ: परमाणु परीक्षण कर यह दिखाने का प्रयास किया कि वह भी सामरिक दृष्टि से भारत के समकक्ष हो गया है। ''पोखरण परीक्षण के बाद पाकिस्तान के परमाणु विस्फोट ने एक बात तो निश्चय ही साबित कर दी कि पोकरण विस्फोट कराकर प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सही वक्त पर सही कदम उठाया था। वर्षों से यह खबर आ रही थी कि चीन की सहायता से पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया है। भारत ने कई बार सारे संसार का, खासकर अमेरिका का ध्यान इस और आकर्षित किया था। परन्तु अमेरिका ने जानबूझकर सत्य से मुंह मोड लिया।''[6]

मई 1998 की परमाणु परीक्षणों की घटनाओं से दक्षिण एशिया में परमाणु हथियार सम्पन्न राष्ट्रों भारत, चीन और पाकिस्तान का त्रिकोणीय समूह तैयार हुआ। ये देश न सिर्फ विवादित क्षेत्रीय सीमाओं को साझा करते हैं बल्कि उनके बीच एक दूसरे के प्रति ऐतिहासिक शत्रुता भी है। हांलाकि भारत-पाक परमाणु युग्म की तुलना में, भारत-चीन परमाणु समीकरणों में कहीं ज्यादा स्थायित्व हैं। भारत और चीन ने कभी भी एक-दूसरे को परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी नहीं दी, वही दूसरी और भारत और पाकिस्तान के बीच सभी सैन्य संकटों पर परमाणु हथियारों की छाया रही है।

भारत द्वारा परमाणु परीक्षण कर लेने के पश्चात् अमेरिका सहित अनेक राष्ट्रों ने अलग-अलग प्रतिक्रियायें व्यक्त की। अमेरिका ने ग्लेन संशोधन कानून के तहत भारत एवं पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्धों की घोषणा की। कनाडा ने कहा कि हम भारत से अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को कहते हैं और भविष्य में भारत की मदद नहीं करने की घोषणा की। इसके अलावा जापान, आस्ट्रेलिया एवं जी-8 के देशों ने भारत के परमाणु परीक्षणों की आलोचना करते हुए भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध हेतु जोरदार अपील की। 12 मई 1998 को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा ''चीनी सरकार गंभीरता से भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के बारे में चिंतित है और यह परीक्षण वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रवृति के लिए और दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल नहीं हैं। पाकिस्तान ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में परमाणु हथियारों की होड़ को भड़काने के लिए भारत को दोष दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री गौहर अयूब खान ने कहा कि पाकिस्तान भारत की बराबरी के लिए तैयार हैं। हम में क्षमता है, हम सभी क्षेत्रों में भारत के साथ संतुलन बनाए रखेंगे।

भारत द्वारा परमाणु परीक्षण करने के पश्चात भारत के अधिकांश मित्र भारत से नाराज तो हो गये लेकिन बावजूद इसके भारत एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र के रूप में उभरा है। जैसा कि हेनरी किसिंजर ने कहा ''भारत विश्व में उभरती हुई ताकत है भारत सिर्फ क्षेत्रीय ताकत ही नहीं हैं। चीन की तरह भारत भी ऐसा देश है जिसे अमेरिका डरा धमका नहीं सकता। सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं पूरे एशिया में शान्ति और स्थिरता के लिए भारत एक महत्वपूर्ण देश है।''[7] प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भारत-अमेरिका संबंधों में नई गर्माहट महसूस की गई। जुलाई 2005 में मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर बल दिया एवं भारत ने अपने सभी परमाणु संयंत्रों को सैन्य एवं असैन्य क्षेत्रों में विभाजित करने तथा सभी असैन्य परमाणु संयंत्रों को 'अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी' की निगरानी में रखने की सहमति प्रदान की। इसकी एवज में अमेरिका ने भारत को वास्तविक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र के रूप में मान्यता देने एवं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group) द्वारा भारत को परमाणु सामग्री की आपूर्ति का आश्वासन दिया। यह समझौता सन् 2008 में लागू हुआ। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की परमाणु नीति कहती है कि भारत के परमाणु सिद्धान्त का अध्ययन किया जायेगा और समकालीन चुनौतियों के सन्दर्भ में उसे अद्यतन किया जायेगा, साथ ही बदलती भू-सामरिक वास्तविकताओं के अनुसार विश्वसनीय न्यूनतम संहारक क्षमता बनाये रखी जायेगी।

नि:शस्त्रीकरण पर भारत का रूख

भारत की परमाणु नीति सन् 1947 से लेकर वर्तमान तक इस बात पर टिकी हुई है कि दुनिया से परमाणु अस्त्रों का नामोनिशान हटा दिया जाए। भारत की 'परमाणु शस्त्र मुक्त दुनिया' की अपील न केवल भारत की सुरक्षा के लिए है अपितु यह अपील समस्त राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए भी हैं। यही वजह है कि नि:शस्त्रीकरण भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 1965 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के साथ मिलकर भारत ने एक अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार समझौते के प्रस्ताव को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत परमाणु शस्त्र सम्पन्न देश अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करेंगें। नि:शस्त्रीकरण आयोग के भारत सहित आठ गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों ने आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि के क्रियान्वन में भी सक्रिय भूमिका अदा की हैं। इन गुटनिरपेक्ष देशों ने परमाणु शक्तियों को 16 अप्रेल 1962 को एक सयुंक्त स्मरण पत्र दिया, जिसमें परमाणु परीक्षण रोकने के बारे में वार्ता करने के लिए सुझाव दिए गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस स्मरण पत्र का अनुमोदन किया। इस पूरी प्रक्रिया में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं। भारत निरन्तर कहता रहा है कि शीत युद्ध समाप्त होने के पश्चात भी विश्व की परमाणु सम्पन्नता ज्यों की त्यों है। भारत ने अपनी ओर से परमाणु आक्रमण की पहल ना करने और जिन राष्ट्रों के पास परमाणु शक्ति नहीं है उनके विरूद्ध आणविक हथियारों का इस्तेमाल ना करने का आश्वासन भी विश्व को दिया है, साथ ही भारत परमाणु अस्त्र बनाने की दौड़ में भी शामिल नहीं हैं। भारत का परमाणु हथियारों के निर्माण का उद्‌देश्य केवल और केवल राष्ट्रीय सुरक्षा है। इस प्रकार भारत ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि भारत परमाणु अस्त्रों को बढ़ाने में कभी रुचि नहीं लेना और ना ही परमाणु तकनीक का निर्यात करेगा।

परमाणु अप्रसार संधि (NPT) एवं व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पर भारत का दृष्टिकोण

भारत का परमाणु इतिहास, नाभिकीय अस्त्रों के प्रसार के उस क्रमिक मॉडल को अस्वीकार करता है, जब किसी विशाल और परमाणु सम्पन्न शत्रु देश के प्रति असुरक्षा की भावना किसी अन्य राष्ट्र की नाभिकीय हथियार प्राप्त करने की कोशिशों का मुख्य प्रेरक सिद्धान्त होती हैं। भारत ने बिल्कुल सही ढंग से समझते हुए परमाणु प्रसार के क्रमिक मॉडल को पूर्णतया अस्वीकार किया। सन् 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की राजनीतिक समिति ने परमाणु

अस्त्रों के प्रसार और निर्माण पर नियन्त्रण (Nuclear Non Proliferation treaty) का प्रस्ताव पास किया। ''1968 में अणु अप्रसार संधि को जब महासभा के समक्ष विचारार्थ रखा गया तो भारतीय प्रतिनिधि ने इसका विरोध करते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नि:शस्त्रीकरण के सिद्धान्त के प्रतिकूल माना था, क्योंकि विश्व शांति को परमाणुविहीन राज्यों में परमाणु अस्त्रों के प्रसार से ही खतरा नहीं हैं, वरन परमाणु राज्यों के पास अणु आयुधों के बने रहने से भी उतना ही खतरा हैं।''[8] भारत निम्नलिखित कारणों के आधार पर परमाणु अप्रसार संधि का विरोध करता है-

- यह सन्धि भेदभावपूर्ण है क्योंकि इस सन्धि के द्वारा बड़ी शक्तियां अपने परमाणु संयत्र अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण के लिए खोलने को बाध्य नहीं हैं, जबकि छोटे राष्ट्रों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण की शर्त अनिवार्य होगी।
- यह सन्धि पक्षपातपूर्ण है जो परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों की तुलना में परमाणु अस्त्र युक्त राष्ट्रों की उच्चतर स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से बनी हैं।
- परमाणु अप्रसार संधि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्रों द्वारा भविष्य में परमाणु विस्फोट करने पर रोक नहीं लगाती है।
- यह संधि नि:शस्त्रीकरण या शस्त्र नियन्त्रण के उद्देश्य में सहायक नहीं है।

''भारत इस संधि पर हस्ताक्षर करने से पूर्व पाकिस्तान और चीन की स्थिति की अनदेखी नहीं कर सकता हैं। चीन परमाणु हथियारों का निर्माण बहुत पहले ही कर चुका हैं एवं अब तक जो तथ्य प्रकाशित हुए हैं, उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बना लिया है चाहे वह इन्कार करता रहे। भारत के विरूद्ध चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ सर्वविदित है।''[9] ऐसी परिस्थितियों में भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से साफ इन्कार कर दिया।

व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि

जनवरी 1994 में जेनेवा में नि:शस्त्रीकरण हेतु एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (Comprehensive test Ban treaty) या सी.टी.बी.टी. के प्रारूप को तैयार करना था ताकि आणविक हथियारों के फैलाव को समग्र दृष्टि से रोका जा सके। भारत ने इस सम्मेलन में इस संधि के प्रारूप का विरोध किया एवं कहा कि इसका क्षेत्र बहुत संकीर्ण हैं। ''11 सितम्बर 1996 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भारी बहुमत से बहुचर्चित व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी.) के प्रारूप को पारित कर दिया। संधि के पक्ष में 158 मत पडे. जबकि 3 (तीन) राष्ट्रों ने इसके विरोध में मत दिया। विरोध में मतदान करने वाले राष्ट्रों में भारत, भूटान और लीबिया थे। भारत प्रारूप का इस आधार पर विरोध करता रहा है कि इसमें पूर्ण नि:शस्त्रीकरण का प्रावधान नहीं हैं।''[10] भारत ने निम्न कारण बताते हुए इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया-

- यह संधि दोषपूर्ण हैं क्योंकि संधि लागू होने के बावजूद आवणिक शक्ति सम्पन्न देशों के परमाणु हथियारों के संवर्धन पर कोई रोक नहीं होगी।
- यह संधि आणविक हथियार रखने के मौजूदा पक्षपातपूर्ण चलन का समर्थन करती है, जिसमें परमाणु शक्ति संपन्न एवं शक्तिशाली राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा हेतु परमाणु हथियार रखने का अधिकार रहेगा, लेकिन अन्य राष्ट्र इस अधिकार से वंचित रहेंगे।
- भारत सी.टी.बी.टी. के उस प्रावधान का भी सख्त विरोध करता है जिसके अन्तर्गत यह शर्त थोपी गयी है कि जब तक भारत, पाकिस्तान और इजराइल इस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते तब तक यह सन्धि प्रभावी नहीं मानी जायेगी।
- इस संधि में आणविक हथियारों को नष्ट करने के लिए कोई निश्चित समय अवधि का उल्लेख नहीं हैं।

इस प्रकार ''पश्चिम के अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली देशों द्वारा एकतरफा परमाणु तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संबंध में निषेधात्मक संधि (मिसाइल प्रौद्योगिकी नियन्त्रण संधि या एम.टी.सी.आर.) व्यवस्थाएं तैयार की गई है और 'परमाणु आपूर्ति क्लब' संबंधी शर्तें रखी गई है।''[11] परमाणु शक्तियों का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की प्रौद्योगिकी सहित अनुसंधान और विकास की क्षमताओं का गला घोंटना था, जो हमारी परिमिश्रित अस्त्र प्रौद्योगिकी की धार है।

परमाणु अस्त्र संबंधी भारत की नीति

11 एवं 13 मई 1998 के परमाणु परीक्षणों के पश्चात 27 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने संसद में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें पोखरण-II के परमाणु परीक्षणों के कदम को सही ठहराते हुए परमाणु अस्त्रों से संबंधित भारत की परमाणु नीति का विवरण प्रस्तुत किया, जो निम्नानुसार है-

- मई 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण भारत की परमाणु नीति की निरन्तरता का द्योतक है।

- ''1990 से 1998 तक हमारे सुरक्षा वातावरण में बहुत गिरावट आई थी। भारत की दोनों सीमाओं के पार परमाणु एवं मिसाइल व्यवस्थाएं बढ़ रही थी। इसके अलावा भारत बाहरी सहायता से होने वाले अघोषित युद्ध को भी सहन कर रहा था।''[12] अत: राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर परमाणु शक्ति का दर्जा हासिल करना जरूरी था।
- भारत की नीति पहले किसी भी देश पर परमाणु अस्त्रों के हमले की नहीं (No First use of Nuclear Weapons) है।
- विश्व के सन्दर्भ में देखे तो अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद भी परमाणु क्षमता वाले राष्ट्रों ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया जिससे यह साबित होता हैं कि हम लोग नि:शस्त्रीकरण के सिद्धान्तों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहे है।
- ऐसे वातावरण में सिवाय अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को सामने रखने के अतिरिक्त भारत के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं हैं।
- भारत के परमाणु अस्त्र केवल स्वयं की सुरक्षा हेतु काम में आयेंगे। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी प्रकार की परमाणु धमकी या दबाव में नहीं आयेंगे और न ही शस्त्रों की दौड़ में शामिल होंगे।
- भारत सरकार हर प्रकार के परमाणु नि:शस्त्रीकरण की वार्ता के लिए तैयार हैं।
- भारत ने परमाणु बम के निर्माण पर स्वैच्छिक रोक लगाने की घोषणा भी की।

इसी सन्दर्भ में वाजपेयी सरकार ने जनवरी 2003 में एक राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण (National Command Authority) के गठन की घोषणा की, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राजनीतिक परिषद होगी जिसे प्रहार करने का एक मात्र अधिकार होगा, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नेतृत्व में एक कार्यकारी परिषद होगी जो राजनीतिक परिषद को परामर्श देगी।

भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं

- भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धान्त No First Use है जो भारत को सारी दुनिया से अलग दर्शाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार भारत किसी भी राष्ट्र पर तब तक परमाणु हमला नहीं करेगा जब तक कि शत्रु राष्ट्र भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता।
- परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्र पर भारत कभी भी परमाणु हमला नहीं करेगा।
- भारत अपनी परमाणु नीति को इतना मजबूत करेगा कि शत्रु के मन में भय बना रहे।
- दुश्मन के खिलाफ परमाणु हमले की कार्यवाही का अधिकार देश के राजनीतिक नेतृत्व को ही होगा, हांलाकि इसमें 'राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण' का सहयोग भी जरूरी होगा।
- यदि भारत या भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ रासायनिक या जैविक हमला होता है तो भारत उसके जवाब में परमाणु हमला करने का विकल्प खुला रखेगा।
- भारत विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहेगा एवं परमाणु नि:शस्त्रीकरण की मुहिम का हमेशा समर्थन करता रहेगा।

भारतीय परमाणु नीति में बदलाव के संकेत

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने भारत की परमाणु नीति में बदलाव के संकेत दिए है। ''लोकसभा चुनाव (2019) के दौरान राजस्थान के बाड़मेर जिले में चुनावी रैली को सम्बोधित करते हुए नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की धमकियों से डरने की नीति को छोड़ दिया है और भारत ने भी अपने न्यूक्लियर बम दीपावली के लिए नहीं रखे हुए है।''[13] भारतीय प्रधानमंत्री का यह वाक्य भारत की बदलती हुई परमाणु नीति का संकेत देता है। इससे पूर्व में भी नरेन्द्र मोदी सरकार में रक्षा मंत्री रहे दिवंगत श्री मनोहर पार्रिकर ने भी अपनी निजी राय व्यक्त करते हुए कहा था कि वो 'पहले इस्तेमाल न करने की नीति से सहमत नहीं है और वो इसे बदलना चाहते है।' 16 अगस्त 2019 को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत की परमाणु नीति में बड़े बदलाव के संकेत दिए है। राजस्थान के 'शक्ति स्थल' पोखरण में रक्षा मंत्री ने कहा कि ''किसी के खिलाफ परमाणु हथियारों को पहले प्रयोग न करना (नो फर्स्ट यूज) हमारी नीति है लेकिन यह परिस्थितयों पर निर्भर करेगा कि आगे इस नीति में बदलाव होगा या नही।''[14]

कश्मीर में धारा 370 हटाये जाने के भारत सरकार के फैसले से बौखलाए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त 2019 को भारत के परमाणु हथियारों को लेकर बयान दिया कि ''नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के रहते दुनिया को भारत के परमाणु हथियारों की सुरक्षा के बारे में विचार करना चाहिए।''[15] इमरान खान का यह बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि भविष्य में भारत अपनी परमाणु शक्ति से जुड़ी नीति में बदलाव कर सकता है।

निष्कर्ष

शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भारतीय विदेश नीति का मूल सिद्धांत रहा है अत: भारत की परमाणु नीति भी ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की रही है। आज भारत परमाणु मुक्त विश्व की पहल के साथ-साथ भेदभाव मुक्त परमाणु नि:शस्त्रीकरण के लिए भी प्रतिबद्ध है फिर भी अंहिसा एवं पंचशील के सिद्धान्तों पर चलने वाला भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर आज परमाणु ताकत बनकर उभरा है। भारत ने अब इस हकीकत को समझ लिया है कि केवल आत्मसंयमित होने से ही अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय विशेष रूप से महाशक्तियों से युक्तियुक्त जवाब प्राप्त नहीं हो सकता। भारत की परमाणु नीति में वर्तमान में जबरदस्त बदलाव आया है। वर्तमान में भारत की परमाणु नीति इस विश्वास पर आधारित है कि यह ऊर्जा व राष्ट्रीय सैन्य शक्ति का साधन होने के साथ-साथ विश्व शान्ति का भी माध्यम है।

पोखरण-II के बाद अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी माना है कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत का शक्ति के केन्द्र के रूप में उभरकर सामने आना निश्चित हैं लिहाजा इस आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु भारत का स्वाभाविक अधिकार बनता हैं। आज भारत एक संयमित एवं अनुशासित परमाणु नीति की बदौलत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय हितों की रक्षा सफलतापूर्वक कर सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की परमाणु नीति जिसे मई 1974 में एक दिशा प्राप्त हुई थी आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गयी है जिसे हम एक सफल-नीति की संज्ञा दे सकते है।

सन्दर्भ सूची

1. जैन, बी.एम., प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2000, पृ.सं. 365
2. सिंह, राजबाला, भारत की विदेश नीति, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2005, पृ.सं. 234
3. ओझा, शीला, समकालीन भारतीय विदेश नीति, श्याम प्रकाशन, जयपुर, 2005, पृ.सं. 94
4. फ्रंट लाइन, जून 1998, पृ.सं. 26
5. वाजपेयी, अटल बिहारी, मेरी संसदीय यात्रा, सम्पादक ना.मा. घटाटे, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 1999, पृ.सं. 117
6. रत्तू, कृष्ण कुमार, भारतीय परमाणु परीक्षण और निशस्त्रीकरण, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 1998, पृ.सं. 69
7. कोली, सी.एम., प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ, साहित्यागार, जयपुर, 2001, पृ.सं. 61
8. फड़िया, बी.एल. एवं फड़िया, कुलदीप, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2018, पृ.सं. 362
9. शर्मा, मथुरालाल एवं जैन, शशि के., अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2018, पृ.सं. 340
10. शर्मा, मथुरालाल, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2018, पृ.सं. 303
11. दीक्षित, जे.एन., भारतीय विदेश नीति, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 1999, पृ.सं. 274
12. पंत, पुष्पेश, जैन, श्रीपाल एवं पंचौला, राखी, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध-सिद्धान्त और व्यवहार, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 2018, पृ.सं. 422
13. राजस्थान पत्रिका, 22 अप्रेल, 2019
14. राजस्थान पत्रिका, 17 अगस्त, 2019
15. टाइम्स ऑफ इण्डिया, 19 अगस्त, 2019

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 32-37

अध्यापक शिक्षा में महिला संदर्भित अनुसंधानों की प्रवृत्ति का संबंधित साहित्य के सन्दर्भ में अध्ययन

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

डॉ. अजय सुराणा

सह आचार्य, शिक्षा विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक (राजस्थान)

गौरव रानी

शोधार्थी, शिक्षा विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, टोंक (राजस्थान)

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध ''अध्यापक शिक्षा में महिला संदर्भित अनुसंधानों की प्रवृत्ति का संबंधित साहित्य के संदर्भ में अध्ययन'' पर किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन के द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया है कि अध्यापक शिक्षा में महिला संदर्भित अनुसंधान विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताएँ एवं प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर स्तर को ध्यान में रखकर किये गये हैं या नहीं। प्रत्येक शोध में विभिन्न शोधार्थियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को जनसंख्या एवं न्यादर्श के लिए चुना जाता है तो क्या अध्यापक शिक्षा में जनसंख्या तथा न्यादर्श के रूप में विभिन्नता देखने को मिलती है? तथा किन-किन शोध उपकरणों (प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, निर्धारण मापनी एवं समाजमिति) का प्रयोग एवं कौनसी सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग प्रस्तुत अध्ययन में किया गया है। यह जानने के लिए प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रकरण से संबंधित विभिन्न साहित्य का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

संकेताक्षर : *अध्यापक शिक्षा, प्रवृत्ति, महिला संदर्भित अनुसंधान*

प्रस्तावना

अध्यापक शिक्षा एक शैक्षिक आयोजन है जिसमें विभिन्न स्तरीय एवं वर्गीय अध्यापकों को इस तरह से शिक्षित करने के लिए प्रयत्न किया जाता है कि अग्रिम प्रजन्म को ज्ञान एवं मूल्यों के हस्तान्तरण के साथ ही उनके समस्त शैक्षिक एवं विकासात्मक दायित्वों को ग्रहण एवं वहन करने में वे सक्षम हो सकें तथा उनमें नवाचार के साथ सांस्कृतिक उद्दीपन एवं मानवता बोध का समन्वयात्मक विकास करना सम्भव हो सके। शिक्षण को उद्यम या प्रोफेशन के रूप में स्वीकार करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अध्यापक शिक्षा में उद्यमगत नीति बोध एवं संवेगात्मक पक्ष में भी दासता प्रदान करने की व्यवस्था हो। इसके लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं समस्त चारित्रिक मर्यादाओं के साथ ही राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने के लिए सफल प्रयास करना इस आयोजन का लक्ष्य होगा। स्पष्ट है कि अध्यापक शिक्षा मात्र एक उद्यम कार्य नहीं है बल्कि एक ऐसा मिशन है जिसके माध्यम से राष्ट्रीय संदर्भ में आधुनिक एवं परिवर्तित अध्यापकीय भूमिका के निर्वहन के लिए दक्षता तथा कुशलता प्राप्ति हेतु व्यक्तियों को शिक्षित किया जा सके, संक्षेप में कहा जा सकता है कि अध्यापक शिक्षा, अध्यापकों के लिए शिक्षा आयोजन है। भारत ऐतिहासिक रूप से ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। भारत में अध्यापक-शिक्षा उतनी ही प्राचीन है जितनी की भारतीय शिक्षा। यदि समाज में किसी भी रूप में शिक्षा का अस्तित्व है तो वहाँ पर शिक्षक और छात्र का अस्तित्व भी अवश्य ही होगा। सामान्य शिक्षा व्यवस्था के साथ अध्यापक-शिक्षा पूर्णत संलग्न है। अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का जन्म शिक्षा के साथ ही 2500 शताब्दी पूर्व हुआ।

आधुनिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में पर्याप्त तन्मयता एवं लचीलापन को जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि सामाजिक तथा सांस्कृति परिदृश्य में आज तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अत: एक नवाचारिक प्रणाली के रूप में अध्यापक शिक्षा का महत्व आज अत्यधिक है जिसके माध्यम से सेवापूर्व तथा सेवाकालीन दोनों ही स्तर पर सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक नवाचारिक शैक्षिक परिवर्तनों को स्थापित करना संभव हो सके। अध्यापक शिक्षा को अधिक प्रभावी, सार्थक एवं समीचीन बनाने की दिशा में राष्ट्रीय एवं संस्थागत स्तर पर अनेक प्रयास किये गये हैं, जिससे अध्यापक शिक्षा का विकास हो सके, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा वर्तमान पाठ्यक्रम में समाज एवं विद्यालयीन माँग के अनुसार संशोधन की आवश्यकता अनुभव किये जाने पर बुद्धिजीवियों,

शिक्षाशास्त्रियों एवं क्षेत्र में कार्यरत अध्यापक शिक्षकों के सहयोग से पाठ्यक्रम प्रारूप निर्मित एवं संशोधन किये गये। इसी क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने भी अध्यापक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम आकल्पित किए। NCTE द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम आकल्पन एवं संशोधन का प्रयास 1978, 1988 एवं 1998 में किया गया तथा UGC द्वारा 1990 तथा 2002 में इसी के लिए प्रयास किये गये।

अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में वृद्धि, उनके गुणात्मक स्तर में सुधार, व्यावसायिक क्षमताओं का विकास करना, उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करना, कक्षाओं, विद्यालय व समाज में उनके व्यावसायिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के साथ-साथ एक विकसित एवं स्वस्थ समाज का निर्माण करना भी अध्यापक शिक्षा का ही उत्तरदायित्व है। क्योंकि अध्यापक शिक्षा के माध्यम से ही एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। भारत में शिक्षा एवं अध्यापक शिक्षा के विकास के इतिहास को उसकी गुणवत्ता, क्षमता एवं सक्रियता की दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि विभिन्न प्रकार के व्यावहारिक कार्यक्रमों द्वारा उच्च स्तरीय प्रयास के रूप में लोगों को तैयार करना आसान कार्य नहीं है फिर भी स्वतंत्र भारत एवं उसके प्रदेशों में अध्यापक शिक्षा के विकास के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रत्येक देश प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं सांस्कृतिक संसाधनों एवं अन्य मानवनिर्मित साधन सुविधाओं का प्रभाव जन-जीवन पर पड़ता है। फलत: शिक्षा का क्षेत्र भी इस प्रभाव से अछूता नहीं रहता। भारत के बड़े प्रदेशों में राजस्थान की स्थिति विशिष्ट है।

राजस्थान पिछले दशकों में अत्यंत पिछड़े राज्यों की श्रेणी में रहा है। शिक्षा एवं सामाजिक विकास मंत्रालय (1978) के प्रतिवेदन में दर्शाये गये नौ पिछड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान भी शामिल था। राजस्थान देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, परन्तु साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान दूसरा सबसे पिछड़ा राज्य है। 1957 में जहाँ राजस्थान की साक्षरता दर मात्र 8.02 प्रतिशत (2.51 प्रतिशत महिला साक्षरता) थी, जो 1981 तक केवल 24.05 प्रतिशत (11.32) प्रतिशत महिला साक्षरता) हो पाई। वर्ष 1981 तक राज्य में केवल 70 प्रतिशत बालक-बालिकाएँ ही स्कूलों में प्रवेश ले पाती थी, सन् 1901 में स्कूलों में नामांकित 100 लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की संख्या प्राथमिक स्तर पर 12 और माध्यमिक स्तर पर 4 थी, उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का कुल नामांकन 264 था, जिसमें से 78 लड़कियाँ मेडिकल कॉलेजों में और 11 शिक्षा कॉलेजों में थी। इस शताब्दी के प्रारम्भ की बात है। इस शताब्दी के मध्य अर्थात् 1950-51 में 100 लड़कों की तुलना में प्राथमिक स्तर पर 39, उच्च प्राथमिक स्तर पर 21, माध्यमिक स्तर पर 15 लड़कियाँ विद्यालय जा रही थी। ज्ञातव्य है कि 'असर' 2013 रिपोर्ट के अनुसार भी राजस्थान में 11 से 14 वर्ष की 11 प्रतिशत छात्रायें शैक्षिक सत्र् 2012-2013 में विद्यालय ही नहीं गई, 11 से 14 वर्ष की छात्राओं का शिक्षा का स्तर वर्ष 2007 से लगातार गिरता जा रहा है। वर्ष 2011 में जहाँ 9 प्रतिशत छात्राएँ विद्यालयों से दूर थी, वहीं 2012 में बढ़कर 11 प्रतिशत पर जा पहुँची है। नि:संदेह प्रदेशभर में छात्राओं के शिक्षा से दूर होने के आँकड़ों में बढ़ोत्तरी के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर केवल 52.66 प्रतिशत था।

किसी भी राष्ट्र की परपरा, संस्कृति एवं विकास उस राष्ट्र की महिलाओं से परिलक्षित होती है, नारी की सुदृढ़ एवं सम्मानजनक स्थिति एवं उन्नत, समृद्ध एवं मजबूत समाज/राष्ट्र की द्योतक है। देश का विकास तभी पूर्ण रूप से संभव है। जब देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षा प्राप्त करे। लड़के एवं लड़कियाँ दोनों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो तथा लड़कों के साथ-साथ लड़कियों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो एवं स्त्री शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन को कम किया जाये क्योंकि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अपव्यय व अवरोधन अधिक पाया जाता है। निर्धनता, अशिक्षित माता-पिता, रूढ़िवादिता लड़कियों की शिक्षा के प्रति संकुचित व नकारात्मक दृष्टिकोण, परामर्श व निर्देशन का अभाव, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, अध्यापिकाओं की कमी आदि लड़कियों की शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायीर होते हैं। स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए अपव्यय अवरोधन की समस्या को दूर करना आवश्यक है। अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या को जानने के लिए विभिन्न शोधकार्य भी किये गये हैं जिसमें बालिका नामांकन तथा बालिका शाला त्याग की स्थिति का पता लगाया जा सके।

मिश्रा, उपमा (2009). राजस्थान राज्य की प्राथमिक कक्षाओं में बालिका परित्याग (ड्रॉपआउट) दर एक प्रवृत्यात्मक विश्लेषण (2001-2006), अप्रकाशित शोध. वनस्थली।

झाझड़िया, रीटा. (2011). उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की नामांकन स्थिति अप्रकाशित लघु शोध, वनस्थली विद्यापीठ, एवं विजय, संजीव. (2015). राजस्थान राज्य मुक्त शिक्षा में बालिका नामांकन : एक सांकालिक अध्ययन. अप्रकाशित शोध. वनस्थली विद्यापीठ. ने बालिका नामांकन एवं बालिका परिशालात्याग पर शोध अध्ययन किया।

राष्ट्र पर सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ऐसे में पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं की शिक्षा भी अनिवार्य है। महिलाओं की शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। हमारे संसाधनों के पूर्ण विकास, परिवार के सुधार, समाज में सुधार, बच्चों के चरित्र निर्माण, देश के उत्थान के लिए महिलाओं की शिक्षा पुरूषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। अनेक सरकारी एवं गैरसरकारी प्रयासों के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा के प्रति आज भी सीमित दृष्टिकोण है। भारतीय संविधान में पुरूषों तथा स्त्रियों को पूर्ण-रूपेण समान दर्जा देते हुए शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया है तथा स्त्रियों की शिक्षा के लिए सरकार अनेक तरह की योजनाएँ चला रही है जैसे- नि:शुल्क बालिका शिक्षा, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना, शिक्षा का अधिकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना, राष्ट्रीय आध्यात्मिक शिक्षा अभियान एवं सर्वशिक्षा अभियान जिसे अब समग्र शिक्षा अभियान कहा जा रहा है तथा इन योजनाओं का महिला शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है यह जानने के लिए विभिन्न शोध कार्य किये जा रहे हैं। जैसे -

अग्रवाल, भारती (2009) ने सर्वशिक्षा अभियान के तहत् टोंक जिले में शैक्षिक विकास की प्रवृत्ति, लघु शोध प्रबन्ध अध्ययन किया, श्रीवास्तव, सृष्टि (2015) ने गार्गी एवं प्रियदर्शिनी पुरस्कार प्राप्त छात्राओं की प्रवृत्ति का अध्ययन किया एवं जैन, नेहा (2011) ने टोंक जिले में बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय का योगदान पर अध्ययन किया।

महिलाओं के विकास हेतु शिक्षण संस्थाओं में क्रियान्वित कार्यक्रमों को उचित स्थान देने तथा पाठ्यक्रम का आयोजन, महिलाओं में अच्छे गुणों के विकास को दृष्टिगत रखते हुए करने पर बल दिया। आज भारत देश नारी जागरण का युग बन गया है और स्त्री शिक्षा के समस्त क्षेत्रों में विलक्षण क्रांति आई है। सन् 1882 में भारत में ऐसी केवल 2054 स्त्रियाँ थी जो कुछ पढ़-लिख सकती थी, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षर स्त्रियों की संख्या बढ़कर 2.7 करोड़ से भी अधिक हो गई।

सन् 1883 में जहाँ पहली बार एक स्त्री ने बी.ए. पास किया। वहीं आज 7.5 लाख से अधिक लड़कियाँ विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रही है। अनुमानित है कि विश्व में निरक्षरों की संख्या 850 मिलियन है जिसका 50 प्रतिशत भारत में निवास करता है। यदि महिलाओं की शिक्षा की बात करें तो दुनियाँ के प्रत्येक तीन निरक्षरों में से दो महिलायें हैं। भारत में 20011 की जनगणना के अनुसार 65.46 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर पायी गई।

वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में सुधार हेतु कई प्रयत्न किये जा रहे हैं। उनमें से प्रमुख हैं - स्त्रियों के लिए शिक्षा का प्रत्येक क्षेत्र खुला है, उनके लिए व्यावसायिक एवं प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थाएँ भी खुली हुई है, शिक्षा में प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अनेक सुविधाएँ भी प्रदान की जा रही है। महिलायें व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर आत्मनिर्भर बन रही है।

पारीक, प्रियंका (2010) ने छात्राध्यापिकाओं की सामाजिक बुद्धि का संप्रेषण शैली व अधिगम शैली पर प्रभाव, शर्मा, राधा (2011) ने उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्राओं द्वारा शिक्षाशास्त्र विषय का चयन करने के निर्धारक कारकों का अध्ययन एवं बामागोन्द, वी. अनिल एवं एच. (2011) ने स्टडी ऑफ प्रोफेशन एट्टीयूड ऑफ वीमेन टीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एण्ड मेरिटियल स्टेट्स, पर अध्ययन किया। अत: संक्षेप में महिलाओं के वृतिक (Professional) विकास पर भी शोध के प्रयास किये गये हैं।

परन्तु इन सबके होते हुए भी महिलाओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु समायोजन संबंधी समस्याएँ, कार्यस्थल पर सहयोगियों, कर्मचारियों संबंधी समस्याएँ, महिलाओं से संबंधित अपराधों की संख्या में वृद्धि तथा कार्यक्षेत्र में महिलाओं को पुरूषों की अपेक्षा दोहरा दर्जा प्रदान करना आदि। महिलाओं से संबंधित इन समस्याओं के बारे में विस्तृत तथा प्रमाणित जानकारी शोधों के द्वारा ही पता लगायी जा सकती है। शोधार्थियों द्वारा इन समस्याओं से संबंधित शोध कार्य भी किये गये हैं। जैसे - कौशिक, अमृता (2012) ने अप्रकाशित महिला एवं कार्यशील महिला अध्यापकों की वैवाहिक समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन. न्यू देहली एवं श्रीवास्तव, साधना (2015) ने कार्यशील महिलाओं की कार्यदबावग्रस्तता का उनकी शैक्षणिक योग्यता, कार्यस्थल के वातावरण एवं सामाजिक आर्थिक स्तर के संदर्भ में अध्ययन किया।

महिला शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शोध कार्य किये जा रहे हैं, ताकि महिला शिक्षा से संबंधित समस्याओं की प्रमाणित जानकारी प्राप्त की जा सके तथा महिला शिक्षा से संबंधित शोध अध्ययनों के निष्कर्षो के आधार पर समस्याओं का निराकरण किया जा सकें तथा उनके संदर्भ में सुझाव प्रस्तुत किये जा सके।

परन्तु राज्य सरकारों द्वारा शैक्षिक अवसरों की समानता का लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है, स्त्री शिक्षा का प्रतिशत अभी भी कम है। अल्प आयु में विवाह, माता-पिता का लड़कियों की उच्च शिक्ष के प्रति उदासीन दृष्टिकोण होना, लड़कों की शिक्षा को महत्व

दिया जाना तथा लड़की को पराया धन समझना आदि कुछ ऐसे कारण हैं, जिससे शैक्षिक अवसरों की समानता का अवसर पूरा नहीं हो पा रहा है, जिस कारण हमारे देश में स्त्री शिक्षा उतनी नहीं बढ़ पायी है, जितनी बढ़नी चाहिए थी।

आजकल महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जितने अवसर मिल रहे हैं, उतने उन्हें पहले कभी नहीं मिले थे, फिर भी उनकी वर्तमान शिक्षा के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं, स्त्रियों की स्थिति उनके समाज की समस्या के स्तर का प्रतिबिम्ब होती है। अर्थात् इतने प्रयासों के बाद भी लड़कियाँ उतनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही है जितने सरकार प्रयास कर रही है। लड़कियों की शिक्षा के लिए आवश्यक है कि उनकी शिक्षा हेतु योग्य अध्यापक/अध्यापिकाएँ उपलब्ध हों। मनोजलता सिंह (2012) ने राजस्थान में अध्यापक शिक्षा के विकास की प्रवृत्ति का अध्ययन किया।

अध्यापक शिक्षा वास्तव में शिक्षा के विकास का केन्द्र बिन्दु है। विशेषकर लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला अध्यापकों का मात्रात्मक व गुणात्मक विकास अत्यन्त आवश्यक है। अत: महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में सुधार की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में महिला अध्यापक आवश्यक रूप से होने चाहिए क्योंकि महिला अध्यापकों की कमी भी महिला शिक्षा में मुख्य अवरोधक पायी गई है। वर्ष 1950-51 में राजस्थान राज्य में शिक्षक शिक्षा विद्यालयों एस.टी.सी. स्कूल की संख्या 15 थी, जिसमें पुरूष व महिला संस्थानों की संख्या क्रमश: 12 व 03 थी। लेकिन 1955-56 में शिक्षक-शिक्षा विद्यालयों की संख्या घटकर 13 रह गई जिनमें पुरूष की 11 व महिला की 2 थी। 1960-61 में अध्यापक शिक्षा विद्यालयों की संख्या 55 हो गई जिसमें 51 पुरूष की व 4 महिला संस्थाएँ थी। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों की संख्या 4 हो गई जिसमें कोई महिला महाविद्यालय नहीं था। 1965-66 तक शिक्षक शिक्षा विद्यालयों की संख्या बढ़कर 63 हो गई तथा महिला संस्थाओं की संख्या बढ़कर 7 हो गई।

अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए महिला एवं पुरूष शिक्षकों में समान अनुपात होना चाहिए, जो सामान्यत: नहीं पाया जाता है। सुराणा, अजय (2005) के अनुसार, महिला तथा पुरूष शिक्षकों का आनुपातिक अंतर 1:6 से बढ़कर 1:4 रह गया है। पुरूष शिक्षकों की वृद्धि दर महिला शिक्षकों से निरन्तर अधिक रही है।

पुरूष एवं महिला शिक्षकों के निरन्तर अनुपातिक बदलाव को जानने के लिए प्रवृत्ति संबंधित शोध किये जा सकते हैं। प्रवृत्यात्मक अध्ययन प्रमाणित आँकड़ों के अनुदैर्ध्य अध्ययन पर आधारित है। इसमें यह संकेत दिया जाता है कि भूतकाल में क्या था? वर्तमान परिस्थितियाँ किस ओर इंगित करती हैं? तथा इन आँकड़ों से आगे क्या भविष्य होगा? अध्यापक शिक्षा में विभिन्न प्रकरण संबंधी प्रवृत्यात्मक शोध कार्य किये गये हैं जैसे - सिंह मनोजलता (2012) राजस्थान में अध्यापक शिक्षा के विकास की प्रवृत्ति का अध्ययन, सुराणा, अजय (2005) शैक्षिक विकास की प्रवृत्ति, ज्योत्सना (2015) उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च व्यावसायिक जनपद की प्राथमिक स्तर पर प्रगति में सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका का प्रवृत्यात्मक अध्ययन आदि।

शोध एक विकास की दिशा में सशक्त साधन है जिसके परिणामस्वरूप हम अपने क्रियाकलापों को प्रभावी एवं आसान बना सकते हैं। अध्यापक शिक्षा के विकास हेतु किस प्रकार के शोध कार्य किये गये हैं। विशेषकर महिला अध्यापकों से संबंधित यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्वतंत्रता के बाद से ही यह महसूस किया गया कि अध्यापकों को समय-समय पर उनके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण चलाए जाने चाहिए और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1955-58 के मध्य स्नातक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये और तत्पश्चात् निरंतर इन प्रशिक्षण संस्थाओं में वृद्धि होती गई। मुखोपाध्याय, मर्मर (2002) के अनुसार भारत में वर्ष 2002 तक लगभग 450 विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों एवं शिक्षकों की जरूरत होगी। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के 2009-10 के प्रगति प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सैकण्ड्री स्तर पर 64,304 बालक एवं 22,528 बालिका विद्यालय अर्थात् कुल 86,832 विद्यालय खुल चुके थे। सीनियर सैकेण्ड्री स्तर पर 65,862 बालक एवं 25,874 बालिका कुल 91,736 विद्यालय खुल चुके थे। अर्थात् प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का तेजी से विकास हुआ है। इस हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता में निरन्तर वृद्धि हुई है। शर्मा (2015) ने अध्यापक शिक्षा में आई.सी.टी. संबंधित शोध का प्रवृत्यात्मक अध्यन किया गया जिसमें आई.सी.टी. संबंधित शोधों की पहचान करना, शोध जनसंख्या, शोध स्थान, अवधि निम्न संदर्भो में अध्ययन किया गया। इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में किये गये शोधों के समाकलन द्वारा उस क्षेत्र में शोध कार्यों की स्थिति एवं आवश्यकता को समझा जा सकता है।

राजस्थान की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए महिला शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता महसूस की जाती है। राजस्थान इस समय देश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। जिसमें एक

ओर मरूस्थलीय संभाग, दूसरी और मैदानी एवं पहाड़ी इलाके मौजूद है जहाँ शैक्षिक आवश्यकताएँ एवं शैक्षिक स्तर भिन्न-भिन्न है। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तर सभी के लिए अलग-अलग अध्यापकों की व्यवस्था की जाती है, उनके लिए अलग-अलग कार्यक्रम चलाये जाते हैं। तो क्या विभिन्न स्तरों पर अध्यापक शिक्षा में (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च) शोध कार्य किये गये हैं? अध्यापक शिक्षा में विभिन्न प्रकार के चरों पर अध्ययन किये जाते हैं जैसे- महिला अध्यापकों की कमी, महिला अध्यापकों की समस्याएँ, सेवापूर्व एवं सेवाकालीन महिला अध्यापक तो प्रश्न यह है कि अध्यापक शिक्षा में महिला संदर्भित शोध अध्ययनों में किन-किन चरों के आधार पर बहुलता से ध्यान केन्द्रण किया गया है?

राजस्थान में विभिन्न जिलों में लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही है। विभिन्न शोधार्थियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को जनसंख्या एवं न्यादर्श के लिए चुना जाता है तो क्या राजस्थान राज्य में भी अध्यापक शिक्षा में जनसंख्या तथा न्यादर्श के आधार पर कोई भिन्नता देखने को मिलती है?

आजादी के बाद अनेक नीतिगत रूप से परिवर्तन सामने आये हैं। अलग-अलग राज्य सरकारों ने अपने अनुरूप नीतियों का निर्माण किया है और ये नीतिगत परिवर्तन शोध के माध्यम से ही किये जाते हैं अर्थात् आजादी के बादसे अब तक विभिन्न वर्षो में निरंतर शोध कार्य किये जा रहे हैं तो क्या 2001 से सन् 2018 में अध्यापक शिक्षा में महिला संदर्भित शोध अध्ययनों में समयावधि के आधार पर भिन्नता देखने को मिलती है?

विभिन्न प्रकार के शोध अध्ययनों में विभिन्न प्रकार के शोध उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे- प्रश्नावली साक्षात्कार, अनुसूची, निर्धारण मापनी एवं समाजमिति आदि तो राजस्थान में अध्यापक शिक्षा में महिला संदर्भित शोध अध्ययनों में कौन-कौन से शोध उपकरणों का प्रयोग किया गया है? इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के शोध अध्ययनों में विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे- सारणीयन, रेखाचित्र, निरूपण, प्रतिशत, काई स्कायर परीाण, सहसंबंध गुणांक, प्रतीपगमन विश्लेषण एवं टी टेस्ट आदि तो यहाँ प्रश्न यह है कि अध्यापक शिक्षा में महिला संदर्भित शोध अध्ययनों में कौन-कौनसी महिला संदर्भित शोध अध्ययनों में कौन-कौन सी सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है?

अध्यापक शिक्षा में सामान्यत: सभी राज्यों में शोध कार्य किये जाते हैं जैसे- सिंह, मनोजलता (2012) अप्रकाशित शोध के अनुसार - अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक दमन एवं द्वीव आदि के शोध अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकास एवं वितरण का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना वर्तमान समय में शैक्षिक विकास हेतु प्रासंगिक है। उक्त सभी प्रदेशों में अध्यापक शिक्षा के विकास की स्थिति पर शोध कार्य किये गये हैं लेकिन राजस्थान की वर्तमान अध्यापक शिक्षा में महिला संदर्भित अनुसंधानों की प्रवृत्ति जानने के लिए किसी भी प्रकार का शोध कार्य अब तक नहीं किया गया है। इसलिये शोधकर्त्री ने अपने शोध विषय का चयन किया है।

निष्कर्ष

शैक्षिक शोध कार्य किसी शैक्षिक समस्या से आरम्भ होता है। अत: इसके द्वारा या किसी समस्या का समाधान होता है अथवा समस्या समाधान हेतु नवीन जानकारी प्राप्त होती है। अत: प्रस्तुत शोध प्रशासकों की दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि प्राप्त निष्कर्षों से प्रशासन को अध्यापक शिक्षा में महिला संदर्भित अनुसंधानों की वास्तविक स्थिति को आकलन कर सकता है और महिला संदर्भित शोध कार्यों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है तथा शोध कार्य करवाये जा सकते हैं। महिलाओं की दृष्टि से प्रस्तुत शोध कार्य उपयोगी है, क्योंकि महिला संबंधी शोध कार्यों से महिला शिक्षा तथा महिलाओं से संबंधित समस्याओं की जानकारी प्राप्त होती है। अत: महिलाओं की शिक्षा तथा समस्याओं को सुधारने का प्रयास किया जा सकता है।

समाज की दृष्टि से भी प्रस्तुत शोध कार्य अत्यन्त उपयोगी है, क्योंकि प्रस्तुत शोध अध्ययन महिलाओं को शिक्षित तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाने पर बल देता है। जिससे महिलाओं की स्वनिर्माण क्षमता, आत्मविश्वास आदि गुणों का विकास होता है जो कि लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था की नींव है तथा प्रस्तुत शोध अध्ययन में महिलाओं की समाज में स्थिति का पता लगाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. विजय. संजीव, राजस्थान राज्य मुक्त शिक्षा में बालिका नामांकन का सांकलिक अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, 2015
2. सुराणा, अजय, शैक्षिक विकास की प्रवृत्ति, पॉपुलर बुक डिपो, जयपुर, 2005
3. कुमार, नरेन्द्र, अध्यापक शिक्षा, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, 2016, पृ.सं. 1-3

4. सिंह, मनोजलता, राजस्थान में अध्यापक शिक्षा के विकास की प्रवृत्ति का अध्ययन, अप्रकाशित लघु शोध, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, 2012
5. ज्योत्सना, उत्तरप्रदेश राज्य में उच्च व्यावसायिक जनपद की प्राथमिक स्तर पर प्रगति में सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका का प्रवृत्यात्मक अध्ययन, अप्रकाशित लघु शोध, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, 2015
6. जैन, नेहा, टोंक जिले में बालिका शिक्षा हेतु कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय का योगदान पर अध्ययन, प्रकाशित शोध, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, 2011
7. शर्मा, आर.एन., अध्यापक शिक्षा, इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाऊस, मेरठ, 2005, पृ.सं. 12-13
8. भट्टाचार्य, जी.सी., अध्यापक शिक्षा, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 2012, पृ.सं. 12-13
9. अग्निहोत्री, रवीन्द्र, आधुनिक भारतीय शिक्षा : समस्याएँ और समाधान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2006
10. कौशिक, अमृता, वाय टिचिंग इज इ प्रिफर्ड कैरियर फॉर वीमेन? अप्रकाशित लघु शोध, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, 2012
11. बामागोन्द, वी. अनिल एण्ड हिरौली, स्टडी ऑफ प्रोफेशनल एट्टीट्यूड ऑफ विमेन टीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एण्ड मेटिरियल स्टेट्स, एजूरिसर्च, वॉल्यूम-2, 2011, पृ.सं. 16-18
12. कौर, गुरविन्दर, अकार्यशील महिला एवं कार्यशील महिला अध्यापकों की वैवाहिक समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन : एजूट्रेक्स, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, वॉल्यूम-7, 2007
13. अग्रवाल, भारती, सर्वशिक्षा अभियान के तहत् टोंक जिले में शैक्षिक विकास की प्रवृत्ति का अध्ययन, अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, 2009
14. पारीक, प्रियंक, छात्राध्यापिकाओं की सामाजिक बुद्धि का संप्रेषण शैली व अधिगम शैली पर प्रभाव, अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, 2009
15. शर्मा, राधा, उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्राओं द्वारा शिक्षाशास्त्र विषय का चयन करने के निर्धारक कारक, अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, 2011
16. झाझड़िया, रीटा, उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की नामांकन स्थिति, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, 2011
17. श्रीवास्तव, सृष्टि, गार्गी एवं प्रियदर्शिनी पुरस्कार प्राप्त छात्राओं की प्रवृत्ति : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, 2015

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 38-42

पं. जवाहरलाल नेहरू और भारतीय लोकतंत्र

डॉ. बीना महलावत

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान
खंडेलवाल वैश्य महिला महाविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, सच्चे मायनों में धर्मनिरपेक्ष, आधुनिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को जीने वाले मानवतावादी नेता थे। पंडित नेहरू ने जब देश की कमान संभाली थी तब उन्होंने देश की राजनीतिक व्यवस्था को एक संयुक्त जवाबदेही का रूप देने का प्रयास किया ताकि हर विचार और विचारधारा का योगदान देश के निर्माण में लिया जा सके। नेहरू जानते थे कि भारत 'एक विचार', 'एक संस्कृति', 'एक धर्म', 'एक भाषा' नहीं है बल्कि ये विभिन्न जीवनशैलियों का देश है, जहाँ 'एकाधिकार' किसी का नहीं 'सर्वाधिकार' सभी का है। वो मानते थे और आज ये साबित हो गया है कि 'ये सारी विविधताएं' केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही एक साथ रह सकती हैं, जहाँ सभी को आजादी हो और वो देश के महत्व को खुद ही समझें। नेहरू की लोकतंत्र की अवधारणा व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा मानवीय मूल्यों के महत्त्व को स्वीकार करती है। उनका प्रजातंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का उपाय है, जो नागरिक अधिकारों की व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का भी हल ढूँढती है। नेहरू ने प्रजातंत्र की व्यापक धारणा का विकास करने का प्रयास किया, जो स्वतंत्रता तथा समानता में सामंजस्य ला सके। उनका प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा समाज कल्याण दोनों के मेल-मिलाप पर आधारित है।

संकेताक्षर : *नेहरू और राजनीति, नेहरू और लोकतंत्र, लोकतंत्र नेहरू की देन*

प्रस्तावना

जवाहरलाल नेहरू अपने स्वभाव, अध्ययन एवं अभिधारणाओं के कारण रूढ़िवाद, संप्रदायवाद तथा कट्टरवाद के विरोधी थे। नेहरू भारत के प्रथम नेता थे जिन्होंने संप्रदायवाद के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आयामों, उसकी प्रकृति, लक्षणों तथा कारणों को ठीक प्रकार से समझा। नेहरू की भारत के बारे में समझ तथा ऐतिहासिक ज्ञान ने उन्हें भारतीय सभ्यता के उन विशिष्ट लक्षणों से परिचित कराया, जो भारत को एक पृथक पहचान तथा मजबूती प्रदान करते हैं। नेहरू ने लिखा था कि- हम धर्मनिरपेक्ष भारत के बारे में बात करते हैं, क्या इसका तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो सभी प्रकार के मतों को समान अवसर तथा सम्मान देता है, जो एक राज्य के रूप में खुद को किसी भी धर्म या विश्वास से सम्बद्ध नहीं रखता, इस प्रकार यह एक राज्य धर्म बन जाता है...भारत में धार्मिक सहिष्णुता का लम्बा इतिहास रहा है। यह धर्मनिरपेक्ष राज्य का मात्र एक पहलू है। संकीर्ण सोच जनसंख्या का अनिवार्य रूप से विभाजन करती है और उस स्थिति में राष्ट्रवाद भी अपने सीमित अर्थों में सामने आता है। नेहरू का दृष्टिकोण पश्चिमी एवं आधुनिक था। साथ ही वे भारतीय परिस्थितियों की जटिलताओं को भी समझते थे। उनके अनुसार- कोई भी संगठित धर्म निरपवाद रूप से एक निहित स्वार्थ बन जाता है, जो अनिवार्यत: प्रगति एवं परिवर्तन विरोधी प्रतिक्रियावादी शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है।

नेहरू और भारतीय लोकतंत्र

नेहरू के लोकतांत्रिक विचारों में जॉन लॉक (जन सहमति से शासन) रूसो (व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है परन्तु सर्वत्र बन्धनों में जकड़ा रहता है) मॉण्टेस्क्यू (शक्ति पृथ्थकरण व नियंत्रण व संतुलन सिद्धान्त के माध्यम से शासन निरंकुशता का अवरोध) जेरेमी बेन्थम (एक व्यक्ति, एक वोट) जे.एस. मिल (प्रतिनिधि शासन, स्वतंत्रता की धारणा, राजनीतिक समानता, महिला-पुरूष समानता) और कार्ल मार्क्स के विचारों का सामंजस्य विद्यमान है।

जब नेहरू 'लोकतंत्र' शब्द का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उसका अर्थ क्या है? यह उसके जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में विषयवस्तु के साथ अर्थ प्रस्तुत करता है। स्वाधीनता के लिए

संघर्ष के आरंभिक दिनों में यह स्वशासन के नजदीक अर्थ रखता है। लोकतंत्र का मतलब विदेशी शासन से आजादी और वास्तविक प्रतिनिधि सरकार से था। नेहरू ने बाद में समाजवादी विचारों के रूप में लोकतंत्र को व्यक्त किया है। परन्तु स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र बहुआयामी अर्थ दर्शाता है जैसा कि नेहरू के इस वाक्यांश से अभिलक्षित होता है- ''मैं कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र न केवल राजनीतिक है और न केवल आर्थिक वरन् मानसिक अवस्थिति है जैसा कि निश्चित रूप से प्रत्येक वस्तु ही एक मानसिक अवस्थिति होती है। जहाँ तक संभव हो यह आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में सब लोगों को अवसर की समता उपलब्ध कराता है। यह व्यक्तिगत उन्नति के लिए और अपनी क्षमताओं व योग्यताओं को विकसित करने की स्वतंत्रता उपलब्ध कराता है। इसमें सहिष्णुता का वह निश्चित स्तर शामिल है जो अन्य लोगों के प्रति ही नहीं वरन् उनके प्रति जो स्वयं से भिन्न मत रखते हैं। यह स्थिर न होकर गत्यात्मक प्रणाली है जो परिवर्तनों से अधिक और अधिक व्यापक बन जाती है। अन्तत: निश्चित रूप से यह आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं में अनुप्रयुक्त मानसिक दृष्टिकोण है।

नेहरू द्वारा प्रयुक्त शब्द (लोकतंत्र) का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर इसकी चार महत्वपूर्ण सार्थक परिभाषाएँ अभिव्यक्त होती है। उनमें से तीन उल्लिखित कथन में ही अन्तर्निहित है। ये परिभाषाएँ लोकतंत्र के बारे में नेहरू के चिंतन के वास्तविक एवं विभिन्न दृष्टिकोणों या महत्व को परिलक्षित करती है और कुछ परस्पर-व्यापी या स्वाभाविक ओवरलैपिंग भी है। चारों परिभाषाएँ इस तरह विश्लेषित है-

- स्वतंत्रता के रूप में लोकतंत्र की परिभाषा जिसमें मानवीय मूल्यों का एहसास हो सके।
- नियत सरकारी संस्थानों और प्रक्रियाओं के रूप में लोकतंत्र की परिभाषा।
- समाज की ऐसी संरचना के रूप में परिभाषित लोकतंत्र जिसमें क्रमश: आर्थिक एवं सामाजिक समानता की प्राप्ति होगी।
- व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निदान के प्रति निश्चित व्यवहार और दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित लोकतंत्र।

नेहरू ने लोकतांत्रिक सरकार की संस्थाओं एवं सिद्धान्तों को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया कि प्रतिनिधित्व के माध्यम से लोकप्रिय प्रभुसत्ता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त पर नियतकालिक निर्वाचन, बहुमत का शासन तथा जिम्मेदार राजनीतिक दल व नेतृत्व ही सच्चे लोकतंत्र को स्थापित कर सकते हैं। नेहरू का विचार था कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। यद्यपि तात्कालिक परिस्थितियों में संविधान सभा के लिए यह पूर्णत: संभव न हो पाया (संविधान सभा अप्रत्यक्षत: अधिकांश रूप में निर्वाचित व अशंत: मनोनीत थी) संविधान को आगे की ओर बढ़ता हुआ, लचीला एवं परिवर्तनीय बनाने में विश्वास व्यक्त किया है। जिससे कि बदलती हुई परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना संभव हो सके। स्थिर संविधान मृत्यु के समान होता है।

नेहरू ने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र को स्थापित करने को अपना लक्ष्य स्वीकार किया। नेहरू इस क्रम में संसदीय लोकतंत्र के प्रति वफादार बने। नये भारत के लिए नेहरू ने समाजवादी व लोकतंत्रवादी दोनों ही मूल्यों को निर्धारण किया है। प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति एवं प्रगति के लिए आर्थिक व सामाजिक व राजनीतिक तीनों ही क्षेत्रों में अधिकतम संभाव्य समान अवसर मिलना अनिवार्य है। जैसा कि फरवरी, 1962 में 'बंगलौर' के भाषण में कह रहे थे कि- ''वोट का अधिकार अच्छा एवं उपयोगी है, परन्तु एक भूखे एवं नंगे व्यक्ति के लिए इसके कोई मायने नहीं होते है अत: लोकतंत्र आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी स्थापित हो।''

नेहरू के अनुसार आर्थिक लोकतंत्र समाज में आर्थिक संरचना में समानता के लोकतांत्रिक सिद्धान्त को स्थापित करने का समर्थन करता है। समाज में विद्यमान आर्थिक भेदभाव एवं विषमताओं को दूर किये बिना लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। उनके इस विचार के पीछे मूलत: व प्रत्यक्ष रूप से समाजवाद की धारणा रही है जिसे वे 'समतावादी समाज' के रूप में वर्णित करते हैं। उनके आर्थिक लोकतंत्र के दो मूल आधार (i) समानता पर आधारित सामाजिक, आर्थिक संस्थान। (ii) लाभ प्राप्ति के ध्येय के स्थान पर पारस्परिक सहयोग पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। नेहरू के अनुसार केवल अधिक से अधिक सम्पत्ति का संग्रहण ही मानवीय जीवन का उद्देश्य बना लेना शोषणकारी व्यवस्था को जन्म देता है। उच्चतम मानवीय जीवन स्तर की उपलब्धता सबके लिए हो यही आर्थिक लोकतंत्र है। एक कल्याणकारी राज्य के द्वारा इसे प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहायता मिल सकती है। जहाँ केवल भौतिक उन्नति ही नहीं वरन् मानवीय गरिमा की भी स्थापना होती है। नेहरू के इन विचारों को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा 1950 में घोषित आर्थिक कार्यक्रम में स्पष्ट किया गया।

एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मूल ध्येय आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही है। एक न्यूनतम राष्ट्रीय जीवन स्तर न केवल भौतिक वरन् सामाजिक क्षेत्र में भी स्थापित करना जो लोगों के जीवन यापन के स्तर को ऊपर उठाता है। पूर्ण

रोजगार, शोषण का अन्त और आय व सम्पत्ति की विषमताओं में अन्तर कम करना और सबके लिए व्यक्तित्व विकास और आत्म विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना इसके मूल उद्देश्य है। इस प्रकार नेहरू के अनुसार जिस प्रकार से मानवीय विकास के लिए स्वतंत्रता अपरिहार्य है उसी तरह से आर्थिक समानता भी वांछनीय है। समाजवादी चिन्तक जयप्रकाश नारायण को लिखे गए पत्रों में भी नेहरू ने आर्थिक व सामाजिक समानता का उल्लेख किया है। यद्यपि गाँधी का दृष्टिकोण इस बारे में व्यक्ति से समाज की ओर बढ़ता है परन्तु नेहरू इसे समाज से व्यक्ति की तरफ ले जाते हैं।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक कल्याण के समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया। जिसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यमों को विकास का अवसर मिलेगा। इस प्रकार नेहरू का समाजवाद वर्ग संघर्ष व हिंसा का समर्थन नहीं करता, न ही निजी सम्पत्ति के समापन का पक्षधर है, अपितु सार्वजनिक हित की दृष्टि से उस पर सीमा लगाने का समर्थन करता है। सामाजवादी नीतियों को लागू करने हेतु नेहरू ने योजनाबद्ध विकास (पंचवर्षीय योजनाओं), भूमि-सुधार कानूनों (जमींदारी-उन्मूलन) सामुदायिक विकास कार्यक्रम न्यूनतम मजदूरी कानूनों आदि का सहारा लिया। उपेक्षित वर्गों के उत्थान व कल्याण हेतु भी समय-समय पर कानून बनाए गए। नेहरू के समाजवादी चिंतन का अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष भी है। प्रजातांत्रिक समाजवाद साम्राज्यवाद का विरोधी तथा पराधीन राष्ट्रों की स्वाधीनता का पक्षधर है। नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में विश्वास जताते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को महत्त्वपूर्ण माना, विदेशी नियंत्रण तथा गुटबन्दी का विरोध करने वाली गुटनिरपेक्षता की नीति की नींव रखी तथा 'पंचशील' में आस्था जताई।

नेहरू ने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में स्वीकार किया है। जिसका मूल लक्ष्य मानव जाति के कल्याण के लिए शक्ति को भी मानव के हाथों में सौंपना है। लोकतंत्र को न केवल भारत के लिए वरन् पूरी दुनिया के राष्ट्रों के लिए हितकारी साधन के रूप में स्वीकार किया है। इस पवित्र साधन के माध्यम से ही पवित्र लक्ष्यों-मानव की गरिमा एवं प्रतिष्ठा को स्थापित करना; मानव मात्र के बीच विद्यमान आर्थिक व सामाजिक संरचना के स्तर पर विभेद को कम करना; समतावादी समाजवाद को संवैधानिक व शान्तिपूर्ण साधनों की सहायता से स्थापित करना; बहुसंख्यकों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के हितों का पूरा ध्यान रखना; शासन सदैव जनसहमति से हो; अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सहयोग स्थापित करना; मानवीय शोषण पर आधारित सभी साधनों का अन्त करना इत्यादि को प्राप्त करना है। महात्मा गाँधी के शब्दों में - ''पण्डित नेहरू मूलत: एक भारतीय ही नहीं है, वरन् अन्तर्राष्ट्रवादी भी है। इसी विशेषता ने उसे प्रत्येक वस्तु को अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के नजरिये से देखने वाला बनाया है; और वह एक महान् मानववादी है; वह मानवता का कल्याण करने वाली किसी भी बात का विरोध नहीं कर सकता है....जब मैं जीवित नहीं रहूगाँ तो निश्चय ही उसे मालूम होगा कि पवित्र लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है।

महात्मा गाँधी के सान्निध्य में रहकर नेहरू ने 'साध्य व साधन की पवित्रता' के सिद्धान्त को स्वीकार किया और हिंसा के प्रत्येक स्वरूप से घृणा की है। उसके अनुसार लोकतंत्र लक्ष्य प्राप्ति का शान्तिपूर्ण पथ है उन्हीं के शब्दों में- ''लोग कानून में परिवर्तन का एवं यहाँ तक कि शासन में बदलाव के लिए भी शान्तिपूर्ण व लोकतांत्रिक परिवर्तन का अधिकार रखना चाहते है परन्तु जो लोग हिंसा के पथ को अपनाते है, वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते और उनका रास्ता प्रबल हो जाये तो लोगों की बुरी दशा व अराजकता का माहौल होगा।

नेहरू ने लोकतंत्र को मानव के सर्वांगीण विकास के अच्छे साधन के रूप में अपनाया। उनकी यह धारणा थी कि मानव का दु:ख किसी वाद या समाज व्यवस्था का इस राष्ट्र या उस राष्ट्र से लड़ने से दूर नहीं होगा। वह तब ही दूर होगा जब संसार में शान्ति स्थापित होगी, एक-दूसरे के प्रति घृणा समाप्त हो जायेगी, छोटे-बड़े का अपमान न होगा, रंग, जाति, धर्म का कोई भेद न होगा और सर्वोपरि मानवीय आवश्यकताएँ पूर्ण होगी। उसमें हीन भावना न होगी। नेहरू ने गुटनिरपेक्षता, शान्ति, मित्रता, सहअस्तित्व, पंचशील जैसी नीतियाँ अपनायी। यह सर्वविदित है कि उनके प्रभाव से कोरिया, इण्डो-चीन, कांगो इत्यादि विश्व युद्ध की चिंगारी लगाने वाले विवाद आंशिक रूप से हल हो गये व लड़ाई रूक गयी। भारत की धरती पर समय-समय पर महान् लोग अवतरित होते रहे है। देश व दल ने नेहरू को तानाशाह बनने की पूर्ण सुविधा या अवसर प्रदान किये तथापि वे तानाशाह नहीं बने। उन्होंने लोकतंत्र का पूर्ण सम्मान किया और ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसे लोकतंत्र का विरोधी कहा जा सके। उन्होंने लोकतंत्र के अनुशासन को स्वीकार किया व शान्ति, न्याय और स्वतंत्रता के सजग प्रहरी बने रहे। ऐसी कार्य प्रणाली के माध्यम से नेहरू ने भारत में लोकतंत्र की सफलता के पूर्व आधारों को पहले ही स्थापित कर दिया। यही प्रमुख कारण है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता ने अनेक पश्चिमी विचारकों की भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया।

''हमने संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को सोच-समझकर ही चुना है; हमने इसे केवल इसी कारण नहीं चुना कि हमारा सोचने का तरीका कुछ हद तक ऐसा ही रहा बल्कि इस कारण भी कि यह प्रणाली हमारी पुरातन परम्पराओं के अनुकूल है। स्वाभाविक है

कि प्राचीन परम्पराओं का पुरातन स्वरूप में नहीं अपितु नई परिस्थितियों और नये वातावरण के अनुसार बदलकर अनुसरण किया गया है; इस पद्धति को चुनने का एक कारण यह भी है कि हमने देखा कि अन्य देशों में, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम में यह प्रणाली सफल रही है।

नेहरू ने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ही लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली को अपनाया है। उनके अनुसार भारत एक अलौकिक राष्ट्र है, जहाँ विविध भाषाओं, धर्मो, संस्कृतियों, प्राकृतिक विषमताओं, रंग-रूप इत्यादि से जुड़े हुए लोग रहते हैं। अर्थात् हमारा देश 'विविधता में एकता' को संजोए हुए है। परन्तु इसके सामने स्तवंत्रता, समानता, न्याय, पंथनिरपेक्षता, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी अनेक चुनौतियां है जिनका समाधान इस प्रणाली द्वारा ही किया जा सकता है। संसदीय प्रणाली में ही यह संभव है, नेहरू के शब्दों में - '' हमारी सम्पूर्ण संसदीय संस्थाएँ, लोगों की सोच, उनके ध्येय और चरित्र को प्रस्तुत करती है। वे अपनी मजबूती एवं स्थायित्व लोगों के चरित्र व चिन्तन के साथ बनाये रखती है अन्यथा वे समाप्त हो जाती है।''

नेहरू के अनुसार लोकतंत्र लोगों को अपने शासन का स्वामी बनाता है। इसमें सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। गाँधी का मानना था कि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। नेहरू ने भारत की इस आत्मा तक लोकतंत्र का विस्तार करने के लिए, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन को अपने चिंतन का आधार बनाया। वे लोकतंत्र को नाम के लिए नहीं वरन काम के लिए पसंद करते थे। अत: उन्होंने न केवल दिल्ली में वरन् प्रत्येक गाँव में भी लोकतंत्र स्थापित करने के प्रयास किये। ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक संरचना का विकास करने के लिए सिफारिशें देने हेतु गाँधीवादी कार्यकर्त्ता के नेतृत्व में 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया, जिसने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के रूप में इस हेतु 'त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था' की संस्तुति दी।

नेहरू ने माना कि जनतंत्र तभी सफल हो सकता है, जब जनता के मन में स्वत: यह प्रेरणा हो कि वह शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है और उसे यह महसूस भी होना चाहिए कि विद्यमान सरकार, उसकी अपनी ही सरकार है। नेहरू के अनुसार भारत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है क्योंकि लोकतंत्र अपने में कुछ आध्यात्मिक प्रक्रिया को शामिल करता है और सत्य की खोज में, अधिकार की खोज में छिपी हुई जिज्ञासाओं का पता लगाता है। राजीव गाँधी के अनुसार- ''यह लोकतंत्र राजनीतिक संवाद में विश्वास करता है जहाँ वाद-विवाद के दौरान व्यक्तिगत भिन्नताओं से दूर रहकर सिद्धान्तों, विचारों एवं नीतियों व कार्यक्रमों पर समग्रता स्थापित की जाती है। उसकी सदैव यही कोशिश रहती है कि असहमत विपक्ष से भी बिना किसी दबाव के सहमति प्राप्त की जाए। वह पहले से ही जनता के व्यवहार और दृष्टिकोण के प्रति जागरूक रहता है जहाँ लोकतांत्रिक मांगों में परिवर्तन आ जाता है।

गाँधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी नेहरू के द्वारा उनके विचारों का अपने ढ़ंग से अपनाने का भरपूर प्रयास किया। गाँधी व नेहरू के बीच अनेक मूलभूत अवधारणात्मक भेद विद्यमान थे तथापि गाँधी का नेहरू पर पूर्ण विश्वास रहा। उन्हीं के शब्दों में- ''पण्डित जवाहरलाल मूलत: एक भारतीय है तथापि वह एक अन्तर्राष्ट्रवादी भी है, उसके इसी नजरिये ने उसे प्रत्येक रहस्य को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप से समझने की तालीम दी है और वह एक मानववादी है इसलिए प्रत्येक गलत के प्रति प्रतिक्रिया करने में.... जब मैं कार्य नहीं कर रहा होऊगाँ तो निश्चय ही उसे पता चल जायेगा कि किस प्रकार कार्य करना है।

आजादी के बाद के शुरूआती बरसों में उपनिवेशवाद का विरोध उनकी विदेश-नीति का मूल आधार था, लेकिन 1961 के गुटनिरपेक्ष देशों के बेलग्रेड सम्मेलन तक नेहरू ने प्रति उपनिवेशवाद की जगह गुटनिरपेक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था। 1962 में लंबे वक्त से चले आ रहे सीमा-विवाद की वजह से चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर हमले की चेतावनी दी। नेहरू ने अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को दरकिनार कर पश्चिमी देशों से मदद की मांग की। नतीजतन चीन को पीछे हटना पड़ा। कश्मीर नेहरू के प्रधानमंत्रीत्व काल में लगातार एक समस्या बना रहा, क्योंकि भारत के साथ-साथ पाकिस्तान भी इस पर अपना दावा कर रहा था। संघर्ष विराम रेखा को समायोजित करके इस विवाद को निपटाने की उनकी शुरुआती कोशिशें नाकाम रहीं और 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जे की कोशिश की। भारत में बचे आखिरी उपनिवेश पुर्तगाली गोवा की समस्या को सुलझाने में नेहरू अधिक भाग्यशाली रहे। हालांकि दिसंबर 1961 में भारतीय सेनाओं द्वारा इस पर कब्जा किए जाने से कई पश्चिमी देशों में नाराजगी पैदा हुई, लेकिन नेहरू की कार्रवाई सही थी। हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा उस वक्त बेमानी साबित हो गया, जब सीमा विवाद को लेकर 10 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने लद्दाख और नेफा में भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। नवंबर में एक बार फिर चीन की ओर से हमले हुए। चीन ने एकतरफा युद्धविराम का ऐलान कर दिया, तब तक 1300 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे। पंडित नेहरू के लिए यह सबसे बुरा दौर साबित हुआ। उनकी सरकार के खिलाफ संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। चीन के साथ हुई जंग के कुछ वक्त बाद

नेहरू की सेहत खराब रहने लगी। उन्हें 1963 में दिल का हल्का दौरा पड़ा, फिर जनवरी 1964 में उन्हें दौरा पड़ा। कुछ ही महीनों बाद तीसरे दौरे में 27 मई 1964 में उनकी मौत हो गई।

जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने औद्योगीकरण को महत्व देते हुए भारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने विज्ञान के विकास के लिए 1947 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की। देश के विभिन्न भागों में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अनेक केंद्र इस क्षेत्र में उनकी दूरदर्शिता के प्रतीक हैं। खेलों में भी नेहरू की रुचि थी। उन्होंने खेलों को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी बताया। उन्होंने 1951 दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन करवाया।

पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने विचारों और अपने उल्लेखनीय कार्यो की वजह से ही महान बने। विभिन्न मुद्दों पर नेहरू के विचार उन्हीं के शब्दों में- भारत की सेवा का अर्थ करोड़ों पीड़ितों की सेवा है। इसका अर्थ दरिद्रता और अज्ञान और अवसर की विषमता का अंत करना है। हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े आदमी की यह आकांक्षा रही है कि हर आंख के हर आंसू को पोंछ दिया जाए। ऐसा करना हमारी शक्ति से बाहर हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू हैं और पीड़ा है, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा।

नेहरू जी ने कहा था- अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से आज का बड़ा सवाल विश्व शांति का है। आज हमारे लिए यही विकल्प है कि हम दुनिया को उसके अपने रूप में ही स्वीकार करें। हम देश को इस बात की स्वतंत्रता देते रहें कि वह अपने ढंग से अपना विकास करे और दूसरों से सीखे, लेकिन दूसरे उस पर अपनी कोई चीज नहीं थोपें। निश्चय ही इसके लिए एक नई मानसिक विधा चाहिए। पंचशील या पांच सिद्धांत यही विधा बताते हैं। नेहरू जी ने कहा था- आप में जितना अधिक अनुशासन होगा, आप में उतनी ही आगे बढ़ने की शक्ति होगी। कोई भी देश, जिसमें न तो थोपा गया अनुशासन है, और न आत्मा-अनुशासन-बहुत वक्त तक नहीं टिक सकता।

निष्कर्ष

वस्तुतः एक राजनीतिक विचारक के रूप में श्री नेहरु जी के तीन मुख्य आदर्श थे- लोकतंत्र, समाजवाद और धर्म-निरपेक्षता। नेहरु जी समाजवादी समाज के प्रबल समर्थक थे, वे लोकतंत्र को एक शासन प्रणाली ही नहीं अपितु जीवन पद्धति मानते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही नेहरु जी ने बार-बार कहा था कि स्वतंत्र भारत लोकतांत्रिक भारत होगा। वे संसदीय लोकतंत्र को अधिक महत्व देते थे तथा आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। नेहरु जी के अनुसार, शासन के अन्य प्रकारों की तुलना में लोकतंत्र जनता से अधिक उच्च प्रतिमानों की अपेक्षा करता है। यदि जनता उस मापदण्ड तक नहीं पहुँच पाई तो लोकतांत्रिक यन्त्र असफल हो जायेगा। नेहरु जी भारतीय समस्याओं का भारतीय समाधान चाहते थे। वास्तव में नेहरु जी लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रवर्तक थे। गुटनिरपेक्षता के जनक जवाहरलाल नेहरु जी ने कहा था कि, यह भारत के स्वाभिमान के विरुद्ध होगा कि भारत इनमें से किसी भी गुट का अनुयायी बने। अत: भारत ने विश्व राजनीति के क्षेत्र में गुटनिरपेक्षता का मार्ग प्रतिपादित किया। नेहरु जी ने विश्व को गुट निरपेक्षता के द्वारा तनाव शैथिल्य का वातावरण प्रदान किया तथा साथ ही निर्बल देशों को बल भी प्रदान किया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. लोकतंत्र को गंभीर बने रहना नेहरू की ही देन है, देशबन्धु समाचार पत्र, 26 मई, 2019
2. स्मिथ, डोनाल्ड युजेन, नेहरू एण्ड डेमोक्रेसी, ओरियण्ट लोंगमैन्स प्रा.लि., कोलकत्ता, 1958, पृ.सं. 43-44
3. नन्दा, बी.आर., जवाहरलाल नेहरू, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, न्यूयार्क एण्ड दिल्ली, प्रथम संस्करण 1995, पृ.सं. 53
4. स्वीयट, पर्लिवल, नेहरू, मॉडर्न एशियन स्टडीज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, वॉल्यूम-1, 1967, पृ.सं. 19
5. मोरर्का, आर.आर., द फादर ऑफ पार्लियामेण्टरी डेमोक्रेसी इन इण्डिया, काश्यप, सुभाष (सम्पादित), नेहरू एण्ड पार्लियामेण्ट, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली, 1986, पृ.सं. 51-53
6. स्मिथ, डोनाल्ड युजेन, नेहरू एण्ड डेमोक्रेसी, ओरियण्ट लोंगमैन्स प्रा.लि., कोलकत्ता, 1958, पृ.सं.. 101-115
7. डी.राम सुन्दर एण्ड रेड्डी ए.ई., जवाहरलाल नेहरू एण्ड मॉडर्न इण्डिया; द इण्डियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आई. पी.एस.ए., वाल्यूम-50, नं. 4, 1989, पृ.सं. 445
8. राम, जगजीवन, युग पुरूष नेहरू के संकल्प, थियेटर कम्यूनिकेशन बिल्डिंग, नई दिल्ली, 1961, पृ.सं. 68
9. शर्मा, आनन्द शंकर, दिव्य पुरूष नेहरू, भगवती शर्मा, नई दिल्ली, 1964, पृ.सं. 116
10. काश्यप, सुभाष, हमारी संसद, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, दिल्ली, 2005, पृ.सं. 01
11. नागर, डॉ. पुरूषोत्तम, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, 201, पृ.सं. 23
12. डी.राम सुन्दर एण्ड रेड्डी ए.ई., पूर्वोक्त, पृ.सं. 454-55
13. उपर्युक्त, पृ.सं. 445
14. आज भी देशवासियों के लिए आदर्श हैं जवाहर लाल नेहरू, प्रभा साक्षी, 14 नवम्बर, 2018

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 43-48

राष्ट्रीय आन्दोलन में राजस्थान की भूमिका

डॉ. संजीव कुमार
सहायक आचार्य, इतिहास
से.ने.म.टी.राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, झुंझुनूं (राजस्थान)

शोध सारांश
राजस्थान में 1857 ई. के विद्रोह को अंग्रेजों ने राजा-महाराजाओं के सहयोग से निर्ममतापूर्वक कुचल तो दिया परन्तु ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ नहीं कुचली जा सकी। विप्लव के बाद पॉलिटिकल ऐजेन्टों ने सुधारों के नाम पर राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिससे राजा व प्रजा दोनों ही दु:खी हुए। जिसके कारण राजस्थान में राजनीतिक चेतना जाग्रत हुई। 1885 ई. में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो राजस्थान के राजनैतिक आन्दोलन को और बल मिला। राष्ट्रीय आन्दोलन से प्रभावित होकर राजस्थान के कार्यकर्त्ता अब राजनीतिक एवं क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। अब देश में कोई भी राजनीतिक गतिविधि होती तो उसका राजस्थान पर भी प्रभाव पड़ता। राजस्थान की जनता का अब राष्ट्रीय नेताओं से सम्पर्क बढ़ने लगा, जिसका प्रभाव राष्ट्रीय आन्दोलन के समय देखने को मिला। असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं भारत छोड़ो आन्दोलन के समय राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। इसी कारण देश जब आजाद हुआ तो यहाँ के प्रजामण्डलों के दबाव से राजस्थान का निर्माण हुआ तथा रियासतों का शासन समाप्त हुआ।
संकेताक्षर : *पॉलिटिकल एजेन्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रजामण्डल, स्वदेशी, क्रांतिकारी*

प्रस्तावना

1857 ई. के विद्रोह में राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों की सहायता की, अत: विद्रोह को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया। लेकिन राजस्थान में ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ नहीं कुचली जा सकी। विप्लव के बाद राजस्थान में शासकों ने जो सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सुधार किये तथा अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, उससे राजस्थान में राजनीतिक चेतना जाग्रत हुई। इस राजनीतिक जाग्रति में स्वामी दयानन्द सरस्वती का योगदान अविस्मरणीय रहा। 1883 में स्वामी जी ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की, शीघ्र ही उसका कार्यालय अजमेर स्थानान्तरित कर दिया गया। इसके सदस्यों में शाहपुरा का शासक, उदयपुर के दीवान श्याम जी कृष्ण वर्मा और महादेव गोविन्द रानाडे थे। स्वामी जी ने 1865 में राजस्थान की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान शासकों से जो बातचीत की गई उसमें मुख्यत: चार बातों पर बल दिया- स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा। स्वामी जी की शिक्षाओं से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ तथा ब्रिटिश विरोधी भावनाएँ पैदा हुई।

1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका प्रभाव धीरे-धीरे राजस्थान पर भी पड़ने लगा, 1887 ई. में राजकीय महाविद्यालय अजमेर के कुछ छात्रों ने मिलकर एक काँग्रेस कमेटी की स्थापना की। 1888 ई. के काँग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार अजमेर का प्रतिनिधित्व गोपीनाथ माथुर और कृष्णलाल ने किया। उस समय राजस्थान में पत्रकारिता भी आरम्भ हुई। उदयपुर से 'सज्जन कीर्ति सुधाकर' नामक पाक्षिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। 1885 ई. में अजमेर से 'राजस्थान टाइम्स' और उसका हिन्दी संस्करण 'राजस्थान पत्रिका' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इन समाचार पत्रों ने जनता में राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करने में अच्छा योगदान दिया। परिणामस्वरूप दो वर्ष बाद ही ब्रिटिश सरकार ने इन दोनों समाचार पत्रों के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया और इसके सम्पादक बख्शी लक्ष्मणदास पर मुकदमा चलाकर डेढ वर्ष के कारावास की सजा दी गई। 1905 ई. में लार्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। इस के विरोध में स्वदेशी आन्दोलन चला, उससे राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। राजस्थान के सिरोही, डूंगरपुर और मेवाड़ में स्वदेशी आन्दोलन चला। स्वामी गोविन्दगिरी के नेतृत्व में विदेशी वस्तुओं

ISSN 2348-3857

का बहिष्कार किया गया और नागरिकों से शराब छोड़ने और अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया गया। 1908 ई. में गोविन्दगिरी की 'सम्प सभा' को गैर कानूनी घोषित कर दिया और राजस्थानी शासकों से कहा गया कि वे अपने-अपने राज्य में स्वदेशी आन्दोलन को कुचल दें।[1]

सन् 1918 ई. में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप इनका सम्पर्क अंग्रेजी भारत और अन्य राज्यों के नेताओं से हुआ। इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, विजयसिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंहदेव सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई।[2] इस संस्था का मुख्य उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना और रियासत के लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाना था। संस्था का मुख्यालय कानपुर में रखा गया। यहाँ से गणेशशंकर विद्यार्थी द्वारा सम्पादित 'प्रताप' नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होता था, जो इस क्षेत्र का प्रमुख राष्ट्रीय पत्र था। इस पत्र ने राजस्थान में राजनीतिक हलचल के प्रसार में अपूर्व योग दिया। सभा के सदस्यों ने इस सभा को कांग्रेस की सहयोगी संस्था बनाने की कोशिश की। अत: कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन (1920) के समय यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई।[3] सन् 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गाँधी के हाथों में आ गया। उन्होंने 1921 में असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया। जिसका प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। जोधपुर में एक सत्याग्रही भँवरलाल सर्राफ हाथ में तिरंगा झण्डा लेकर शहर में घूमा। झण्डे के एक ओर 'महात्मा गाँधी' और दूसरी ओर 'स्वराज्य' लिखा था। इसने बाजार में एक भाषण सुनाया जिसे जनता ने उत्साह से सुना।[4] टोंक राज्य की जनता ने एक सभा कर काँग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की और असहयोग आन्दोलन का अनुमोदन किया। वहाँ के अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने इनके नेता मौलवी अब्दुल रहीम, सैय्यद जुबेर मियां, सैय्यद इस्माइल मिया, काजी महमूद अय्यूब आदि को गिरफ्तार कर लिया। इस सम्बंध में लगभग 70 लोग गिरफ्तार किये गये।[5] जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी 'रायबहादुर' की उपाधि लौटा दी और एक लाख रुपये तिलक स्वराज्य कोष में दिये। उन्होंने ग्यारह हजार रुपये मुस्लिम लीग को दिये। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया।[6] इसके बाद वे गाँधीजी के बहुत निकट आ गये। बजाज से प्रेरित होकर राजस्थान के दूसरे व्यापारियों ने भी इस आन्दोलन के दौरान कांग्रेस को आर्थिक सहयोग दिया। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुये विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। अजमेर में पण्डित गौरीशंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया।[7] इस कार्य में अर्जुनलाल सेठी, चांदकरण शारदा आदि ने भाग लिया।

राजस्थान के शासक अपने राज्यों में होने वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क हो गये। स्वयं को प्रगतिशील मानने वाले बीकानेर महाराजा गंगासिंह जी ने अपने राज्य के शिवमूर्ति सिंह, सम्पूर्णानन्द और आनन्द वर्मा को सरकारी नौकरी से इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र पहनते थे और उन्होंने 'तिलक स्वराज कोष' में चंदा जमा कराया था। उदयपुर के महाराणा फतेहसिंह असहयोग आन्दोलन के प्रति सहानुभूति रखते थे। भारत सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि वे या तो उनके कहे अनुसार मंत्रीमण्डल का गठन करें तथा युवराज को शासन के अधिकार सौंपकर स्वयं राजकाज से अलग हो जाये।[8] महाराणा को विवश होकर शासनाधिकार युवराज को सौंपना पड़ा। राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को दिया गया।

राजस्थान में क्रान्तिकारी आन्दोलन भी सक्रिय रहा। राजस्थान में क्रांतिकारी आन्दोलन की आधारशिला श्यामजी कृष्ण वर्मा ने रखी। राजस्थान में क्रांतिकारियों का नेतृत्व अर्जुनलाल सेठी, केसरीसिंह बारहठ और राव गोपालसिंह ने किया। सेठी जी ने 1907 में लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने हेतु जयपुर में वर्द्धमान विद्यालय की स्थापना की। प्रत्यक्ष रूप में यह एक धार्मिक विद्यालय था, किन्तु वास्तव में यहाँ क्रान्तिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। धीरे-धीरे सेठी जी का यह स्कूल राजस्थान में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का अड्डा बन गया। कहा जाता है कि सेठी जी ने मुगलसराय स्थित एक धनी महन्त की हत्या कर धन प्राप्त करने की योजना बनाई थी। इसके अलावा 23 दिसम्बर, 1912 को भारत के गर्वनर जनरल हार्डिंग का जुलूस दिल्ली में जब चांदनी चौक से गुजर रहा था तब राजस्थान के क्रांतिकारी ठाकुर जोरावर सिंह बारहठ ने बुर्का पहनकर चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी लाइब्रेरी से बम फेंका था। इसके साथ राजस्थान के क्रांतिकारी बाल मुकुन्द, मोतीचन्द और विष्णुदत्त भी थे। इस मुकदमे के मुखबिर श्री अमीरचन्द ने बताया कि षड्यन्त्र की योजना अर्जुनलाल सेठी की थी। इन मुकदमों के सिलसिले में सेठी 7 वर्ष तक बैलूर जेल में रहे।

वैलूर जेल से 1920 को जब छूटकर आये तो सेठी जी पूना से गुजरे यहाँ बाल गंगाधर तिलक 2000 लोगों के साथ सेठी जी का

स्वागत करने स्टेशन पर उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा महाराष्ट्र सेठी जी जैसे त्यागी, देशभक्त और महान् तपस्वी का स्वागत करते हुए अपने को धन्य समझता है। वैलूर जेल से मुक्त होने के बाद सेठी जी ने अजमेर को अपनी कार्य-भूमि बनाया। 1930-31 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन में जेल गये। वे डेढ वर्ष बाद सागर जेल से रिहा किये गये। वे पुन: अजमेर आये और कांग्रेस का नेतृत्व सम्भाला। गाँधीजी से कुछ नीति सम्बन्धी भारी मतभेद हो गये परन्तु सन् 1934 में गाँधीजी जब अजमेर आये तो सेठी से मिलने उसके मकान पर गये। दोनों नेता गले मिले और रो पड़े। सेठी जी का शेष जीवन हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करने में बीता। वे 23 दिसम्बर 1941 को इस संसार से विदा हो गये। 'भारत में अंग्रेजी राज' के लेखक पं. सुन्दरलाल ने सेठी जी के देहान्त के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, दधिचि जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वे जन्मे थे और उसी दृढ़ता में उन्होंने मृत्यु को गले लगाया।[9]

केसरी सिंह बारहठ पर स्वामी दयानन्द सरस्वती व श्यामजी कृष्ण वर्मा का प्रभाव था। केसरी जी का भाई, पुत्र सभी क्रान्तिकारी गतिविधियों में लिप्त रहकर स्वराज्य प्राप्ति का प्रयास किया। जोधपुर के धनिक प्यारेलाल साधु की हत्या के सिलसिले में केसरी जी को 20 वर्ष की जेल की सजा हुई तथा 1919 में रिहा हुऐ। केसरी सिंह का पुत्र प्रतापसिंह भी प्रसिद्ध क्रांतिकारी था। प्रतापसिंह का नाम भारत सरकार के गृह सदस्य क्रैडोक की हत्या करने की योजना में था। इसे पकड़ कर बरेली की जेल में डाल दिया। उसे तरह-तरह की भीषण यातनाएँ देकर मार डाला परन्तु अपने किसी साथी का नाम नहीं बताया। खैरवा ठिकाने के राव गोपालसिंह, भूपसिंह (विजय सिंह पथिक) की सहायता से राजस्थान के क्रांतिकारियों को अस्त्र-शस्त्र की व्यवस्था करते थे। गोपालसिंह व विजयसिंह पथिक का नाम राजस्थान में सशस्त्र क्रान्ति की योजना में शामिल था, योजना की सूचना समय रहते पुलिस को मिल गई। दोनों क्रांतिकारियों को टाडगढ़ की जेल में नजरबन्द कर दिया, दोनों जीवनभर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे तथा जेल भी गये। अजमेर के रामनारायण चौधरी का भी क्रांतिकारियों से घनिष्ठ सम्बन्ध था। उनका नाम भी प्रतापसिंह बारहठ के साथ क्रैडोक की हत्या की असफल योजना में था। पुलिस लगातार उसका पिछा करती रही, लेकिन पकड़े नहीं गये। रामनारायण चौधारी आजीवन स्वाधीनता संग्राम के एक आदर्श योद्धा थे।[10]

गाँधी जी ने जब सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया तो राजस्थान की रियासतों से भी समर्थन मिला। 1931 ई. में जयपुर में प्रजामण्डल की स्थापना हुई। लेकिन राज्य सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी तथा पण्डित हीरालाल शास्त्री एवं सेठ जमनालाल बजाज सहित 500 कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। परिणामस्वरूप जनता ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया। 5 अप्रैल 1931 ई. को जयपुर नगर में 'मोतीलाल दिवस' मनाया गया। जयपुर सरकार ने दमन का सहारा लिया परिणामस्वरूप सर्वत्र आन्दोलन फैल गया। प्रजामण्डल में सहानुभूति रखने वाले सभी कार्यकर्ता नमक आन्दोलन में शामिल हो गये[11] जोधपुर में भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान जसवंत कॉलेज और दरबार हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने हड़ताल की, जूलुस निकाला और आमसभा का आयोजन किया। पुलिस ने सभा को भंग करने के लिये बल प्रयोग किया। जयनारायण व्यास ने ब्यावर से आन्दोलन में भाग लिया। व्यास जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा गाँधी इरविन समझौते के बाद ही रिहा किया गया।[12] मेवाड़ के कुछ नवयुवकों ने भी सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया। उदयपुर के चिमनलाल बोर्दिया ने 1930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय गाधरा में सत्याग्रह किया। उन्हें प्रयाग में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करते समय गिरफ्तार किया गया। कांकरोली के श्रीनारायण नमक सत्याग्रह के दौरान तीन बार जेल गये। सलूम्बर के घनश्याम ने ठिकाने के विरुद्ध आन्दोलन किया। नाथद्वारा के नरेन्द्रपाल चौधरी को नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण बड़ौदा में बन्दी बनाया गया। बलवन्त सिंह मेहता अपने भाषणों से प्रचार करते रहे। उदयपुर के रंगलाल मारवाड़ी ने भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया। जहाजपुर के मथुराप्रसाद वैद्य को आन्दोलन के दौरान कलकत्ता में धरना देते हुए गिरफ्तार किया। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी व प्यारचन्द बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी ने भी स्वयंसेवकों के साथ राष्ट्रीय आन्दोलन में अपना योगदान दिया।[13]

1930 से पहले अजमेर में कोई राजनीतिक हलचल नहीं हुई। सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रभाव अजमेर पर भी पड़ा। जगह-जगह आम सभाएँ हुई, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, शराब और अफीम की दुकानों पर धरना दिया गया। अजमेर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने इस आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। इनमें प्रमुख थे, रामनारायण चौधरी, गोकुलराम असवा, कृष्णगोपाल गर्ग, बालकृष्ण कौल, जमालुद्दीन, चन्द्रभान शर्मा आदि। गोपीनाथ शर्मा को भी 1932 में राजकीय महाविद्यालय अजमेर में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के कारण कैद कर लिया गया। पुलिस उन्हें प्रतिदिन पुष्कर की घाटी में छोड़ देती, जहाँ से वे पैदल अजमेर आकर आन्दोलन में सम्मिलित हो जाते।[14] बीकानेर में 1930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रचारार्थ महात्मा गाँधी,

नेहरू आदि के चित्रों के कुछ ग्रीटिंग नोट छापे गये थे। भारत सरकार के कठोर प्रतिबंध के बावजूद् ये नोट बीकानेर में दो-दो आने में बेचे गये।[15] 1931 ई. में कोटा प्रजामण्डल ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन से प्रभावित होकर कोटा के व्यापारियों को विदेशी वस्त्रों का क्रय-विक्रय न करने का आह्वान किया। सभी व्यापारियों के पास एक शिष्ट मण्डल भेजा गया। जिन दुकानों में विदेशी कपड़े की बिक्री जारी रही वहाँ धरना देकर बिक्री रूकवा दी गई।[16] 26 जनवरी 1931 को ब्रिटिश भारत की तरह अलवर में भी हरिनारायण शर्मा के नेतृत्व में 'स्वतन्त्रता दिवस' मनाया गया।[17] असहयोग आन्दोलन के काल में जैसलमेर के कार्यकर्ताओं ने खादी का प्रचार किया। खादी भण्डार की स्थापना की। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के दौरान जैसलमेर में 14 नवम्बर, 1930 को 'जवाहर दिवस' मनाया। शहर में सभा का आयोजन किया, जिसमें महारावल से शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार एवं न्याय सुधारों की मांग की गई। जवाहर दिवस मनाने पर सागरमल गोपा, रघुनाथ सिंह मेहता और आईदान को जेल में डाल दिया गया।[18]

1938 ई. के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद राजस्थान की रियासतों में भी राजनीतिक गतिविधियां जोर पकड़ने लगी। जिसका असर भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान दिखा। गाँधी जी के 'करो या मरो' के आह्वान का प्रभाव मारवाड़ पर भी पड़ा। लोक परिषद् के जो कार्यकर्ता जेल नहीं गये थे, गाँधी द्वारा दिखाये गये मार्ग पर चलने का निश्चय किया। नवयुवकों ने संगठित होकर छोटी फेरियाँ और सभाएँ करनी आरम्भ कर दी। इन सभाओं में उत्तरदायी सरकार की मांग की तथा राष्ट्रीय आन्दोलन का समर्थन करने की अपील की गई।[19] कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कॉलेज व स्कूल के छात्रों ने हड़ताल की व जूलुस निकाला। 02 अक्टूबर से 09 अक्टूबर 1942 तक गाँधी जयन्ती सप्ताह मनाया। सार्वजनिक भवनों, स्थलों पर तिरंगा फहराया।[20] जोधपुर में 18 अगस्त 1942 को पाँच स्त्रियों ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगवाये तथा प्रभात फेरियां निकाली। घुड़सवार पुलिस को रोकने के उद्देश्य से स्त्रियाँ सड़क पर लेट गई। क्रुद्ध जनता ने पुलिस को बुरा-भला कहा और उस पर पत्थर फेंके।[21] 22 सितम्बर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन सम्बन्धी गीत गाये।[22] सभाओं और धरनों के अलावा आन्दोलनकर्त्ताओं ने विज्ञप्तियों का भी प्रयोग किया। 'शट-अप पब्लिसिटी ऑफीसर' नामक विज्ञप्ति में अखिल भारतीय छात्र संघ ने छात्रों से अंग्रेजों को बाहर निकालने का आह्वान किया।[23] क्रांतिकारी गतिविधियाँ 17 अक्टूबर 1942 को अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई, जब स्टेडियम सिनेमा में बम विस्फोट किया गया। उस दिन दशहरा था और शनिवार होने के कारण एक अंग्रेज फिल्म '50 गौरवमयी वर्ष' का प्रदर्शन हो रहा था। यह फिल्म महारानी विक्टोरिया की जीवनी पर आधारित थी। 3 अप्रैल 1943 को सिवांची गेट के निकट एक और बम विस्फोट हुआ।[24] इस आन्दोलन में जोधपुर के लगभग 40 व्यक्ति जेल में गए।

7 अगस्त 1942 को बम्बई में कांग्रेस महासमिति के ऐतिहासिक अधिवेशन में भाग लेकर श्री माणिक्यलाल वर्मा बाहर आये तो इन्दौर के मित्र ने उनसे पूछा, कि भारत छोड़ो आन्दोलन में मेवाड़ प्रजामण्डल की क्या भूमिका रहेगी तो उन्होंने तत्क्षण उत्तर दिया, भाई हम तो मेवाड़ी है, हर बार हर-हर महादेव बोलते आये हैं, इस बार भी बोलेंगे।[25] स्पष्ट था किसी भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से मेवाड़ या किसी भी रियासत की जनता कैसे अलग रह सकती थी। वर्मा जी के उदयपुर पहुँचने के कुछ समय बाद मेवाड़ के सभी प्रमुख नेताओं सहित वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया। वर्मा जी की पत्नी नारायणी देवी अपने 6 माह के पुत्र दीनबन्धु के साथ जेल गई। वर्मा जी की पुत्री सुशीला व श्री प्यारचन्द विश्नोई की पत्नी भगवती देवी भी जेल गयी।[26] आन्दोलन के दौरान महाराणा कॉलेज के छात्रों ने उदयपुर की सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद करवा दिया। लगभग 600-700 छात्रों ने सत्याग्रह में भाग लिया। बहुत से छात्र गिरफ्तार हुए।[27] मेवाड़ में संघर्ष का दूसरा महत्वपूर्ण केन्द्र नाथद्वारा था। उदयपुर में वर्मा जी व सुखाड़िया जी की गिरफ्तारी के साथ ही साथ नाथद्वारा में भी हड़तालों व जूलुसों की धूम मच गई। सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारी योद्धा श्री रमेशचन्द्र व्यास ब्रिटिश सरकार द्वारा आन्दोलन छिड़ते ही गिरफ्तार कर अजमेर सेन्टर जेल में नजर बन्द कर दिया गया।

भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान जयपुर प्रजामण्डल की भूमिका विवादास्पद रही। पं. हीरालाल शास्त्री ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल से एक जेन्टलमेन्स समझौता किया तथा प्रजामण्डल को आन्दोलन से अलग रखने का निर्णय किया।[28] परन्तु प्रजामण्डल में एक ऐसा वर्ग था, जो किसी भी कीमत पर जयपुर को आन्दोलन से अलग नहीं रखना चाहता था। इस वर्ग के नेता थे- बाबा हरिशचन्द्र, श्री रामकरण जोशी, श्री दौलतमल भण्डारी और श्री हंस-डी-राय। इन्होंने 'आजाद मोर्चा' बनाकर आन्दोलन छेड़ दिया। राजस्थान चरखा संघ के कर्मचारियों ने आन्दोलन में भाग लिया। इनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया।[29] जयपुर में आन्दोलन का ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। यद्यपि आजाद मोर्चे ने डेढ वर्ष तक इस आन्दोलन को चलाया। शास्त्रीजी के इस

कदम की राजनैतिक क्षेत्रों में बड़ी आलोचना हुई। शास्त्रीजी के मित्र टीकाराम पालीवाल ने एक मुलाकात में बताया कि उन्होंने 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में भाग न लेकर भूल की थी।

गाँधीजी के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का बीकानेर पर बहुत कम असर पड़ा। केवल एक या दो स्कूलों के छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। 08 अगस्त 1942 को गाँधीजी की गिरफ्तारी के विरोध में चूरू हाई स्कूल के छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया।[30] इसके अलावा चूरू के तीन छात्र गोविन्दराम, राधेश्याम और रामगोपाल 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में भाग लेने दिल्ली गये। परन्तु बीकानेर के महाराजा गंगासिंह की सर्तकता के चलते आन्दोलन ने जोर नहीं पकड़ा। भरतपुर में 10 अगस्त 1942 को हड़ताल रखकर आन्दोलन का समर्थन किया। सरकार ने उसी दिन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना प्रारम्भ कर दिया।[31] आन्दोलन प्रारम्भ होते ही नगरपालिका प्रजापरिषद् के तीनों सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। आन्दोलन के दौरान भरतपुर शहर में प्रतिदिन ही जूलुस निकाले जाते, जिसमें स्त्रियाँ सरस्वती बोहरा के नेतृत्व में सक्रिय भाग लेती। भरतपुर में बनाये गये नमक की थैलियाँ एक पैसे प्रति थैली के हिसाब से बेचकर कानून तोड़ते थे। उन्ही दिनों दो युवक श्री गिरधारी सिंह पैथना और रोशन आर्य ने डाकखानों और रेलवे स्टेशनों की तोड़फोड़ की योजना बनाई परन्तु पकड़े गये। उन्हें 6-6 माह की जेल की सजा हुई। आन्दोलन चल ही रहा था कि राज्य में भयंकर बाढ़ आ गई। जिससे आन्दोलन समाप्त करना पड़ा।

भारत छोड़ो आन्दोलन की प्रतिध्वनि कोटा में भी सुनाई दी। 9 अगस्त 1942 को राजकीय महाविद्यालय और सिटी स्कूल के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल कर दी।[32] अब रोज शहर में जूलुस निकलता जिसमें छात्रों व प्रजामण्डल कार्यकर्ताओं की भागीदारी रहती। जूलुस अन्त में सभा में परिवर्तित हो जाते। इन प्रदर्शन कार्यक्रमों में कृष्णगोपाल गुप्ता व कुसुम गुप्ता का योगदान उल्लेखनीय रहा। सरकार ने तमाम नेताओं को गिरफ्तार करना प्रारम्भ किया तथा 13 अगस्त 1942 को कोटा में धारा 144 लगा दी। परन्तु जनता कोतवाली के सामने तिरंगे झण्डे लेकर प्रदर्शन करने लगी। पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी, जिससे श्यामनारायण सक्सेना व बुद्धिप्रकाश गुप्त घायल हो गये।[33] इससे जनता भड़क गई तथा नगर प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। दो सप्ताह बाद महाराव के इस आश्वासन पर कि सरकार दमन का सहारा नहीं लेगी, शासन पुन: महाराव को सौंपा। बून्दी में आन्दोलन के दौरान ऋषिदत्त मेहता व ब्रजसुन्दर शर्मा ने सत्याग्रह शुरू किया। जगह-जगह सभाएँ की गई और धरने दिये गये, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। मेहता को कैद कर अजमेर भेज दिया। सरकार ने प्रजामण्डल को अवैध घोषित कर दिया।[34]

भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू होने के साथ अलवर और राज्य के अन्य कस्बों में हड़तालों व जुलूसों का दौर शुरू हुआ। श्री कुंज बिहारीलाल मोदी को राज्य ने नजर बन्द कर दिया। पर राज्य ने दमन का सहारा नहीं लिया। अत: आन्दोलन ने विशेष जोर नहीं पकड़ा।[35] बीकानेर व जैसलमेर में राजनीतिक गतिविधियों को कभी पनपने ही नहीं दिया गया। महाराजा गंगासिंह व जैसलमेर महारावल ने राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं को या तो गिरफ्तार कर रखा था या राज्य से निर्वासित कर रखा था। अत: भारत छोड़ो आन्दोलन का यहाँ प्रभाव नहीं रहा। अजमेर निर्वासित नेताओं की शरण स्थली बना हुआ था। अप्रैल 1943 में ब्रिटिश सरकार ने 63 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इनमें प्रमुख थे बालकृष्ण कौल, हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी, स्वामी कुमारानन्द, मौलाना अब्दुल शकूर व शोभालाल गुप्त आदि। प्रकाशचन्द्र ने इस आन्दोलन में अनेक गीतों का सृजन कर प्रजा को नैतिक बल प्रदान किया। जेलों में कुप्रबन्ध के विरोध में बालकृष्ण कोल भूख हड़ताल पर बैठ गये। उन्होंने गाँधीजी के कहने पर ही अपना उपवास तोड़ा।[36] डूँगरपुर में श्री भोगीलाल पण्डया ने 5 दिसम्बर, 1942 को एक सार्वजनिक सभा कर देश में अंग्रेजी शासन का विरोध किया। अगले दिन जुलूस निकाला, स्कूल तथा बाजारों में हड़ताल रही। बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही व झालावाड़ में भी गाँधीजी व कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल हुई एवं जुलूस निकाले गये परन्तु कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। करौली में एक कार्यकर्ता श्री कल्याण प्रसाद गुप्ता को नजरबन्द कर दिया गया। वे तीन माह बाद जेल से छोड़े गये।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस समय ब्रिटिश भारत में राजनीतिक जाग्रति आई, लगभग उसी समय राजस्थान की रियासतों में भी राजनीतिक जागृति आई। यहाँ राजनीतिक जागृति के पीछे समाज सुधार संगठनों की पृष्ठभूमि थी। 1918 में स्थापित 'राजपूताना मध्यभारत सभा' राजस्थान की पहली राजनीतिक संस्था थी, जिसे कांग्रेस ने अपना सहयोगी मान लिया था। 1919 में गाँधी जी को राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व प्राप्त हुआ तो राष्ट्रीय आन्दोलन जन आन्दोलन बन गया। जब गाँधी जी ने असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया तो इससे राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। रियासतों के शासक यद्यपि सतर्क हो गये

तथा इन आन्दोलनों को शैशवकाल में ही दबाने का प्रयास किया परन्तु दबा नहीं सके। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बाद राजस्थान की हर रियासत में प्रजामण्डल की स्थापना होने लगी। भारत छोड़ो आन्दोलन के बाद राजस्थान की रियासतों में प्रजामण्डल आन्दोलन इतने सक्रिय हो गये कि ब्रिटिश भारत की किसी भी राजनीतिक गतिविधि का असर राजस्थान पर पड़ता। कुछ राजाओं ने ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति में अपनी रियासत की स्वतन्त्रता के स्वप्न देखने लगे। कुछ ने परिवर्तनों को समझा और समय के साथ प्रशासन में आवश्यक सुधार किये। कुछ ऐसे भी थे जो किंकर्तव्यविमूढ हो गये। रियासतों की जनता की राष्ट्रीय आन्दोलन में भूमिका इतनी बढ़ गई कि शासकों के लिए उसे रोक पाना कठिन हो गया। देश में जब भी कोई बड़ा आन्दोलन व घटना होती तो उसका असर राजस्थान पर पड़ता। जब देश आजाद हुआ तो एक-एक रियासत ने भारत संघ में मिलना स्वीकार कर लिया तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में राजस्थान का सफर पूर्ण हुआ।

संदर्भ सूची

1. नागौरी एस.एल. एवं कान्ता, राजस्थान का स्वतन्त्रता संग्राम, मलिक एण्ड कम्पनी, जयपुर, 2012, पृ.सं. 37
2. राजपूताना, मध्य भारत सभा का वार्षिक विवरण, 1924, पृ.सं. 1
3. मेहता, पृथ्वीसिंह, हमारा राजस्थान, हिन्दी भवन, जालंधर व इलाहाबाद, 1950, पृ.सं. 323
4. बम्बई क्रॉनिकल, 25 मार्च, 1931
5. गहलोत, जगदीश सिंह, टोंक राज्य का इतिहास (अप्रकाशित) जगदीश सिंह गहलोत शोध संस्थान, जोधपुर (ज.शो.सं.)
6. सीतारमैया, पट्टाभि, कांग्रेस का इतिहास, सस्ता साहित्य प्रकाशन, नई दिल्ली, 1958, पृ.सं. 222
7. सक्सेना, के. एस., दी पॉलिटिकल मूवमेन्ट्स एण्ड अवेकनिंग इन राजस्थान (1857-1947), एस.चान्द एण्ड कम्पनी, रामनगर, नई दिल्ली, 1971, पृ.सं. 148
8. मेहता, पृथ्वीसिंह, पूर्वोक्त, पृ.सं. 323
9. राजस्थान पत्रिका, 19 सितम्बर, 1976 (विश्वनाथ काले)
10. नागौरी, एस.एल. एवं कान्ता, राजस्थान का स्वतन्त्रता संग्राम, मलिक एण्ड कम्पनी जयपुर, 2012, पृ.सं. 41-42
11. त्यागभूमि, दिनाक 6 मई 1931 और 8 मई 1931
12. हिन्दुस्तान टाइम्स, 24 अप्रैल 1930
13. शर्मा, गोपीनाथ, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, 1991, पृ.सं. 255
14. सक्सेना, के. एस., पूर्वोक्त, पृ.सं. 334
15. मुद्गल, चेतना, बीकानेर में जन आन्दोलन, रचना प्रकाशन, जयपुर, 1996, पृ.सं. 35
16. कोटा राज्य कोन्फिडेन्शियल फाइल नं. 12/33, महकमा खास (अ.बी.), 1931
17. फाइल नं. 43/3 भाग-प्रथम, 33, पोलिटिकल 1993 गृह विभाग, (21,अ)
18. व्यास, आर. पी., आधुनिक राजस्थान का वृहद् इतिहास- भाग 2, रा.हि.ग्र.अ., जयपुर, 1998, पृ.सं. 321
19. गुप्त पत्र नं. एस.बी./108/दिनांक 10.10.1942 आई.जी. पुलिस से प्रधानमंत्री (ज.ग.शो.सं.)
20. पत्र संख्या एस.बी./108 उपर्युक्त
21. जोधपुर कोन्फिडेन्शियल फाइल, आई.जी. पी.सी.बी. बस्ता नं.-1 क्रमांक-2, 1942
22. वीर अर्जुन, 22.09.1942
23. पत्र क्रमांक एस.आर.सी./108 उपर्युक्त (अ.बी.)
24. माथुर, सोभाग, स्ट्रगल फॉर रिस्पोस्सिबल गवर्नमेन्ट इन मारवाड़, शारदा पब्लिशिंग हाऊस, जोधपुर, 1982, पृ.सं. 120-124
25. सक्सेना, प्रो. शंकरसहाय, जो देश के लिये जिये, मुक्तवाणी प्रकाशन, बीकानेर, 1971, पृ.सं. 140-141
26. पनगड़िया, बी.एल., राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम (18वां संस्करण) रा.हि.ग्र.अ. जयपुर, 1988, पृ.सं. 67
27. सक्सेना, एस.एस., पूर्वोक्त, पृ.सं. 143
28. शास्त्री, श्री हीरालाल, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, अनुपमा प्रकाशन मंदिर, जयपुर, 1970, पृ.सं. 71
29. हिन्दुस्तान टाइम्स, 05.02.1943
30. होम डिपार्टमेंट बीकानेर, फाइल नं. एल.एन. द्वितीय, 1942, पृ.सं. 1-3
31. भरतपुर प्रजामण्डल, फाइल नं. 28, क्रमांक 30, 1942, पृ.सं. 3 (अ.बी.)
32. कोटा प्रजामण्डल, पत्रिका नं. 23 अगस्त 1943 (अ.बी.)
33. कोटा राजपत्र, अगस्त 1942 (विशेषांक) (अ.बी.)
34. बून्दी रेकार्ड, फाइल नं. 243, 1942-43 पृ.सं. 50 (अ.बी.)
35. राजपुताना पाक्षिक रिपोर्ट, अक्टूबर 1943, (अ.बी.)
36. राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, अजमेर,1943, पृ.सं. 92-93

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 49-53

ग्रामीण समाज में परिवर्तन

दिनेश कुमार
शोधार्थी, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

ISSN 2348-3857

शोध सारांश

भारतीय समाज प्रारम्भिक रूप से ग्रामीण समाज है। भारतीयों के लिए भूमि, उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन है। हमारी बहुत सी सांस्कृतिक रस्मों के पीछे कृषि की पृष्ठभूमि होती है। ग्रामीण भारत में व्यवसायों की भिन्नता यहाँ की जाति व्यवस्था में प्रतिबिंबित होती है। ग्रामीण नगरीय अर्थव्यवस्था के परस्पर अंत: सम्बन्ध से कई व्यवसाय गाँवों में आ रहे हैं। अछूत अथवा दलित जाति के लोग अधिकांशत: प्रबल जाति के भूस्वामी समूहों के लोगों के यहाँ कृषि मजदूर रहते थे। ब्रिटिश काल के दौरान जमींदारी व्यवस्था पर एक परिणाम यह हुआ कि कृषि उत्पादन कम होने लगा। ब्रिटिश शासन के अधीन भू-प्रबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा होता था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद नियोजित विकास कार्यक्रमों की तरफ ध्यान केन्द्रित किया। हरित क्रांति के द्वारा पहली बार भारत खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलम्बी बनने में सक्षम हुआ। पर्यावरण तथा समाज पर कृषि के आधुनिक तरीकों के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए बहुत से वैज्ञानिक तथा कृषक आंदोलन अब कृषि के पारम्परिक तरीकों की ओर लौटने की सलाह दे रहे हैं। प्रवसन तथा काम की सुरक्षा के अभाव में इन मजदूरों के कार्य तथा जीवन दशाएँ खराब हो जाती हैं। उदारीकरण की नीति का कृषि तथा ग्रमीण समाज पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जहाँ संविदा खेती किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है वहीं यह किसानों के लिए अधिक असुरक्षा भी बन जाती है। कृषि के मुद्दे अब सार्वजनिक मुद्दे नहीं रहे हैं तथा गतिशीलता के अभाव के कारण कृषक शक्तिशाली दबाव समूह बनाने में असमर्थ है जो नीति निर्धारण अपने पक्ष में करवा सके।

संकेताक्षर : *प्रतिबिंबित, प्रबल, नियोजित विकास, प्रवसन, संविदा*

प्रस्तावना

भारतीय समाज प्रारम्भिक रूप से ग्रामीण समाज ही है। हालांकि यहाँ शहरीकरण बढ़ रहा है। भारत के बहुसंख्यक लोग गाँव में ही रहते हैं (68.8 प्रतिशत, 2011 की जनगणना के अनुसार) उनका जीवन कृषि अथवा उससे संबंधित व्यवसायों से चलता है। यहाँ बहुत से भारतीयों के लिए भूमि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। भूमि उत्पादन, संपत्ति और न केवल कृषि का साधन है बल्कि जीविका का एक प्रकार है। यह जीने का एक तरीका भी है। हमारी बहुत सी सांस्कृतिक रस्मों के पीछे कृषि की पृष्ठभूमि होती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नववर्ष के त्योहार जैसे तमिलनाडु में पोंगल, आसाम में बीहू, पंजाब में बैशाखी, कर्नाटक में उगाड़ी ये सब मुख्य रूप से फसल काटने के समय मनाए जाते है और नए कृषि मौसम के आने की घोषणा करते हैं।

कृषि एवं संस्कृति के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना दोनों कृषि और कृषि संबंधी जीवन पद्धति से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। बहुत से ऐसे क्रियाकलाप है जो कृषि और ग्राम्य जीवन की मदद के लिए है और वे ग्रामीण भारत में लोगों के जीविका के स्रोत है। बहुत से कारीगर, दस्तकार जैसे कुम्हार, खाती, जुलाहे, लुहार एवं सुनार भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अंग है औपनिवेशिक काल से ही उनकी संख्या में कमी आ रही है। मशीनों से बने सामानों ने उनके हाथ से बनी हुई वस्तुओं का स्थान ले लिया है। ग्रामीण भारत में व्यवसायों की भिन्नता यहाँ की जाति व्यवस्था में प्रतिबिंबित होती है, जहाँ कि कुछ क्षेत्रों में विशेषज्ञ और अपनी सेवाएं देने वाले धोबी, कुम्हार एवं सुनार इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इनमें से कुछ परंपरागत व्यवसाय आज टूट रहे हैं। लेकिन ग्रामीण नगरीय अर्थव्यवस्था के परस्पर अंत: सम्बन्ध से कई व्यवसाय गाँवों में आ रहे हैं। गाँव में रहने वाले लोग सरकारी नौकरी जैसे डाकखाने में, शिक्षा विभाग में, कारखाने में कामगार

या सेना की नौकरी करते हैं, उनकी जीविका अकृषि क्रियाकलापों से चलती है।

भारत के कुछ भागों में अधिकांश लोगों के पास कुछ न कुछ भूमि होती है आमतौर पर जमीन का छोटा टुकड़ा होता है। कुछ दूसरे भागों में 40 से 50 प्रतिशत परिवारों के पास कोई भूमि नहीं होती है। उनकी जीविका या तो कृषि मजदूरी या अन्य प्रकार के कार्यों से चलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा के ऊपर या नीचे होते हैं।

मध्यम और बड़ी जमीनों के मालिक साधारणत: कृषि से पर्याप्त अर्जन ही नहीं बल्कि अच्छी आमदनी भी कर लेते हैं लेकिन कृषि मजदूरों को अक्सर निम्नतम निर्धारित मूल्य से कम दिया जाता है और वे बहुत कम कमाते हैं। समान रूप से काश्तकार या पट्टेधारी की आमदनी मालिक कृषकों से कम होती है।

हम प्राय: यह सोचते हैं कि ऊँची जातिवाले के पास अधिक भूमि और आमदनी होती है और यह कि जाति और वर्ग में पारस्परिकता है, उनका संस्तरण नीचे की ओर होता है। कुछ क्षेत्रों में यह मोटे तौर पर सही है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भूस्वामित्व वाले समूह के लोग 'शूद्र' या 'क्षत्रिय' वर्ग के है। समाजशास्त्री एम.एन.श्री निवास ने ऐसे लोगों को प्रबल जाति का नाम दिया, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रबल जाति समूह काफी शक्तिशाली होता है। आर्थिक और राजनीतिक रूप से वह स्थानीय लोगों पर प्रभुत्व बनाए रखता है। भारत के कई भागों में पहले 'अछूत' अथवा दलित जाति के लोगों को भूमि रखने का अधिकार नहीं था, वे अधिकांशत: प्रबल जाति के भूस्वामी समूहों के लोगों के यहाँ कृषि मजदूर रहते थे। इसमें एक मजदूर सेना बनी जिससे भूस्वामियों ने खेत जुतवाकर कृषि करवाई और ज्यादा लाभ कमाया।

देश के अधिकतर क्षेत्रों में एक स्वत्वाधिकारी जाति के पास सभी महत्वपूर्ण साधन हैं और सभी मजदूरों पर उनका नियंत्रण है ताकि वे उनके लिए काम करें। उत्तरी भारत के कई भागों में अभी भी 'बेगार' और मुफ्त मजदूरी जैसी पद्धति प्रचलन में है। गुजरात में इस व्यवस्था को हलपति के नाम से जाना जाता है। हालांकि कानूनन इस तरह की व्यवस्थाएँ समाप्त हो गई है, लेकिन वे कई क्षेत्रों में अभी भी चल रही हैं। उत्तरी बिहार में एक गाँव में अधिकतर भूस्वामी भूमिहार हैं, यह भी एक प्रबल गति है।

कृषि संबंधी संरचना पूर्व औपनिवेशिक से औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के पश्चात् वृहद् रूप में परिवर्तित होती रही। जबकि वहीं प्रबल जाति पूर्व औपनिवेशिक काल में भी कृषक जाति थी, वे प्रत्यक्ष रूप में जमीन के मालिक नहीं थे। इनके स्थान पर, शासन करने वाले समूह जैसे कि स्थानीय राजा या जमींदार भूमि पर नियंत्रण रखते थे। किसान अथवा कृषक जो कि उस भूमि पर कार्य करता था वह फसल का पर्याप्त भाग उन्हें देता था। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में आगे आए, तो उन्होंने कई क्षेत्रों में इन स्थानीय जमीदारों द्वारा ही काम चलवाया। उन्होंने जमीदारों को संपत्ति के अधिकार भी दे दिए। ब्रिटिश लोगों के लिए काम करते हुए उन्हें जमीन पर पहले से ज्यादा नियंत्रण मिला। हालाँकि औपनिवेशिकों ने कृषि भूमि पर बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया था, जमीदार कृषक से टैक्स के रूप में जितनी ज्यादा उपज और पैसा ले सकते थे, ले लेते थे। जमींदारी व्यवस्था पर एक परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिशकाल के दौरान कृषि उत्पादन कम होने लगा। जमीदारों ने किसानों का शोषण किया साथ ही बार-बार पड़ने वाले अकाल और युद्ध ने जनता को एक तरह से मार डाला।

औपनिवेशिक भारत में बहुत से जिलों का प्रशासन जमीदारी व्यवस्था द्वारा चलता था। अन्य क्षेत्रों में यह सीधा ब्रिटिश शासन के अधीन था, जिसमें भू प्रबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा होता था। इस व्यवस्था में जमीदार के स्थान पर वास्तविक कृषक ही टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार होते थे। इसमें टैक्स का भार कम होता था और कृषकों को भूमि में निवेश के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलता था।

भारत के स्वतंत्र होने के बाद नेहरू और उनके नीति सलाहकारों ने नियोजित विकास के कार्यक्रमों की तरफ ध्यान केन्द्रित किया कृषि सुधारों के साथ ही साथ औद्योगीकरण भी इसमें शामिल था। पहला सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना इससे उन बिचौलियों की फौज समाप्त हो गयी जो कि कृषक और राज्य के बीच में थी। हालांकि जमीदारी उन्मूलन ने भूसामंतवाद या पट्टेदारी या साझाकृषि व्यवस्था को पूरी तरह साफ नहीं किया गया, यह कई क्षेत्रों में चलता रहा। यह भूमि सामंतवाद केवल सबसे ऊपरवाली परतों में ही समाप्त हुआ।

भू-सुधार के कानूनों के अन्तर्गत अन्य मुख्य कानून था पट्टेदारी का उन्मूलन और नियंत्रण या नियमन अधिनियम। अधिकतर राज्यों में यह कानून कभी भी प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं किया गया। भूमि सुधार की तीसरी मुख्य श्रेणी में भूमि की हदबंदी अधिनियम थे। इन कानूनों के तहत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय की गई प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उपज और अन्य इसी प्रकार के कारकों पर निर्भर थी। बहुत अधिक उपजाऊ, बिना पानी वाली जमीन की हदबंदी अधिक सीमा तक थी। यह संभवत: राज्यों का कार्य था कि अतिरिक्त

भूमि (हदबंदी सीमा से ज्यादा) को वह अधिगृहीत कर तय की गई श्रेणी के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में वितरित कर दे परन्तु अधिकांश राज्यों में ये अधिनियम दंतविहीन साबित हुए। इसमें बहुत से बचाव के रास्ते और युक्तियाँ थी जिसमें परिवारों और घरानों ने अपनी जमीन को राज्यों को देने से बचा लिया था। हालाँकि कुछ बड़ी जागीरों को तोड़ दिया गया, लेकिन अधिकतर मामलों में भूस्वामियों ने अपनी भूमि रिश्तेदारों या अन्य लोगों के बीच विभाजित कर दी। मोटे तौर पर कहें तो यह कहा जा सकता है कि हालाँकि इसें औपनिवेशिक काल से अब तक वास्तव में परिवर्तन आया, लेकिन अभी भी बहुत असमानता बची हुई है। इस संरचना ने कृषि संबंधी उपज पर ध्यान खींचा। भूमि सुधार न केवल कृषि उपज को अधिक बढ़ाने के लिए बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी हटाने और सामाजिक न्याय दिलाने के लिए भी आवश्यक है।

हैडिंग भूसुधार का ग्रामीण समाज तथा कृषिक संरचना पर एक सीमित प्रभाव पड़ा। इसके विपरीत 1960-70 के दशकों की हरितक्रांति द्वारा उन क्षेत्रों में जहाँ यह प्रभावशाली रही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। हरितक्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से गहूँ तथा चावल उत्पाद करने वाले क्षेत्रों पर ही लक्षित था। इन क्षेत्रों में त्वरित सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों ने समाजशास्त्रियों द्वारा हरित क्रांति के बारे में श्रृंखलाबद्ध अध्ययनों तथा जोरदार वादविवादों की बाढ़ ला दी। दशकों बाद पहली बार भारत खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी बनने में सक्षम हुआ। हालाँकि इसके कुछ नकारात्मक सामाजिक तथा पर्यावरण के विपरीत प्रभावों की ओर हरित क्रांति के क्षेत्रों का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों ने संकेत किया है। हरित क्रांति और इसके बाद होने वाले कृषि व्यापारीकरण का मुख्य लाभ उन किसानों को मिला जो बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम थे।

इस प्रकार हरित क्रांति के प्रथम चरण, 1960 तथा 1970 के दशकों में नई तकनीक के लागू होने से ग्रामीण समाज में सामाजिक असमानताएँ बढ़ने का आभास हुआ। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले किसान लाभान्वित हुए तथा पट्टेदार कृषक बेदखल हुए क्योंकि अब सीधे कृषि कार्य करना अधिक लाभदायक था। इससे धनी किसान और अधिक सम्पन्न हो गये तथा भूमिहीन तथा सीमांत भू-धारकों की दशा और बिगड़ गई। कृषि उपकरणों के प्रयोग ने सेवा प्रदान करने वाली जातियों के उन समूहों को भी बेदखल कर दिया जो इन कृषि संबंधी क्रियाकलापों को करते थे। इस बेदखली की प्रक्रिया ने ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवसन की गति को और बढ़ा दिया। हरितक्रांति की रणनीति की एक नकारात्मक परिणति क्षेत्रिय असमानताओं में वृद्धि थी। वे क्षेत्र जहाँ यह तकनीकी परिवर्तन हुआ अधिक विकसित हो गये जबकि अन्य क्षेत्र पूर्ववत रहे। जाति तथा वर्ग की तीक्ष्ण असमानताओं तथा शोषणकारी मजदूर संबंधों ने इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की हिंसा जिसमें अंतर्जातीय हिंसा सम्मिलित है को हाल के वर्षों में बढ़ावा दिया है।

ऐसी बहुत सी जानकारी जैसे बीजों की बहुत सी पारंपरिक किस्में जिन्हें किसानों ने सदियों से उन्नत किया था, लुप्त होती जा रही है, क्योंकि संकर तथा जैविक सुधार वाले बीजों की किस्मों को अधिक उत्पादकता वाले तथा 'वैज्ञानिक' बीजों के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। पर्यावरण तथा समाज पर कृषि के आधुनिक तरीकों के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए, बहुत से वैज्ञानिक तथा कृषक आन्दोलन अब कृषि के पारंपरिक तरीकों तथा अधिक सावयवी बीजों के प्रयोग की ओर लौटने की सलाह दे रहे हैं। हैडिंग स्वातंत्र्योत्तर काल में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक संबंधों की प्रकृति में अनेक प्रभावशाली रूपांतरण हुए, विशेषत: उन क्षेत्रों में जहाँ हरितक्रांति लागू हुई। ये बदलाव थे :-

- गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की बढ़ोतरी
- भुगतान में अनाज के स्थान पर नकद भुगतान
- परंपरिक बंधनों में शिथिलता अथवा भूस्वामी एवं किसान या कृषि मजदूरों के मध्य पुश्तैनी संबंधों में कमी होना
- 'मुक्त' दिहाड़ी मजदूरों के वर्ग का उदय

ऐसे परिवर्तन उन तमाम क्षेत्रों में हुए जहाँ कृषि का व्यापारीकरण अधिक हुआ। मजदूर संबंधों का यह बदलाव कुछ विद्वानों द्वारा पूँजीवादी कृषि की ओर एक बदलाव के रूप में देखा गया। समाजशास्त्री जानब्रेमन ने इसे 'संरक्षण से शोषण' की ओर बदलाव के रूप में कहा है। इस प्रक्रिया से मुद्रा का गाँवों की ओर बहाव बढ़ा तथा व्यापार के अवसरों व रोजगार में विस्तार हुआ। प्रबल जातियों के संपन्न किसानों ने कृषि से होने वाले लाभ को अन्य व्यापारों में निवेश करना प्रारम्भ कर दिया। विविधता की इस प्रक्रिया से नए उद्यमी समूहों का उदय हुआ जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में इन विकासशील क्षेत्रों के बढ़ते कस्बों की ओर पलायन किया, जिससे नए क्षेत्रीय अभिजात वर्गों का उदय हुआ जो आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से प्रबल हो गये। वर्ग संरचना के इस परिवर्तन द्वारा ग्रामीण अभिजात वर्ग अपने बच्चों को शिक्षित करना संभव हुआ। जिन्होंने स्वयं को एक गतिमान उद्यमी, ग्रामीण नगरीय प्रबल वर्ग के रूप में परिवर्तित कर लिया।

हरित क्रांति के संपन्न क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की मांग बढ़ने से मौसमी पलायन का एक प्रतिमान उभरा। जीवन व्यापार की रणनीति के तौर पर पुरूष समय-समय पर काम तथा अच्छी मजदूरी की खोज में पलायन कर जाते हैं। पलायन करने वाले मजदूरों को जान ब्रेमन ने 'घुमक्कड़ मजदूर' (फूटलूज लेबर) कहा है। इसके विपरीत ब्रेमन (1982) का अध्ययन बताता है कि भूमिहीन मजदूरों के पास बहुत से अधिकार नहीं होते, धनी किसान अक्सर फसल काटने तथा इसी प्रकार की अन्य गहन कृषि क्रियाओं के लिए स्थानीय कामकाजी वर्ग के स्थान पर, प्रवसन करने वाले मजदूरों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि प्रवसन करने वाले मजदूरों का आसानी से शोषण किया जा सकता है। प्रवसन तथा काम की सुरक्षा के अभाव में इन मजदूरों के कार्य तथा जीवन दशाएँ खराब हो जाती हैं।

जहाँ परिवार के पुरूष सदस्य वर्ष का अधिकतर हिस्सा गाँवों के बाहर काम करने में बिताते हैं, कृषि मूलरूप से महिलाओं का कार्य बन गया है। जिससे कृषि मजदूरों का महिलाकरण हो रहा है। अभी हाल तक सरकारी आँकड़ों में कमाने वालों तथा मजदूरों के रूप में महिलाएँ मुश्किल से नजर आती थी जबकि महिलायें भूमि पर भूमिहीन मजदूर तथा कृषक के रूप में श्रम करती है।

उदारीकरण की नीति जिसका अनुसरण भारत 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध से कर रहा है, का कृषि तथा ग्रामीण समाज पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। दशकों तक सरकारी सहयोग और संरक्षित बाजारों के बाद भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रतिस्पर्धा हेतु प्रस्तुत है। किसानों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कुछ निश्चित फसले (जैसे-टमाटर और आलू) उगाने की संविदा दी गई है, जिन्हें ये कंपनियाँ उनसे प्रसंस्करण अथवा निर्यात हेतु खरीद लेती है। ऐसी 'संविदा खेती' पद्धति में कंपनियाँ उगाई जाने वाली फसलों की पहचान करती हैं, बीज तथा अन्य वस्तुएँ निवेशों के रूप में उपलब्ध करवाती है। साथ ही जानकारी तथा अक्सर कार्यकारी पूँजी भी देती है। बदले में किसान बाजार की ओर से आश्वस्त रहता है क्योंकि कम्पनी पूर्व निर्धारित तय मूल्य पर उपज के क्रम का आश्वासन देती है। जहाँ 'संविदा खेती' किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है वहीं यह किसानों के लिए अधिक असुरक्षा भी बन जाती है क्योंकि वे अपने जीवन व्यापार के लिए इन कम्पनियों पर निर्भर हो जाते हैं। 'संविदा खेती' का समाजशास्त्रीय महत्व यह है कि यह बहुत से व्यक्तियों को उत्पादन प्रक्रिया से अलग कर देती है तथा उनके अपने देशीय कृषि ज्ञान को निरर्थक बना देती है। 'संविदा खेती' में अक्सर खाद तथा कीटनाशक का उच्च मात्रा में प्रयोग करते हैं, इसलिए यह बहुधा पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित नहीं होती।

कृषि के भूमंडलीकरण का एक अन्य पक्ष 'कृषि विस्तार' एजेंटों का स्थान गाँव के बीज, खाद तथा कीटनाशक कम्पनियों के एजेंटों ने ले लिया है। ये एजेन्ट अक्सर किसानों के लिए नये बीजों तथा कृषि कार्य हेतु जानकारी का एक मात्र स्रोत होते हैं और नि:संदेह वे अपने उत्पाद बेचने के इच्छुक होते हैं। इससे किसानों की महंगी खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता बढ़ी है, जिससे उनका लाभ कम हुआ है, बहुत से किसान ऋणी हो गये हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संकट भी पैदा हुआ है।

निष्कर्ष

वस्तुतः भारत में किसान सदियों से समय-समय पर सूखे, फसल न होने अथवा ऋण के कारण परेशानी का सामना करते रहे हैं। किसानों द्वारा आत्म हत्या की प्रघटना नयी जान पड़ती है। इस प्रघटना की व्याख्या समाजशास्त्रीयों ने कृषि तथा कृषिक समाज में होने वाले संरचनात्मक तथा सामाजिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयास किया है। आत्म हत्या करने वाले बहुत से किसान 'सीमांत किसान' थे। जो मूल रूप से हरितक्रांति के तरीकों का प्रयोग करके अपनी उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। किसान अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए महँगे मदों में निवेश करने हेतु अत्यधिक उधार लेते हैं। खेती का न होना तथा कुछ मामलों में उचित आधार अथवा बाजार मूल्य के अभाव के कारण किसान कर्ज का बोझ उठाने अथवा अपने परिवारों को चलाने में असमर्थ होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की परिवर्तित होने वाली संस्कृति के लिए अधिक आय की आवश्यकता होती है जिससे ऐसी परेशानियों की तीव्रता बढ़ जाती है।

कृषि के मुद्दे अब मुख्य सार्वजनिक मुद्दे नहीं रहे हैं, तथा गतिशीलता के अभाव के कारण कृषक शक्तिशाली दबाव समूह बनाने में असमर्थ है जो नीति निर्धारण अपने पक्ष में करवा सके अथवा नीति को प्रभावित कर सके।

संन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, बीना, अ फिल्ड ऑफ़ बन्स आन : जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साऊथ एशिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, नयी दिल्ली, 1994
2. ब्रेमन, जॉन, पेट्रोनेज एंड एक्सप्लॉयटेशन : चेजिंग अग्रेरियन रिलेशन्स इन साउथ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफॉरनिया प्रेस, बर्कले, 1974
3. ब्रेमन, जॉन, ऑफ पीजेंट्स, माईग्रेंट्स एंड पॉपर्स : रूरल लेबर सरकुलेशन एंड केपिटलिस्ट प्रोडक्शन इन वेस्ट इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1985

4. ब्रेमन, जॉन, और सुदीप्तो, मुडेल (सं), रूरल ट्रांसफॉरमेंशन इन एशिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1991

5. दास, राजू जे., ज्योग्रॉफिकल अनइवननेस ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रिवोल्यूशन, जनरल ऑफ कंटेपोरेरी एशिया, 29(2), 1999

6. गुप्ता, अखिल, पोस्टकॉलोनियल डेवलपमेंट्स : एग्रीकल्चर इन द मेकिंग ऑफ मार्डन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1998

7. कुमार, धर्म, कॉलोनियलिज़्म, प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1998

8. रूट्टन, मारियो, फार्म्स एंड फैक्टस : सोशल प्रोफाइल ऑफ लार्ज फारमर्स एंड रूरल इंडस्ट्रियलिस्ट इन वेस्ट इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1995

9. श्रीनिवास, एम.एन. द डोमिनेन्ट कास्ट एंड अदर ऐसेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1987

10. सुरी, के.सी., पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एगरेरियन डिस्ट्रेस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 41 : 1523-29, 2006

11. थॉर्नर, एलिस, सेमी-फ्यूडर और केपिटलिज्म कंटेपोरेरी डिबेट ऑन क्लासेज एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 17:1961-68, 1993-99, 2061-66, 1982

12. थॉर्नर, डेनियल, एग्रीरियन स्ट्रक्चर, दीपशंकर गुप्ता (संघ), सोशल स्ट्राटीफिकेशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1991

13. बसवी, ए.आर. हाइबिड टाइम्स, हाइबिड पीपल : कल्चर एंड एग्रीकल्चर इन साउथ इंडिया, मेन, जनरल ऑफ द रॉयल एंथ्रोप्लॉजी सोसाइटी, (29) 21, 1994

14. वासवी, ए.आर., एग्रीरियल डिस्ट्रेस इन बिहार : स्टेट, मार्केट एंड सुसाइड्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 34:2263-68, 1999

15. वासवी, ए.आर., हरब्रिंगर्स ऑफ रेन : लेंड एंड लाइफ इन साउथ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1999

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 54-60

राम मनोहर लोहिया का समाजवाद

विनोद कुमार प्रजापत

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

आज दुनिया मानव कल्याण व विकास और शांति की तलाश में गाँधीवादी मूल्य दर्शनों की ओर ताक रही है। ठीक उसी के सन्निकट ही राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचार भी है जिसका प्रेरणास्त्रोत महात्मा गाँधी भी है। राममनोहर लोहिया का नाम आते ही हमारे अन्त: मन में एक ऐसी सादगीपूर्ण व्यक्तित्व की तस्वीर उभरती है जो वास्तव में समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का मुखर प्रतिनिधित्व करती है। राम मनोहर लोहिया एक ऐसा मसीहा जो व्यवस्था की तन्दुरूस्ती के लिए अन्त समय तक सत्तारूपी व्यवस्था से लड़ता रहा। राममनोहर लोहिया एक ऐसा विराट बहुआयामी व्यक्तित्व जिसके चिंतन में पूँजीवाद का एक विकल्प समाजवादी विचारधारा कूट-कूट कर भरी हुई है। समाजवादी विचारधारा जिसके केन्द्र में मानव समाज का सर्वागीण विकास है अर्थात दूसरे शब्दों में यह कि एक ऐसी विचारधारा जिसमें उत्पादन व वितरण का सुसंगत व न्यायोचित प्रबन्ध हो तथा सामाजिक भेदभाव का भी सम्पूर्ण निपटारा हो। सम्पूर्ण समाज का ताना बाना समरसतापूर्वक भाईचारे का हो तथा शोषण से मुक्ति हो। सामाजिक विकास में समाज के मूल्यों का उत्थान व सामाजिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वागिंण विकास अवश्यम्भावी हो। इसी सब के प्रतिनिधित्वकर्ता राममनोहर लोहिया के समाजवादी चिन्तन स्वरूप का विश्लेषण का प्रयास इस शोध लेख के माध्यम से करने का एक लघु प्रयास किया गया है। इसी क्रम में लोहिया के जीवन की सामाजिक व राजनीतिक चेतना को दृष्टिगत रखते हुए उनके समाजवादी विचारों का विश्लेषण का एक संक्षिप्त प्रयास किया गया है। इस प्रगतिशील विचारधारा का विशद् व व्यापक विश्लेषण करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आज विश्व पटल चहुँओर विचारधारात्मक संघर्ष का दौर है।

संकेताक्षर : *समाजवादी विचारधारा, सोशलिस्ट पार्टी, सर्वागिंण विकास, राममनोहर लोहिया का समाजवाद*

प्रस्तावना

राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुरा, जिला फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) में हुआ। इनके पिता का नाम हीरा लाल था जो कि एक महान देशभक्त व गाँधीवादी थे। इनका स्पष्ट प्रभाव राम मनोहर पर भी था। इनकी माता का नाम चन्दा देवी था जो कि इनके जन्म के ढाई वर्षोंपरान्त ही काल के आगोश में समा गई। बचपन से ही लोहिया कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। शैक्षणिक अध्ययन के दौरान प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते रहे थे। सन् 1925 ई. में बम्बई के मारवाड़ी विद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। सन् 1927 ई. में इंटर की परीक्षा हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस से उत्तीर्ण की। सन् 1929 में बी.ए. की परीक्षा कलकत्ता के विद्यासागर महाविद्यालय से उतीर्ण की। इसी समय लोहिया ने 'अखिल बंग विद्यार्थी सम्मेलन' की अध्यक्षता भी की। सन् 1932 में 'नमक और सत्याग्रह' विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि बर्लिन विश्वविद्यालय, जर्मनी से प्राप्त की।

डॉ. राम मनोहर लोहिया की सामाजिक व राजनीतिक चेतना को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। (1) स्वतंत्रतापूर्व राजनैतिक आन्दोलन और डॉ. लोहिया। (2) स्वातन्त्र्योत्तर राजनैतिक चेतना ओर डॉ. लोहिया का यथार्थवादी चिन्तन।

स्वतंत्रतापूर्वक राजनैतिक आन्दोलन और लोहिया

प्रथम भाग के रूप में डॉ. राम मनोहर लोहिया का राजनैतिक जीवन विद्यार्थी जीवन में प्रारम्भ होता है। अगस्त 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर की मृत्यु को उन्होंने महामृत्यु माना और बम्बई के मारवाड़ी विद्यालय के अपने छात्र साथियों को हड़ताल का संकेत कर उनका नेतृत्व किया। इसी समय गाँधीजी के असहयोग आन्दोलन से प्रभावित होकर उन्होंने विद्यालय को त्याग कर दिया और अपने को स्वतंत्रता संग्राम की महाग्नि में झोंक दिया। यहीं

से उनका संघर्ष का जीवन प्रारंभ होता है। उन्होंने विदेशी बसों को जलाने, ट्राम गाड़ियों के तार काटने और विदेशी वस्त्रों की होली जलाने में उग्र दल का नेतृत्व किया। असहयोग आन्दोलन के समय उनके पिता हीरालाल, डॉ. लोहिया को लेकर गाँधीजी से मिलने गये। इस दौरान गाँधीजी ने लोहिया की पीठ थपथपाई। सन् 1924 ई. में लोहिया एक प्रतिनिधि के रूप में गया में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित हुए। खद्दर पहनना और उसी का प्रचार करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। 1928 में 'साईमन वापस जाओ' के लिए कलकत्ता में लोहिया ने विद्यार्थियों को कमीशन के इस बहिष्कार के लिए तैयार किया और उनका नेतृत्व किया। जर्मनी के भारतीय विद्यार्थियों द्वारा निर्मित 'मध्य-यूरोप हिन्दुस्तानी संघ' नामक संस्था के लोहिया मंत्री बने। इस संस्था ने भारत के भारतीय राष्ट्रीयता का प्रचार कार्य किया।[1] सन् 1934 में 'कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी' का निर्माण हुआ था तभी 'कांग्रेस सोशलिस्ट' नामक साप्ताहिक मुख्य पत्र आरम्भ हुआ जिसके सम्पादक डॉ. लोहिया बने। सन् 1935 ई. में पण्डित नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपनी अखिल भारतीय समिति के अन्तर्गत एक पर राष्ट्र विभाग खोला और डॉ. लोहिया उस पर राष्ट्र विभाग के मन्त्री हुए। सन् 1938 ई. में परराष्ट्र विभाग के मंत्री पद से त्यागपत्र दिया। सन् 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध के समय डॉ. लोहिया ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नया एवं शक्तिशाली मोड़ दिया और चारसूत्री कार्यक्रम तैयार किया। (1) युद्ध.... का विरोध (2) देशी रियासतों में आन्दोलन (3) ब्रिटिश मात जहाजों से माल उतारने व लादने से इंकार करने वाले मजदूरों का संगठन (4) युद्ध कर व युद्ध कर्ज को मंजूर न करना और अदा न करना। 24 मई 1939 में कलकत्ता कांग्रेस कमेटी (दक्षिण क्षेत्र) की एक सभा में डॉ. लोहिया भाषण देने के लिए आमंत्रित किये गये। वहाँ उन्होंने युद्ध नीति का विरोध किया।[2] इस प्रकार के प्रचार से वे 24 मई 1939 को गिरफ्तार किये गये और 14 अगस्त 1939 को मुक्त किये गये। शोषण और दासता की नींव पर आधारित अंग्रेजी साम्राज्य के विशाल भवन को धराशायी करने के लिए लोहिया तुरन्त सत्याग्रह छेड़ने के पक्ष में थे। लोहिया ने गाँधीजी के पत्र 'हरिजन' के 01 जून के अंक में 'सत्याग्रह तुरन्त' नामक लेख लिखा। 11 मई 1940 को दोस्तपुर में दिए गये भाषण के संदर्भ में वे जून 1940 को कैद किये गये और मुकदमे के परिणामस्वरूप 01 जुलाई 1940 को दो वर्ष की सख्त कैद की सजा उन्हें दी गयी। 04 दिसम्बर 1941 को लोहिया रिहा किये गये। भारत छोड़ो आन्दोलन में भी उनकी विशिष्ट भूमिका रही। डॉ. लोहिया ने महात्मा गाँधी व जनमत तैयार करने हेतु एक लेख विश्वासघाती जापान या आत्म संतुष्ट ब्रिटेन' लिखा। 09 अगस्त 1942 को गाँधीजी की गिरफ्तारी के बाद 'केन्द्रीय संचालन मण्डल' में नीति निर्धारण कर मार्गदर्शन प्रदान किया। इसी क्रम में भूमिगत रहते हुए तार यंत्र तोड़ना, हथियार ढोने वाली फौजी रेलगाडियाँ बारूद से उड़ाना, यातायात को बेकार करना, सरकारी कारोबार की जगहों पर कब्जा करना या उन्हें नष्ट करना आदि को बखूबी अंजाम दिया। इस समय कई बुलेटिन व पुस्तकें लिखी 'जंग जू आगे बढ़े', क्रान्ति की तैयारी करो' आजाद राज कैसे बने। गुप्त रेडियो केन्द्रों से भाषणों के माध्यम से आन्दोलन को जीवित रखा नाम पोषाक और भाषा बदलने में माहिर लोहिया उन दिनों कलकत्ता में 'बाँठिया जी' के नाम से प्रसिद्ध हुए। अन्त में 20 मई 1944 को बम्बई में गिरफ्तार किए गये। प्रसिद्ध या बदनाम लाहौर किले की एक अंधेरी कोठरी में बन्द कर अनेकानेक शारीरिक व मानसिक यातनाएँ दी गयी। 11 अप्रेल 1946 को मुक्ति मिली। 10 जून 1946 को अपने मित्र जूलियो मैनेजिस के आमंत्रण पर गोवा पहुँचे व पूर्तगालियों के विरुद्ध विद्रोह की आग सुलगाई। 18 जून 1946 गोवा के मंडगाँव स्थान पर अपने भाषण की प्रतियाँ बँटवायीं, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने भाषण के लिए खड़े विशाल जनसमूह में डॉ. लोहिया को गिरफ्तार कर लिया। 19 जून को लोहिया अचानक रिहा कर दिये गये। इसी आन्दोलन फलस्वरूप जनता को बिना सरकारी आदेश के सभा और भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। वे भारत लौट आये। गाँधीजी ने गोवा के गवर्नर को 14 अगस्त 1946 के 'हरिजन' में एक पत्र लिखा जिसमें लोहिया की प्रशंसा करते हुए लिखा, ''आप और गोवा के नागरिक दोनों को ही डॉ. लोहिया को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने यह मशाल जलायी...।'' 29 सितम्बर 1946 को लोहिया गोवा के लिए पुन: चल दिये परन्तु कोलिम स्टेशन पर ही उन्हें गिरफ्तार कर अगवाद के किले में बन्द कर दिया गया। गाँधीजी के प्रयासों से 9 अक्टूबर 1946 को उन्हें रिहा कर भारतीय सीमा पर छोड़ दिया गया। लोहिया की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। गोवा की स्त्रियों ने अपने लोक गीतों में लोहिया का नाम जोड़ा। ''पहली माझी ओबी, पहले माझ फूल, भक्ति ने अर्पिन लोहिया ना।''

संविधान सभा, देश विभाजन आदि प्रश्नों पर नेताओं में आपसी मनमुटाव पड़ा। परिणामस्वरूप कानपुर में 26, 27, 28 फरवरी 1947 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सम्मेलन डॉ. राममनोहर लोहिया की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें देश के सभी सोशलिस्ट सम्मिलत हुए और जिसके निर्णय द्वारा 'कांग्रेस' शब्द हटाकर दल का नाम केवल सोशलिस्ट पार्टी रखा गया। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कि वे जून 1947 में देश

छोड़कर चले जायेंगे। पद लोलुप नेतागण भारत-पाक दो राष्ट्रों के लिए इस समय अधीर हो रहे थे। लोहिया ने हिन्दु-मुस्लिम एकता का महत्वपूर्ण कार्य तन, मन, धन से करने का असफल प्रयास किया।[3]

स्वातन्त्रयोत्तर राजनीतिक चेतना और लोहिया का यथार्थवादी चिंतन

स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात् दोनों समयों में डॉ. लोहिया का जीवन विद्रोही रहा। यदि एक में विदेशी सत्ता के प्रति कड़ी खिलाफत रही तो दूसरे में देशी सत्ता के प्रति न्याय के लिए प्रबल और सतत् विरोध। विश्व के इतिहास में सम्भवत: कहीं भी दो विरोधी नाम इस तरह नहीं जुड़े जिस तरह नेहरू व लोहिया के नाम जुड़े हैं। डॉ. लोहिया हिन्दु-पाक महासंघ का निर्माण चाहते थे। वे अंग्रेजी भाषा का निरन्तर विरोध करते रहे। सोशलिस्ट पार्टी ने मार्च 1948 के नासिक सम्मेलन में कांग्रेस से अलग होने का निश्चय किया। डॉ. लोहिया की प्रेरणा ने इसी सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, जिससे भारत की 650 रियासतों की हस्ती को देश की स्वतंत्रता के लिए हानिकारक बताया गया।

डॉ. लोहिया ने तिब्बत पर चीन के आक्रमण को 'शिशु-हत्या' बताया और सरकार को हिमालय प्रदेशों की सुरक्षा के लिए चेतावनी देते हुए 'हिमालय नीति' प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने उत्तरी सीमा पर लगने वाले पड़ोसी राष्ट्रों में जनतंत्र की स्थापना पर बल दिया था। डॉ. लोहिया ने कश्मीर समस्या को पं. नेहरू द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना एक महान भूल माना। मार्च 1949 में सोशलिस्ट पार्टी का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें डॉ. लोहिया ने 'आगे बढ़ो' के रूप में एक क्रांतिकारी विचार दिया। इसी समय इन्होंने 'चौखम्बा राज' की योजना प्रस्तुत की।

26 फरवरी 1950 को रीवा में हिन्द किसान पंचायत का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन डॉ. लोहिया की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें उन्होंने देश के सम्मुख कृषकों की मांगे रखी और 'गरीबी मिटाओं' नामक प्रसिद्ध कार्यक्रम रखा। मई, 1950 में चम्पारन जांच समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. लोहिया ने चम्पारन का दौरा किया। उन्होंने इस रचनात्मक कार्यक्रम का आधार फावड़ा था, गाँधी का चरखा नहीं। उन्होंने ऐच्छिक और सामुदायिक श्रम की आवश्यकता पर भी बल दिया। उनका कहना था कि रचनात्मक कार्यक्रम के बिना सत्याग्रह एक क्रिया रहित वाक्य के समान है। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी राजनीतिक जितनी ध्वंसात्मक थी उतनी ही रचनात्मक। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं हैं कि रचनात्मक कार्यक्रम से भी अधिक उन्हें गरीबों की रोजी, रोटी और कपड़े का ध्यान था इस हेतु उनकी अध्यक्षता में दिल्ली में 3 जून 1951 को 'जनवाणी दिवस' मनाया गया। 13, 14 मई 1954 से जून 1954 तक लोहिया तथा उनके अनुयायियों ने उत्तर प्रदेश के तेरह जिलों में नहर रेट वृद्धि के विरोध में सविनय अवज्ञा की और जेल भोगी।

पददलितों के उत्थान के लिए डॉ. लोहिया ने समाजवादी दलों को संगठित करने और उन्हें कुशल मार्गदर्शन प्रदान करने का आजीवन प्रयास किया। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप ही सन् 1953 में 'किसान मजदूर प्रजापार्टी और सोशलिस्ट पार्टी मिलकर एक 'प्रजा सोशलिस्ट पार्टी' के रूप में संगठित हो गयी। 29 जनवरी 1965 को पुन: समाजवादी दल और प्रजा समाजवादी दल एक होकर संयुक्त समाजवादी दल के रूप में संगठित हुए। अशत: सैद्धान्तिक और व्यैक्तिक मतभेद के कारण संयुक्त समाजवादी दल से प्रजा समाजवादी दल पृथक हो गया। इस प्रकार डॉ. लोहिया को समाजवादी एकता के कार्य में केवल आंशिक व अस्थायी सफलताएँ ही प्राप्त हुई।

सन् 1950 के आम चुनाव में डॉ. लोहिया उत्तर प्रदेश के चकिया चन्दोली चुनाव क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में असफल रहें तब उन्होंने संसद के बाहर की राजनीति तीव्र की । सन् 1962 के तीसरे आम चुनाव में फूलपुर क्षेत्र में लोहिया नेहरू के विरुद्ध लोकसभा के लिए खड़े हुए। चुनाव परिणाम उनके विपक्ष में गया। अमरोहा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव में विजयी होकर 1963 में डॉ. लोहिया लोकसभा के सदस्य बने। 15 अपेल 1964 से विश्वभ्रमण पुन: प्रारम्भ किया पूर्वी देशों में होते हुए वे मई में अमेरिका पहुंचे जहाँ उन्होंने रंगभेद नीति का विरोध किया। उन्होंने वहाँ के नीग्रो को रंगभेद के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अमेरिका से वापस आने के पश्चात् जून 1965 में डॉ. लोहिया ने जर्मनी, रूस, अफगानिस्तान आदि देशों की यात्रा की। विदेश यात्रा से लौटने के बाद पुन: शासन के विरोध और कष्टों के विरोध में लग गये। 1967 के आम चुनावों में उन्होंने 'कांग्रेस' हटाओं देश बचाओं का नारा दिया। डॉ. लोहिया कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा की सदस्यता के लिए चुने गये। कई राज्यों में उनकी कल्पना के अनुसार संविदा सरकारें बनी। 30 सितम्बर 1967 को नयी दिल्ली के विलिंग्टन अस्पताल में डॉ. लोहिया की पौरूष-ग्रन्थि का ऑपरेशन हुआ और गरीबों का मसीहा 12 अक्टूबर 1967 को 1 बजकर 05 मिनट पर उनकी मृत्यु हो गयी।[4]

राम मनोहर लोहिया का समाजवाद

डॉ. राम मनोहर लोहिया का समाजवाद क्या है, इसे जानने से पहले समाजवाद की पहचान जरूरी है। समाजवाद के बारे में प्राय:

यह सोच बनती है कि यह राज्य या अर्थ अथवा दोनों का दर्शन है। वास्तविकता यह है कि ऐसी सोच में आधी सच्चाई है क्योंकि समाजवाद एक समग्र जीवन दर्शन है और जीवनशैली के सभी आयामों को प्रभावित करता है।

समाजवाद के आविर्भाव के विषय में ऐसा समझा जाता है कि इसका जन्म पश्चिमी यूरोप में हुआ और उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में एक सशक्त राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। समाजवाद 'सोशलिज्म' शब्द का हिन्दी अनुवाद है। दरअसल में यह एक क्रान्तिकारी तथा सशक्त जीवनदर्शन है जो साम्राज्यवादी, विज्ञानवादी, उपनिवेशवादी, पूँजीवादी, नवसाम्राज्यवादी आदि की बेमतलब अनिवार्यताओं और दुर्बलताओं का पर्दाफाश करता है।

रेम्जेमयूर ने समाजवाद को गिरगिट की तरह बदलने वाला बताया और किसी ने उसका सम्बध कलकारखानों और गंदी नालियों से बताया। डान ग्रिफिथ और लिफिगोरा में क्रमश: समाजवाद की 263 एवं 600 परिभाषाएँ प्रस्तुत किया। प्रत्येक परिभाषा एक दूसरे से अलग थी। लेकिन उन परिभाषाओं से एक तत्त्व सामने यह आया कि समाजवाद समाज का एक दर्शन है, जो दलित एवं पीड़ित मानवता के लिए काम करना चाहता है। जार्ज बर्नार्डशॉ समाजवाद को सार्वजनिक सम्पत्ति को सम्पूर्ण जनता में बराबर एवं भेद रहित विभाजन मानते हैं। जीडी एच कौल उसे सिद्धांत की उपेक्षा निष्ठात्मक मानते हुए कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है, जिसकी शक्ल अत्यधिक धारण किए जाने के कारण बिगड़ गई है। वही सिडनी बेब ने माना है कि लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है। वर्टेन्ड रसेल के विचार में समाजवाद एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना का विचार है जिसमें भूमि एवं पूँजी पर सार्वजनिक अधिकार हो।[5]

आधुनिक समय में समाजवाद की उत्पत्ति पूँजीवाद के विरूद्ध प्रतिक्रिया के रूप में माना जाता है वस्तुत: यह इसका एक ही पक्ष है। समाजवादी आन्दोलन का उद्‌देश्य समाज में पूँजीवाद से उत्पन्न बुराइयों को समाप्त करना था। समाजवाद मानव समता का विचार है जिसका संबंध जीवन दर्शन से है। यह एक व्यापक विचार है जिसे किसी एक विचार में बाँधा नहीं जा सकता। डॉ. राममनोहर लोहिया ने ऐसे मतवादों को अस्वीकार करते हुए समाजवाद को समानता ओर सम्पन्नता का प्रतीक बताया है। समाजवाद के अन्तर्गत जो प्रमुख चीजें उभरकर सामने आई थीं जैसे समसामयिक राजनैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था को खारिज करना, वर्तमान अव्यवस्था राजनैतिक एवं सामाजिक भ्रष्ट संस्थाओं की देन मानते हुए विकल्प में नैतिक, मानवीय गुणों तथा विशिष्टताओं पर आधारित नवीन व्यवस्था की शुरुआत करना, नए जीवन मूल्यों के लिए क्रांतिकारी मार्ग अपनाना आदि डॉ. लोहिया की विचारणा में आत्मसात हैं जिसे उन्होंने पैने ढँग और रूप में प्रस्तुत किया था। उनका विचार था कि लोगों का लोगों में विश्वास पैदा हो कि अंदर से भी राज्य बदला जा सकता है। वह अपने देश भारत को कहते थे कि देश जमा हुआ है। वह वर्षों बाद बदलता है और बदलना चाहता है। उनकी उत्कृष्ट इच्छा थी कि ऐसा क्रांतिकारी राजनैतिक सगंठन बने, जो शोषण भाषा रंगभेद, मूल्य निर्धारण, जमाखोरी, चारित्रिक, भ्रष्ट्राचार, पिछड़ापन, मुफलिसी इत्यादि समस्याओं का निदान कर सके और प्रत्येक मनुष्य में जीने का विश्वास पैदा कर सके। आज के विज्ञानवाद पर विश्वास नहीं करते थे। दरअसल समाजवाद शोषणमुक्त समाज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें दासता, अमानवीयता, असहिष्णुता, चरित्रहीनता, भेदात्मकता जैसे दोषों से मानव जीवन को बचाने का आश्वासन देना है। इसमें वर्णहीन और जातिहीन समाज के निर्माण के लिए राज्य या समाज को अधिक महत्व देने की योजना है। इसके साथ ही व्यक्तिगत जोखिम एवं प्रतिस्पर्धा का अंत करना भी इसका उद्‌देश्य है। यह विश्व की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण विचार है।

रूस में सन् 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। क्रांति के बाद व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया था। सन् 1920 में यहाँ के वामपंथियों को लगने लगा था कि बिना आर्थिक और समता राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। उसी समय महात्मा गाँधी ने कनसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप की घोषणा कर दी। इससे वामपंथी विचारधारा वालों में असंतोष पैदा हुआ। जय प्रकाश नारायण ने आनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए लिखा गाँधीजी द्वारा दरिद्रता की प्रशंसा किए जाने से वामपंथी विचारधारा के लोग और भी उत्तेजित हो उठे। गाँधीजी द्वारा जमींदारी प्रथा का बचाव किया जाना मेरे लिए सर्वाधिक चिंता का विषय है। गाँधीजी उसे राष्ट्रीय एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग मानते हुए और यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य ही बात है, क्योंकि आज कोई भी बड़ी-बड़ी जमींदारियों एवं ताल्लुकों का समर्थन करता हुआ नहीं पाया जाता। गाँधीजी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत वामपंथी विचारधारा वालों को पसंद नहीं आया। सन् 1933 में बम्बई प्रेसीडेंसी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। स्वागत समिति के अध्यक्ष पद से बोलते हुए अब्दुलबारी ने कहा था, भारत की जनता केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से संतुष्ट नहीं होगी। जरूरत है राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ समाज की आर्थिक नींव का पुनर्निर्माण करने की जिस पुनर्निर्माण में आदमी द्वारा आदमी का शोषण समाप्त हो और जिसमें भौतिक सांसारिक उन्नति के सब साधनों का उपयोग लोग बराबरी से कर सकें।

इससे एक नई हलचल पैदा हुई। आगे चलकर कार्यक्रम तैयार किया गया। कार्यक्रम तैयार करने में डॉ राममनोहर लोहिया का पूरा-पूरा सहयोग था। उन्होंने जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, श्रीमती कमला चट्टोप्पाध्याय को पूरा-पूरा सहयोग किया। पन्द्रह बिन्दुओं पर सहमति बनी जिसमें मजदूरों और किसानों को स्वतंत्रता एवं समाजवाद की उपलब्धि के लिए शक्तिशाली जन आंदोलन का श्रीगणेश तमाम साम्राज्यवादी युद्धों का जोरदार विरोध करना, धन के वास्तविक पैदा करने वालों के हाथों में सत्ता रहे। लोगों के आर्थिक जीवन के ऐसे क्षेत्रों पर जिनका सामाजीकरण नहीं हुआ है, सहकारी संघों का नियंत्रण, बिना मुआवजा दिए राजाओं - महाराजाओं जमींदारी प्रथा और शोषण कर्त्ताओं को खत्म कर दिया जाए, किसानों में भूमि का पुनर्वितरण, धर्म-जाति आदि पर आधारित विशेषताओं को मान्यता न देना, लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाना इत्यादि मुद्दे थे।

डॉ. राममनोहर लोहिया सामाजिक मूल्यों में गणनात्मकता की अपेक्षा गुणात्मक रूप में देखना पसंद करते थे। वह यह मानते थे कि समाजवाद परिपूर्ण और अंतिम कार्यक्रम नहीं है। ऐसा मान लेने से विचारों के प्रवाह में रूकावट आ जाती है। समाजवादी दल की स्थापना के समय तीन प्रवृत्तियाँ (मार्क्सवादी जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, अंग्रेजी मजदूर दल सरीखे सामाजिक लोकतंत्रवादी जिसका नेतृत्व अशोक मेहता कर रहे थे और तीसरा लोकतांत्रिक समाजवाद जिसका नेतृत्व डॉ. लोहिया कर रहे थे) अलग-अलग कार्य कर रही थीं। इसके बावजूद इन तीनों प्रवृतियों में समझौता था। यहाँ यह याद करने योग्य है कि भारत जैसा गरीब देश उस समय रूस की ओर तेजी से उन्मुख हो रहा था। समाजवाद को एक परिभाषा में बाँध कर उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। उसमें भी मार्क्सवाद, लेनिनवाद, समाजवाद, फेबियनवाद, अराजकतावाद, श्रेणी समाजवाद, समष्टिवाद, श्रमसंघवाद इत्यादि अनेक विचारधाराओं का समावेश है लेकिन उसके कार्यान्वयन में एकता नहीं है। सभी शोषण से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है लेकिन कार्यक्रमों और उनके क्रियान्वयन में अंतर है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजवादी विचारधारा गंभीर है और अन्य जीवन दर्शनों की भाँति पेचीदा और मतभेद पूर्ण है।[6]

डॉ. राममनोहर लोहिया ने समाजवाद का गहराई से अध्ययन किया था और उसके क्रियान्वयन को देखा था इस अनुभूति के आधार पर उनकी मान्यता थी कि समाजवाद का अगर एक अंग लिया जाता है जैसे वामपंथी राष्ट्रीयता या उग्रपंथी आर्थिकता, उग्रपंथी धार्मिकता, उग्रपंथी सामाजिकता, और उग्रपंथी राजनैतिकता। मतलब यह है कि समाजवाद समग्र जीवन चिंतन में आमूल चूल परिवर्तन, वह भी क्रांतिकारी परिवर्तन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन का परिवर्तन का स्वर हो। वह अपने जीवन के सामाजिक विषमताओं के जाल को काट देने के लिए प्रयत्नशील थे। वह आर्थिक, सामाजिक, भाषाई संस्कृति इत्यादि में परिवर्तन की अनिवार्यता समझते थे और वर्गविहीन समाज की स्थापना पर जोर देते थे। वह अंदर से आने वाले परिवर्तनों पर विशेष बल देते थे। इसी से सत्ता विमुख अनैतिकता का माया जाल हट सकेगा और सेवाभिमुख जीवन जीने के आंनद की अनुभूति करेगा।

समाजवाद में आर्थिक कारकों का विशेष महत्व होते हुए भी गैर आर्थिक कारकों की भूमिका को भी महत्व दिया जा रहा है। डॉ राममनोहर लोहिया मानते थे कि मार्क्सवादी विचारधारा वर्गों को समाप्त करके वर्णो को जन्म देती है जिससे राष्ट्र पत्तनोमुखी हो जाता है। उनकी मान्यता थी कि साम्प्रदायिकता को मिटाया जाए ओर उसके मिटाने में हिंसा का अवलंब न लिया जाए। वह धार्मिक अंतरंगता को राजनीति के लिए अनिवार्य मानते हुए इस बात पर जोर देते थे कि राजनीति सत्ता नीति बनकर न रह जाए। जीवन से अलग होकर सत्ताविमुख राजनीति समाज और व्यक्ति दोनों के लिए समान रूप से घातक है। वह यह चाहते थे कि समाज व राज्य के प्रत्येक पक्ष को लेकर एक साथ कार्य हो ताकि चारों और व्याप्त अंधकार छँट सके और जीवन की अनुभूति हो सके। लोहिया का समाजवाद उनका स्वयं का निर्मितवाद था, जिसकी जड़ें नैतिकता की गहराइयों में है। उन्होंने समाज व व्यक्ति को परम्पराबद्ध माना है। ध्यान देने योग्य यह है कि लोहिया का समाजदर्शन समाज और संस्कृति को आधार बनाकर नैतिक मूल्यों की एक ऐसी सार्वभौमिक संस्था है जिसे विश्व मानवतावाद से आबाद रूप से संबद्ध किया जा सकता है। अथार्त लोहिया का समाजवाद भी गाँधी और जयप्रकाश की भाँति अराजकतावाद की ओर जाता है।

डॉ. लोहिया धुन के पक्के थे। सन् 1956 में उनकी अध्यक्षता में पुन: सोशलिस्ट पार्टी बनी जिसका प्रथम सम्मेलन सिहोर में हुआ। इस सम्मेलन में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी में नई जान फूँकते हुए कहा आगे आने वाले 7 वर्षों में वह कांग्रेस पाटी को सत्ता से हटा देंगे। यह उनकी घोषणा थी और अपनी घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। डॉ. लोहिया ने सबसे पहले सार्वजनिक स्थानों से अंग्रेज शासकों की मूर्तियों को हटाने का सफल आन्दोलन चलाया। कांग्रेस सरकार पर इस आन्दोलन का इतना जबर्दस्त असर हुआ कि उसने सार्वजनिक स्थानों से अंग्रेज शासकों की मूर्तियाँ हटवा लिया। इसके बाद लोहिया ने

अंग्रेजी हटाओ, दाम बाँधो, जाति तोड़ो, हिमालय बचाओ और बिना लाभ वाले व्यवसायों पर से लोकप्रिय आन्दोलन की शुरुआत की।[7]

राम मनोहर लोहिया का समाजवादी चिंतन एक व्यापक अवधारणा है। लोहिया पर मार्क्स व गाँधी का प्रभाव था। लेकिन न वे पूरे मार्क्सवादी थे और न ही पूरे गाँधीवादी मार्क्स व लेनिन के विपरीत लोहिया ने गाँधीवादी तकनीकों से समाजवाद लाने की हिमायत की तथा समाजवाद को ऐशियाई द्रष्टिकोण से परखने की कोशिश की। जिसके लिए गाँधीजी का समाजवादी दर्शन उनके चिंतन का व्यापक आधार बना।

लोहिया ने समाजवाद को अपने देश की स्थितियों के अनुसार ढालने का प्रयत्न किया था। जर्मनी में उन्होंने समाजवाद की तेज लहर और हिटलर के नाजीवाद को उठते हुए देखा था। भारत आकर उन्होंने गाँधीजी के सम्पर्क में समाजवाद को नए सिरे से विश्लेषित करने का काम किया। लोहिया ने समाजवाद को भारतीय संस्कृति से जोड़कर अहिंसात्मक रूप में मौजूदा समाज को बदलना चाहते थे। लोहिया ने समाजवाद को 'समानता तथा सम्पन्नता' का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि गरीबी के समान बटँवारे का नाम समाजवाद नहीं है, बल्कि समृद्धि का अधिक से अधिक समान वितरण समाजवाद कहलाता है। लोहिया के अनुसार समाजवाद के तीन मुख्यत: तत्व है - सभी उद्योगों तथा बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण, समूचे संसार में जीवन स्तर का सुधार तथा एक विश्व संसद की स्थापना।

लोहिया ने समाजवाद के आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गाँधीजी की सत्याग्रह की तकनीकों को अपनाने की सलाह दी। साथ ही समाजवाद की स्थापना के लिए कुटीर उद्योग, आर्थिक एवं राजनीतिक विकेन्दीकरण तथा ग्राम पंचायतों की स्थापना को समाजवादी लक्ष्यों के रूप में स्वीकार किया। समाजवाद के लक्ष्यों को लोहिया ने इतिहास की पुनर्व्याख्या के माध्यम से दर्शनों का प्रयत्न किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ 'व्हील ऑफ हिस्ट्री' (1955) में तर्क दिया कि इतिहास एक चक्र के समान घूमता है। उन्होंने चतुर्युग के माध्यम से भारत के ऐतिहासिक चक्र सिद्धांत को समझाया है जैसे, पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग तथा चौथा कलयुग है। सतयुग से कलयुग तक इतिहास में उत्थान तथा पतन का चक्र बराबर घूमता है।[8]

कार्ल मार्क्स के विपरीत लोहिया का मानना था कि जाति और वर्ग ऐतिहासिक चक्र की दो मुख्य शक्तियाँ है, इनके टकराव से ही इतिहास आगे बढ़ता है। जाति रुढ़िवादी शक्ति का प्रतीक है और वर्ग गत्यात्मक शक्ति का। आज तक का सारा मानव इतिहास जातियों और वर्गों के उत्थान और पतन का इतिहास है। जातियाँ शिथिल होकर वर्गों में बदल जाती हैं और वर्ग सुगठित होकर जातियों में बदल जाते हैं।

लोहिया के समाजवाद के स्वपन में वर्ग संघर्ष के हथियार के रूप में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी।[9] लोहिया ने मार्क्स के पूँजीवादी विश्लेषण एवं द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया, किंतु वे द्वन्द्ववाद में केवल भौतिक तत्व के अस्तित्व में रहने की अवधारणा को स्वीकार नहीं करते थे। इस दृष्टि से उनकी धारणाएँ सामाजिक विकास में भौतिक तथा अध्यात्मिक दोनों तत्वों का सम्मिश्रण दर्शाती है। लोहिया ने मार्क्स के श्रेणी सिद्धांत को अपूर्ण माना। लोहिया का यह आग्रह था कि एशियाई देशों, विशेषकर भारत के समाजवादियों को यहाँ की परिस्थिति के संदर्भ में ही समाजवाद की उपलब्धियों के संबंध में भौतिक विचार करना चाहिए। वे पश्चिमी देशों में प्रचलित परम्परागत समाजवाद को अनुपयुक्त समझते थे।

राम मनोहर लोहिया ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनका दृष्टिकोण समाजवादी था। वे सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास के केंद्र में अर्थ की भूमिका को भी केंद्र बिन्दु मानते हैं तथा साथ में अन्य तत्वों को भी स्थान देते हैं। लोहिया की मान्यता है कि आर्थिक विषमताएं मिटाने के लिए धार्मिक, सामाजिक तथा बौद्धिक विषमताएँ तथा विसंगतियाँ को मिटाना भी आवश्यक है। आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए उन्होंने निम्न सुझाव दिये थे-

1. उत्पादन मूल्य व विक्रय मूल्य में एक आनुपातिक संबंध होना चाहिए। वह डेढ़ गुणा से अधिक न हो।
2. औसत आय में निरंतर वृद्धि होती रहनी चाहिए।
3. कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किये जाने चाहिए। अधिकाधिक भूमि कृषि योग्य बनाया जाएं। सिंचाई की सुविधा बढ़ाई जाए। कृषि में नवीन वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा। भू-अन्न सेना योजना जिसमें सेना बेकार पड़ी भूमि को सेना कृषि योग्य बनायेगी और खेती करेगी या करवायेगी।
4. उत्पादन के साथ वितरण की व्यवस्था का संतुलित होने पर बल।
5. भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विकेन्द्रीकरण को अपनाने की सलाह उनकी दृष्टि में औद्योगिक प्रगति केन्द्रीकरण से अवरूद्ध होती हैं उससे किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को ही लाभ होता है।

6. अकाल व भुखमरी दूर करने के लिए लोहिया ने 'अन्न बांटों आन्दोलन' तथा 'घिराव' जैसे तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य की ओर से मुफ्त रसोईघर स्थापित करने की सलाह दी।
7. लोहिया ने अनाज के व्यापार का सामाजीकरण करने का सुझाव दिया । इससे अनाज के मूल्य स्थिर रहेंगे और दूसरे अनाज पर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होगा। इससे किसान को अनाज का उचित मूल्य मिल सकेगा।
8. लोहिया ने गरीबों का शोषण रोकने के लिए देश की आवश्यकता के अनुरूप बड़ी-2 मशीनों की बजाय छोटी मशीनों द्वारा चालित उद्योगों को स्थापित करने की सलाह दी। लोहिया चाहते थे कि शक्ति चालित छोटी मशीनों का हमारे देश के वैज्ञानिक आविष्कार करें तथा देश को अपनी आवश्यकता को पूरा करने में सहभागी बने। लोहिया चाहते थे कि देश के वैज्ञानिकों को बेकार के शोध कार्य की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अत: वैज्ञानिक विकास को एक चरणबद्ध तरीका से देश में लागू करना होगा, ताकि देश के साधन व सम्पति का दुरूपयोग न हो सके। छोटी मशीनों के पक्षधर के रूप में लोहिया बड़े उद्योगों को नष्ट करने के पक्ष में नहीं थे। लोहिया चाहते थे कि महत्वपूर्ण बड़े उद्योग चलते रहें। लेकिन उन पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। अत: वह बड़े उद्योगों के राष्ट्रीकरण के पक्ष में थे।

उपर्युक्त बिन्दुओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लोहिया का आर्थिक चिंतन हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल है। लोहिया में समाजवाद की कल्पना को आर्थिक विषमता को दूर करके, मूल्य वृद्धि पर रोक लगाकर, लोगों के नैतिक आचरण को ऊँचा उठाकर भूमि का पुनर्वितरण करके, भूमिहीनों को अतिरिक्त भूमि देकर, छोटी मशीनों द्वारा चालित उद्योगों को स्थापित करके ताकि खर्च की सीमा को बांधकर साकार करने का तरीका सुझाया है।[10] राम मनोहर लोहिया की समाजवादी अवधारणा विस्तृत व व्यापक हैं इसी अनुक्रम में लोहिया में 'चौखम्बा योजना' प्रस्तुत की जो कि सत्ता विकेन्द्रीकरण का स्वरूप प्रस्तुत करती हैं इस योजना का विस्तृत विवरण उन्होंने अपनी कृति 'आस्पैक्टस ऑफ सोशलिस्ट पोलिसी' में दिया है।

निष्कर्ष

लोहिया प्रजातंत्र पर आधारित समाजवाद के प्रतिनिधि थे। लोहिया का समाजवाद विचार और तर्क की दुनिया में प्रजातंत्र का समर्थन करता है। इसी विचार की वृहद् रूप रेखा लोहिया ने सप्तक्रांति की अवधारणा के माध्यम से पेश की हैं। सार रूप में कह सकते हैं कि समाजवाद के बारे में लोहिया ने अपनी पुस्तक 'मार्क्स, गाँधी तथा समाजवाद' में कहा है कि समाजवाद को स्वयं गाँधीवाद या मार्क्सवाद कहने की आवश्यकता नहीं है ओर न ही उसे गाँधी या मार्क्स विरोधी कहा जाना चाहिए। ऐसा करना चिंतन को भुलाकर सुन्दर शब्दों को अपनाना है।

सन्दर्भ सूची

1. दीक्षित, ताराचन्द, राममनोहर लोहिया का समाजवादी दर्शन, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2013, पृ.सं. 13
2. डॉ. जोगी, सुनील, विश्व समाजवाद के पोषक लोहिया, डायमण्ड बुक्स पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2014, पृ.सं. 43
3. दीक्षित, ताराचन्द, पूर्वोक्त, पृ.सं. 15
4. उपर्युक्त, पृ.सं. 18
5. प्रसाद, गुजेश्वरी, डॉ. राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, नई दिल्ली, पुनर्मुद्रण, 2016, पृ.सं. 177
6. उपर्युक्त, पृ.सं. 179
7. उपर्युक्त, पृ.सं. 180
8. त्यागी, रुचि, आधुनिक भारत का राजनीतिक चिंतन एक विमर्श, हिन्दी माध्यम कार्यन्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2015, पृ.सं. 401
9. कुमार, मुकुल, डॉ. राम मनोहर लोहिया, प्रभात पेपर बैक्स प्रकाशन, 2013, पृ.सं. 22
10. त्यागी, रुचि, पूर्वोक्त, पृ.सं. 404

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 61-63

हॉन्गकॉन्ग प्रो- डेमोक्रेसी मूवमेंट और चीन की एक देश दो प्रणाली की नीति

डॉ. बबीता चौधरी
निदेशक, गूँज एज्यूकेशन प्वॉइंट, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

शोध सारांश

हॉन्गकॉन्ग ब्रिटेन का उपनिवेश था, पेकिंग के दूसरे कन्वेंशन द्वारा हॉन्गकॉन्ग को 99 वर्षों के लिए चीन ने लीज पर ब्रिटेन को दे दिया। डेंग शियाओपिंग ने 1980 के दशक में हॉन्गकॉन्ग का हस्तांतरण चीन को करने के लिए ब्रिटेन से बातचीत शुरू की। दिसम्बर 1984 में बीजिंग में चीन- ब्रिटेन ने संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किये जिसमें चीन ने एक देश दो प्रणाली के तहत इस क्षेत्र की स्वायत्ता का सम्मान करने का वादा किया था। जुलाई 1997 को हॉन्गकॉन्ग को चीन ने विशेष प्रशासनिक क्षेत्र घोषित कर दिया जिसके तहत मुद्रा, आर्थिक और कानूनी प्रणालियां इस क्षेत्र की होगी लेकिन रक्षा तथा विदेशी कूटनीति चीन द्वारा तय की जाएगी, हॉन्गकॉन्ग का 50 वर्षों के लिए 2047 तक वैध मिनि संविधान बनाया गया। इसके बाद की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में चीन की विस्तारवादी नीति के तहत किये जा रहे बदलावों को जिसमें चीन एक देश दो प्रणाली के विचार को नकार कर हॉन्गकॉन्ग के पूर्ण विलय के प्रयास कर रहा हैं, तथा हॉन्गकॉन्ग द्वारा अपनी स्वायत्तता बरकरार रखने के लिए किये जा रहे विरोध प्रदर्शनों (अंब्रेला मूवमेंट, प्रो-डेमोक्रेसी मुवमेंट)तथा अमेरिका चीन ट्रेडवार से चीन के कमजोर आर्थिक पक्ष के साथ-साथ भारत के हॉन्गकॉन्ग संकट पर उदासीन रवैया का विश्लेषण किया गया हैं।

संकेताक्षर : *अफीम युद्ध, एक देश दो प्रणाली, अंब्रेला मूवमेंट, प्रत्यर्पण कानून, प्रो-डेमोक्रेसी मूवमेंट*

प्रस्तावना

चीन को फिर एक बार विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। हॉन्गकॉन्ग में पिछले तीन माह से बड़ी संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे है। इस विरोध का प्रमुख कारण हॉन्गकॉन्ग के प्रत्यर्पण कानून में लाए जा रहे बदलाव है। हॉन्गकॉन्ग एक स्वायत्त क्षेत्र है, इसकी शासन व्यवस्था चीन से भिन्न हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस प्रकार के बदलाव इस क्षेत्र की स्वायत्ता एवं 'एक देश दो व्यवस्था' के सिद्धान्त को खतरे में डाल सकते हैं।[1]

हॉन्गकॉन्ग पृष्ठभूमि

हॉन्गकॉन्ग ब्रिटेन का उपनिवेश था। वर्ष 1842 के प्रथम अफीम युद्ध के बाद अंग्रजों ने हॉन्गकॉन्ग पर अधिकार कर लिया था। ब्रिटिश सरकार और चीन के किंग राजवंश ने **पेंकिग के दूसरे कन्वेंशन पर वर्ष 1898 में हस्ताक्षर किए,** जिसके अनुसार हॉन्गकॉन्ग को 99 वर्षों के लिए चीन ने लीज पर ब्रिटेन को दे दिया।

भौगोलिक अवस्थिति

यह चीन के द. पूर्वी तट पर स्थित, पर्ल नदी डेल्टा और द. चीन सागर पर स्थित है, भौगोलिक स्थिति की रणनीतिक विशेषता के कारण यह दुनिया के सबसे सम्पन्न महासागरीय शहरों में से एक है।

एक देश दो प्रणाली

डेंग शियाओपिंग द्वारा वर्ष 1970 के आसपास देश के शासन की बागडोर संभालने के बाद ''एक देश दो प्रणाली'' की नीति प्रस्तावित की गई थी।

डेंग शियाओपिंग ने 1980 के दशक में हॉन्गकॉन्ग का हस्तांतरण चीन को करने के लिये ब्रिटेन से बातचीत शुरू की। इस बातचीत के दौरान ही चीन ने एक देश दो प्रणाली के तहत इस क्षेत्र की स्वायत्ता का सम्मान करने का वादा किया था।

चीन और ब्रिटेन के बीच 19 दिसम्बर 1984 को बीजिंग में चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए थे, जिसके तहत हॉन्गकॉन्ग हेतु वर्ष 1997 से कानूनी, आर्थिक और सरकारी प्रणालियों में स्वायत्ता का निर्धारण किया गया था। इस प्रकार एक देश दो प्रणाली की नीति को व्यावहारिक स्तर पर लागू किया गया था।

1 जुलाई,1997 को हॉन्गकॉन्ग को चीन ने विशेष प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया। इसके तहत इस क्षेत्र की अपनी मुद्राएँ, आर्थिक और कानूनी प्रणालियां होगी, लेकिन रक्षा तथा विदेशी कूटनीति चीन

द्वारा तय की जाएगी, 50 वर्षों के लिए एक मिनी संविधान बनाया गया जो हॉन्गकॉन्ग हेतु वर्ष 2047 तक वैध होगा। इस समयावधि के बाद की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है।[2]

हॉन्गकॉन्ग संकट

चीन एकदलीय व्यवस्था वाला देश हैं जिसमें हाल ही में एक बदलाव किया गया है। इस बदलाव के अनुसार चीन का राष्ट्रपति जीवनपर्यन्त इस पद पर रहेगा। जबकि हॉन्गकॉन्ग का पिछली एक शताब्दी का इतिहास चीन से पृथक रहा हैं। ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण हॉन्गकॉन्ग में लोकतांत्रिक विचारों का आगमन हुआ तथा हॉन्गकॉन्ग की संस्कृति एवं पश्चिमी संस्कृति ने मिलकर कुछ नए विचारों को जन्म दिया, जो चीन से बहुत अलग है। हॉन्गकॉन्ग पर चीन के आधिपत्य के अभी 20 वर्ष ही पूर्ण हुए है और चीन एक देश दो व्यवस्था के विचार को मिटा देना चाहता है। चीन के मौजूदा राष्ट्रपति का विस्तारवादी रवैया 'एक देश दो व्यवस्था' को नकार रहा है तथा हॉन्गकॉन्ग के चीन में पूर्ण विलय के लिये किसी भी सीमा तक जाने के लिये तैयार है।[3]

अंब्रेला मूवमेंट

हॉन्गकॉन्ग पर चीन के नियंत्रण के बाद से अब तक कई बार चीन को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2009 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर विरोध हुआ परिणामस्वरूप यह कानून वापस ले लिया गया। वर्ष 2014 में भी हॉन्गकॉन्ग में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध को अंब्रेला मूवमेंट की संज्ञा दी जाती है। हॉन्गकॉन्ग की जनता को यह भरोसा दिलाया गया था कि वर्ष 2017 से हॉन्गकॉन्ग के नागरिक अपने मुख्य कार्यकारी का निर्वाचन स्वयं कर सकेंगे किंतु चीन ने सिर्फ उन्हीं लोगों को इस पद के लिये चुनाव लड़ने की अनुमति दी जिन्हें चीन की साम्यवादी पार्टी का समर्थन हासिल हो। इससे हॉन्गकॉन्ग के लोगों को अत्यधिक निराशा हुई। इसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों ने महीने से भी अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिये लोगों ने छाते 'अंब्रेला' का उपयोग किया इसी कारण इसको 'अंब्रेला मूवमेंट' के नाम से पुकारा जाता हैं।[4]

हॉन्गकॉन्ग प्रो.-डेमोक्रेसी मूवमेंट

यह विवाद प्रत्यर्पण कानून में लाए गए बदलाव को लेकर उत्पन्न हुआ। प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से हॉन्गकॉन्ग से लोगों का प्रत्यर्पण चीन को किया जा सकेगा। हॉन्गकॉन्ग विश्व में आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र है तथा विश्व के विभिन्न देशों के आर्थिक हित हॉन्गकॉन्ग से जुड़े हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था व्यवसाय से संबंधित विवाद में दोषी पाए जाते हैं तो इनका प्रत्यर्पण चीन में किया जा सकता है। जबकि अभी तक हॉन्गकॉन्ग ब्रिटिशकालीन कॉमन लॉ सिस्टम से काम कर रहा है और उसकी 1997 से पहले अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर के साथ ही प्रत्यर्पण संधि थी। इस प्रत्यर्पण विधेयक से हॉन्गकॉन्ग के लोगों में यह भय पनपने लगा हैं कि चीन इस कानून के जरिये किसी भी ऐसे लोगों को, जो हॉन्गकॉन्ग के राजनीतिक आंदोलन से जुडे. हैं, नियंत्रित कर लेगा। इससे हॉन्गकॉन्ग वासियों के राजनीतिक अधिकार समाप्त हो जाएँगे।

प्रत्यर्पण विधेयक के विरोध के पश्चात् इस विधेयक को निलंबित कर दिया गया था लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इस विधेयक को पूर्णत: समाप्त घोषित किया जाए। इसके अतिरिक्त हॉन्गकॉन्ग की मौजूदा मुख्य कार्यकारी कैरी लेम की बर्खास्तगी तथा उन सभी प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग की जा रही है जिन्हें विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया है तथा चुनाव प्रणाली में सुधार हेतु अभी प्रदर्शन जारी हैं।

उपर्युक्त मांगों के अतिरिक्त हॉन्गकॉन्ग के लोग चीन के प्रति सशंकित दृष्टिकोण रखते हैं तथा ऐसा मानते हैं कि चीन विभिन्न माध्यमों के जरिये हॉन्गकॉन्ग की विशेष स्थिति को समाप्त करना चाहता हैं। जैसे - हॉन्गकॉन्ग की एक स्थानीय पार्टी हॉन्गकॉन्ग नेशनल पार्टी को वर्ष 2018 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। हॉन्गकॉन्ग के लोग लंबे समय तक ब्रिटेन के उपनिवेश होने के कारण लोकतांत्रिक विचारों तथा पश्चिमी सभ्यता के करीब रहे हैं, साथ ही ये स्वयं भी अपनी संस्कृति तथा विशिष्ट पहचान को संरक्षित रखना चाहते हैं। लोगों का मानना है कि चीन धीरे-धीरे अपने प्रभाव के जरिये हॉन्गकॉन्ग की विशिष्ट पहचान को समाप्त करना चाहता हैं इसलिये लोग विरोध प्रदर्शन द्वारा चीन की हठधर्मिता के विरोध में उतर आते हैं।[5]

चीन की स्थिति

मौजूदा समय में चीन आर्थिक मोर्चे पर गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार युद्ध छेड़ दिया हैं। इसके जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर शुल्क में वृद्धि कर दी हैं। चीन की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्यात पर निर्भर करती है परिणामत: चीन की अर्थव्यवस्था पिछले 27 वर्षों के न्यूनतम वृद्धि दर पर पहुँच चुकी है। आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त हॉन्गकॉन्ग में हो रहे विरोध प्रदर्शन ने भी चीन के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की हैं। इस विरोध प्रदर्शन को विभिन्न पश्चिमी देशों, यथा- अमेरिका, ब्रिटेन आदि तथा जापान का भी समर्थन प्राप्त हैं। चीन ने भी प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि यदि विरोध प्रदर्शन को नहीं रोका गया तो वह सैनिक कार्रवाई को भी अपने विकल्पों में शामिल कर सकता हैं। चीन के ऊपर वर्ष 1989 के थ्यानमन आंदोलन के नृंशस दमन का कलंक है जिसको लेकर विश्व में चीन की आलोचना होती रही है लेकिन 1989 की घटना चीन की सैनिक कार्रवाई की चेतावनी को मजबूत आधार प्रदान करती है, साथ ही हॉन्गकॉन्ग के लोगों के मन में भय भी उत्पन्न करती

हैं। यह भय हॉन्गकॉन्ग में तेजी से बढ़ रही सैन्य बलों की संख्या से और भी तीव्र हुआ हैं। हालांकि चीन पर अन्तरराष्ट्रीय समुदाय का दबाव है तथा उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई, ऐसे में सैनिक कार्रवाई चीन के लिये अन्य समस्याएँ उत्पन्न कर सकती हैं।

हॉन्गकॉन्ग में पहले भी कई विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन वर्ष 2003, 2009, 2014 में हुए हैं। कुछ भू-सामरिक विश्लेषक इन प्रदर्शनों को विरोधों की पंच वर्षीय योजना की संज्ञा भी देते हैं अत: चीन के लिये ये विरोध प्रदर्शन नए नहीं हैं, साथ ही विरोध की अवधि जितनी अधिक होगी, हॉन्गकॉन्ग का आर्थिक नुकसान भी उतना ही अधिक होगा। कुछ विश्लेषकों का मानना हैं कि हॉन्गकॉन्ग के शेयर बाजार को पिछले दो माह में 500 बिलियन डॉलर की हानि हुई हैं।[6]

थ्यानमन आंदोलन एवं दमन

अप्रैल 1989 में 10 लाख से अधिक प्रदर्शनकारी राजनीतिक आजादी की मांग को लेकर थ्यानमन चौक पर इकट्ठा हुए थे। चीन के वामपंथी शासन के इतिहास में इसे सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन कहा जाता है जो डेढ़ महीने तक चला। यह प्रदर्शन कई शहरों और विश्वविद्यालयों तक फैल गया था। प्रदर्शनकारी तानाशाही समाप्त करने और स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। इसके अलावा बढती महँगाई, कम वेतन आदि को लेकर भी लोगों में रोष व्याप्त था। 30 वर्ष पहले चीन में आर्थिक बदलाव के बाद राजनीतिक बदलाव की मांग को लेकर वर्ष 1989 में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। चीन में लोकतंत्र समर्थक छात्रों के नेतृत्व में किये गए विरोध प्रदर्शनों का मुख्य केन्द्र थ्यानमन चौक ही था। छात्रों के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में चीन के लगभग 400 शहरों-कस्बों के लोग शामिल हुए थे, जो कम्यूनिस्ट नेताओं से इस्तीफा चाहते थे। साथ ही देश में लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक समानता, प्रेस और बोलने की आजादी दिलाना भी इस प्रदर्शन के उद्‌देश्यों में शामिल था। इस दौरान अनगिनत प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी तथा 10 हजार को गिरफ्तार भी किया गया था।[7]

भारत तथा चीन

भारत का रूख चीन की हॉन्गकॉन्ग नीति के लिये उदासीन रहा हैं। भारत ने कभी भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन नहीं किया हैं जबकि अन्य देश खुलकर हॉन्गकॉन्ग के लोगों का समर्थन करते रहे हैं। चीन के साथ भारत पहले से उपस्थित मतभेदों का बढ़ाना नहीं चाहता हैं किंतु चीन का रूख कश्मीर जैसे विभिन्न मुद्दों पर भारत विरोधी ही रहा हैं तथा वह हमेशा पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा रहा हैं। एक ओर चीन कश्मीर मुद्‌दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता है वहीं स्वयं उईगर तथा हॉन्गकॉन्ग के मामले में अमानवीय रूख अख्तियार करता हैं। भारत को भी चीन के रूख के अनुसार ही अपनी नीति का निर्माण करना चाहिये। यदि चीन कश्मीर मुद्‌दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो भारत को भी हॉन्गकॉन्ग का खुलकर समर्थन करना चाहिये।[8]

निष्कर्ष

लोकतांत्रिक विश्व में किसी भी देश की स्वायत्तता को मिटाने का प्रयास एक घिनौनी हरकत है। हॉन्गकॉन्ग में स्वतंत्रता, तानाशाही समाप्ति व लोकतंत्र के लिए किये जा रहे विरोध प्रदर्शन पूरे विश्व के लिए चिंतनीय विषय हैं। विश्व के सभी देशों को लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। जिस प्रकार पश्चिमी देशों ने हॉन्गकॉन्ग का समर्थन किया, भारत को भी अपने रवैये में परिवर्तन कर हॉन्गकॉन्ग में निहित अपने आर्थिक हितों की रक्षा करनी चाहिए। भारत का डायस्पोरा हॉन्गकॉन्ग में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता हैं।

इसके अतिरिक्त हॉन्गकॉन्ग मुद्‌दा भारत के लिए चीन से कश्मीर मुद्‌दे को संतुलित करने का भी एक जरिया बन सकता हैं। यदि चीन कश्मीर मुद्‌दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो भारत को भी हॉन्गकॉन्ग का खुलकर समर्थन करना चाहिए, भारत को भी चीन के रूख के अनुसार ही अपनी नीति का निर्माण करना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

1. डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु.डिस्कवरहॉगकोंग.कॉम
2. चेंग, जोसेफ यू-शेक, चाइनाज् फॉरेन पॉलिसी चैलेन्जेज एण्ड प्रोस्पेक्ट्स, सिटी यूनिवर्सिटिज् ऑव हॉगकाँग, हॉगकोंग, 2016, पी. 3
3. डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु.द हिन्दू.कॉम
4. डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु.एनडीटीवी.कॉम
5. डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु.एनडीटीवी.कॉम/इलबर्ट इलयनोर, डेमोक्रेसी इन हॉगकोंग.कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स, सेप्टेम्बर 2019
6. एचटीटीपी//आरएसटीवी.एनआइसी.इन/वर्ल्ड पेनोरमा, द बिग पिक्चर साराजहाँ एण्ड देश-देशान्तर
7. डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु.एनडीटीवी.कॉम/एन्ड्रियू जे., हॉउ चाइना सी द हॉगकोंग क्राइसिस, फॉरेन अफेयर्स, ऑगस्ट, 2019
8. डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु.बीबीसी.कॉम

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 64-67

आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के राजनीतिक विचारों का भारतीय राजनीति पर प्रभाव : एक मूल्यांकन

डॉ. राजेश रावत

विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, एस.एस.जैन सुबोध पी.जी. कॉलेज, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

प्राचीन भारत के राजशास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान बहुत ऊँचा है उसे कूटनीति तथा शासन कला का सबसे महान प्रतिपादक कहा जा सकता है। सालेटोर के अनुसार, प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। कौटिल्य का राजनीति शास्त्र के निर्माण व विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अर्थशास्त्र के अपने से पूर्व के लेखकों के साहित्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राजनीति विज्ञान का लगभग पुनर्निमाण किया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य सम्बन्धी सूचनाओं का भण्डार है तथा उसमें राजनीति के लगभग सभी मौलिक तथा गौण सिद्धान्तों का वर्णन मिलता है। डॉ. राधाकृष्ण चौधरी के मतानुसार सोमदेव सूरी, मनु, याज्ञवल्क्य तथा कात्यायन जैसे अनेक पाश्चात्य भारतीय विचारकों को कौटिल्य के इस ग्रन्थ ने प्रभावित किया। डॉ. घोषाल के अनुसार, महाभारत में जो राजधर्म के महत्वपूर्ण योगदान है उसका भी आभाष कराते हैं। भारतीय राजनीतिक चिन्तन में त्रयी, आन्वीक्षकी, वार्ता तथा दण्डनीति के परम्परागत सिद्धान्तों का जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है उसका श्रेय भी कौटिल्य को जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सब नैतिक-राजनीतिक आदर्शों, योजनाओं तथा रणनीतियों का विस्तार से वर्णन करते हुए कौटिल्य ने न केवल ऐतिहासिक घटनाओं व अपने समय की मौर्यकालीन परिस्थितियों को सामने रखा बल्कि बदलते हुए सन्दर्भों, परिस्थितियों व व्यवस्थाओं के महत्व तथा अनिवार्यताओं को भी पहचाना, ताकि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त आदर्श-व्यवस्थाएं, संस्थाएं, योजनाएँ तथा रणनीतियाँ उनके अपने समय और परिस्थिति के बंधन से मुक्त होकर सार्वकालिक बन सके, जिससे मानव जाति की आने वाली पीढ़ियां उसी प्रकार लाभान्वित होती रहे जिस प्रकार उनकी अपने समय की मौर्यकालीन व्यवस्था प्रभावित तथा लाभान्वित हुई थी।

संकेताक्षर : *राजकीय समाजवादी, मण्डल सिद्धान्त, राष्ट्रीय सुरक्षा*

प्रस्तावना

भारत एक प्राचीन गौरवमयी देश है जिसे सदियों तक विश्वगुरू रहने का सौभाग्य प्राप्त रहा है। सूर्य सदैव पूर्व में उदय होता है, ज्ञान का सूर्य भी पूर्व से ही उदय हुआ था। अर्नेस्ट वार्कर का यह आरोप सही नहीं है कि भारत का प्राचीन काल राजनीतिक चिन्तन की दृष्टि से मरूभूमि है और प्राचीन भारत ने विश्व को केवल अध्यात्म दर्शन दिया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया कि प्राचीन भारत केवल अध्यात्म में ही नहीं अपितु समाज दर्शन में भी किसी से पीछे नहीं था।

प्राचीन भारत के राजशास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान बहुत ऊँचा है उसे कूटनीति तथा शासन कला का सबसे महान प्रतिपादक कहा जा सकता है। सालेटोर के अनुसार, प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। भारत के महानतम कूटनीतिज्ञ कौटिल्य के जीवन के सम्बन्ध में प्रामाणिक सामग्री का बड़ा शोचनीय अभाव है। उसके बहिर्मुखी व्यक्तित्व के समान ही उसके अनेक नाम रहे हैं। जिनमें तीन अधिक प्रसिद्ध है - विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। उसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, उसे कौटिल्य इसलिए कहा जाता है कि उसका जन्म 'कुटिल' नामक ब्राह्मण वंश में हुआ था। उसके पिता का नाम चाणक्य था इसलिए उसे चाणक्य भी कहते हैं। वर्तमान समय में विद्वतजगत में उसे कौटिल्य तथा सामान्य जगत में चाणक्य के नाम से जाना जाता है।[1]

कौटिल्य का राजनीति शास्त्र के निर्माण व विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अर्थशास्त्र के अपने से पूर्व के लेखकों के साहित्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राजनीति विज्ञान का लगभग पुनर्निमाण किया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य सम्बन्धी सूचनाओं का

भण्डार है तथा उसमें राजनीति के लगभग सभी मौलिक तथा गौण सिद्धान्तों का वर्णन मिलता है। डॉ. राधाकृष्ण चौधरी के मतानुसार सोमदेव सूरी, मनु, याज्ञवल्क्य तथा कात्यायन जैसे अनेक पाश्चात्य भारतीय विचारकों को कौटिल्य के इस ग्रन्थ ने प्रभावित किया। डॉ. घोषाल के अनुसार, महाभारत में जो राजधर्म के महत्वपूर्ण योगदान है उसका भी आभास कराते हैं। भारतीय राजनीतिक चिन्तन में त्रयी, आन्वीक्षकी, वार्ता तथा दण्डनीति के परम्परागत सिद्धान्तों का जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है उसका श्रेय भी कौटिल्य को जाता है। भारतीय राजनीतिक चिन्तन में विदेश नीति के 6 परम्परागत रूपों, शासक की दण्डनीति और जिन परिस्थितियों में उनका प्रयोग किया जाये उनका वर्णन तथा राज्य के सात आधारभूत तत्वों का जो विवरण मिलता है यह भी कौटिल्य की एक देन रही है।

कौटिल्य के राजनीतिक विचार की उपयोगिता न केवल भारतीय चिन्तक वरन् पाश्चात्य चिन्तक भी स्वीकार करते हैं। मैकियावली इटली के सुप्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक थे, परन्तु वह भी कौटिल्य के राजनीतिक विचारों से अत्यन्त प्रभावित थे। मैकियावली को तो इटली का चाणक्य कहा गया है। इसके अतिरिक्त राजा एवं राज्य की प्रभुसत्ता सम्बन्धी विचार को हॉब्स ने भी स्वीकारा है, यह भी कौटिल्य के विचारों का अनुकरण प्रतीत होता है।[2]

कौटिल्य के राजनीतिक विचारों की प्राप्ति मुद्राराक्षस, कामन्दक के नीतिशास्त्र, दण्डी के दशकुमार चरित आदि ग्रन्थों से होती है। कामन्दक ने कौटिल्य के महान आदर्शवादी समाज एवं राज्य को अनुशासन में रखने वाला तथा सामाजिक मान्यताओं का प्रतिष्ठापरक बतलाया है। महाकवि दण्डी ने राजतंत्र एवं महापुरूषों के मुख को ही कौटिल्य का रूप कहा है, मृच्छकटिक में कौटिल्य को महान दार्शनिक, राजनेता, विचारक तथा लेखक कहा गया है। विशाखदत्त ने कौटिल्य को महान कुटिल गुणों पर आधारित राजनीति का सूत्र, सम्पूर्ण प्रशासन तन्त्र को एक ही व्यक्ति को सौंप देने वाला राजनेता कहा है। वर्तमान राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने भी कौटिल्य के राजनीतिक विचार के संदर्भ में भी उपर्युक्त दृष्टिकोण को ही ग्रहण किया है।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजतंत्र तथा राजनय के ज्ञान का असीम भण्डार है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यदि कौटिल्य केवल वर्णाश्रम-धर्म की प्राचीन परम्परा मात्र से जुड़े रहते तो उनके अर्थशास्त्र का इतना व्यापक प्रभाव नहीं होता, जितना आज है। वास्तव में आज आदर्श तभी और उसी सीमा तक प्रेरणात्मक होते हैं जहाँ तक वह सामाजिक जीवन की बदली हुई आवश्यकताओं के अनुसार ढाल लिए जाए। वास्तव में, धर्म जीवन का सर्वोच्च मूल्य है, लेकिन धर्म के साथ-साथ जीवन में अर्थ और काम का महत्व भी कम नहीं है और यदि धर्म को अर्थ और काम की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं ढाला जाता तो उसका उतना वास्तविक महत्व नहीं होगा जितना की होना चाहिए और वह मात्र एक सिद्धान्त के रूप में सिमट कर रह जायेगा। यदि धर्म को जीवन की वास्तविकताओं से अलग कर दिया जाय तो यह एक ऐसे महल के रूप में होगा, जो विशाल तथा सुन्दर तो होगा लेकिन जिसमें रहना और जिसका भोग करना किसी के लिए भी असंभव हो।[2] उदाहरण के तौर पर कौटिल्य के सिद्धान्त रूप में वर्ण व्यवस्था को देखते हुए मिश्रित जातियों में मिश्रित विवाहों से उत्पन्न हुई सन्तानों को भी अपनी नई सामाजिक व्यवस्था में उपयुक्त स्थान प्रदान किया।

जहाँ कौटिल्य ने सैद्धान्तिक रूप से यह स्वीकार किया कि आमतौर पर राजा को अपनी प्रजा तथा अन्य राज्यों के साथ धर्म तथा नैतिकता का पालन करना चाहिए वहाँ उन्होंने अपवाद के रूप में राजा को इस बात की छूट भी दी कि राजनीतिक आचरणों में न्याय तथा नैतिकता के नियमों के साथ समझौता करना पड़ता है तथा उनकी बदलते हुए समय तथा परिस्थितियों को पहचाना वहाँ उन्होंने राजा के दण्ड की असाधारण तीव्रता तथा कठोरता के परिणामों के प्रति सजग भी किया। कौटिल्य ने राजा एवं राजपद को दैवीय माना है। उन्होंने यह भी कहा है कि राजा के आदेश को प्रत्येक परिस्थिति में मानना चाहिए। कभी भी उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। परन्तु कौटिल्य ने राजा को सम्बोधित किया है कि उसे भी धर्मगत नीति-नियमों द्वारा प्रजा पालन करना चाहिए। भारतीय संविधान एवं राजनीति के लिए भी आज यही युक्ति चरितार्थ हो, इसकी आवश्यकता है। यद्यपि आज राजतंत्र नहीं है, परन्तु उच्च पदस्थ राजनेता एवं प्रशासन राजपद का ही कार्य कर रहे है।

कौटिल्य ने चक्रवर्ती राजा की अवधारणा को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार्य किया लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि उसे केवल इस बात से संतुष्ट हो जाना चाहिए कि उसे कम महत्व के राज्यों तथा राजाओं ने इसकी प्रभुता को स्वीकार कर लिया है और ऐसा कर लेने पर उसे उनके राज्य क्षेत्रों को हथियाकर अपने राज्य के विस्तार का स्वप्न नहीं देखना चाहिए। इस सबसे यह स्पष्ट होता है कि कौटिल्य ने अतिवाद के मार्ग को छोड़कर मध्यमार्ग को अपनाया।[3] अर्थशास्त्र को राजाओं, मंत्रियों तथा प्रशासकों के लिए एक मार्गदर्शक का रूप देते समय कौटिल्य ने सबकी समस्याओं को जिस सरलता और सावधानी से देखा और परखा वह न केवल उसकी दूरदर्शिता के रूप में प्रकट हुई बल्कि जो सुझाव उन्होंने प्रस्तुत किये उनसे राजनीतिक ज्ञान के भण्डार का महत्वपूर्ण विकास का विस्तार हुआ।

कौटिल्य एक राजकीय समाजवादी थे उन्होंने न केवल राजसत्ता को संजोये रखा बल्कि उसके कार्यो का विस्तार भी किया और ऐसा करके उन्होंने सरकार व सरकारी संस्थाओं को उखाड़ फेंकने की बात न कहकर एक समाजवादी राज्य की संस्थापना की बात की। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अच्छी शासन-प्रशासन व्यवस्था को समाज कल्याण के अपने कर्त्तव्यों को लगातार ईमानदारी से निभाना चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वाणिज्य खानों तथा अन्य उत्पादनों के समुचित संचालन की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि शिल्पियों व श्रमिकों की श्रेणियों को राज्य की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य के विचार न केवल ज्ञान के सकारात्मक भण्डार का औद्योगिक रणनीति के संचालन के लिए प्रयोग करते हैं। बल्कि एक ऐसी समग्र सामाजिक योजना भी प्रस्तुत करते हैं। जिसका उद्देश्य अर्थ के द्वारा धर्म की उपलब्धि है। जिस व्यवस्था को चाणक्य ने अपने पूर्वजों से ग्रहण किया और संजोए रखा तथा जिसे उन्होंने परिपक्वता के शिखर तक पहुँचाया, उसे मौर्यकाल के शासकों तथा उसके बाद के हिन्दू राजाओं ने विशेषकर अपनी कर व्यवस्था, व्यवस्थापिका तथा पुलिस को संगठित करने के लिए किया। हिन्दू राजाओं की व्यवस्था को मुस्लिम शासकों तथा ब्रिटिश शासकों ने ग्रहण किया। यदि भारतीय शासन प्रशासन का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाये तो उससे यह विदित होगा कि चाणक्य के सिद्धान्तों तथा नीतियों को किसी न किसी रूप में सदा अपनाया गया तथा आज भी अपनाया जाता है।

राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का आज जिस प्रकार संचालन किया जाता है वह कौटिल्य के वैज्ञानिक राजतंत्र के सिद्धान्त से प्रेरित है। उनका योगदान न केवल मण्डल-सिद्धान्त की अवधारणा तथा सत्ता का शान्ति के साधन के रूप में प्रयोग के क्षेत्र में था, बल्कि उन्होंने धर्मविजय की अवधारणा को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। कौटिल्य का अनूठा योगदान था कि उन्होंने सत्ता, शान्ति व समय को बराबर का महत्व दिया। स्वयं अपने जीवन-काल में, इस संत-राजनयिक ने चन्द्रगुप्त के साम्राज्य तथा बिन्दुसार के साम्राज्य के असीमित तथा निरंतर विस्तार को देखा।

बाद में, चन्द्रगुप्त के पोते अशोक ने अपने साम्राज्य की स्थापना अर्थशास्त्र में उल्लिखित प्रशासनिक ढ़ांचे के आधार पर की। सम्राट अशोक ने इतिहास को जो नैतिक व्यवस्था प्रदान की वह प्रत्येक सभ्य समाज की आधारशिला है। अशोक चक्र आज भारतीय गणतन्त्र का राजचिन्ह है।[5] बौद्ध वाङ्मय के स्वीकृत प्रभाव के साथ-साथ, कौटिल्य भी सम्राट अशोक के धर्मराज्य के मसीहा थे। कौटिल्य ने राजतंत्र तथा राजनय के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों की बौद्धिक स्वतंत्रता की प्राप्ति, धर्म अथवा नैतिकता पर राज्य के द्वारा होनी थी न कि धर्म प्रधान राज्य के द्वारा।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र एकमात्र ऐसा ग्रन्थ है जिसमें सैन्य संगठन, सेनाओं के प्रकार, भर्ती व्यवस्था, प्रशिक्षण, वेतन व्यवस्था, अस्त्र-शस्त्र, गुप्तचर व्यवस्था, दुर्ग व्यवस्था, युद्ध शिविर, शत्रु के प्रकार, युद्ध के कारण एवं प्रकार आदि राज्य की सैन्य एवं सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तृत व्याख्या की गई है। जिसे समग्र रूप में उसमें वर्णित सिद्धान्तों को हम कौटिल्य के युद्ध एवं सैन्य दर्शन के रूप में दर्शाते हैं। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मण्डल सिद्धान्त का मूल उद्देश्य राज्यों के बीच के सम्बन्धों का सूक्ष्म एवं यथार्थ वर्णन तथा शक्ति संतुलन बनाये रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा के निमित्त व्यावहारिक सम्बन्धों का अध्ययन करना है।[6] विदेश नीति और सुरक्षा नीति एक-दूसरे के पूरक हैं। विदेश नीति के छः अंग सन्धि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय और द्वैधी भाव बताए गए हैं और इन नीतियों के क्रियान्वयन करने हेतु साम, दाम, भेद और दण्ड नामक चार उपाय सुझाए हैं।

आचार्य कौटिल्य ने राजा के प्रति राज्य के दो प्रकार के कोप बताये हैं- आभ्यान्तर और बाह्य। इनके अनुसार आभ्यान्तर कोप घर में रहने वाले सांप की तरह है जो बाह्य कोप से अधिक अनर्थकारी होता है। अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में विस्तृत चर्चा की है।[7] विदेशी राष्ट्र प्रमुख तथा विदेश सेनापति आदि लोगों द्वारा उत्पन्न और अपने देश के मंत्री, सेनापति, पुरोहित आदि द्वारा प्रोत्साहित राष्ट्रीय विपत्ति। बाह्य लोगों द्वारा उत्पन्न और उन्हीं के द्वारा प्रोत्साहित। स्वयं के लोगों द्वारा उत्पन्न एवं बाह्य लोगों द्वारा प्रस्तावित विपत्ति। आन्तरिक रूप से उत्पन्न और उन्हीं के द्वारा प्रोत्साहन।

राष्ट्रों के जीवन में विपत्ति एक स्थाई तत्व है। देश, काल एवं परिस्थिति के अनुरूप उसके प्रारूप, प्रकृति एवं स्वभाव में कम-अधिक परिवर्तन हो जाता है। कौटिल्य द्वारा प्राचीन युग में वर्णित उपर्युक्त खतरों को यदि वर्तमान संदर्भ में आंकलित करने का प्रयास किया जाता है तो यह बात हास्यास्पद लग सकती है किन्तु सीधा एवं सपाट सत्य यह है कि देश की सुरक्षा के खतरों का स्वरूप भले ही बदल गया हो, किन्तु उसकी प्रवृत्ति में लेशमात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है।

रक्षा सौदों में व्याप्त भ्रष्टाचार में जिस तरह से अपने ही देश में जिम्मेदार पदों पर पदस्थ मंत्री, अधिकारी एवं विदेशी एजेंट जिसमें हथियारों के दलाल, आपूतिकर्ता कम्पनी या वहां पर उच्च पद पर काबिज व्यक्ति लिप्त पाये जा रहे हैं, वह न केवल देश की रक्षा क्षमता को कमजोर करने वरन राष्ट्र को सामरिक दृष्टि से एक बड़ा प्रतिघात है। चूंकि भारत अपनी रक्षा जरूरतों का 70 फीसदी से अधिक रक्षा

सामान विदेश से खरीदता है इसलिए यहाँ भ्रष्टाचार की सबसे अधिक सम्भावनाएं हैं। इससे देश की सेना का मनोबल गिरता है तथा युद्ध के मोर्चे पर रक्षा उपकरणों पर संशय भी बना रहता है। जिस तरह से स्वतंत्रता के बाद रक्षा खरीद में दलाली, जालसाजी इत्यादि के प्रकरण आये हैं वह इसकी स्वत: पुष्टि करते हैं।

कौटिल्य द्वारा बताये गये सुरक्षा खतरे के अन्तर्गत सीमापार आतंकवाद तथा शरणार्थी समस्या को लिया जा सकता है। कश्मीर को प्राप्त करने की मंशा संजोए पाकिस्तान, भारत से पिछले चार युद्ध सन् 1947-48, 1965, 1971 एवं 1999 में प्रत्यक्ष युद्ध में पराजित होने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से भारत को अस्थिर करने के लिए आतंकवाद का सहारा ले रहा है। आतंकियों को अपनी सरजमीं में पूर्ण प्रशिक्षणोपरान्त अस्त्र-शस्त्र देकर कभी जम्मू-कश्मीर के रास्ते तो कभी नेपाल, बांग्लादेश सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ कराता है। राज्य प्रेरित आतंकवाद का सबसे ज्यादा शिकार भारत रहा है आतंकवाद भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा बना हुआ है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस श्रेणी के अन्तर्गत नक्सलवाद, नकली मुद्रा, अवैध हथियार व मादक पदार्थो का व्यापार, मानव तस्करी इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। आज देश का लगभग 40 प्रतिशत भू-भाग, 13 बड़े राज्य, 270 जिले एवं लगभग 35 प्रतिशत जनसंख्या नक्सलवाद की चपेट में है। नक्सलियों के पास आधुनिक हथियार व गोला-बारूद एवं अन्य साजों-सामान की सतत् आपूर्ति नेपाल व बांग्लादेश के रास्ते होती है। भारत में जाली नोटों का संचालन पड़ोसी देशों से होता है। इसके अतिरिक्त आन्तरिक सुरक्षा के सभी खतरे - जातिवाद, क्षेत्रीयता अथवा प्रादेशिकता, भाषावाद, जनजातीय विद्रोह, साम्प्रदायिकता, निर्धनता, बेरोजगारी की समस्या, श्रम विवाद, नक्सली हिंसा, उग्रवाद, भ्रष्टाचार इत्यादि राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष गंभीर एवं चिंतनीय समस्या है।[8]

राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में आचार्य कौटिल्य ने गहन अध्ययन, मनन व दूरदर्शी चिंतन तथा अपने अनुभवों के आधार पर अपनी कृति अर्थशास्त्र में जिस प्रकार के विपत्ति अथवा खतरे का जिक्र किया है वही खतरे सदियों बाद भी आज भारत के समक्ष मौजूद हैं, बस उनकी प्रकृति, स्वभाव एवं प्रारूप में अन्तर आ गया है जो स्वाभाविक है। प्राचीन भारत के महान स्वप्नद्रष्टा कौटिल्य की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति संबंधी सिद्धान्त आधुनिक समय में भी प्रासंगिक हैं।

दुर्भाग्य है कि 8वीं शताब्दी के आरम्भ से और उसके पश्चात् कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सुरक्षा सिद्धांन्तों को एक सिरे से भुला दिया गया जिसके कारण भारत पर एक के बाद एक लगातार कई विदेशी आतंकवादी हमले हुए।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सब नैतिक-राजनीतिक आदर्शों, योजनाओं तथा रणनीतियों का विस्तार से वर्णन करते हुए कौटिल्य ने न केवल ऐतिहासिक घटनाओं व अपने समय की मौर्यकालीन परिस्थितियों को सामने रखा बल्कि बदलते हुए सन्दर्भो, परिस्थितियों व व्यवस्थाओं के महत्व तथा अनिवार्यताओं को भी पहचाना, ताकि उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त आदर्श-व्यवस्थाएं, संस्थाएं, योजनाएँ तथा रणनीतियाँ उनके अपने समय और परिस्थिति के बंधन से मुक्त होकर सार्वकालिक बन सके, जिससे मानव जाति की आने वाली पीढ़ियां उसी प्रकार लाभान्वित होती रहे जिस प्राकर उनकी अपने समय की मौर्यकालीन व्यवस्था प्रभावित तथा लाभान्वित हुई थी। इसीलिए यह सर्वसम्मत रूप से माना जाता है कि कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान आजीवन रहेगा।

सन्दर्भ सूची

1. गाबा, ओ.पी., भारतीय राजनीतिक विचारक, नेशनल पेपरबैग्स, नई दिल्ली, 2019, पृ.सं. 54
2. जैन, पुखराज, प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2019 पृ.सं. 30
3. इन्द्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 2003, पृ.सं. 16
4. अग्रवाल, कमलेश, कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं शुक्रनीति की राज्य व्यवस्थाएँ, राधा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2001, पृ.सं. 19
5. विद्यालंकार, सत्यकेतु, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य, श्री सरस्वती सदन, नई दिल्ली, 1984, पृ.सं. 52
6. संजय, आतंरिक सुरक्षा के गम्भीर खतरे, तूणीर, अंक 13, रक्षा अध्ययन शोध समिति, गोरखपुर, पृ.सं. 16-17
7. निगम, राजेन्द्र कुमार, भारतीय आन्तरिक सुरक्षा पर आर्थिक आक्रमण : नकली नोट, तूणीर, अंक 14, रक्षा अध्ययन शोध समिति, गोरखपुर, पृ.सं. 973
8. सिंह, सरदार, सामान्य अध्ययन, भारतीय इतिहास, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2000, पृ.सं. 119
9. जायसवाल, रामकृष्ण, भारतीय राजनीतिक विचारक, शेखर प्रकाशन, इलाहाबाद, 2007, पृ.सं. 69
10. गुप्ता, मेजर धनपाल, सरल सैन्य अध्ययन, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ, 1976-77, पृ.सं. 36

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 68-74

भारत में मानवाधिकार एवं महिलाएँ

डॉ. रामफूल जाट

सहायक आचार्य, समाजशास्त्र, राजकीय कला महाविद्यालय, दौसा (राजस्थान)

शोध सारांश

प्रारम्भ में ही मानव स्वतन्त्र रूप से विचरण करता रहा है तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयासरत रहा है। जैवकीय एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निरंतर विकास को अपनाता रहा है और नवीन सामाजिक मानदण्डों व मूल्यों की स्थापना करता गया है। प्रस्तुत शोध में प्राचीन काल से मानवाधिकारों का उद्भव एवं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नियमाकीय तंत्र के विकास को आधार पाना वह ऋग्वैदिककाल, उत्तरवैदिककाल, धर्मशास्त्र काल, मध्यकाल, ब्रिटिशकाल एवं प्राचीन धर्म ग्रन्थों में मानवाधिकार, मेग्नाकार्टा, औद्योगिक क्रान्ति, फ्रांसीसी क्रान्ति, सन् 1946 का मानवाधिकार घोषणा पत्र, संयुक्त राष्ट्र संघ व महिला मानवाधिकारों के विकास प्रसार सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका 1975 का अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन, 1975 से 1984 तक महिला दशक मनाया जाना, यूनिसेफ की रिपोर्टस, भारतीय संविधान में महिला मानवाधिकारों का संरक्षण संवैधानिक प्रावधानों नियमों अधिनियमों, सामाजिक जागरूकता के प्रयासों का वर्णन विश्लेषण किया गया है।

संकेताक्षर : *मूल अधिकार, मानवाधिकार, यू.एन. कन्वेंशन, महिला मानवाधिकार*

प्रस्तावना

प्राचीन समय से मनुष्य स्वतन्त्र रूप से विचरण करता था तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रेरित होकर ही कार्य करता था। इच्छापूर्ति या उदरपूर्ति हेतु किया गया उसका प्रयास ही अधिकार था। कालातंर में विकास के क्रम में उसे रोटी, कपड़ा, व मकान की आवश्यकता महसूस हुई उनकी पूर्ति हेतु वह समाज के बंधनों में बंध गया और निरंकुश सत्ता के अधीन हो गया। इन्हीं निरंकुशताओं के विरुद्ध मानवीय संघर्ष ने मानवाधिकार की रक्षा की नींव रखी। अतीत में सभी समाजों और संस्कृतियों ने कुछ ऐसे अधिकारों और सिद्धान्तों की अवधारणा का विकास किया है, जिसकी रक्षा की अपेक्षा रखने का हक प्रत्येक सामाजिक प्राणी को है। आधुनिक काल में यह माना जाने लगा कि अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुख -समृद्धि मानव अधिकारों की उपलब्धि और उपभोग पर आधारित है। मानवाधिकार की अवधारणा सत्ता के स्वेच्छाचारी प्रयोग को रोकने के उपाय के रूप में विकसित हुई।

मानव अधिकार का अर्थ उन अधिकारों से लगाया जाता है जो मानव जाति के विकास के लिए मूलभूत है। ये अधिकार मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होते हैं और इनकी प्राप्ति में जाति, लिंग, धर्म, भाषा, रंग तथा राष्ट्रीयता बाधक नहीं होती। मानव अधिकार को मूलाधिकार, आधारभूत अधिकार अथवा नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। ये अधिकार मानव को केवल इस अधार पर मिलने चाहिए कि वह मानव है। सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और परस्पर निर्भर व संबंधित है। सभी मनुष्य जन्म से समान है एवं इन्हें ईश्वर ने कुछ ऐसे अधिकार प्रदान किये हैं, जिन्हें छीना नहीं जा सकता है। विश्व के नागरिकों के लिए ये मानव अधिकार उनके अपने जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। मानवाधिकार जीवन की वह व्यवस्था है जिन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक मान्यता मिली होती है। और जिनका प्रयोग करके मानव अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है।

इतिहास तथा प्राचीन धर्मग्रन्थों में मूल मानव अधिकारों का वर्णन किया गया है। आधुनिक इतिहासकार मानवाधिकारों के विकास का श्रेय मैग्नाकार्टा को देते हैं। अंग्रेज सामंतों ने 15 जून, 1215 को इंग्लैण्ड के राजा जॉन को एक चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। मैग्नाकार्टा के द्वारा ही जनता को कुछ अधिकार हस्तान्तरित हुए। यह मानवाधिकारों के लिए संघर्ष के इतिहास में सम्भवत: पहली सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण परिघटना हैं। सन् 1628 व 1689

के अधिकार पत्रों में सम्राट के हस्ताक्षर संसद ने करवाये और ये अधिकार ही बाद में मानव अधिकार के रूप में विकसित हुए। सन् 1679 में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतन्त्रता स्वीकार की गई। जिसमें अहरणीय मानवाधिकारों को शामिल किया गया। इनमें जीवन, स्वतन्त्रता और खुशी की तलाश के अधिकार सम्मिलित थे।

सन् 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मनुष्य तथा नागरिकों के अधिकारों से सम्बन्धित घोषणापत्र तैयार किया गया। सन् 1833 में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र में दास प्रथा की समाप्ति के लिए ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक पारित किया और दास व्यापार की समाप्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समझौते हुए। सन् 1917 के रूसी क्रांति के पश्चात् ही सर्वहाराओं द्वारा मौलिक, अधिकार प्राप्त किए गये। सन् 1929 में अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्थान, न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मानव अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का एक घोषणापत्र तैयार किया। सन् 1945 में इंटर अमेरिकी कांग्रेस ने मानव जाति के अधिकार की संकल्पना को बढ़ावा देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फोरम तैयार करने का प्रयास किया।

सन् 1946 में विधिवत् मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार घोषणापत्र का प्रारूप तैयार किया गया तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंपा गया। प्रारूप में कुछ संशोधनों के पश्चात् महासभा ने 10 दिसम्बर, 1948 के मानवाधिकारों के विश्व घोषणापत्र की घोषणा की। प्रारम्भ में मानवाधिकार प्राकृतिक नियम के रूप में विद्यमान थे, परन्तु 10 दिसम्बर 1948 के बाद इसे व्यावहारिक दर्जा प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र मानव सभ्यता के इतिहास में पहला दस्तावेज है जिसमें अधिकारों की न सिर्फ विस्तृत व्याख्या की गई है, अपितु इसे नई विश्व व्यवस्था के लिए आदर्श व अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मूल्य रूप में स्थापित भी किया गया। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में तीस धाराएँ हैं जिनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ ही आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल हैं। इस घोषणा में यह स्वीकार किया गया है कि मनुष्य स्वतन्त्र जन्म लेता हैं तथा गरिमा,सम्मान और विचारों में समान होते हैं। मनुष्य को समाज एवं राष्ट्र का सदस्य होने के नाते मानवाधिकार उसे अन्तर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था द्वारा मान्य होते हैं। इन अधिकारों का राष्ट्रीय स्तर हनन होने पर अन्तर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं में अपील करने का भी प्रावधान किया गया है।

मानवाधिकार घोषणा पत्र में विविध नागरिक और राजनैतिक अधिकारों का समावेश है, जिनमें प्रमुख है :- जीवन स्वतन्त्रता और सुरक्षा का अधिकार, अत्याचार और उत्पीड़न से रक्षा का अधिकार, कानून के समक्ष समता का अधिकार, मनमाने रूप से बंद बनाए जाने और देश से निकाले जाने से रक्षा का अधिकार, सार्वजनिक एवं महत्वपूर्ण मुकदमों सम्बन्धी अधिकार, प्रमाणित न होने तक निर्दोष समझे जाने का अधिकार, राज्य के बाहर आने-जाने का अधिकार, विवेक और धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, परिवार की सुरक्षा का अधिकार, पति-पत्नी का अधिकार, सहमति के आधार विवाह करने का अधिकार, सम्पत्ति पर अधिकार, शांतिपूर्वक ढंग से एकत्र होने और संघ बनाने का अधिकार, इच्छानुसार सरकार बनाने का अधिकार, सार्वजनिक कार्यों और राजनीति में भाग लेने का अधिकार, सरकारी नौकरी करने का अधिकार, इत्यादि।

इसके साथ ही समय-समय पर मानव के चतुर्मुखी विकास के लिए मानवाधिकारों सम्बन्धी अनेक घोषणाएँ की गई, जिसमें - दिसम्बर 1948 को जाति संहार के विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार, नवम्बर 1959 को बाल अधिकार, नवम्बर 1963 को सांस्कृतिक अधिकार, दिसम्बर 1966 को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार तथा नागरिक और राजनीतिक अधिकार, नवम्बर 1967 को महिलाओं से भेदभाव के विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार, फरवरी 1991 को अल्पसंख्यकों के अधिकार इत्यादि प्रमुख है।

संयुक्त राष्ट्र संघ व महिला मानवाधिकार

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 1945 से प्रारम्भ मानवाधिकार एवं महिला आन्दोलनों ने लिंग भेदभाव एवं असमानता के प्रश्नों को अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मंचों पर राजनैतिक मुद्‌दों के रूप में प्रस्थापित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति स्थापना एवं विकास यात्रा में महिलाओं की भूमिका के महत्व को भी स्पष्ट किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाए, जिनमें महिलाओं को पुरूष के समान उत्थान का अधिकार दिया गया है। इस प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा से पूर्व 1946 में महिला प्रस्थिति के अध्ययन के लिए गठित समिति की घोषणा महत्वपूर्ण रही जिसको कमीशन ऑन द स्टेट्स वूमेन का नाम दिया गया।

सन् 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित, पुरूषों के साथ आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सभी समान अधिकार प्रदत्त किये जाने के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। महिलाओं

के उत्थान के संदर्भ में सम्पूर्ण विश्व में महिला उत्थान व विकास के प्रति चेतना जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला सहयोग की अपेक्षा करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला योगदान व महिला सकारात्मक व रचनात्मक भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए महिलाओं के उत्थान के कार्यक्रम बनाये।

सन् 1975 में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला कल्याण हेतु 1975 से 1984 तक के दशक को महिला दशक घोषित किया जिसमें महिला शिक्षा, रोजगार, लिंग, भेदभाव मिटाने, नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी एवं समान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नागरिक अधिकार देने आदि की घोषणाएं की गई। सन् 1978 में महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने के लिए समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया एवं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने के आशय से नवीन घोषणा जारी की गई।

दिसम्बर 1993 को संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा में महिलाओं के प्रति हिंसा निष्कासन की घोषणा को स्वीकार किया गया एवं महिलाओं के प्रति हिंसा को सात भागों में विभाजित किया गया-

1. समुदाय तथा परिवार में शारीरिक, जैविक तथा मनोवैज्ञानिक हिंसा जिमसें पत्नी को पीटना, लड़की का अनैतिक शोषण, दहेज सम्बन्धी हिंसा, वैवाहिक बलात्कार, महिला जननांगों की कांट-छांट तथा अन्य महिलाओं के प्रति घातक पारम्परिक क्रियाएँ।
2. अवैवाहिक हिंसा।
3. असन्तोष आधारित हिंसा।
4. शैक्षणिक संस्थाओं एवं अन्य स्थानों में कार्यस्थल पर धमकी तथा यौनिक उत्पीड़न।
5. महिला को बेचना तथा व्यापारीकृत करना।
6. वैश्यावृत्ति हेतु दबाव डालना।
7. राज्य द्वारा क्षमादान तथा अपराधी हिंसा।

सम्पूर्ण विश्व इतिहास के असंख्य पृष्ठ महिलाओं के प्रति हृदयहीन अत्याचारों और अधिकार वर्जना से भरे हैं। सभी महिलाओं को एक समूह में देखे तो संसार के लगभग सभी देशों में वे समाज का कमजोर हिस्सा रही हैं। मानव जाति का सम्पूर्ण इतिहास इसकी गवाही देता है।

भारत व महिला मानवाधिकार

प्राचीन समय से ही महिलाओं को पुरूषों की समानता का दर्जा देना अस्वीकार किया जाता रहा है। **ऋग्वैदिक काल** में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता रहा है। पुत्र और पुत्री दोनों के लिए उपनयन संस्कार अनिवार्य था। शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थे। इस युग में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था एवं महिलाओं को अपनी इच्छानुसार जीवनसाथी चुनने का अधिकार था। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था तथा महिलाओं के अपमान को पाप समझा जाता था। इस युग में महिलाओं की प्रस्थिति सभी क्षेत्रों में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक में समानता पर आधारित थी। वेदों की रचना में लगभग 200 श्लोकों का योगदान महिलाओं का माना गया है।

उत्तर वैदिक काल में भी महिलाओं की प्रस्थिति अच्छी थी परन्तु इस काल में महिलाओं के लिए धार्मिक कार्यों में भाग लेना संभव नहीं रहा, इनके वेदों के अध्ययन में भी रोक लगा दी गयी। इस युग में बालविवाह एवं बहुपत्नी विवाह का प्रचलन बढ़ गया, विधवा विवाह पर भी प्रतिबन्ध लगे एवं अन्य स्वतन्त्रताओं पर भी प्रतिबंध लगा दिये गये।

धर्मशास्त्र काल सामाजिक और धार्मिक संकीर्णता का युग था। इस युग में महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आई। इस युग में महिलाएं गृहलक्ष्मी से याचक के रूप में दिखाई देने लगी एवं अत्यन्त निर्बल, असहाय तथा पराधीन हो गई। महिलाओं के लिए एकमात्र विवाह संस्कार ही रह गया है और उनके सम्पत्ति के अधिकार को भी अधिकार छीना गया एवं पुरूष बहुपत्नी विवाह करने लगे। इस युग में महिलाओं की प्रस्थिति बहुत ही निम्न स्थिति में पहुँच गई थी।

मध्यकाल में हिन्दू धर्म व संस्कृति की रक्षा के नाम पर महिलाओं पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गये जिससे स्थिति में और अधिक गिरावट आई। सामाजिक संरचना में जटिलता, कठोरता, संकीर्णता, अपारदर्शी व्यवस्थाओं का उद्‌भव हुआ और महिलाओं की स्वतन्त्रता का धीरे-धीरे हनन् प्रारम्भ हुआ। महिलाओं की भूमिका को प्रजनन एवं पारिवारिकता तक सीमित किया जाने लगा। इस युग में पर्दाप्रथा, बालविवाह, धर्म परिवर्तन, विधवा उत्पीड़न, सती प्रथा, दहेज प्रथा आदि कुरीतियों का प्रचलन बढ़ा। इन सभी के लिए यदि जिम्मेदार पुरूष थे तो स्वयं महिलाएं ही थी जो प्रतिद्वन्द्वी बनकर दूसरी महिला के दोहन और शोषण का कारण बनी। इस प्रकार मध्यकाल महिलाओं के पतन का युग था एवं उनकी निम्न दशा की चरम सीमा थी।

ब्रिटिश शासन काल में भारतीय सामाजिक संरचना पर बाहरी प्रभावों का सूत्रपात एवं दखल प्रारम्भ हुआ, जिसने महिला प्रस्थिति के प्रश्नों को भी प्रभावित किया। इस काल में महिलाओं की प्रस्थिति में कुछ सुधार हुआ और उन्हें आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार दिये गये, विधवा-पुनर्विवाह कानून एवं विवाह विच्छेद हेतु कानून लागू किये गये। बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने हेतु कानून बनाये गये। पर्दाप्रथा भी कम होने लगी। महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए अनेक महापुरूषों ने संघर्ष प्रारम्भ किया। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर एवं महात्मा गाँधी आदि ने पूरी शक्ति से महिलाओं की समानता का प्रचार किया, जिससे महिलाओं को बहुत सी सामाजिक और परम्परागत दासताओं और बन्धनों से छुटकारा मिला।

स्वतन्त्रता के पश्चात् वैधानिक प्रावधानों से महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण तथा जातीय गतिशीलता ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति को उन्नत करने में काफी योगदान दिया है। परिणामस्वरूप अधिकाधिक परम्परागत निर्योग्यताएं धीरे-धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर होती चली गई और महिलाओं को विवाह, सम्पत्ति, संरक्षता और विवाह विच्छेद के क्षेत्र में पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त होने तथा सामाजिक रूढ़ियों से छुटकारा पाने का अवसर मिला।

वर्तमान परिदृश्य

महिलाओं के प्रति शोषण, अत्याचार तथा उत्पीड़न वर्तमान परिपेक्ष्य में एक सार्वभौमिक तथ्य है आज सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणापत्र को लगभग 65 वर्ष पूरे होने को हैं, फिर भी मानवाधिकारों का उल्लंघन समाज में प्रतिदिन दिखाई देता है, विशेष तौर पर महिलाओं के प्रति। महिलाओं को सदा ही सामाजिक, धार्मिक, विधिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में उपेक्षा सहनी पड़ी एवं उन्हें समाज में सदैव दोयम दर्जा ही प्राप्त हुआ। शारीरिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से पुरूषों पर निर्भर होने के कारण सदियों से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, शोषण और यौन उत्पीड़न होता रहा है और यही कारण है कि उन्हें अपने मानवधिकारों की रक्षा के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है।

संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के बावजूद महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ रही है। वह अपने आप को पहले से भी कही ज्यादा असुरक्षित महसूस करती है। महिलाओं में शिक्षा प्राप्ति के अधिकार भी पुरूषों की अपेक्षा कम है। हालांकि शहरों में तो स्थिति सुधर रही है परन्तु गाँवों में अभी भी महिला शिक्षा में भेदभाव किया जाता है। महिलाओं के प्रति शिष्टता का हनन आधुनिक समाज में खुलेआम हो रहा है, फिल्मों और विज्ञापनों में महिलाओं की देह को उपभोग की सामग्री की तरह बेचा जा रहा है।

आज वर्तमान में घर के बाहर एवं अन्दर महिलाओं की शोषण तथा दमन का सामना करना पड़ता है। घर की चारदीवारी के अन्दर दमन अधिकतर गुप्त होता हैं तथा परिवार के अंदर महिलाओं की समस्याएं बढ जाती है। महिलाओं एवं पुरूषों के बीच असमान शक्ति सम्बन्धों की अभिव्यक्ति जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रतिबिम्बित होती है और महिलाओं को हिंसा, भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, दहेज प्रताड़ना, मारपीट, यौन शोषण, शारीरिक एवं भावनात्मक शोषण का सामना करना पड़ता है।

यूनीसेफ के एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख भ्रूण हत्याएँ होती हैं जिनमें अधिकांश मादा भ्रूण हत्या हैं। महिलाओं की आर्थिक गतिविध कुल आर्थिक गतिविधि का लगभग 60 प्रतिशत है, किन्तु आय में उनका हिस्सा 34 प्रतिशत से अधिक नहीं है। असमानता के आंकड़े सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। महिलाओं पर बढती हिंसा और भी अधिक शोचनीय है। शिक्षा के अवसर निरन्त बढ़े रहे हैं किन्तु बहुसंख्यक बालिकाओं को लाभ नहीं मिल पाया है। विडम्बना है कि विकास की गति के बावजूद महिलाओं की प्रस्थिति में आशानुकूल सुधार नहीं हुआ है, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो स्थिति और बदतर हुइ है। महिलाएँ जो विश्व की आबादी का आधा हिस्सा हैं और जिनका समाज निर्माण में योगदान पुरूषों से किसी भी प्रकार कम नहीं है, पुरूष प्रधान समाज में कभी भी अपना न्यायोचित स्थान प्राप्त नहीं कर पाई।

भारतीय महिलाओं के संवैधानिक व विधिक अधिकार

भारत में मानवधिकारों को संविधान के तीसरे और चौथे अनुच्छेद में संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। संविधान में महिलाओं के साथ होने वाले अन्यायों और विशेषताओं को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर असंख्य प्रावधान कर रखे हैं। संविधान में महिलाओं को पुरूषों के समान ही अधिकार दिए हैं, अत्याचारों से दबी उनकी दयनीय जीवन स्थितियों को रूपांतरित करने और सामाजिक, आर्थिक तथा विधिक पहचान बनाने के लिए कई कल्याणकारी मान्यताएँ दी हैं लेकिन उनकी विकास की स्थिति और दशा आज भी चिंतनीय है। अत: महिलाओं की अभाव, अत्याचार, घुटन, कुरीतियों तथा पशुओं से भी बदतर

जीवन-स्थितियों को आजादी प्राप्ति के बाद बदलने का सिलसिला प्रारम्भ अवश्य हुआ है।

भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरूषों के समान सुरक्षा प्रदान की गई है एवं सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय देने को आश्वासन दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा समान श्रेणी देने की बात कही गई है।

संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में महिला अधिकारों को अप्राविधिक किया गया है, उनमें से मुख्य प्राविधित अधिकार इस प्रकार है:-अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष बराबरी का प्रावधान है, अनुच्छेद 15 में लिंग, जाति, धर्म व जन्म स्थान आदि किसी भी आधार पर भेदभाव पर रोक, अनुच्छेद 16 में लोकसेवाओं में बिना भेदभाव अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की सुरक्षा, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 में विचार, अंत:करण एवं धर्म की समानता, अनुच्छेद 29 में आर्थिक-सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार, अनुच्छेद 30 में शिक्षा सम्बन्धित अधिकार, अनुच्छेद 31 में सम्पत्ति रखने का अधिकार, अनुच्छेद 39 में काम का अधिकार, समान कार्य, समान वेतन संघ बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज एवं स्थानीय संस्थाओं में 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण, अनुच्छेद 41-42-43 में नीति निर्देशक तत्व के तहत महिलाओं को विशेष सामाजिक सुरक्षा, अनुच्छेद 41 में महिलाओं को काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेराजगारी व अपाहिज होने पर सुरक्षा, अनुच्छेद 42 में महिलाओं को प्रसूति सहायता की व्यवस्था, अनुच्छेद 43 में कामकाजी महिला के जीने के लिए अच्छा वेतन तथा जीवन जीने की व्यवस्था, अनुच्छेद 44 में सरकार द्वारा सभी को समान रूप से नागरिक अधिकार, अनुच्छेद 47 में पोषाहार जीवन स्तर व लोक स्वास्थय में सुधार करना सरकार का दायित्व, अनुच्छेद 330 में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिये लोकसभा एवं अनुच्छेद 332 में प्रस्तावित 84वें संविधान के जरिये राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है लेकिन यह संशोधन अभी तक संसद द्वारा पारित नहीं हो पाया है।

उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त संविधान प्रदत्त विधियों द्वारा भी महिला अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है। बागान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा विनियमन अधिनियम 1952, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, स्त्री और बालक संस्था (अनुज्ञापन) अधिनियम 1956, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, हिन्दू नाबालिग संरक्षता अधिनियम 1956, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961 (संसोधन 1986), बीडी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम 1966, ठेका श्रम अधिनियम 1970, आपराधिक विधि, संशोधन अधिनियम 1983, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984, मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986, स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986, सती निषेध अधिनियम 1987, प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 आदि।

निश्चय ही उपर्युक्त अधिनियमों के क्रियान्वयन से महिलाओं की वैधानिक स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत हुई हैं। यद्यपि कानून ने महिलाओं को अनेक प्रकार की सुरक्षात्मक व्यवस्थाएँ दी हैं, किन्तु सही परिपेक्ष्य में प्रभावी क्रियान्वयन के वांछित परिणाम समाज में दिखाई नहीं पड़ते हैं। वस्तुत: भारतीय संविधान में कानून के शासन की बुनियादी प्रतिबद्धता महिला पुरूष समानता अन्तर्निहित है जो महिलाओं के लोकतान्त्रिक अधिकारों को संरक्षित करती हैं। इससे महिला अधिकारों की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन की शुरूआत देखी जा सकती हैं जो अवश्य ही महत्त्वपूर्ण हैं। संवैधानिक एवं वैधानिक लैंगिंग-समानता ने महिलाओं के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान किया है और निश्चय ही ये स्वागत योग्य प्रयास हैं किन्तु महिलाओं के बड़े तबके के लिए आज भी इनकी क्रियान्विति यथार्थ से दूर हैं। ये प्रयास महिलाओं के अधिकारपूर्ण सशक्तिकरण में कितने सफल हो पाएंगे इसका जवाब भविष्य की गर्भ में है।

मानवाधिकार ज्ञान से सम्बन्धित सुझाव

महिलाओं के मानव अधिकारों के हनन को रोकने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं-

- महिलाएं अशिक्षित होने के कारण मानव अधिकारों की जानकारी से अनभिज्ञ हैं एवं उत्पीडन का शिकार हो रही हैं। अत: हमारा कर्तव्य है कि समय रहते लड़कियों को शिक्षा दिलवायें।
- मानव अधिकारों को हम कागजों एवं गोष्ठियों तक ही सीमित न रख कर कुछ यथार्थवादी बनाएं। महिलाओं में मानव अधिकारों के प्रति चेतना जाग्रत कर कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाए।

- संविधान में नारी प्रदत्त अधिकारों, कानूनों, अधिनियमों की सूचना, विज्ञापनों, पुस्तकों, टेलिविजन, पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकालयों के माध्यम से जन-जन को पहुचाई जाए।
- ग्राम पंचायत स्तर पर नारी मुक्ति केन्द्र की स्थापना की जाए जहाँ नारी से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके साथ ही नारी को अपने अधिकारों की, कानूनों की जानकारी प्राप्त हो सके।
- मानव अधिकारों में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम, डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा चलाये जा रहे हैं। लेकिन महिला मानव अधिकार से सम्बंधित पृथक से कोई पाठ्क्रम नहीं है। अत: ऐसे अधिकारों को नवीन पाठ्क्रम के रूप में जोड़ा जाना आवश्यक है।
- महिला अधिकारों का हनन रोकने, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने तथा स्वाभाविक हक दिलाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यवाही क्षेत्र को अधिक विस्तृत किया जाना चाहिए तथा इनका सतत् मूल्यांकन हो।
- पत्र-पत्रिकाओं, टेलिविजन चैनल व अन्य मीडिया के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए, जो आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने में सहायक होना चाहिए।
- महिलाओं के प्रति बढते अपराध का कारण उनकी कोमल देह है जिसे दिखाकर उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है अत: मीडिया के माध्यम से नारी का उपभोगवादी चरित्र प्रस्तुत न कर सच्चरित्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

बीसवीं शताब्दी मानवाधिकारों के क्षेत्र में सोच-विचार को नवीन आयाम प्रदान करने के लिए इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखती है। यद्यपि यह एक कटु सत्य है कि आज भी विश्व के अनेक देशों के नागरिकों को पूर्ण मानव अधिकार प्राप्त नहीं हो सके हैं। महिला जनसंख्या के अधिकांश भाग के लिए भारत में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व में मानवाधिकार आज भी मिथक है। आजादी के साठ वर्षों की विकास यात्रा में देश में महिलाओं उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और सामाजिक मान्यताओं के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन की सुगबुगाहट अवश्य लक्षित हैं लेकिन इस विशाल और अनगिनत विविधताओं वाले देश में इस परिवर्तन का अंश नगण्य ही है। लेकिन यह एकदम सत्य और प्रामाणिक तथ्य है कि देश में महिलाओं पर अत्याचारों की विविधता तथा गंभीरता भी बढी है। महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों के नये-नये विकृत रूप सामने आए हैं जो यह प्रमाणित करता है कि शिक्षा, संविधान, सामाजिक मर्यादा और नारी महत्व के सारे प्रगतिशील कार्यों के बावजूद उन पर हो रहे अत्याचारों में वृद्धि होती जा रही है। महिलाओं की स्थिति को सुधारने एवं उसके विकास हेतु उन्हें समाज व संविधान ने कई अधिकार तो दे दिए हैं, ताकि वह अपने हक को पा सके किन्तु क्या इन अधिकारों के बनने से ही उनकी स्थिति सुधर जायेगी, क्योंकि जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे, आज भी वे उन अधिकारों से वंचित हैं। उनके जीवन में तभी प्रसन्नता आयेगी जब उन्हें समाज में समानता का अधिकार प्राप्त होगा, इससे एक कुशल समाज का निर्माण होगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित दी ह्यूमन डवलपमेन्ट रिपोर्ट में भारतीय महिलाओं की स्थिति के बारे में आशावादी भविष्यवाणियां की गई हैं और इस स्थिति में सुधार बताया है। इसके अलावा दी यू.एन. फण्ड फॉर डवलपमेन्ट रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं की स्थिति में शिक्षा, नियोजन, प्रति महिला आय दर के क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ है। इसके अलावा मानवाधिकार के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए भारत की संसद ने 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया।

निष्कर्ष

वस्तुत: महिला अधिकारों का प्रश्न जितना कानूनी एवं राजनैतिक है उतना ही सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, सांस्कृतिक परम्पराओं तथा आर्थिक संरचनाओं द्वारा निर्धारित एवं प्रभावित है।

महिलाओं की अपनी स्वयं की मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन अपेक्षित है। यह परिवर्तन शिक्षा एवं आर्थिक स्वायत्तता, चेतन एवं संगठनात्मक प्रयासों द्वारा सम्भव है। अत: विश्व समाज में महिला चेतना व उसके अधिकारों के प्रति जो उत्साह जागा है उसका लाभ सारी विषमाताओं व असमानताओं के रहते हूए भी भारतीय महिलाओं को क्रमिक रूप से शनै:शनै: मिल सकता है। महिलाओं को जो अधिकार मिले, साधिकार मिले इसी में उनकी व समाज की प्रसन्नता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आहूजा, राम, भारत में सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1994
2. अंसारी, एम.ए., महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर 2003
3. पूरणमल, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और भारत का संविधान, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2003
4. राजकुमार, नारी के बदलते आयाम, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2005
5. जाखड़, दिलीप, मानवाधिकार, युनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा. लि., जयपुर 2001

6. कौशिक, आशा, नारी सशक्तिकरण : विमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004
7. कौशिक, आशा, मानवाधिकार और राज्य : बदलते संदर्भ, उभरते आयाम, पोइंटर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004
8. नाटाणी, प्रकाश नारायण, मानवाधिकार और कर्तव्य, आविष्कार पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2003
9. रावत, हरिकृष्ण, समाजशास्त्र विश्वकोष, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1998
10. सारस्वत, अक्षेन्द्रनाथ, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और पुलिस, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2002
11. शर्मा, रमा व मिश्रा, एम.के., भारतीय समाज में नारी, अर्जन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2010
12. शर्मा, प्रज्ञा, महिला विकास और सशक्तिकरण, आविष्कार पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2001
13. सिंह, राजबाला, मानवाधिकार और महिलाएं, आविष्कार पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2006

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 75-78

न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता: न्यायिक निष्पक्षता एवं स्वतन्त्रता हेतु एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता

ISSN 2348-3857

विजय लक्ष्मी

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर (राजस्थान)

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक है। यह अध्ययन सन्दर्भ पुस्तकों, प्रकाशनों, लेखों, समाचार पत्रों, वेब ब्लॉगों एवं सम्भाषणों से एकत्र किए गए द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है जिसमें न्यायिक नियुक्तियों हेतु पारदर्शितापूर्ण प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतन्त्रता व निष्पक्षता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अनेक प्रावधान किए गए लेकिन साथ ही न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका स्पष्ट रूप से उल्लखित है। न्यायिक नियुक्ति में निष्पक्षता को बनाए रखने एवं न्यायपालिका को कार्यपालिका के अनुचित हस्तक्षेप से बचाने के लिए कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आयी। कॉलेजियम प्रणाली में अन्तर्निहित कमियों के कारण यह आलोचना का विषय रही और इसीलिए वर्ष 2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया लेकिन न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप की सम्भावना को देखते हुए वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करते हुए कॉलेजियम व्यवस्था को पुन: बहाल किया। न्यायपालिका की निष्पक्षता व स्वतन्त्रता के लिए इसमें नियुक्तियों को कार्यपालिका के अनुचित हस्तक्षेप से बचाए रखना बहुत जरूरी है। इसलिए कॉलेजियम प्रणाली में आवश्यक संशोधन के साथ ही न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता अपरिहार्य है। प्रस्तुत शोधपत्र में न्यायपालिका में पारदर्शिता व निष्पक्षता हेतु वरिष्ठ न्यायविदों द्वारा दिए गए कुछ सुझावों को प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास किया गया है।

संकेताक्षर : *न्यायिक नियुक्ति, पारदर्शिता, निष्पक्षता, कॉलेजियम प्रणाली*

प्रस्तावना

भारतीय संविधान निर्माता एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो निरन्तर जनमत के प्रकाश में कार्य करें तथा जिसे जनमत के प्रतिकूल होने पर अपदस्थ किया जा सकें। देश के आकार-प्रकार को देखते हुए उन्होंने लिखित संविधान तथा सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के साथ केन्द्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया, जनता के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए उन्होंने न्यायपालिका की ओर देखा।[1] न्यायपालिका संविधान की संरक्षक और व्याख्या करने वाला एक महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। भारतीय राज व्यवस्था के तीन महत्त्वपूर्ण अंगो के मध्य शक्तियों के विभाजन के साथ ही संविधान सभा-सदस्यों का विचार था कि न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच समन्वय स्थापित हो तथा न्यायपालिका को कार्यपालिका एवं विधानपालिका से स्वतन्त्र रखा जाना चाहिए।[2] संविधान निर्माताओं को इस बात का ज्ञान था कि न्यायपालिका के प्रकाश स्तम्भ को प्रकाशमान रखना है तो आवश्यकता इस बात की है कि न्यायपालिका को समस्त भर्त्सना, अवपीडन तथा राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना होगा।[3] इस हेतु भारतीय संविधान में अनेक युक्तियों व प्रावधानों की व्यवस्था की गई। शपथ या प्रतिज्ञान का पालन, कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायधीश पद से विशेष प्रक्रिया द्वारा पदच्युति, अवमानना हेतु दण्ड, न्यायाधीशों के आचरण के सम्बन्ध में विधानमण्डल में चर्चा का निषेध आदि प्रावधान न्यायिक निष्पक्षता एवं स्वतन्त्रता हेतु भारतीय संविधान द्वारा पोषित किए गए।

भारतीय संविधान में प्रावधान है कि न्यायपालिका की सलाह से कार्यपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी। इस सम्बन्ध में न्यायाधीशों में अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु

प्रासंगिक प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में उल्लेखित है कि ''उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात, जिनमें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझें, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा .... परन्तु मुख्य न्यायाधीश से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा।''

व्यवहार में मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श मिलने के पश्चात् मन्त्रिमण्डल मामले पर विचार करता है और राष्ट्रपति को सलाह देता है कि आयुक्त व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की सलाह पर कार्य करता है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए मन्त्रिमण्डल के परामर्श को मानना आवश्यक ठहराया गया।[4] अत: व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री की भूमिका प्रभावी हो जाती है।

हमारी राजनीतिक एवं संसदीय व्यवस्था में यद्यपि संवैधानिक प्रावधान न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की स्थापना करते हैं तथापि न्यायपालिका की भूमिका व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के अन्तर्सम्बन्धों पर निर्भर रही है। कार्यपालिका विशेषत: प्रधानमंत्री प्रभावशाली स्थिति में होगा तब वह नियुक्ति के माध्यम से अपने दार्शनिक दर्शन के अनुकूल न्यायाधीशों को लाने का प्रयास करता है तथा संसद में अपनी मजबूत स्थिति के आधार पर संविधान के माध्यम से न्यायपालिका की शक्तियों को प्रतिबन्धित करने का प्रयास करता है।[5]

सामान्यत: सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों को मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया जाता है। लेकिन सातवें दशक में इस अभिसमय की उपेक्षा की गई। संविधान का छिद्रान्वेषण कर उसकी आत्मा के विपरीत कार्य किए गए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति में वरीयता क्रम का उल्लंघन किया गया और वह भी ऐसे वातावरण में इस प्रकार किया गया जो यह आभास देता है कि सरकार के विरुद्ध निर्णय देने वाले न्यायाधिपति पदोन्नति की बात नहीं सोच सकते। उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधिपति को मुख्य न्यायाधीश का अवसर न देने के उद्देश्य से बाहरी उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति के रूप में नियुक्ति, अतिरिक्त न्यायाधीशों को वादों का बोझ होने पर भी स्थायी न बनाया जाना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सिद्धान्तविहीन स्थानान्तरण[6] ऐसे प्रयास थे जिससे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता की भावना आहत हुई। इसी समय प्रतिबद्ध न्यायापालिका की बात सामने आयी। आपातकाल के दौरान न्यायपालिका की गौरवपूर्ण भूमिका को आघात पहुँचा। इसलिए उसके बाद पूरी कोशिश की गई कि न्यायपालिका को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त किया जाए और जजों की नियुक्ति में सरकारी भूमिका को समाप्त किया जाए।

न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के तीन महत्त्वपूर्ण मामलों में दिए गए निर्णयों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है जिसके विकास के फलस्वरूप कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्व में आयी। एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1982) मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति उचित कारणों के आधार पर प्रधान न्यायाधीश द्वारा सुझाए गए नामों को खारिज कर सकता है। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका की ताकत बढ़ गयी। दूसरे न्यायाधीशों के मामले (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ ए आई आर 1994, एस.पी. 264) में नौ न्यायधीशों की न्यायपीठ ने बहुमत से एस.पी. गुप्ता मामले में दिए गए निर्णय को कडी और निन्दात्मक भाषा में अनादरपूर्वक उलट दिया। इस मामले के ऐतिहासिक निर्णय ने राजनीतिक कार्यपालिका के पंख कतर दिए और उसकी शक्तियों को अवरुद्ध कर दिया। इस से न्यायपालिका नियुक्तिकर्ता प्राधिकरण बन गयी। लेकिन इस पीठ में प्रधान न्यायधीश की भूमिका को लेकर तीन जजों की असहमति के कारण कई सालों तक नियुक्तियों और स्थानान्तरण को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही। इस कडी में तीसरा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने तब दिया जब 1998 में राष्ट्रपति ने नियुक्तियों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श माँगा। 28 अक्टूबर 1998 को नौ न्यायधीशों की न्यायपीठ ने राष्ट्रपति को अपनी राय भेजी जिसमें न्यायधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नौ दिशा-निर्देश थे।[7]

1998 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्तियों के सम्बन्ध में दिए गए दिशा-निर्देशों से अस्तित्व में आयी कॉलेजियम प्रणाली से नियुक्तियों में न्यायपालिका का प्रभाव एवं भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण हो गयी। कॉलेजियम पाँच लोगों का समूह है जिसमें भारत के मुख्य न्यायधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं। कॉलेजियम प्रणाली ने राष्ट्रपति को एक औपचारिक अनुमोदक मात्र बना कर रख दिया। कॉलेजियम किसी व्यक्ति के गुण कौशल के अपने मूल्यांकन के आधार पर नियुक्ति करता है और सरकार उस नियुक्ति को स्वीकार करती है। अपवाद में वह किसी अनुमोदन को लौटा सकती है लेकिन दुबारा कॉलेजियम द्वारा भेजे जाने पर नियुक्ति टालना मुश्किल है।

कॉलेजिमय व्यवस्था में अन्तर्निहित कमियों के कारण यह आलोचना का केन्द्र रही। यह व्यवस्था मूलत: संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। मूल संविधान और संवैधानिक संशोधनों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कहीं भी कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख नहीं मिलता। संविधान सभा में भी इस व्यवस्था का जिक्र हुआ था लेकिन इसे स्वयं डॉ. अम्बेडकर ने अस्वीकार कर दिया। इसलिए यह प्रणाली संविधान की मूल धारणा के अनुकूल नहीं है। इससे न्यायपालिका वह भूमिका निभा रही है जो संविधान ने उसे दी ही नही। इसके अलावा यह प्रणाली पारदर्शी नहीं है इसलिए इसके द्वारा होने वाली नियुक्तियाँ हमेशा सन्देह के घेरे में रहती है। साथ ही इसकी निष्पक्षता पर भी सन्देह किया जाता है कि कॉलेजियम सदस्यों के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण कई बार योग्य जजों की अवहेलना भी की गयी।

कॉलेजियम व्यवस्था में अन्तर्निहित खामियों के कारण वर्ष 2014 में केन्द्र सरकार ने संविधान में 99वाँ संशोधन किया और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक पारित किया। एन.जे.ए.सी. के गठन के लिए संविधान संशोधन को संसद के दोनों सदनों ने पारित किया और 20 राज्य विधायिकाओं ने इसका अनुमोदन किया। इस आयोग में अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायधीश थे इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीश, कानून मंत्री और दो प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिलित थे। दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन तीन सदस्यीय समिति को करना था जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायधीश और लोकसभा के नेता विपक्ष शामिल थे। इस एन.ज.ए.सी एक्ट की धारा के तहत अगर आयोग के दो सदस्य किसी नियुक्ति पर सहमत नहीं हुए तो आयोग उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा। इस तरह किन्हीं भी दो सदस्यों को वीटों का अधिकार था और गैर न्यायिक पृष्ठभूमि के सदस्यों की मिली भगत की सूरत में कानून दोषपूर्ण साबित होता और साथ ही प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन होंगे इसे पारिभाषित नहीं किया गया। इनके चयन में राजनीतिक हस्तक्षेप की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को बुनियादी सिद्धान्त मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर, 2015 को 99वें संविधान संशोधन और एन.जे ए.सी.को असंवैधानिक घोषित किया तथा कॉलेजियम व्यवस्था को फिर से बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम व्यवस्था को पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए सभी पक्षों से सलाह मांगी। यह एक लोकतान्त्रिक शुभ कदम है। वरिष्ठ न्यायविदों, अधिवक्ताओं, विशेषज्ञों सहित आम जनता ने न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत किए। कानून मंत्रालय को करीब साढे तीन हजार सुझाव प्राप्त हुए। 23 दिसम्बर 2015 तक कोर्ट के समक्ष लगभग 15000 पेज के सुझाव आए।[8]

जस्टिस बी.एन.खरे (पूर्व प्रधान न्यायमूर्ति) ने कॉलेजियम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए वरिष्ठ न्यायविद्ों को चयन प्रक्रिया से जोडने और उसे पारदर्शी बनाने की बात कही। बी.एन. खरे के अनुसार कॉलेजियम प्रणाली के बेहतर ढंग से काम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक सलाहकार मण्डल बनाना चाहिए। इसमें देश के प्रमुख न्यायविद्ों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायधीशों, सोलिसिटर जनरल जैसे नामी हस्तियों को रखा जाना चाहिए। इन लोगों के सामने उनकी सहमति से चयन प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। इससे जजों की नियुक्ति का सारा मसला, एक बंद कोटर का मसला नहीं रहेगा। इस पर बहस करने के लिए देश का शीर्ष न्यायिक दिमाग उपलब्ध होगा। सर्वोच्च न्यायालय के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो (आई.बी.) जैसी एक स्वतन्त्र जाँच एजेन्सी होनी चाहिए। यह न्यायधीशों के बारे में गुप्त जाँच कर न्यायालय को सूचित करे। ऐसा होने पर भ्रष्ट व्यक्ति की जज के तौर पर नियुक्ति रोकी जा सकेगी। इसमें काम करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को डेप्यूटेशन पर भेजा जाए।

सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी ने तीन महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। पहला कॉलेजियम में पूर्ण कालिक सचिवालय हो, जो नियुक्ति सम्बन्धित हर बात लिखित रूप से संकलित करे, दूसरा नियुक्ति प्रक्रिया में कोई चूक होने पर जाँच का इंतजाम हो और तीसरा हर नागरिक के पास नियुक्ति पर सवाल उठाने का अधिकार हो।

केन्द्र सरकार ने नियुक्ति व्यवस्था में सुधार पर सुझाव दिया कि नियुक्ति के लिए आवेदन और नामांकन प्रक्रिया अपनाकर व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जा सकती है। केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए एक स्वतन्त्र आयोग बनाने का सुझाव दिया जो सरकार और जजों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो। जजों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए मानक तय किए जाने चाहिए और नियुक्ति के लिए खुला आवेदन मँगाया जाना चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन ने कॉलेजियम की मदद के लिये स्वत्रंत सचिवालय बनाने और नियुक्ति योग्य न्यायिक उम्मीदवारों का डेटाबेस बनाने का सुझाव दिया। इसमें न्यायिक नियुक्तियों में मेधावियों का दायरा बढेगा और कॉलजियम की हो रही आलोचना खत्म होगी।

सर्वोच्च न्यायालय के आत्म निरीक्षण और आत्म परीक्षण के साथ-साथ व्यापक पैमाने पर सुझावों को आमन्त्रित कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि भारतीय लोकतन्त्र के तीनों आधारस्तम्भों की स्वतन्त्रता बरकरार रहे और तीनों के बीच बराबरी का सम्बन्ध बना रहे। भारतीय राज व्यवस्था के इतिहास में यह पहली बार हुआ। अगर न्यायपालिका बेहतरीन सुझावों को शामिल करती है तो न्यायपालिका की साख में इजाफा होगा।

आज का दौर पारदर्शिता का है। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया जितनी पारदर्शी होगी, उतना ही न्यायपालिका में आम जन का विश्वास और सम्मान में वृद्धि होगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के अनुसार ''न्यायधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को अवश्य ही शुचिता के उच्चतम मानदण्डों की पुष्टि करनी चाहिए। चाहे हम नियुक्ति की किसी भी प्रक्रिया का पालन क्यों न करें, यह अवश्य ही सर्वश्रेष्ठ को चुनने की सुस्थापित और पारदर्शी सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक स्वायत्त न्यायपालिका लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। लोकतन्त्र का अहम् स्तम्भ होते हुए इसे अवश्य ही आत्मावलोकन और आत्मसुधार के जरिए खुद में नयापन लाना होगा।[9]

अक्टूबर, 2017 को न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता को स्थापित करने के लिए महत्त्वपूर्ण फैसला लिया गया जिसमें यह तय किया गया कि कॉलेजियम के फैसलों को सार्वजनिक किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की कार्यवाही में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जजों के प्रमोशन, ट्रांसफर और कन्फर्मेशन सहित उसके फैसलों को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड करने का फैसला निश्चित ही प्रशंसनीय कदम है। कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं इसके बाद भी गोपनीयता बनाए रखने के इरादे से कॉलेजियम में कुछ फैसले किए गए। हाई कोर्ट के लिए जजों का प्रारम्भिक प्रमोशन, उन्हें स्थायी करने की पुष्टि, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर प्रमोशन, चीफ जस्टिस व जजों के तबादले और सुप्रीम कोर्ट के प्रमोशन से सम्बन्धित मामलों में सरकार के पास सिफारिश भेजे जाने के बारे में लिए गए फैसलों को इनके कारण बताते हुए इन्हें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक मामले में कॉलेजियम द्वारा विचार की गई सामग्री अलग होती है।[10]

यह निस्सन्देह एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिससे न्यायिपालिका की निष्पक्षता और विश्वसनीयता में इजाफा होगा। इससे कॉलेजियम व सरकार दोनों की जवाबदेयता भी तय होगी लेकिन इसके लिए यह भी आवश्यक है कि कॉलेजियम में खुला विचार विनिमय हो तथा निर्णय की प्रक्रिया से सम्बन्धित निर्णय के आधार तथा विवरण को भी सार्वजनिक किया जाए केवल प्रमोशन ऑर्डर या ट्रान्सफर ऑर्डर को वेबसाइट पर डालने मात्र से परिदृश्य में बदलाव नहीं आएगा।

निष्कर्ष

वस्तुत: न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और निष्पक्षता हेतु न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया को आलोचनाओं एवं वाद-विवाद से परे होना आवश्यक है। नियुक्ति प्रक्रिया जितनी पारदर्शी सिद्धान्तों और मानकों पर आधारित होगी। न्यायपालिका को उतना ही गौरवमय स्थान प्राप्त होगा। नि:संदेह न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतन्त्रता पर आमजन का विश्वास और आस्था बनी रहनी चाहिए। यह कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के हित में है कि वे सुस्थापित आदर्शो व सिद्धान्तों की रक्षा करें। भारतीय लोकतन्त्र के सफल संचालन हेतु न्यायपालिका की गरिमा अक्षुण्ण बनाए रखने की आवश्यकता है और इसके लिए न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना जरूरी है।

सन्दर्भ सूची

1. गंगल, एस.जी., प्राइम मिनिस्टर एण्ड द केबीनेट इन इण्डिया, नवचेतन प्रकाशन, दिल्ली, 1975
2. संविधान सभा बहस, भाग 8
3. आस्टिन, जी, द इण्डिया कॉन्सटीट्यूशन कोर्नर स्टोन ऑफ ए नेशंस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1966
4. महला, अशोक कुमार और पीकॉक, ऑलिव, भारतीय राज व्यवस्था, अरिहन्त पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2004-05
5. चतुर्वेदी, अरूण और मीणा, सोहनलाल, राजनीति के विविध आयाम, में लेख, बेला भनोत- भारत में संसदीय व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका, प्रिन्टवेल प्रकाशन, जयपुर, 1996
6. सिरवई, एच.एम., कॉन्स्टीट्यूशन लॉ ऑफ इण्डिया, वॉल्यूम-III, एन.एम. त्रिपाठी, बम्बई
7. काश्यप, सुभाष और गुप्त, विश्व प्रकाश, भारतीय राजनीति सिद्धान्त समस्याएँ और सुधार, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2006
8. आउटलुक, 16-30 नम्वबर, नई दिल्ली, 2015
9. 30 अक्टूबर, 2015 को विज्ञान भवन में दिल्ली उच्च न्यायालय के स्वर्ण जयन्ती समारोह में दिए गए संभाषण का अंश
10. एचटीटीपीएसः//एम.नवभारतटाइम.इण्डियाटाइम्स.कॉम/ इण्डिया/एससी-कॉलोजियम-डिसाइड्स-टू-अपलोड-इट्स डिसिजन-ऑन-वेबसाइट, ऑक्ट. 2017

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 79-82

महात्मा गाँधी एवं कौशल विकास

डॉ. विरेन्द्र सिंह चौधरी

सहायक आचार्य, इतिहास, राजकीय कला महाविद्यालय, दौसा (राजस्थान)

शोध सारांश

कौशल विकास या स्किल डेवलपमेन्ट भारत की वर्तमान में महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आर्थिक, सामाजिक, विकास को बढ़ावा देने एवं गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असमानता, महिला असमानता को दूर करने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता है। महात्मा गाँधी ने विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था की चर्चा की हैं। मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाने की बात की है। प्राचीन समय में प्रचलित परम्परागत कुटीर उद्योग धंधों से योग्यता आ जाती थी। किसी को कही सीखने जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। महात्मा गाँधी ने इसके लिए परम्परागत कारीगरों को प्रोत्साहित किया। गाँधी जी ने हरिजन सेवक संघ के प्राँगण में हरिजन उद्योगशाला प्रारम्भ की जिसमें गैर-परम्परागत कारीगरों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई। गाँधी जी कर कौशल विकास का यह तरिका था। प्रारम्भ से ही कौशल विकास की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। कौशल विकास के लिए पूँजी, प्रशिक्षण और मार्केटिंग की व्यवस्था की आवश्यकता है। प्रस्तुत लेख में कौशल विकास के संदर्भ में गाँधी जी का योगदान का विश्लेषण एवं वर्तमान समय में कौशल विकास में आ रही समस्याओं, क्रियान्वयन के तरीकों एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन का विश्लेषण किया गया है।

संकेताक्षर : *कौशल विकास, उद्यमिता, विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था, पीएसडीवाई*

प्रस्तावना

स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास या उद्यमिता विकास कहें। इसकी भारत में महती आवश्यकता है। देश का संतुलित आर्थिक विकास करने के लिए स्किल डेवलपमेंट को केंद्र बिंदु में रखना होगा। वर्तमान में आर्थिक विकास की बात चलती है। देश की आर्थिक प्रगति को विकास दर के माध्यम से मापा जाता है। विकास दर बढ़ रही है तो आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन यह ही काफी नहीं है क्योंकि देश के दस बीस व्यक्तियों का आर्थिक विकास होने से भी विकास दर में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन वह सही मायनें में विकास नहीं है। क्योंकि कुछ बड़े उद्योगपतियों के आर्थिक विकास को देश का आर्थिक विकास मानना गलत है क्योंकि इससे गरीब और अमीर के बीच की खाईं और अधिक बढ़ेगी। गरीब अधिक गरीब होगा और अमीर अधिक अमीर होगा।

कुछ औद्योगिक परिवारों का आर्थिक विकास देश की विकास दर को तो बढ़ाएगा लेकिन विषमता को भी बढ़ायेगा। इसलिए हमें विकास दर मात्र नहीं संतुलित आर्थिक विकास की नीति अपनानी होगी। संतुलित आर्थिक विकास ही देश का सही आर्थिक विकास है और उसके लिए स्किल डेवलपमेंट नीति का क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। स्किल डेवलपमेंट हर हाथ को काम उपलब्ध करवाएगा और जब हर हाथ को काम मिलेगा तो बेरोजगारी कम होगी और संतुलित आर्थिक विकास बढ़ेगा। इसमें एक का नहीं सभी जन का आर्थिक विकास होगा। महात्मा गाँधी का एक प्रसिद्ध कथन है-मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी यह महसूस करे कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज का महत्व है।

महात्मा गाँधी ने विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था की बात की, मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की। उस सबके मूल में कौशल विकास ही है। महात्मा गाँधी पर हम आरोप लगाते रहे हैं कि वह प्रोद्योगिकी विकास के खिलाफ थे, वह हिन्दुस्तान को बहुत पीछे ले जाएंगे लेकिन ऐसा कोई लेख या उदाहरण नहीं मिलता है जिसमें महात्मा गाँधी ने प्रोद्योगिकी विकास का विरोध किया हो। इसके विपरीत उन्होंने अपने समय में घोषणा की थी कि यदि कोई वैज्ञानिक चरखे में आवश्यक सुधार कर दे, जिससे चरखा चलाने में शक्ति कम लगे और उत्पादन अधिक हो जिससे कातने वाले

की आय बढ़ सके तो मैं उस व्यक्ति को एक लाख रुपये इनाम दूँगा। उस समय अम्बर चरखा नहीं था। साधारण किसान पेटी चरखे में भी ऐसी टेक्नोलॉजी चाहते थे जिससे कातने वाले का श्रम कम हो सके और उत्पादन बढ़ सके। जो व्यक्ति चरखे में भी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी लाना चाहता था उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाए कि वह प्रौद्योगिकी के खिलाफ थे, यह उनके साथ अन्याय होगा। दूसरे हाथ का काम छिनना नहीं चाहिए। यही है हर हाथ को काम देने का तरीका। इसके लिए कौशल विकास चाहिए।

हमारे देश में गाँवों में परंपरागत कुटीर उद्योग धंधे चलते थे। लोगों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी स्वत: योग्यता आ जाती थी। किसी को काम सीखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता था लेकिन जाति व्यवसाय के आधार पर जानी जाती थी और उसी कारण उस व्यक्ति, उस परिवार को अछूत माना जाता था और उसके साथ उसी रूप में व्यवहार किया जाता था। महात्मा गाँधी ने इसके लिए गैर-परंपरागत कारीगरों को प्रोत्साहन दिया। गैर-परंपरागत कारीगरों को प्रशिक्षण की आवश्यकता थी तो उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। महात्मा गाँधी ने हरिजन सेवक संघ के प्राँगण में हरिजन उद्योगशाला प्रारम्भ की और उसमें गैर-परंपरागत कारीगरों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई। इस उद्योगशाला का पहला बैच तैयार होकर निकला, जिसका पहला कन्वोकेशन एड्रेस महात्मा गाँधी ने स्वयं किया। कौशल विकास का यह एक तरीका था। कौशल विकास की आवश्यकता को महसूस किया जाता रहा। परंतु जब तक इस नीति के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर गौर नहीं किया जाएगा तब तक इसकी जरूरत होते हुए भी, इसके लिए सक्रिय प्रयास किये जाने पर भी यह नीति लोकप्रिय नहीं हो पाएगी।

कौशल विकास के लिए क्या चाहिए? प्रशिक्षण चाहिए, पूँजी चाहिए और मार्केटिंग की व्यवस्था चाहिए। आज कई जगह प्रशिक्षण की व्यवस्था है। संभावित उद्यमी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं हालाँकि इस प्रशिक्षण व्यवस्था में एक बड़ा दोष है कि बहुत सारे प्रशिक्षणार्थी इसलिए प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि उनके पास सर्टिफिकेट हो जाए और कहीं नौकरी का जुगाड़ बन सके। प्रशिक्षक भी अपनी नौकरी की एक जिम्मेदारी मानकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। जबकि सही अर्थों में प्रशिक्षण तो कौशल विकास होना चाहिए। जो व्यक्ति प्रशिक्षण लेने आया है वह प्रशिक्षण पूरा होते-होते इतना सक्षम हो जाए कि प्रशिक्षण के तुरंत बाद वह अपना काम शुरू कर सके। हमें अपनी प्रशिक्षण व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। आज की व्यवस्था में जैसे-तैसे नौकरी प्राप्त कर ली फिर जैसे-तैसे प्रशिक्षण की विषय सूची पूरी कर ली। परीक्षा ले ली और प्रमाण पत्र दे दिया। प्रशिक्षण की इस व्यवस्था को बदलना होगा। प्रशिक्षण का अर्थ होगा कौशल विकास। प्रशिक्षणार्थी कौशल पूर्ण हो जाए और अपना व्यवसाय शुरू करने की स्थिति में आ जाए। प्रशिक्षण का यही मापदंड होगा।

प्रशिक्षण हो गया तो पूँजी चाहिए। पूँजी की आवश्यक व्यवस्था जरूरी है। यदि किसी व्यवसाय के लिए एक लाख रुपया चाहिए तो उसे एक लाख रुपये की ही व्यवस्था करनी चाहिए। यदि एक लाख से कम किया तो उद्योग लगेगा नहीं और एक लाख से अधिक दिया तो कर्जा वापिस होगा नहीं। आवश्यकतानुसार पूँजी उपलब्ध करवाई जाए और वह ऋण के रूप में हो लेकिन सस्ती ब्याज दरों पर। सस्ती दरों पर, प्रत्येक उद्यमी को उसके उद्यम के अनुसार पूँजी उपलब्ध करवाई जाए इससे पूँजी का सदुपयोग होगा और उद्यमी को उद्यम लगाने में कठिनाई नहीं होगी। पूँजी के बाद उत्पादन का प्रश्न आता है। उत्पादन गुणवत्तायुक्त हो तभी वह बिकेगा। यहाँ कठिनाई आती है हाथ से किया गया काम और स्वचालित मशीनों से किये गए उत्पादन में अवश्य ही बड़ा फर्क होगा। यहीं से उसकी असफलता शुरू हो जाती है। अगला कार्य है मार्केटिंग।

आज की इस विज्ञापन की दुनिया में, पैकेजिंग की दुनिया में, छोटा उद्यमी टिक नहीं पा रहा है। यदि उत्पादन के लिए कोई विशेष व्यवस्था करते हैं तो उसका दुरूपयोग होता है और इस उत्पाद को कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती है तो वह बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएगा।

उत्पादन तभी संभव है या उचित है जब वह बाजार में बिक जाए अन्यथा उत्पादन जमा हो जाएगा तो भी पूँजी डूब गई और उत्पादन नहीं किया तो भी पूँजी डूब गई। छोटा उद्यमी यहीं आकर असफल होता है। यहीं वह कर्जदार बनता है। यहीं पूँजी डूबती है और कौशल विकास असफल हो जाता है। बड़ा उद्योगपति जहाँ विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग विभाग बनाता है वहाँ यह छोटा उद्यमी सारे कार्य स्वयं करने के लिए मजबूर है। महात्मा गाँधी ने इसका रास्ता सुझाया था कि गाँव की आवश्यकता का उत्पादन गाँव में हो और गाँव में ही उसकी खपत हो लेकिन आज का युग तो वैश्वीकरण का है। छोटा-बड़ा कोई भी, उसे बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिकना है। छोटा उद्यमी बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सकता। यहाँ राज्य को दखल देना होगा। राज्य को इस छोटे उद्यमी की मदद करनी होगी। इसे सुरक्षा देनी होगी। इसे कैसे सुरक्षा देनी है, इसका बना बनाया कोई ढाँचा नहीं है। हर उद्यम की अलग-अलग समस्या है। हर समस्या का अलग समाधान ढूँढना पड़ेगा। सुझाव के तौर पर उत्पादन तो व्यक्तिगत हो लेकिन उसकी

कुछ व्यवस्था करनी होगी या नीति निर्धारक इस दिशा में कुछ बेहतर सोच सकें तो वैसी व्यवस्था करनी होगी। लेकिन अब तक का अनुभव यह कहता है कि जब तक उद्यमी के लिए मार्केटिंग की उचित व्यवस्था नहीं होगी। जब तक उसकी गुणवत्ता, पैकेजिंग, मार्केटिंग की सही व्यवस्था नहीं होगी तब तक न तो उद्यम का विकास होगा, न उद्यमिता का विकास होगा, न पूँजी बचेगी और न भविष्य के लिए पूँजी मिल पाएगी।

कौशल विकास में यह एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान खोजे बिना उद्यमिता का विकास नहीं हो पाएगा। कहीं-कहीं कुछ सफल कहानियाँ बनेंगी। कहीं-कहीं कुछ आशा की किरणें दिखाई देंगी लेकिन प्राप्त सूचनानुसार देश में ढाई करोड़ कारीगर हैं, उन्हें समर्थ बनाना होगा। इनके अतिरिक्त नए गैर परंपरागत उद्यमियों को प्रशिक्षण देना होगा। और उन्हें धंधे पर लगाना होगा। यह एक पहाड़ जैसा कार्यक्रम है। इसमें निराशा की बात नहीं हैं। यह सम्भव है, किया जा सकता है लेकिन इसके लिए वैसी ही कार्य योजना बनानी होगी वैसे ही कार्यक्रम बनाने होंगे जैसे कौशल की जरूरत है। अन्यथा एक व्यक्ति को अकेले नदी में तैरने के लिए छोड़ देंगे तो वह तैर भी सकता है डूब भी सकता है। यहाँ तो किसी एक दो व्यक्तियों का प्रश्न नहीं है। यह तो करोड़ों वर्तमान उद्यमियों और संभावित उद्यमियों के भविष्य का प्रश्न है। उनके परिवार का प्रश्न है। इसके लिए पूरी व्यवस्था बनानी होगी। एक ऐसा अनुकूल वातावरण बनाना होगा। जिसमें उद्यमिता का विकास हो सके। उद्यम फल-फूल सके। उद्यम देश के विकास में हिस्सेदार बन सके। देश का संतुलित आर्थिक विकास हो सके। सामाजिक आर्थिक विकास हो सके।

देश में कामगार हैं, नवयुवक, नवयुवतियों की बड़ी जमात कौशल विकास में, उद्यमिता को अपने जीवनयापन का साधन बनाने को तैयार है। देश की आवश्यकता भी है और नवयुवक नवयुवतियाँ इसके लिए तैयार भी हैं। लेकिन एक असफलता हजारों लोगों को निराश करने के लिए काफी है। कौशल विकास लगे हुए या लगने वालों का उत्साह बना रहे। इसकी व्यवस्था नीति निर्धारकों को, राज्य को करनी होगी। यदि ऐसी कोई व्यवस्था बन सके तभी लाभ होगा। जिस प्रकार सरकार की नौकरी एक आकर्षक व्यवस्था है उसी प्रकार यदि कौशल विकास भी एक आकर्षक योजना बन सके तो लोग नौकरी के पीछे भागना छोड देंगे। व्यापार और नौकरी में, नौकरी को सबसे नीचे रखा गया है। वर्तमान में खेती लाभ की व्यवस्था नहीं रही। छोटा व्यापार भाग्य के सहारे है नौकरी मिलती नहीं। इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं, अनुशासनहीनता बढ़ रही है। कोई किसी की परवाह नहीं करता। हर व्यक्ति, हर व्यक्ति से आगे बढ़ना चाहता है। नौकरी की सीमित संभावनाओं के लिए मारामारी है। कोई आरक्षण का झण्डा बुलन्द कर रहा है, कोई निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग कर रहा है। नौकरियों में जो थोड़ी-बहुत संभावनाएं हैं उसी पर दबाव बढ़ रहा है। यदि यही स्थित रही तो देश में जुर्म और बढ़ेंगे। अराजकता बढ़ेगी और सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। उनके खर्चे बढ़ेंगे। इन सब समस्याओं का हल है कौशल विकास, उद्यमिता विकास। इसलिए कौशल विकास को लोकप्रिय एवं कारगर बनना होगा। इसके रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का समाधान हल करना होगा।

महात्मा गाँधी ने खादी ग्रामोद्योगों के माध्यम से एक रास्ता खोजने का प्रयास किया। उसके अच्छे परिणाम आए। देश का उत्पादन भी बढ़ा और रोजगार भी बढ़ा धीरे-धीरे यह व्यवस्था गाँधी विचार से दूर होती गई और परिणाम नकारात्मक दिखाई देता है। इसमें दोष गाँधी विचार का नहीं है, इसमें दोष खादी और ग्रामोद्योग का नहीं है। बल्कि जैसे-जैसे यह व्यवस्था गाँधी की सोच से दूर जाता गया वैसे-वैसे इस कार्य निष्पादन में विकृतियाँ आती गईं। महात्मा गाँधी के समय में बिना सरकारी मदद के बल्कि सरकार के विरोध के बावजूद खादी और ग्रामोद्योगों का कार्य आगे बढ़ा न केवल आगे बढ़ा बल्कि खादी तो स्वतन्त्रता सेनानियों की पोशाक ही बन गई। विचारधारा बन गई आजादी के बाद खादी और ग्रामोद्योग कार्य में तेज गति से वृद्धि हुई। लेकिन जैसे-जैसे गाँधी का प्रभाव कम होता गया। जैसे-जैसे खादी ग्रामोद्योग में लगे लोग या नीति निर्धारण करने वाले गाँधी विचार से दूर होते गए वैसे खादी ग्रामोद्योगों में दोष आते गए।

कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की योजना है। जुलाई 2015 में प्रारम्भ की गई थी जिसके तहत् 2020 तक एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी। कम पढ़े लिखे लोगों को रोजगार हेतु प्रशिक्षण देना इस योजना कर मुख्य उद्देश्य था। सभी युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल का विकास कर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। इस योजना में प्रथम वर्ष में 24 लाख युवाओं को शामिल किया गया जिनकी 2022 तक यह संख्या 40.2 करोड़ तक ले जाने की योजना है। साथ ही अधिक संख्या में लोगों को जोड़ने के लिए युवाओं को ऋण प्रदान किये जा रहे है। जिसके लिए टेलिकॉम कम्पनियों का सहयोग लिया जा रहा है। डिजिटल सुविधाओं का योजना के क्रियान्वयन में सहयोग लिया जा रहा है।

कौशल विकास योजना के लाभ

देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं। जिनके पास विभिन्न कार्यों का विशेष हुनर है। लेकिन वित्तीय संसाधनों का अभाव है। वह वित्तीय अभाव में ट्रेनिंग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कौशल विकास योजना इन लोगों के लिए वरदान है जो ऐसे युवाओं के लिए ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करती है। जिससे रोजगार प्राप्त हो सके और वे देश के विकास में भागीदार बन सकें। इस योजना में युवाओं को तकनीकी कुशलता नई तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाता है। रोजगार के नये अवसर बाजार की माँग के अनुसार उपलब्ध हो रहे है एवं गरीबी दूर हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना नये तरह से प्रारम्भ की गई है जिसमें कई तरह के सुधार किये गये हैं। जिससे वह सभी युवाओं के लिए लाभप्रद हुई है। कौशल विकास योजना देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है जिसके क्रियान्वयन द्वारा, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असमानता, महिला असमानता आदि समस्याओं को दूर करने में सहायता मिलेगी। जिमसें कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये हैं। जो महात्मा गाँधी के स्व-रोजगार के सपनों को पूरा कर पायेगा।

निष्कर्ष

सारतः हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए ढंग से देखना होगा। इसके लिए नए सिरे से कार्य योजना बनानी होगी। इसके लिए महात्मा गाँधी के विचार आज भी प्रासंगिक है उसे न्यायोचित समय देने की आवश्यकता है। यदि कौशल विकास के कार्य को महात्मा गाँधी विचार के साथ जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास का माध्यम बनाया जा सके तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं और देश में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम बने बनाए आर्थिक ढाँचे में अपनी योजनाओं को फिट करने की कोशिश न करें या भारत के विकास के लिए दुनिया के विभिन्न मॉडलों की ओर न देखें। उन्हें अपने देश में ढालने की कोशिश न करें। उनसे अनुभव हम ले सकते हैं। उनकी सफलताओं असफलताओं से सीख सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तो भारत की देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही बनानी होगी। तभी वह सफल होगी और तभी उससे हमारी आवश्यकतानुसार परिणाम मिल पायेंगे, और महात्मा गाँधी के सपनों का भारत बन सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पांडे बी.एन., गाँधी महात्मा समग्र चिन्तन, गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली
2. झा, राकेश कुमार, गाँधीय चिन्तन में सर्वोदय, पाईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 1995
3. पाण्डेय, जनार्दन, सर्वोदय का राजनीति दर्शन, जानकी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1986
4. नारायण, जय प्रकाश, समाजवाद सर्वोदय और लोकतंत्र, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना
5. गाँधी, ग्राम स्वराज, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1963
6. जैन, प्रतिभा, गाँधी चिन्तन : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1984
7. हरिजन : 11.01.1940
8. जनसत्ता, नई दिल्ली
9. योजना प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 83-87

यौगिक क्रियाओं (योग शिक्षा) का संवेगात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन

डॉ. विष्णु कुमार

सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, जे.वी.बी.आई., लाडनूं (राजस्थान)

शोध सारांश

शोध में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर यौगिक क्रियाओं के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। रोग चाहे जो भी हो, वह शरीर के लिए घातक होता है। मानसिक व शारीरिक रोग जो तनाव, चिंता तथा मन की विक्षिप्तता से होता है। मनुष्य के दैनिक जीवन में कई उतार चढाव आते रहते हैं। जिसके परिणामस्वरूप मन की अशान्ति में वृद्धि होती है, यही बढ़ता हुआ स्वरूप मानसिक रोग में परिवर्तित हो जाता है। यौगिक क्रियाओं के द्वारा मानसिक तनाव, शारीरिक रोगों, चिंता , विक्षिप्तता एवं अवसाद को कम करके स्वास्थ्य में वृद्धि की जा सकती है। योग व्यक्तित्व एवं मनोवृत्ति में भी परिवर्तन लाता है। योग का मानसिक रोगों पर प्रभावशीलता का आँकलन भी किया जा सकता है। योग के नियमित अभ्यास से मस्तिष्क शक्तिशाली एवं संतुलित बना रहता है। बिना विचलित हुए आप शान्त मन से संसार के दु:ख एवं समस्याओं का सामना कर सकेंगे। कठिनाईयाँ , पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य हेतु सीढ़ियाँ बन जाती है। योग के अभ्यास से व्यक्ति की सुप्त शक्तियों को जागृत होती है और उनमें आत्म विश्वास भरता है। व्यवहार तथा कार्यों से वह दूसरों को प्रेरणा देने लगता है।

संकेताक्षर : *योग, अवसाद, संवेगात्मक, व्यक्तित्व*

प्रस्तावना

भारत में प्राचीन काल से ही योग पद्धतियाँ प्रचलित है। उनकी दार्शनिक एंव धार्मिक परम्पराएँ भिन्न-भिन्न हैं। वर्तमान युग में कोई इन परम्पराओं से अंशत: या पूर्णत: सहमत हो या न हो पर उसकी व्यावहारिक उपयोगिता निर्विवाद रूप से उभरकर सामने आई है। इसकी बढ़ती उपयोगिता के कारण वैज्ञानिक व जनसामान्य दोनों की इस विषय में रुचि बढ़ती जा रही है। आज जहाँ व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व विकास की जाती है, तो उस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि योग के समग्र अभ्यास से व्यक्ति के संवेगात्मक विकास में अत्याधिक सहायता मिलती है। भारतवर्ष में योग का उद्भव हजारों वर्ष पहले हुआ। यहाँ तब से आज तक इसका न्यूनाधिक अभ्यास अनवरत चला आ रहा है। पश्चिम में कुछ दशक पहले तक इस योग-विज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। निरी भौतिकता के बढ़ते आकर्षण ने अनेक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याएँ पैदा कर दीं। उसके समाधान के लिए योग-विज्ञान के प्रति जन सामान्य और वैज्ञानिकों की रुचि बढ़ी है। इसके लिए वैचारिक मंथन प्रारंभ हुआ कि जीवन में शांति कैसे मिले? इसके लिए योग का उपयोग किया गया। इस पर अनुसंधान हुए और सार्थक परिणाम आए। आशा की एक किरण नजर आई और यह लगाने लगा कि जीवन में शांति पथ है - योग। यह जीवन विज्ञान भी है और जीवन शैली भी है और जीवन जीने की कला भी है।

विभिन्न यौगिक क्रियाओं के नाम

ताड़ासन	सूर्य नमस्कार
वृक्षासन	ऊंकार उच्चारण
परिवृत त्रिकोणासन	श्वास प्रेक्षा
शलभासन	सर्वागसन
धनुरासन	चक्रासन
भुजंगासन	मकरासन
गोमुखासन	मयूरासन
सिद्धासन	पवनमुक्तासन
सिहांसन	कटिपिण्ड मर्दनासन
मत्स्यासन	प्राणायाम अनुलोम-विलोम
कुक्कुटासन	प्रेक्षाध्यान
बद्धपद्मासन	द्विपाद शीर्षासन

योगमुद्रासन	भुंजगासन
पश्चिमोत्रासन	शवासन
सालम्ब सर्वागासन	शीतली
हलासन	नौली
चक्रासन	त्राटक
उत्तान पादासन	अर्धमत्स्येन्द्रासन

समस्या का औचित्य – योग का संबंध मनुष्य की शरीर रचना से है। योग के द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उनका हमारे शरीर के अंगों को स्फूर्तिदायक एवं उनकी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलायमान रखती है। विभिन्न प्रकार के योगासनों से हमारे अंग शिथिल नहीं होते हैं और उनकी कार्य क्षमता का निरंतर विकास होता है। रक्तचाप, मधुमेह आदि अनेक बीमारियाँ, जो वर्तमान समय में मनुष्य का शरीर विकराल रूप से ग्रसित है, यौगिक क्रियाओं के द्वारा उन्हें नियंत्रण में रखा जा सकता है। इन जानकारियों के द्वारा मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई क्या योग के द्वारा वर्तमान समय में छात्र एवं छात्राएँ शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक रूप से अस्वस्थ रहते हैं। जिनके कारण उनमें शिक्षा का विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। जिससे वे अपनी मंजिल तक पहुँचने में असफल हो रहे हैं। सामाजिक जीवन में, जो नीरस एवं निर्जीव जीवन व्यतीत कर रहे वह योग का सहारा ले सकते हैं। खासकर छात्र योग के बल पर अपने मस्तिष्क को शुद्ध करके विचार शक्ति को बढ़ा सकते हैं।

तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण – **योग –** योग शब्द की उत्पत्ति ''यूज'' धातु से हुई है जिसका अर्थ जोड़ना अर्थात किसी वस्तु से अपने को जोड़ना अथवा किसी कार्य में लगना।

समस्या कथन– यौगिक क्रियाओं (योग शिक्षा) का संवेगात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन।''

शोध अध्ययन के उद्देश्य – माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ

1. प्रायोगिक एवं नियंत्रित समुह के विद्यार्थियों में संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया जाता है।
2. प्रायोगिक समूह के छात्र तथा छात्राओं में संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जाता है।
3. नियंत्रित समूह के छात्र व छात्राओं में संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया जाता है।
4. प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह के छात्रों में संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया जाता है।
5. प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह की छात्राओं में संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जाता हैं।

शोध कार्य में न्यादर्श

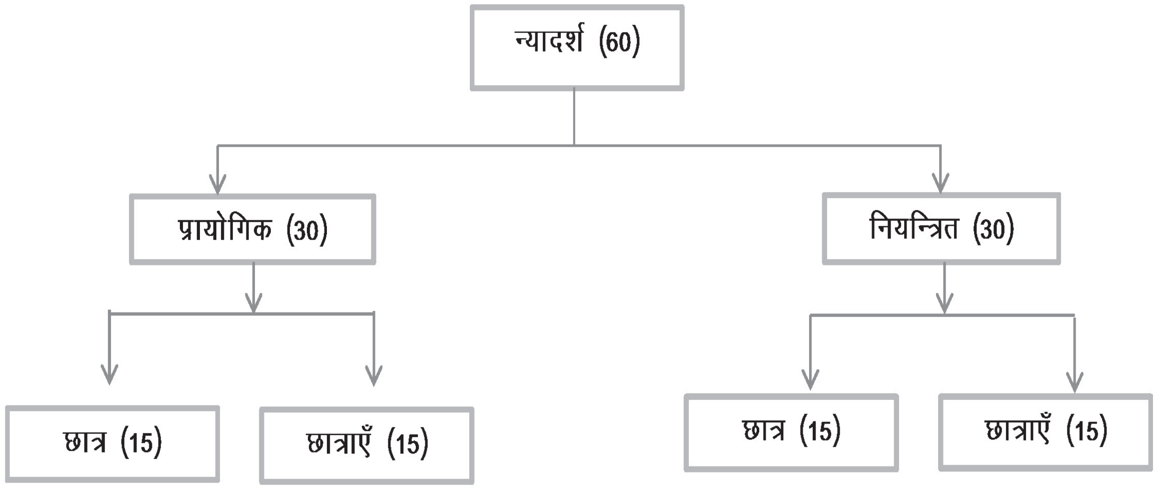

प्रस्तुत शोध के चर

1. स्वतंत्र चर – यौगिक क्रियाएँ
2. आश्रित चर – माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी तथा संवेगात्मक विकास

परिकल्पना-1. 'प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों में संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या - 1

क्र	समूह	विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	सार्थकता स्तर	स्वीकृत/ अस्वीकृत
1	प्रायोगिक समूह के विद्यार्थी	30	18.3	2.01	32.2	0.05 2.00	अस्वीकृत
2	नियंत्रित समूह के विद्यार्थी	30	2.2	2.27		0.01 = 2.66	अस्वीकृत

df = N_1+N_2 - 2 df = 30+30 - 2 = 58

तालिका 1. में माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं का प्रभाव की गणना की गई है, जिसमें प्रायोगिक तथा नियंत्रित समूह के विद्यार्थियों का मध्यमान क्रमशः 18.3 व 2.2 तथा मानक विचलन 2.01 तथा 2.27 है। df= 58 पर 0.05 तथा 0.01 सार्थकता स्तर पर टी तालिका मान क्रमशः 2.00 तथा 2.66 है तथा गणना करने पर टी मान 32.2 प्राप्त हुआ जो कि टी तालिका मान से अधिक है। अतः परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। यौगिक क्रियाओं के द्वारा विद्यार्थियों के संवेगात्मक विकास पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। यौगिक क्रियाओं के द्वारा नकारात्मक संवेगों पर नियंत्रण तथा सकारात्मक संवेगों का विकास विद्यार्थियों में किया जा सकता है।

परिकल्पना : 2. प्रायोगिक समूह के छात्र तथा छात्राओं के संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या 2

क्र	समूह	विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	सार्थकता स्तर	स्वीकृत/ अस्वीकृत
1	प्रायोगिक समूह के छात्र	15	19.93	0.24	5.73	005 2.05	अस्वीकृत
2	प्रायोगिक समूह की छात्राएँ	15	16.66	2.20		0.01 = 2.76	अस्वीकृत

df = N_1+N_2 - 2 df = 15+15 - 2 = 28

तालिका 2 में प्रायोगिक छात्र व छात्राओं में संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव की गणना की गई हैं जिसमें प्रायोगिक छात्रों तथा छात्राओं का मध्यमान क्रमशः 19.93 तथा 16.66, मानक विचलन 0.24 तथा 2.20 है। df = 28 पर 0.05 तथा 0.01 सार्थकता स्तर टी तालिका मान क्रमशः 2.05 तथा 2.76 है तथा गणना करने पर टी मान 5.73 है जो कि टी तालिका के मान से अधिक है अतः परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है। प्रायोगिक छात्र व छात्राओं में संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं का सार्थक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

परिकल्पना : 3 - नियंत्रित समूह के छात्र व छात्राओं में सवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं का कोई सार्थक प्रभाव नही पाया जाता है।

तालिका संख्या 3

क्र	समूह	विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	सार्थकता स्तर	स्वीकृत/ अस्वीकृत
1	नियन्त्रित समूह के छात्र	15	1.13	1.3	2.90	005 2.05	अस्वीकृत
2	नियन्त्रित समूह की छात्राएँ	15	3.26	2.51		0.01 = 2.76	अस्वीकृत

df = N_1+N_2 - 2 df = 15+15 - 2 = 28

तालिका : 3 में नियंत्रित छात्र व छात्राओं में संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव की गणना की गई हैं जिसमें नियंत्रित छात्रों तथा छात्राओं का मध्यमान क्रमशः 1.13 तथा 3.26 मानक विचलन 1.3 तथा 2.51 है। df = 28 पर 0.05

तथा 0.01 सार्थकता स्तर टी तालिका मान क्रमश: 2.05 तथा 2.76 है तथा गणना करने पर टी मान 2.9 है जो कि टी तालिका के मान से अधिक है। अत: परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है अर्थात प्रायोगिक छात्र व छात्राओं में संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं का सार्थक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

परिकल्पना: 4.-प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह के छात्रों में संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या 4

क्र	समूह	विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	सार्थकता स्तर	स्वीकृत/ अस्वीकृत
1	प्रायोगिक समूह के छात्र	15	19.93	0.24	53.7	005 2.05	अस्वीकृत
2	नियंत्रित समूह की छात्र	15	1.13	1.30		0.01 = 2.76	अस्वीकृत

df = N_1+N_2 - 2 df = 15+15 - 2 = 28

तालिका: 4. में प्रायोगिक एवं नियंत्रित छात्रों में संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव की गणना की गई हैं जिसमें प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह के छात्रों का का मध्यमान क्रमश: 19.93 तथा 1.13, मानक विचलन 0.24 तथा 1.30 है। df = 28 पर 0.05 तथा 0.01 सार्थकता स्तर टी तालिका मान क्रमश: 2.05 तथा 2.76 है तथा गणना करने पर टी मान 53.71 प्राप्त हुआ जो कि टी तालिका के मान से अधिक है। अत: परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है अर्थात प्रायोगिक एवं नियंत्रित छात्रों में संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं का सार्थक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

परिकल्पना: 5- प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह के छात्राओं में संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं का सार्थक प्रभाव नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या 5

क्र	समूह	विद्यार्थी	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	सार्थकता स्तर	स्वीकृत/ अस्वीकृत
1	प्रायोगिक समूह के छात्राएँ	15	16.66	2.20	15.58	005 2.05	अस्वीकृत
2	नियंत्रित समूह की छात्राएँ	15	3.26	2.51		0.01 = 2.76	अस्वीकृत

df = N_1+N_2 - 2 df = 15+15 - 2 = 28

तालिका -5. में प्रायोगिक एवं नियंत्रित छात्राओं में संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव की गणना की गई हैं जिसमें प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह की छात्राओं का मध्यमान क्रमश: 16.66 तथा 3.26, मानक विचलन 2.20 तथा 2.51 है। df = 28 पर 0.05 तथा 0.01 सार्थकता स्तर टी तालिका मान क्रमश: 2.05 तथा 2.76 है तथा गणना करने पर टी मान 15.58 प्राप्त हुआ जो कि टी तालिका के मान से अधिक है। परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है अर्थात प्रायोगिक एवं नियंत्रित छात्राओं में संवेगात्मक विकास पर यौगिक क्रियाओं का सार्थक प्रभाव हैं।

शोध कार्य का परिसीमन

1. शोधकार्य के लिए एक माध्यमिक विद्यालय का चयन किया गया है।
2. यह शोधकार्य बीकानेर क्षेत्र तक सीमित है।
3. इस शोधकार्य के लिए छात्र व छात्राओं दोनों को सम्मिलित किया गया है।
4. शोधकार्य के लिए केवल कक्षा 9 के विद्यार्थियों का चयन किया गया है।
5. शोधकार्य के लिए 30 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध में माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के संवेगात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया। रोग चाहे जो भी हो, वह शरीर के लिए घातक होता है। मानसिक व शारीरिक रोग जो तनाव, चिंता तथा मन की विक्षिप्तता से होता है। मनुष्य के दैनिक जीवन में कई उतार चढाव आते रहते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप मन की अशान्ति में वृद्धि होती है, यही बढ़ता हुआ स्वरूप मानसिक रोग में परिवर्तित हो जाता है। यौगिक क्रियाओं के द्वारा मानसिक तनाव, शारीरिक रोगों, चिंता, विक्षिप्तता एवं अवसाद को कम करके स्वास्थ्य में वृद्धि की जा सकती है। योग व्यक्तित्व एवं मनोवृत्ति में भी परिवर्तन लाता है। अस्वस्थता के कारण लोग सुख

की जिन्दगी नहीं जीते हैं। विधार्थी पढ़ने में ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते हैं। शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक संस्कृति के रूप में योगासन का इतिहास समय की अन्नत गहराईयों में छुपा हुआ है। वर्तमान में विधार्थियों में पठन-पाठन के प्रति उदासीनता है। इसका मूल कारण उनका स्वास्थ्य है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शिक्षा का निवास संभव है। यह योग से ही संभव है। योग से उसके शरीर के रोगों का निदान होता है। योग का अर्थ शरीर को बलशाली बनाना नहीं है बल्कि मन व मस्तिष्क को उसके कार्य के प्रति जागरूक करना है। योग शिक्षा से अस्वस्थ शरीर को सक्रिय एवं रचनात्मक कार्य की प्रेरणा मिलती है। यह मन को शक्तिशाली बनाता हैं एवं दुख-दर्द सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। दृढ़ता एवं एकाग्रता को शक्ति प्रदान करता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आचार्य, बालकृष्ण, विज्ञान की कसौटी पर योग, दिव्य प्रकाशन, हरिद्वार, 2005
2. आचार्य, महाप्रज्ञ, जीवन विज्ञान शिक्षा का नया आयाम, जैन विश्व भारती, लाडनूँ, 2000
3. अस्थाना, विपिन, मनौविज्ञान और शिक्षा में मापन मूल्यांकन, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 2007
4. भटनागर, डॉ. आर.पी., शिक्षा अनुसंधान अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, 2006
5. दुबे, अनिल कुमार एवं प्रीति रेखा, विद्यार्थियों की स्मृति एवं विज्ञान में उपलब्धि पर व्यायाम एवं योगाभ्यास के प्रभाव, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, 2008
6. कपिल , एच.के., अनुसंधान विधियां , एच.पी. भार्गव बुक हाऊस, 2015
7. समणी, डॉ. ऋजुप्रज्ञा, व्यक्तित्व विकास और योगा, जैन विश्व भारती, लाडनूं, 2009
8. सरीन, एवं सरीन, शैक्षिक अनुसंधान विधियां, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, 2007
9. सिंह, राम, हर्षयोग और यौगिक चिकित्सा, चौखम्भा संस्कृत प्रतिष्ठान, जवाहर नगर, नई दिल्ली, 2001
10. रामदेव, स्वामी योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य, दिव्य प्रकाशन, हरिद्वार, 2005

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 88-92

भारतीय परिवेश में दिव्यांगजन के मानव अधिकार, चुनौतियाँ एवं उपाय

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

हर्ष सिंह गहलोत

सहायक आचार्य, इतिहास एवं भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से यह दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है। हाल के वर्षों में दिव्यांगों के प्रति समाज का नजरिया तेजी से बदला है। यह माना जाता है कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुर्नवास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, ऐसे लोगों को शिक्षा, रोजगार, अवरोधमुक्त वातावरण का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि प्रदान करता है। भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति काल-क्रमानुसार बदलती रहती है। ऐतिहासिक अवलोकन की दृष्टि से 1829 का सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1329 का बालविवाह निषेध अधिनियम इस दिशा में विशेष थे। इसी क्रम में आजादी के बाद 1973 में केशवानन्द भारती मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की मौलिक संरचना अपरिवर्तनीय बताई गई। दिव्यांगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु अनेक कानून बनाये गये है, लेकिन आज भी समाज में कई ऐसी चुनौतियाँ है जिनका सामना दिव्यांगजनों को करना पड़ रहा है। अशिक्षा इस दिशा में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि जो दिव्यांग जन शिक्षित है, वहीं अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरुक व जुझारु है। व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव भी एक अन्य बड़ी समस्या है, क्योंकि कौशल एवं व्यावसायिक निपुणता के बिना दिव्यांग लोगों को आजीविका चलाने हेतु किसी अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है जो उनमें आत्मविश्वास की कमी पैदा करता है और आर्थिक बाधाएँ उनके व्यक्तित्व के विकास को कुंठित कर देती है। दिव्यांगों के मानवाधिकार और उनके सामने आने वाली चुनौतियाँ आज हमारे समाज के लिए विशेष महत्व के विषय है, क्योंकि जहाँ हम सबकी समानता की बात कहते है वहाँ दिव्यांगों की बात ना करना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी।

संकेताक्षर : *ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, विशिष्ट प्रज्ञता अक्षमताएं*

प्रस्तावना

प्राचीन काल से ही भारत वसुधैव कुटुम्बकम को अपना आदर्श मानता रहा है जो समस्त पृथ्वी को एक परिवार और उसमें रहने वालों को बन्धु-बान्धवों के रूप में देखता रहा है। यह विचार मानववाद अथवा मानवाधिकार के दर्शन से अनुप्रेरित है जिसमें 'सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय' कि अवधारणा निहित है जो प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की कामना से प्रेरित है किन्तु इस आदर्श विचारधारा के बावजूद समाज का एक वर्ग जिसे विकलांग या दिव्यांग कहकर सम्बोधित किया गया वो युगो-युगों से अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है तथा अपने स्वाभिमान व अस्मिता की रक्षा के लिए निरन्तर अग्नि परीक्षा देता रहा है। यद्यपि इस वर्ग में भी सूरदास जैसे भक्त कवि भी हुए जिन्होंने भक्ति की अविरल धारा का प्रसार किया तो कभी महाराणा सांगा जैसा वीर योद्धा भी प्रदान किया जिसे योद्धा का आधा भाग कहकर सम्बोधित किया गया और जिसने अपनी तलवार के बल पर एक शक्तिशाली साम्राज्य कायम किया। किन्तु फिर भी जब समाज में योग्यता का आँकलन किया गया तो इस वर्ग को अक्सर नजरअंदाज करने का प्रयास किया जाता रहा। इस स्थिति को दूर कर विकलांग या दिव्यांगजन को समाज की मूलधारा में लाने हेतु स्वतंत्र भारत में संविधानिक प्रयास किए जाते रहे हैं जो एक प्रशंसनीय कदम है।

भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से यह दिव्यांग

व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है। हाल के वर्षों में दिव्यांगजन के प्रति समाज का नजरिया तेजी से बदला है। यह माना जाता हैं कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995, ऐसे लोगों को शिक्षा, रोजगार, अवरोधमुक्त वातावरण का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि प्रदान करता है।

भारत के संविधान का निर्माण करते समय संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य था कि ऐसी सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जाये जिसमें सब नागरिकों को विकास के समान अवसर प्राप्त हों (बक्शी, 2009:31)। मानवाधिकारों की पृष्ठभूमि में भी संविधान की यही मूल भावना निहित है जो समस्त व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए उपर्युक्त परिस्थितियाँ प्रदान करने पर बल देती है (मिश्रा, 2011 : 2)।

मानवाधिकार एक ऐसा दर्शन है जो मनुष्य के कल्याण और आनन्द पर केन्द्रित है। इसमें नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य तथा भौतिक बहुलता दोनों सम्मिलित हैं। यह निर्धनता तथा निहित स्वार्थों का शत्रु है क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध है।[2]

जयशंकर प्रसाद के अनुसार ''जीवन अनन्त, अनश्वर और गतिमान है। वह न कभी रुकता है और न कभी नष्ट होता है। अत: उसे जीना आवश्यक है, पर यह जीना इच्छा क्रिया और ज्ञान के समन्वय के साथ होना चाहिए। तभी विषमता समाप्त होगी और पूर्ण आनन्द की प्राप्ति होगी।

भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति काल-क्रमानुसार बदलती रहती है। ऐतिहासिक अवलोकन की दृष्टि से 1829 का सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1929 का बालविवाह निषेध अधिनियम इस दिशा में विशेष थे। इसी क्रम में आजादी के बाद 1973 में केशवानन्द भारती मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की मौलिक संरचना अपरिवर्तनीय बताई गई।

भारत में 1993 का वर्ष मानवाधिकारों के संदर्भ में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसी वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निर्मित हुआ। हाल के वर्षों में नवीन क्रांतिकारी परिवर्तन इस क्षेत्र में दृष्टिगोचर हुए। 2005 में जब सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जिससे सार्वजनिक अधिकारों के अधिकार क्षेत्र में संघटित सूचना तक नागरिकों की पहुँच हो गई। 2005 का ही मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भी इस दिशा में एक सराहनीय कदम रहा।

मानवाधिकारों की इस लोकप्रिय अवधारणा में विभिन्न पक्षों के मानवाधिकारों की चर्चा की जाती जैसे - महिलाओं के मानवाधिकार, बच्चों के मानवाधिकार, कैदियों के मानवाधिकार और दिव्यांगों के मानवाधिकार आदि।

दिव्यांगजन के मानवाधिकार और उसके सामने आने वाली चुनौतियाँ आज हमारे समाज के लिए विशेष महत्व के विषय हैं, क्योंकि जहाँ हम सबकी समानता की बात कहते हैं वहाँ दिव्यांगों की बात न करना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी।

International Classification of Impairment Disabilities and Handicapped के अनुसार दिव्यांगता की परिभाषा इस प्रकार दी गई है- ''व्यक्ति में उम्र, लिंग, सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों में क्षति एवं अक्षमता के कारण जो नुकसान या पिछड़ापन हो जाता है, उसे दिव्यांगता (विकलांगता) कहते हैं।''

1993 से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगजन में जागरुकता पैदा करने व एकसूत्र में पिरोने हेतु 3 दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है।

दिव्यांगजन को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु एवं प्रगति के उचित अवसर प्रदान करने के लिए विशेष प्रकार के कानून और अधिकारों की आवश्यकता महसूस हुई। भारत में 2011 की जनगणना में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या 2 करोड़ से भी अधिक बताई गई। अत: समाज में इतने बड़े तबके की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता और इसलिए धीरे-धीरे इस दिशा में कानून बनने लगे।

इसी क्रम में The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 भी विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें विकलांगता की शर्तों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया, जो निम्न है (भारत का राजपत्र दिव्यांजन अधिकार अधिनियम, 2016) -

1. दृष्टिहीनता, 2. कमजोर दृष्टि, 3. कुष्ठरोग से मुक्त हो चुके व्यक्ति, 4. मूक, 5. बधिर, 6. चलने में अक्षम, 7. बौनापन, 8. बौद्धिक विकलांगता, 9. मानसिक बीमारी, 10. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, 11. सेरेब्रल पाल्सी, 12. मांसपेशी दुर्विकार, 13. स्थानीय स्थायविक परिस्थितियाँ, 14. विशिष्ट पञ्जता अक्षमताएं, 15. मल्टीपल स्केलेरोसिस, 16. भाषा व भाषा संबंधी विकलांगता, 17. थैलेसीमिया, 18. हीमोफीलिया, 19. स्किल सेल बीमारी, 20. एसिड अटैक से पीड़ित, 21. पार्किंसन बीमारी

इस कानून द्वारा देश की आबादी के 2.68 करोड़ व्यक्तियों को उनका अधिकार मिलेगा और विकलांग व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किये जाने पर 2 वर्ष की जेल व अधिकतम 5 लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है।

भारतीय पुनर्वास अधिनियम, 1992

भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा रखे जा रहे रजिस्टरों में जिन प्रशिक्षित व विशेषज्ञ व्यवसायिकों के नाम दर्ज हैं, उनके द्वारा विकलांगजन को लाभ पहुँचाना केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन व अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर किसी सांविधिक परिषद् द्वारा पुनर्वास व्यवसायिकों के व्यवसाय में विनिमय की गारंटी।

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

इसमें केन्द्र का दायित्व है कि वह आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता व बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए नई दिल्ली में न्यास का गठन करें। राष्ट्रीय न्यास के न्यासी बोर्ड का यह दायित्व है कि वे वसीयत में उल्लेखित किसी भी लाभग्राही के समुचित जीवनस्तर के लिए आवश्यक प्रबंध करें और विकलांगजन के लाभ के लिए अनुमोदित कार्यक्रम करने के लिए पंजीकृत संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करें।

मानसिक रूप से रूग्ण विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987)

मानसिक रूप से रूग्ण व्यक्तियों के उपचार व देखभाल के लिए सरकार का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किए जा रहे किसी मनोचिकित्सकीय अस्पताल या स्वास्थ्य लाभग्रह में भर्ती होने, उपचार करवाने या देखभाल करवाने का अधिकार है। विकलांगजन के कल्याण में सरकार के प्रयासों के साथ अनेक गैर सरकारी संस्थायें (एनजीओ) भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। राष्ट्रीय नीति गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को एक काफी अहम संस्थानिक प्रणाली के रूप में मानती है, जो सरकार के प्रयासों को लागू करने का एक श्रेष्ठ माध्यम है।

एनजीओ सेक्टर गतिशील व उदीयमान क्षेत्र है। विकलांग व्यक्ति को सेवा देने के प्रावधान में इसने एक अहम भूमिका निभाई है। कुछ एनजीओ मानव संसाधन विकास तथा अनुसंधान कार्य संचालित कर रहे हैं। सरकार भी उन्हें सक्रिय रूप से नीति के सूत्रीकरण, योजना, क्रियान्वयन, निगरानी में शामिल कर रही है और विकलांगता से जुड़े कई मुद्दों पर उनसे परामर्श प्राप्त कर रही है। एनजीओ के साथ कार्य-व्यवहार को विकलांगता से जुड़ी योजना, नीति सूत्रीकरण तथा क्रियान्वयन के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा। नेटवर्किंग, सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा एनजीओ के बीच अच्छी कार्य पद्धतियों को साझा करने के प्रयास को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए निम्न कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

विकलांगता के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ की एक निर्दे शिका तैयार की जायेगी, जहाँ उनके प्रमुख कार्यों के साथ उनके कार्य क्षेत्र का भी उल्लेख किया जाएगा। केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा समर्थित एनजीओ के लिए उनकी संसाधन स्थिति, वित्तीय तथा मानव बल की भी सूचना दी जाएगी। विकलांग व्यक्तियों के संगठन, पारिवारिक संघों तथा उनके माता-पिता का समर्थन करने वाले समूह को भी इस निर्देशिका में शामिल किया जाएगा, जहाँ उनका अलग से उल्लेख किया जाएगा। एनजीओ के कार्यों के विकास में क्षेत्रीय/राज्य असंतुलन मौजूद है। अनारक्षित तथा सुदूर इलाकों में इस दिशा में काम करने वाले एनजीओ को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उनका संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिष्ठित एनजीओ को भी ऐसे इलाकों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एनजीओ को न्यूनतम मानक, आचार संहिता तथा नैतिकता के विकास के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।

एनजीओ को उनके कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण तथा जानकारी प्रदान करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। प्रबंधन क्षमता का प्रशिक्षण पहले से दिया जा रहा है, इसे और भी मजबूत बनाया जाएगा। पारदर्शिता, जिम्मेदारी, प्रक्रिया की सरलता इत्यादि। एनजीओ-सरकार के सहयोग के दिशा-निर्देशक कारक होंगे।

एनजीओ को उनके संसाधन का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता पर उनकी निर्भरता कम की जा सके तथा इस क्षेत्र में फंड की उपलब्धता में भी सुधार किया जा सके। एक योजनाबद्ध तरीके से एनजीओ को मिलने वाली सहायता में कमी करनी होगी ताकि उपलब्ध संसाधनों के भीतर मदद की जाने वाली एनजीओ की संख्या अधिकतम हो। इस दिशा में एनजीओ को संसाधन के एकत्रण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

कुछ गैर-सरकारी संगठन जो विकलांगजन के लिए विशेष प्रयासरत हैं, जैसे- दृष्टिहीनों हेतु संगठन N.A.B. (National Association for the Blind), NFB (National Federation of the Blind).

मूक बधिरों हेतु गैर-सरकारी संगठन

1. सार्थक प्रयास
2. All India Deaf and Dumb Society
3. All India Federation of Deaf and Dumb

लोकोमोटिव हेतु गैर-सरकारी संगठन

1. National Institute of Locomotive
2. CanIndia
3. महावीर विकलांग संस्था एवं जयपुर फुट

मानसिक विमंद व्यक्तियों हेतु संगठन

1. मुस्कान
2. विमंदित व्यक्तियों हेतु संस्था, दिल्ली

एसिड पीड़ित व्यक्तियों हेतु संगठन

Acid Survivors Foundation of India (ASFI)

कुछ विकलांगजन जिन्होंने सफलता के शिखर पर अपना परचम लहराया है, उनमें प्रमुख हैं (www.thebetterindia.com/16449) -

1. अरुणिमा सिन्हा - जिनको चलती रेल से लुटेरों ने नीचे फेंक दिया लेकिन एक पैर खोने के बावजूद उन्होंने माउण्ट एवरेस्ट फतेह किया।
2. प्रसिद्ध नृत्यांगना और अभिनेत्री सुधाचन्द्रन - जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी कला को प्रदर्शित किया।
3. संगीत दुनिया में क्षितिज पर चमके रविन्द्र जैन
4. राजस्थान वीमैन ऑफ दी ईयर पुरस्कार प्राप्त शताब्दी अवस्थी (दूरभाष पर वार्तालाप)।
5. प्रसिद्ध खिलाड़ी देवेन्द्र झाझड़िया।
6. चिकित्सक डॉ. सुरेश आडवाणी आदि।

अनेक ऐसे ख्याति प्राप्त नाम जिन्होंने विकलांगता को बाधक नहीं बनने दिया, बल्कि देश-विदेश में अपने देश का गौरव बढ़ाया।

दिव्यांग व्यक्तियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु अनेक कानून बनाये गये हैं, लेकिन आज भी समाज में कई ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनका सामना दिव्यांगजन को करना पड़ रहा है। अशिक्षा इस दिशा में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि जो दिव्यांग जन शिक्षित है, वहीं अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरुक व जुझारू हैं।

व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव भी एक अन्य बड़ी समस्या है, क्योंकि कौशल एवं व्यावसायिक निपुणता के बिना दिव्यांग लोगों को आजीविका चलाने हेतु किसी अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है जो उनमें आत्मविश्वास की कमी पैदा करता है और आर्थिक बाधाएँ उनके व्यक्तित्व के विकास को कुंठित कर देती है।

नागरिक समाज में विकलांग व्यक्तियों के प्रति सोच भी अधिक सकारात्मक नहीं होती और ये दिव्यांग जन स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हैं।

एसिड अटैक से पीड़ित महिलाओं का उदाहरण इस दिशा में उल्लेखनीय है क्योंकि वे महिलाएं स्वयं को मानसिक रूप से काफी कमजोर महसूस करती हैं और शारीरिक संरचना में हुये हृदय विदारक परिवर्तन के साथ जीवन जीना उन्हें कठिन महसूस होता है।

सरकारी योजनाओं एवं नियमों का लाभ भी वास्तव में पीड़ितजन एवं दिव्यांग लोगों तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही वहाँ भी बाधक बन जाते हैं।

- राज्यों के नि:शक्तजन आयोग खुद नि:शक्त है, वह कानूनों को ठीक से पालन नहीं करवा पाते है।
- कार्यक्षेत्र में भी विकलांग लोगों हेतु निर्धारित सुविधाएँ नहीं उपलब्ध करवाई जाती, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में विकलांगों हेतु विशेष सुविधाएं हैं लेकिन अभी राजस्थान विश्वविद्यालय में भी ऐसी सुविधाओं का अभाव है।
- विकलांगजन को विवाह सम्बन्धी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि समाज आज भी उनके प्रति अधिक सकारात्मक नहीं है।

निष्कर्ष

अत: समाज में विकलांगजन के मानवाधिकारों के लिए कानून तो काफी बन गये, लेकिन आवश्यकता है उन कानूनों का लाभ सीधे प्रभावित तबके तक पहुँचाया जाये। इसके लिए समाज की भी मानसिकता में बदलाव जरूरी है, ताकि सकारात्मक सोच विकालंगजन को मिले और वे आगे बढ़कर स्वप्रेरणा से समाज की मुख्यधारा में आने का प्रयास कर सकें।

समाज में यह बदलाव समन्वित प्रयास से ही संभव होगा, जिससे गैर-सरकारी संगठन, सरकार, विकलांग जन स्वयं व नागरिक समाज आदि सभी मिलकर प्रयास करें ताकि समग्र और संतुलित विकास का स्वप्न साकार हो तथा भारत एक गौरवशाली एवं खुशहाल राष्ट्र के रूप में विश्व क्षितिज पर उभरें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बक्शी, एन.एस., मानवाधिकार शिक्षा, स्पोर्टस पब्लिकेशन, दिल्ली, 2009
2. मिश्रा, डॉ. महेन्द्र कुमार, भारत के मानवाधिकार, खेल साहित्य केन्द्र, नई दिल्ली, 2011
3. भारत का राजपत्र, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, पृ.सं. 22
4. डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु.दबेटरइण्डिया.कॉम/16449/फेमस इण्डियन विद् डिसएबिलिटिज
5. दूरभाष पर वार्तालाप के आधार पर (श्री हर्ष सिंह गहलोत द्वारा विकलांग खिलाड़ी शताब्दी अवस्थी से वार्तालाप द्वारा)

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 92-94

भारतीय संस्कृति, राजनीति और वेद

डॉ मीना बरड़िया

सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

संस्कृति का क्षेत्र बहुत व्यापक है और उसमें साहित्य, संगीत, लोक वार्त्ता, धर्म, दर्शन, राजनीति सभी का समावेश होता है, तथापि वह मूल रूप से इतिहास का अंग है। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति भौगोलिक अर्थ में या राजनीति भौगोलिक अर्थ में विशेष रूप से भारतीय नहीं है वह वैचारिक रूप से भारतीय है। इतिहास में अभी तक राजनीति को ही विशेष महत्व दिया जाता रहा है। राजा-महाराजा, वीर सेनानी आदि ही इतिहास के वास्तविक सूत्रधार माने जाते रहें है, किन्तु किसी देश की वास्तविक समृद्धि और सम्पन्नता उसके नैतिक उन्नति, जीवन-यापन के स्तर, संस्थाओं, शिक्षा-दीक्षा और सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के अतिरिक्त कवियों, विचारकों, कलाकारों और जनता जनार्दन को भी स्थान मिलता है। भारत के वर्तमान राजनीतिक सांस्कृतिक मूल्यों को सुधारने का प्रयास वेदों की प्रेरणा से किया जा सकता है। महात्मा गाँधी का दर्शन भी राजनीति को अध्यात्म तथा नैतिकता से जोड़ता है।

संकेताक्षर : *संस्कृति, संस्कार, पुरातन काल, वेद, रामायण, महाभारत, भारतवर्ष, मानवतावादी*

प्रस्तावना

'संस्कृति' शब्द का सम्बन्ध है 'संस्कार से', जिसका अर्थ है संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना। अंग्रेजी शब्द कल्चर में वही धातु है जो 'एग्रीकल्चर' में है। इसका भी अर्थ पैदा करना या सुधारना है। संस्कार व्यक्ति के भी होते और जाति के भी; जातीय संस्कारों को ही संस्कृत कहते है।[1]

भारतीय संस्कृति विश्व के इतिहास में कई दृष्टियों से विशेष महत्व रखती है। यह संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। भारतीय संस्कृति भौगोलिक अर्थ में या राजनीति भौगोलिक अर्थ में विशेष रूप से भारतीय नहीं है वह वैचारिक रूप से भारतीय है। भारत के सभी निवासी इसको स्वीकार करते हैं-यह भी नहीं है। भारतीय संस्कृति भारतीय है तो वैचारिक अर्थ में और इसके साझीदार, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध सभी हो सकते है पूरे नहीं तो आधे ही सही, परन्तु इसकी पूरी विरासत किसी एक समुदाय या व्यक्ति को नहीं मिली।[2]

वेदों में राजनीति

राजनीति पुरातन काल से ही मानव जीवन का अभिन्न अंग रही है। वर्तमान समय में राजनीति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर रही है। राजनीति अर्थात् राजा के शासन करने की पद्धति। प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों का पता हमें वैदिक एवं पौराणिक साहित्य से लगता है। सूर्य और चन्द्रवंश के कितने ही राजाओं ने भारत के विभिन्न भागों को जीतर चक्रवर्ती की पदवी को प्राप्त किया था। जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आता है तथा जिनकी कीर्ति गाथा पुराणों में भी प्राप्त होती है। वैदिक अध्ययन से पता चलता है कि जीवन का प्रत्येक पहलू सांस्कृतिक, आधारशिला पर आश्रित था। उस समय का राजनीतिक जीवन भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित था।[3] प्राचीन भारत में राजनैतिक विकास भी सामाजिक जीवन के समान ही हुआ था। सांस्कृतिक प्रगति से ही राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई। वैदिक अध्ययन से पता चलता है कि जीवन का प्रत्येक पहलू सांस्कृतिक आधारशिला पर आश्रित था।

वेदों का महत्व

वेद का महत्व अनेक दृष्टियों से माना जाता है। वेद तो हिन्दू धर्म और भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। भारतीय जनमानस में ईश्वरीय ज्ञान के रूप में वेदों में परम आस्था देखी जाती है।

पारंपरिक मत में 'आस्तिक' वह है जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास रखता है और 'नास्तिक' वह है जो वेद की निन्दा करता है। वेद भारतीय इतिहास के प्रारम्भिक काल का उद्घाटन करने में सहायक हैं। इनमें भारतीय इतिहास और भौगोलिक विवरण ही नहीं, अपितु यदु, तुर्वश आदि जन समूहों के विवरण भी मिलते हैं। वेदों की महत्ता के विषय भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का भव्य प्रासाद वेद की आधारशिला पर ही प्रतिष्ठित हुआ है ।[4]

इसलिए प्रारम्भ से ही शिक्षा और राजनीति, ज्ञानार्जन के अन्तर्गत वेदों के अध्ययन की उपयोगिता एकमत से स्वीकार की गई है। वैदिक युग के आर्य मोक्ष के लिए चिन्तित नहीं थे, न वे संसार के असार मानकर उससे भागना चाहते थे। उनकी प्रार्थना की ऋचाएं ऐसी हैं, जिनसे पस्त से पस्त आदमियों के भीतर भी उमंग की लहर जाग सकती है। वैदिक प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं भी हैं, और सबल, स्वस्थ, प्रफतल जीवन को प्रोत्साहन देने वाले मंत्र भी।[5]

वाल्मीकीय रामायण और महाभारत संस्कृत साहित्य के दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जो वैदिक युग के इतिहास के अनुशीलन के लिए बहुत उपयोगी हैं। वेदों में अनेक नदियों, पर्वतों, जनपदों, जातियों तथा राज्यों के नाम भी मिलते है। वेद मंत्रों में ऐतिहासिक घटनाओं के कई संकेत मिलते हैं।[6] भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व, प्राचीनकाल से बना हुआ है। इन विविधताओं के कारण ही भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएँ विकसित होकर पल्लवित और पुष्पित हुई हैं।[7]

वेद किसने उत्पन्न किये हैं? सत् जिसका कभी नाश नहीं होता, चित् सदा ज्ञान स्वरूप है, जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, आनन्द जो सदा सुखस्वरूप और सबको सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह में परिपूर्ण हो रहा है, जो सब मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्टदेव और सब सामर्थ्य से युक्त हैं उसी पर ब्रह्म से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। इसीलिये सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों का ग्रहण करें और वेदोंक्त रीति से ही चलें।[8] जो सर्व शक्तिमान परमेश्वर है, उसी से ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं जो सत्य का आचरण करने वाला है, वह सदा विजय और सुख को प्राप्त होता है, और जो मिथ्याचरण अर्थात् झूठे कामों को करने वाला है वह सदा पराजय और दु:ख ही को प्राप्त होता है।

राजनीति एक ऐसा विषय है जिसकी प्रतिष्ठा ओर प्रमुखता को लेकर विभिन्न युगों में विभिन्न प्रकार से चर्चा की जाती रही है और की जा रही है। किसी विषय को जीवंतता प्रदान करने के लिए जरूरी है, विषय की सार्थकता और उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्याओं के निराकरण की क्षमता। वेदों से हमने राजनीति को समझा है। यह समय के साथ राजनीति के सिद्धान्तों में परिवर्तन करके अपने जीवन को और अधिक व्यवस्थित, सुगम बनाता चलता है।

मानव सभ्यता के इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा पड़ाव है जिससे पहले और जिसके उपरान्त मनुष्य से जुड़े लगभग सभी क्षेत्रों में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। 200 सालों तक जुल्म और शोषण की जंजीरों में जकड़े भारत ने भी इसी दौरान एक नये भविष्य की आशा में कदम बढ़ाया। कब और किस वक्त पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और विचारों कार्य अन्धानुकरण हमें हमारी जड़ों से दूर करता चला गया इसका अनुभव हम आज तक भी नहीं कर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप जिन मूल्य, आदर्शों के बल पर भारत एक महान राष्ट्र बना, उसी पहचान और अस्तिव की खोज हमारे लिए एक चुनौती बन गई है। इस समस्या का समाधान हम वेदों में ही खोज सकते है।

भारत राजनीति से सम्बन्धित विभिन्न विधाओं में सम्पूर्ण विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, क्यों आज राजनीति का विषय अस्तित्व को तलाशने और तराशने में हमें पश्चिमी विचारकों की लेखनी का सहारा लेना पड़ रहा है? क्यों अभी तक भी वैश्विक स्तर पर भारतीय राजनीति चिन्तन व दर्शन को जानने समझने का कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया गया जा रहा है।

स्वामी विवेकानन्द मानवतावादी विचाराधारा के प्रवर्तक होने के कारण भौतिकवाद को उतने ही अर्थ में स्वीकार करते हैं जिससे जन साधारण के लिए रोटी की पूर्ण व्यवस्था हो सके। वे जनता के आध्यात्मिक कल्याण के लिए अधिक प्रयासरत रहे। इसी कारण उन्होंने बेन्यम के उपयोगितावादी दर्शन को स्वीकार नहीं किया। उच्च आदर्श और उत्कृष्ट व्यावहारिकता का सुन्दर सामजस्य उनके विचारों में जहाँ प्राप्त होता है वहीं उन्होंने अपने आदर्श को कभी नहीं त्यागा।[10] ईश्वरतत्व' और 'मनुष्यत्व' यही दो भाव हैं जो सम्पूर्ण विश्व का एकत्व प्रदान करने में सहायक सिद्ध होते हैं। सभी मनुष्य रंग-रूप, बुद्धि, विवेक, विद्या, शारीरिक बल में पार्थक्य होने पर भी मनुष्य हैं। हम सभी में 'मनुष्यत्व' का एक भाव है, जो अमूर्त है। 'मनुष्यत्व' का भाव 'ईश्वरतत्व' से जुड़ा हुआ है। सभी मनुष्य विभिन्न मार्गों से होते हुए उस एक ईश्वर की और अग्रसर हो रहे हैं, वेद भी सभी देश-काल की सीमा से मानव से जोड़ते हैं। इन्हीं के माध्यम से विश्व बन्धुत्व की स्थापना की जा सकती है। ये ही सार्व भौमिक है, सर्वत्र है आदि है अनन्त हैं, अजन्मा और अर्न्तनिहित है।

निष्कर्ष

आज विश्व की समस्यायें इतनी अधिक विकराल रूप धारण करती जा रही हैं कि मात्र अन्तर्राष्ट्रीय संगठन अन्तर्राष्ट्रीय संघ, अन्तर्राष्ट्रीय विधान में ही मूलमंत्र स्वरूप है। वेदों को अपनाना होगा। लाखों नर-नारियाँ पवित्रता के अग्निमंत्र में दीक्षित होकर भगवान में दृढ़-विश्वास रूपी पद दलित, दरिद्र ओर पतित के प्रति सहानुभूति रखें। सार्वभौमिकता का मूल आधार समानता है। जिस प्रकार संसार के प्रत्येक कण में, जीव में मनुष्यों में एक मात्र ब्रह्मय समाहित है उसी प्रकार हम सभी को समान भाव से देखें केवल समत्व का दर्शन करें। सर्वप्रथम हमें देह और मन रूपी कुसंस्कार को त्यागना चाहिए। सभी देह मन के पीछे आत्माओं की आत्मा विश्व की आत्मा जीवनों का जीवन है। हमारी वास्तविक आत्मा विद्यमान है।[11] सर्वत्र ईश्वर की अनुभूति ज्ञानी व्यक्ति को ही होती है। ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिवादी होता है इसी कारण वह जानता है कि न तो वह हिन्दू है, न बौद्ध और न ईसाई अपितु वह तीनों में है। वह इस वस्तु को अस्वीकार कर देता है। इसी प्रकार से साकार, निराकार आस्तिकता, नास्तिकता सभी के बीच ज्ञानी जन समान भाव रख ईश्वर के साक्षात्कार की अनुभूति करते है।

भारतवर्ष के सन्दर्भ में उन्होंने यथार्थ दर्शाते हुए कहा ''भारत भूमि पवित्र भूमि है, भारत मेरी तीर्थ है, भारत मेरा सर्वस्व है, भारत की पुण्य भूमि का अतीत गौरवमय है। यही वह भारत वर्ष है जहाँ मानव, प्रकृति एवं अन्तर्जगत की रहस्यों की जिज्ञासाओं के अंकुर पनव थे। उनका कहना था चिन्तन मनन कर राष्ट्र चेतना जागृत करो लेकिन अध्यात्मिकता का आधार न छोड़ो।''[12] परमेश्वर ने अपनी वेद विद्या का हम लोगों के लिये उपदेश करके सफलता सिद्ध की है क्योंकि परमेश्वर हम लोगों का माता-पिता के समान है।[13] हम सब लोग जो उसकी पूजा हैं उन पर वह नित्य कृपा दृष्टि रखता है। जैसे अपने सन्तानों के ऊपर पिता और माता सदैव करुणा को धारण करते है कि सब प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावें, वैसे ही ईश्वर भी सब मनुष्यादि सृष्टि पर कृपा दृष्टि सदैव रखता है, इससे ही वेदों का उपदेश हम लोगों के लिये किया है। जो परमेश्वर अपनी वेद विद्या का उपदेश मनुष्यों के लिये न करता, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि किसी भी यथावत प्राप्त न होती, उसके बिना परम आनन्द भी किसी को नहीं होता। इस प्रकार वेद सब अन्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।[14]

भारत के वर्तमान राजनीतिक सांस्कृतिक मूल्यों को सुधारने का प्रयास वेदों की प्रेरणा से किया जा सकता है। महात्मा गाँधी का दर्शन भी राजनीति को आध्यायत्म तथा नैनिकता से जोड़ता है। वेद हमारी जीवन शैली और व्यवहार को निर्देशित करते हैं। हमारा राजनीतिक व्यवहार भी राष्ट्रीयता की पहचान से प्रेरित होना चाहिए। स्वार्थ तथा लालच का पर्दा हटाकर प्रत्येक नागरिक के लिए कार्य करना राजनीतिक दलों तथा राजनेताओं के सीखने की आवश्यकता बन चुका है। मनुष्य का भाव होना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है और यही वेदों का सार है।

सन्दर्भ सूची

1. डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु.पुस्तक.ओआरजी>बुक डिटेल्स
2. प्रतियोगिता दर्पण हिन्दी मासिक जून 2018, पृ.सं. 97
3. डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु.जान्हवी संस्कृति जर्नल.एन> लॉक्ड
4. <एचटीटीपीएसः//सोल.डियू.एससी.एन>
5. कृष्ण पुरोहित, डॉ. सोहन, पुराणों में भारतीय संस्कृति, राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर प्रकाशक एवं वितरक, 2007, पृ.सं. 20
6. दिनकर, रामधारी सिंह, संस्कृति के चार अध्याय, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ.सं. 29
7. एम.भारत डिस्कवरी.ओआरजी>इण्डिया>भारती
8. ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, पृ.सं. 13
9. ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, पृ.सं. 109
10. भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, जुलाई, दिसम्बर, 2015 पृ.सं. 165
11. सूद, ज्योति प्रसाद, आधुनिक भारतीय सामाजिक तथा राजनीतिक विचार की मुख्य धाराएं, जय प्रकाश नाथ एण्ड कम्पनी, मेरठ
12. स्वामी विवेकानन्द, वर्तमान भारत, रामकृष्ण मठ, नागपुर, 1991
13. गुप्ता, आर.पी., स्वामी विवेकानन्द के शैक्षिक विचारों का अध्ययन, 1985
14. दत्त, भूपेन्द्र नाथ, विवेकानन्द पेट्रियट प्रोफेट नवभारत, प्रकाशक कलकत्ता, 1954

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 95-98

गाँधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत एवं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर)

ISSN 2348-3857

डॉ. सीमा अग्रवाल

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

प्रस्तुत पत्र गाँधीजी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त की व्याख्या करता है साथ ही कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के साथ उसका सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास भी करता है। गाँधीजी का ट्रस्टीशिप या न्यासिता का सिद्धान्त जहाँ उद्यमियों को अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग एवं सम्पत्ति अर्जित करने की स्वतन्त्रता देता है वहीं यह सिद्धान्त व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक संसाधनों एवं सम्पत्ति का समुदाय के हित में स्वेच्छापूर्वक देने का आग्रह भी करता है। गाँधीजी के अनुसार उद्यमी के सम्पत्ति अर्जन में समुदाय का भी योगदान होता है। इसलिए उसे स्वयं को उस सम्पत्ति का न्यासी समझकर उसका उपयोग समुदाय के हित में करना चाहिए। इसी तरह वर्तमान समय में एक नयी अवधारणा के रूप में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) की अवधारणा लोकप्रिय एवं अनिवार्य हो रही है। जिसके मूल में परोपकार, दान तथा ट्रस्टीशिप की भावना विद्यमान है। आज कॉर्पोरेट और उनकी सामाजिक जिम्मेदारी न केवल कॉर्पोरेट जगत अपितु सरकार की भी नीति बन गया है। सरकारें कानून बनाकर उद्यमियों एवं व्यवसाय जगत को समाज की बेहतरी एवं उसके विकास के लिए खर्च करने के लिए विवश कर रही है। साथ ही दान के रूप में परोपकार करने के लिए उद्यमी भी आगे आ रहे हैं जिसमें बिल गेट्स एवं वॉरेन बफेट के उदाहरण सर्वविदित हैं। सी.एस.आर की बढ़ती लोकप्रियता से ऐसा लगता है कि गाँधीजी के न्यासिता सिद्धान्त ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। प्रस्तुत पत्र में न्यासिता एवं कम्पनियों की सामाजिक दायित्व में सम्बद्ध स्थापित कर गाँधी की प्रासंगिकता को भी प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि आज सबसे अधिक प्रश्नचिन्ह गाँधी के आर्थिक विचारों की उपयुक्तता को लेकर है किन्तु सी.एस.आर की बढ़ती स्वीकार्यता ने गाँधी के न्यासिता सिद्धान्त की उपयुक्तता के साथ गाँधी के मानवीय अर्थशास्त्र एवं आर्थिक न्याय के तरीकों को भी उचित सिद्ध किया है।

संकेताक्षर : *न्यासिता, न्यासी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी (सी.एस.आर.), अपरिग्रह, अस्तेय, परमार्थ*

प्रस्तावना

गाँधी की 150वीं जन्मशती के अवसर पर गाँधी चिन्तन, गाँधी विमर्श, गाँधी की ओर वापसी पर विचार-विमर्श किये जा रहे हैं। गाँधी को लेकर सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह (आधुनिक विश्व में) गाँधी के विचारों विशेषरूप से गाँधी के आर्थिक दर्शन की प्रासंगिकता को लेकर है क्योंकि गाँधीजी के आर्थिक विचार अर्थशास्त्र के शास्त्रीय सिद्धान्तों पर आधारित न होकर नैतिक आस्थाओं पर आधारित थे।

समकालीन आधुनिकीकृत, शहरीकृत, वैश्वीकृत, उपभोक्तावादी, बाजारीकृत तकनीकी विश्व में गाँधी के आर्थिक विचार पुराने एवं अप्रासंगिक प्रतीत होते हैं। परन्तु समकालीन आर्थिक विश्व में वैश्वीकरण, आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण, पर्यावरण के क्षय, असहिष्णुता में वृद्धि, आत्मकेन्द्रित एवं एक आयामी मनुष्य के बढ़ते तनाव, उत्पादन, पूँजी, तकनीक एवं व्यापार के कुछ ही हाथों में केन्द्रीकरण से बढ़ती निरंकुशता ऐसी समस्याएं है जिनके कोई समाधान नहीं निकल पा रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान हमें गाँधी के मानवीय अर्थशास्त्र की तरफ ले जाते हैं। गाँधीवादी आर्थिक दर्शन अल्पकालिक सोच के स्थान पर दीर्घकालिक समाज कल्याण पर आधारित है। जिसमें व्यक्ति आत्मकेन्द्रित न होकर समग्र सोच वाला विवेकी व्यक्ति है। गाँधी के आर्थिक विचार समानता, विकेन्द्रीकरण, स्वदेशी, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, कायिक श्रम, समभाव एवं सर्वो दय जैसे नैतिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं।

जैव शास्त्रीय या समकालीन अर्थशास्त्र में समानता कहने को तो है लेकिन असमानता बहुत तेजी से बढ़ी है जबकि गाँधीवादी

आर्थिक विचारों का समानता ही मूल आधार है जिसे सरकार के हस्तक्षेप के माध्यम से नहीं अपितु विवेकी व्यक्तियों द्वारा संसाधनों के पुन: वितरण से हासिल किया जा सकता है। गाँधी के विकेन्द्रीकृत समाज के व्यक्ति अपने विवेक को मानने की बजाय अपने कार्यों के प्रति सामाजिक रूप से जवाबदेह होते हैं तथा वे अपने लिये नहीं अपितु व्यापक हित के लिए काम करेंगे। स्वैच्छिक त्याग का अर्थ एवं परिणाम समाज में समानता है। लोग चाहे जितना कमाएं लेकिन वे एक संयमी व्यक्ति का जीवन बिताये तथा व्यापक हित के लिए स्वेच्छा से त्याग की भावना रखें, यह विचार ही ट्रस्टीशिप को जन्म देता है। ट्रस्टीशिप की व्यवस्था में सम्पत्ति का सृजन एवं स्वामित्व दोनों ही स्वीकार्य एवं न्यायोचित है क्योंकि गाँधी यह मानते हैं कि स्वामित्व मानव को संतुष्टि एवं सुरक्षा का भाव प्रदान करता है। इसीलिए गाँधी धन के स्वामित्व के स्थान पर धन का लालच छोड़ने एवं अतिरिक्त धन का ट्रस्टी बनकर उसका समाज की सेवा एवं कल्याण के लिए उपयोग करने की बात कहते हैं।

इस संसार में जो कुछ है , वह ईश्वर का है। अत: व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों का त्यागपूर्वक उपयोग करना चाहिए क्योंकि उसके पास उपलब्ध वस्तुओं पर उसका स्वामित्व नहीं है।

ईशा वास्यमिदं सर्वे यत्किंच जगत्यां जगत।
तने व्यैक्तेन भुञ्जीथा मा गृध: कस्य स्विद्धनम।।[1]

ईशोपनिषद के इस प्रथम मंत्र से ग्रहण किये गये आध्यात्मिक विचार को गाँधीजी ने ट्रस्टीशिप या प्रन्यास सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। ट्रस्टीशिप अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि व्यक्ति अपने मानसिक एवं शारीरिक श्रम द्वारा जो कुछ अर्जित करते हैं उसमें समाज का भी योगदान होता है। इसलिए उस पर केवल उनका स्वामित्व नहीं होता अपितु समाज की हिस्सेदारी भी उसमे होती है। अत: सम्पत्ति का स्वामित्व रखने वालो की लिए ये आवश्यक है कि वह उसका उपयोग सबके कल्याण व लाभ के लिए करें। गाँधीजी के अनुसार जिन लोगों के पास आवश्यकता से अधिक संसाधन एवं सम्पत्ति है वे उसके संरक्षक या प्रन्यासी होते हैं।[2] इसलिये उन्हें अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति के पश्चात शेष संसाधनों व सम्पत्ति का सामाजिक हित में उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार ट्रस्टीशिप सिद्धांत अतिरिक्त साधनों का स्वेच्छा से समाज में वितरण को सुनिश्चित करता है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत भारतीय दर्शन के धार्मिक व नैतिक तत्वों से परिपूर्ण है।[3] हिन्दू संयुक्त परिवारों के मुखिया ट्रस्टी के रूप में कार्य करते थे। इसी तरह प्राचीन भारत में राजाओं की अवधारणा एक ट्रस्टी के रूप में की जाती थी। भारत ने राम की अनुपस्थिति में अयोध्या का शासन एक ट्रस्टी की भाँति चलाया। राम राज्य इस बात का प्रतीक है कि शासकों की शक्ति उनके स्वार्थ की बजाय परमार्थ या समाज-कल्याण में निहित है।

गाँधीजी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत अपरिग्रह, समभाव एवं अस्तेय के विचारों का मूर्तवान एवं व्यस्थित रूप है। इस सिद्धांत के माध्यम से गाँधीजी आर्थिक समस्याओं के समाधान के प्रचलित तरीकों, पूँजीवाद एवं समाजवाद की बुराइयों का समाधान करते हुए नया हल सुझाते हैं। गाँधीजी के अनुसार पूँजीवाद में अपनी क्षमताओं के अधिकतम उपयोग की प्रेरणा तो होती है लेकिन इसमें आर्थिक शांति का केन्द्रीकरण हो जाता है एवं पूँजीपति शोषणकारी शक्ति में बदल जाता है; जबकि साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्ति की क्षमताओं एवं योग्यताओ के लिए कोई प्रेरणा नहीं रहती है एवं उसका समाज के हित में उपयोग नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें निजी पहल को पूरी तरह समाप्त कर आर्थिक मामलों में निर्णय लेने की शक्ति पूरी तरह राज्य के हाथों में केन्द्रित हो जाती है। गाँधीजी का प्रन्यास सिद्धांत इन दोनों की बुराइयों के निराकरण का विकल्प देता है जिसमें सम्पत्ति को उपार्जित करने वाले व्यक्ति को उसके प्रबंधन का अधिकार तो दिया जाता है लेकिन साथ ही सम्पत्तिधारी लोगों पर अतिरिक्त पूँजी या सम्पत्ति का समुदाय के हित में समर्पण करने का नैतिक बंधन एवं आग्रह भी है क्योकि प्रन्यासी द्वारा अर्जित सम्पत्ति पर सम्पूर्ण समाज का स्वमित्व होता है।[4]

गाँधीजी इस तथ्य को मानते थे कि बिना प्रेरणा के व्यक्ति अर्थोपार्जन के लिए सक्रिय नहीं होते हैं। ट्रस्टीशिप सिद्धांत ये व्यवस्था करता है कि धन के उपार्जन की व्यक्ति की क्षमता एवं दक्षता का उपयोग हो लेकिन वह शोषण का माध्यम नहीं बन पाये। इस सिद्धांत द्वारा सम्पत्तिधारी अपनी क्षमताओं के भरपूर उपयोग से मानसिक संतोष तो अनुभव करेंगे ही अपितु समाज के लाभ के लिए सम्पत्ति के उपयोग के माध्यम से वह अपना नैतिक कल्याण भी सुनिश्चित कर सकते हैं।[5] गाँधीजी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत मनुष्य की सहज दानवृत्ति को आर्थिक गतिविधियों का प्रेरक नियम बनाकर सहज मानवीय भावना को ही एक सिद्धांत का रूप प्रदान करता है। गाँधीजी ने सुझाव दिया कि ह्दय परिवर्तन के माध्यम से लोगों को अपनी अतिरिक्त सम्पत्ति का त्याग करने के लिए प्रेरित किया जा सकता हैं।

जब गाँधीजी की प्रासंगिकता पर विचार किया जाता हैं तो सबसे ज्यादा ट्रस्टीशिप सिद्धांत की व्यवहारिकता पर प्रश्न उठाये जाते हैं। इसमें कुछ आलोचकों ने इसे पूँजीपतियों के प्रच्छन्न समर्थन का माध्यम बताया हैं वहीं कुछ आलोचकों ने इसके औचित्य एवं व्यवहारिकता दोनों पर संदेह किया हैं। इसकी आलोचना इस आधार पर भी कि जाती हैं कि इसमें सामाजिक परिवर्तन को सुनिश्चित करने वाले ठोस कारको का अभाव हैं।[6] लेकिन

जिस तरह गाँधी की प्रासंगिकता सनातन हैं उसी तरह उनका ये सिद्धांत भी प्रासगिक हैं। नैतिक पतन, अत्यधिक तनाव, मानव कष्ट, बेरोजगारी,संपत्ति का असमान वितरण जैसी समस्याओं के समाधान के लिये सारी दुनिया एक विकल्प की तलाश में हैं और गाँधीवाद ही ये विकल्प प्रस्तुत करता हैं। गाँधी एक नई आशा,एक नई शक्ति और एक नई प्रकार की सुव्यवस्थित योजना प्रस्तुत करते हैं जो आधुनिक विश्व की समस्याओं का समाधान करती हैं।

ट्रस्टीशिप सिद्धांत भी काफी व्यापक एवं गहरे अर्थो वाला हैं। यह सिद्धांत धनी एवं निर्धन के विभाजन को न्यूनतम करता हैं तथा धनी लोगों को अपनी सम्पत्ति का कुछ भाग लोकोपकारी उद्देश्यों के लिये रखने के लिये प्रेरित करता हैं। वर्तमान में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) की नीति ट्रस्टीशिप के विचार के समरूप हैं।[7] जिसमे कॉर्पोरेट सेक्टर (निजी क्षेत्र) की सामाजिक जिम्मेदारी तय की जाती हैं। ट्रस्टीशिप की सोच के अनुरूप कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के पीछे भी यही भावना कार्य कर रही हैं कि सम्पत्तिशाली लोगों ने जो सम्पत्ति का निर्माण किया हैं उसमे समाज का भी योगदान होता हैं। अत: उन्हें अपनी अतिरिक्त सम्पत्ति समाज उपयोगी कार्यों में खर्च करनी चाहिए।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व विस्तृत दायरे में चीजों को देखने की कोशिश हैं जिसमे हम ये देखते हैं कि कोई कंपनी या उद्योग व्यवहार में किस प्रकार के मूल्यों को अमल में लाते हैं। उनका पर्यावरण गरीब एवं वंचित वर्गों एवं सामाजिक मुददो का हल निकालने, वंचित समूहों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाने के प्रति क्या सोच एवं नीतियाँ हैं, उनके उत्पाद किस तरह के हैं एवं किस प्रकार के उद्योग चलाये जा रहे हैं।[8] कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व को अपना नैतिक दायित्व समझते हुये उद्योग, कंपनी, उद्योगपति, संगठन या प्रतिष्ठान समाज उपयोगी कार्यों में शामिल होते हैं; पिछले दो दशकों से कॉर्पोरेट जगत के मुख्य उद्योगपतियों में अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में सोचने का सिलसिला बहुत लोकप्रिय हुआ हैं। सी.एस.आर का विचार भी ट्रस्टीशिप सिद्धांत कि तरह प्राचीन विचारधारा का आधुनिक अवतार हैं। इतिहास पर दृष्टि डालें तो सार्वजानिक कल्याण के कार्यों को करने में कारोबारी पीछे नहीं रहे है। उन्होंने अपने लाभ का एक हिस्सा समाज को उसके कल्याण से जुड़ा काम करके वापस देने का कार्य बखूबी किया हैं। 16वीं सदी के राजस्थान में बावड़ी बनाने का कार्य इसी भावना से हुआ था। भारत में कॉर्पोरेट जगत में मानक के रूप में जेआरडी टाटा ने गाँधीजी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को अपने दिल में बसा लिया कि व्यापारियों को इस तरह से काम करना चाहिए कि उनके पास जो धन हैं वह जनता का हैं और वे उसके न्यासी हैं। इसी भावना के अनुरूप अनेक समाज उपयोगी एवं उत्पादक कार्यों में टाटा फाउंडेशन हमेशा कार्यरत रहते हैं।

विश्व के अनेक देशों में अब कॉर्पोरेट सोशल दायित्व से सम्बंधित नियम और कानून भी बनाये जा रहे हैं। अमेरिकी कम्पंनियाँ इस सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन में बहुत बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं। इसका एक उदारहण माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स का बिल एण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हैं जिसका संचालन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक की ओर से दी गई ऐसी दानराशि से होता हैं जिस पर ब्याज मिलता हैं। इसका इस्तेमाल एड्स और पोलियो जैसी बीमारियों से लड़ने के लिये एवं इसी तरह के अन्य सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों के लिये होता हैं। गेट्स फाउंडेशन ने भारत में स्वास्थ्य एवं विकास परियोजनाओं के लिये लगभग एक अरब डालर की राशि दी हैं। कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर अमेरिकी कंपनियों के प्रयास पहले से अधिक व्यापक हो रहे हैं। इसीलिये एक अकाउंटेंट की पेशेवर जिम्मेदारी में पर्यावरण की बेहतरी के तरीके तलाशना भी शामिल हैं। यह प्रतिबद्धता अमेरिकी उद्योगपतियों में गहरी बैठ चुकी हैं। अभी हाल ही में अमेरिका में वारेन वफेट सदित 20 अरबपतियों ने जलवायु परिवर्तन और अन्य प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिये खुद पर अधिक टैक्स लगाने की माँग की है। अरबपतियों के इस समूह में जॉर्ज सेरोस, फेसबुक के सह संस्थापक क्रिस ह्यूजेज, वाल्ट डिज्नी की वंशज एबीगेल डिज्नी और हयात होटल चेन के मालिक प्रिट्जकर परिवार शामिल है। इनके अनुसार अमेरिका का हमारी सम्पत्ति पर अधिक लगाना एक नैतिक, सैद्धांतिक और आर्थिक जिम्मेदारी बनती है तथा इस वैल्थ टैक्स से जलवायु संकट का हल निकाला जा सकता है एवं अर्थव्यवस्था एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जा सकता है।[9]

वर्तमान में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व से सम्बंधित कई नीतियाँ एवं परियोजनाएं न केवल भारत में अपितु विश्व के अनेक देशों में चल रही है जिसके माध्यम से उद्योग जगत समाज के वंचित वर्गों, महिलाओं, बच्चों, विशेष रूप से सक्षम लोगों की दशा सुधारने, स्वास्थ्य, शिक्षा, रेन वाटर संरक्षण, जल प्रबंधन एवं संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढाँचे के विकास एवं सुविधाओं के विस्तार, पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका एवं सामजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।

भारत में नयी कंपनी अधिनियम 2013, सामजिक मुद्दों का हल निकालने और गरीब और वंचित समूह का समावेशी विकास करने सहित उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव लाने और इन समूहों को उत्पादक एवं सम्मानजनक जीवनयापन में मदद करने हेतु उधमों की सामाजिक जिम्मेदारी के मद में लाभ का दो

प्रतिशत का योगदान करने का अनिवार्य प्रावधान करता है।[10] इस प्रकार सामाजिक दायित्वों के प्रति उद्यम एवं उद्योगपतियों की प्रतिबद्धता गहरे पैठ जमा चुकी है। जो गाँधीजी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत में पूँजीपतियों के हृदय परिवर्तन से समरूपता रखती है शायद सी.एस.आर. की आत्मा में गाँधी के प्रन्यासी सिद्धांत का दर्शन विद्यमान है। आलोचकों का ये कहना ठीक नहीं है कि प्रन्यास सिद्धांत आर्थिक समस्याओं के समाधान का व्यावहारिक समाधान नहीं है। क्योंकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी प्रन्यास सिद्धांत की ही परिणति है।

गाँधी के प्रन्यास सिद्धांत तथा सी.एस.आर. दोनों के अनुसार विश्वास पर आधारित समाधान मात्र से ही मानवता की सेवा की जा सकती है और उसका संरक्षण व पोषण किया जा सकता है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको, अपने तथा दूसरे को ट्रस्टी के रूप में स्थापित कर समाज की जरूरतों को पूरा करने में अपना अमूल्य योगदान दे सकता है। यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर पाए जाने वाले भिन्नताओं व प्रतिकूलताओं का अंत कर सबके लिये कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसके सिवाय मानवता की आधुनिक समस्याओं के निराकरण करने वाला कोई दूसरा प्रभावी, व्यावहारिक, बेदाग व सक्षम विकल्प नहीं है।[11] अभी तक सिद्धान्त के रूप में ट्रस्टीशिप सिद्धान्त था लेकिन उसके व्यवहारिक क्रियान्वयन या कार्यशील होने पर प्रश्नचिन्ह लगते रहे हैं परन्तु कॉर्पोरेट सोशल दायित्व की व्यवहारिकता एवं लोकप्रियता ने ट्रस्टीशिप सिद्धान्त को सिद्ध किया है। सी.एस.आर. की वर्तमान अवधारणा अपने लाभ का एक हिस्सा व्यापक समाज के लिए देने और बाकी से संतुष्ट रहने पर आधारित है। क्योंकि लाभ या मुनाफा कमाने की कॉर्पोरेट जगत की नीति में प्रकृति और श्रम का दोहन होता है जिससे कॉर्पोरेट सैक्टर के अलावा हर किसी को नुकसान होता है। इस नुकसान को कम से कम करने के लिए कुछ समाजोत्पादक, कल्याणकारी दायित्वों का निष्पादन एवं (श्रम एवं प्रकृति के बारे में अधिक सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करना आवश्यक हो जाता है। गाँधीवादी ट्रस्टीशिप अवधारणा में यही कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व या सी.एस.आर. है। इसे प्राप्त करने के लिए ट्रस्टी को अपनी इच्छाओं एवं भोगों को विनियमित करना चाहिए। क्योंकि इसकी अधिकता का बाकी बहुत सारे लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। गाँधीजी का ट्रस्टी अपनी सम्पत्ति का उपयोग सामाजिक दृष्टि से उत्पादक उद्देश्यों के लिए करता है। इसी तरह सी.एस.आर. के अन्तर्गत उत्पादन करते समय श्रम एवं प्रकृति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के कारण उद्योग जगत की कुछ बाह्य जिम्मेदारियाँ पैदा होती हैं एवं इन अवांछित एवं अपरिहार्य जिम्मेदारियों को वे सी.एस.आर. के तहत पूरा किया जाता है।[12] यद्यपि गाँधीजी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त की आधारशिला 'अपरिग्रह' पर टिकी है जिसमें सम्पत्ति के स्वामी, निर्माता या न्यासी किसी भी चीज का संग्रह नहीं करेगा तो स्वत: ही समूचे समाज को सकारात्मक लाभ मिलेगा लेकिन साथ ही गाँधी ट्रस्टीशिप को वैधानिक संस्था के रूप में भी ढ़ालने को तैयार थे। वे इसे वैधानिक चैनल के माध्यम से संवैधानिक रूप प्रदान करना चाहते थे।

निष्कर्ष

इसी तरह सी.एस.आर. की अवधारणा भी परोपकार पर आधारित है लेकिन वर्तमान में सरकार द्वारा अधिनियम बनाकर इसे अनिवार्य भी कर दिया है जो ट्रस्टीशिप सिद्धान्त के व्यवहारिक संभावना को भी प्रमाणित करता है। हाल ही में कई समाजविज्ञानी प.स.एल. मल्होत्रा, रामजी सिंह, एन. राधाकृष्णन, जे.डी.शा, जे.डी. सेठी आदि ने ट्रस्टीशिप सिद्धान्त में उत्साह एवं रुचि दिखाई है। जो ट्रस्टीशिप सिद्धान्त की प्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है। आज के नैतिक शून्यतावादी परिवेश में जहाँ सभी लोग अधिकाधिक सुख-सुविधाएं एवं शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ गाँधीवादी आर्थिक विकल्प एवं स्वेच्छापूर्वक त्याग का न्यासी सिद्धान्त का महत्व और अधिक बढ़ जाता है जिसमें वे सनातन सत्य, आत्मत्याग एवं अपरिग्रह पर बल देते हैं। जब पूरा विश्व अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विकल्प की तलाश में है तब बेरोजगारी, सम्पत्ति के असमान वितरण, गरीबी इत्यादि समस्याओं को सुलझाने में गाँधीवाद एक सशक्त विकल्प के रूप में सामने आता है। जिस तरह से जीवन, सत्य, अहिंसा एवं नैतिकता प्रासंगिक है उसी तरह गाँधी एवं उनका आर्थिक दर्शन भी प्रासंगिक है।

सन्दर्भ सूची

1. ईशोपनिषद, सूत्र -1, पृ.सं. 2
2. हरिजन, 23 .2, 1947, पृ.सं. 32
3. हरिजन, 16 -12 -1939, पृ.सं. 376
4. यंग इंडिया, 26 नवम्बर 1931
5. यंग इंडिया, 26 नवम्बर 1931
6. जोली, सुरजीत, गाँधी एक अध्ययन, कॉनसैप्ट पब्लिशर, दिल्ली, 2007, पृ.सं. 248-251
7. वर्गीज, बी.जी., गाँधी स्मृति में व्याख्यान, 2005
8. कॉर्पोरेट नागरिकता : कारोबार की समाज में भूमिका भाषण द्वारा बेड़ली गुंगीस, हैदराबाद, जुलाई 2010
9. राजस्थान पत्रिका, 16 जुलाई, 2010 पृ.सं. 19
10. कपूर, जी. के कंपनी लॉ
11. जौली, सुरजीत, गाँधी एक अध्ययन, कॉनसैप्ट पब्लिशर, दिल्ली, 2007, पृ.सं. 251
12. योजना, अक्टूबर 2019, प्रकाशन विभाग, पृ.सं. 7-9

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 99-102

राजनीतिक अपराधिकरण प्रजातन्त्र की सबसे बड़ी चुनौती

सुमित्रा सारण

शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। प्रत्येक समाज में सहयोग, संघर्ष, संगठन तथा विघटन की प्रक्रियाएं साथ-साथ क्रियाशील रहती हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले बहुत से व्यक्ति और समूह जहाँ अपनी लम्बी सेवाओ तथा अनुभवों के द्धारा सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाने का प्रयत्न करते हैं। वहीं बहुत से व्यक्ति अपने निजी स्वार्थो अथवा दोषपूर्ण मनोवृतियों के कारण सामाजिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने से तनिक भी संकोच नहीं करते।समाज में जिन नियमों सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक प्रतिमानों को एक अनुशासित और व्यवस्थित जीवन के लिये आवश्यक समझा जाता है यह व्यक्ति उनके प्रतिकूल आचरण करके सामाजिक व्यवस्था के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न कर देते है।

संकेताक्षर : *राजनीतिक, अपराधिकरण,राजनीतिक दल, भ्रष्टाचार, प्रजातन्त्र, न्यायप्रणाली*

प्रस्तावना

साधारण भाषा में इन्हीं समाज विरोधी तथा जनकल्याण के विरूद्ध किये जाने वाले आचरणों को साधारण तथा इन्हें करने वाले व्यक्तियों को अपराधी/भ्रष्ट कहा जाता है।[1] राजनीति में आये अपराधीकरण को खत्म करने के लिए करीब-करीब सभी राजनीतिक दल सहमति प्रकट करते है। सैंकडों सर्वदलीय बैठकें इस मुददे पर हो चुकी हैं परन्तु नेता बैठक में तथा जनता के बीच अपने भाषण में राजनीति से अपराधिक तत्वों को दूर करने की बाते जोर-जोर से करते हैं परन्तु जब इस संदर्भ में किसी प्रकार का नियम बनाने की चर्चा होती है तो सभी दल बिदक कर दूर हो जाते है। सभी दल इस मुददे पर कडा रूख केवल इसलिए नहीं अपना पाते क्योंकि अन्त: करण में सभी नेता यह मान कर चलते है कि अपराधिक तत्व का लाभ चुनाव में हर कोई ले ही रहा है। कोई अपराधिक तत्व से बचाने के लिए किसी और अपराधिक तत्व का सहारा लेता है।

पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोसिंह शेखावत ने कहा था कि ''भारतीय लोकतन्त्र को खोखला करने वाले भ्रष्टाचार के विषाणु से हम सभी अत्यन्त दु:खी है''।[2] पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ''किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाना चाहिए अपराधी चाहे कितने ही ऊँचे स्थान पर क्यों ना हो, लोकतंत्र में सबको वहीं करना चाहिए जो उसके लिए निर्धारित है''। पूर्व राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम ने कहा था कि ''बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र के तीनों स्तम्भ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बेहद मजबूत, शुद्ध, भ्रष्टाचार से मुक्त और बेदाग आचरण वाले होने चाहिए''।[3]

आज भारत की गिनती भले ही बहुत ही तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर होती हो लेकिन अपराधिकरण के मुद्दे पर हमें शर्मिंदगी ही महसूस करनी पड़ती है। राजनीतिक अपराधिकरण को खत्म करने के वादे और दावे करने के बावजूद आज तक इस पर लगाम नहीं लग पाया है। आखिर क्या कारण है इस नाकामी के पीछे? क्या देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून पर्याप्त नहीं हैं या इनका पालन सही तरीके से नहीं हो पाता है? आखिर कानून का डर लोगों में से क्यों निकलता जा रहा है?[4]

राजनीति में राजनेताओं के गिरफ्त में न आ पाने के पीछे बड़ी वजह हमारी अदालतों और वैधानिक प्रक्रियाओं का दायरे में बंधा होना है। उसके समक्ष जिस बिंदू को प्रस्तुत किया जाता है, उसी पक्ष के संबंध में वह न्याय की व्यवस्था देती है। दूसरी बड़ी खामी हमारी न्यायप्रणाली में प्रक्रिया संबंधी पहलू है। न्यायालयों में जजों के पास तारीख देने का, मुल्तवी करने का जो अधिकार है, उस पर

कोई बाध्यता नहीं है। इस वजह से सारी न्यायप्रणाली विलम्बित होती है। इस बार में उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं है। इस खामी की वजह से अक्सर पीड़ित पक्ष भी कचहरी जाने की हिम्मत नहीं उठा पाता है। जितने भी राजनीतिक अपराधीकरण के मामले सामने आए हैं, उनमें आरोपी पक्ष के वकील द्वारा तारीखे लेते हुए विलम्ब करने का ही चलन देखने का मिलता है। न्यायिक प्रक्रिया इस कदर जाल में उलझी है कि किसी राजनेता या नौकरशाह के खिलाफ जानकारी होने के बाद भी लोग केस दायर करने की हिम्मत नहीं उठा पाते। रसूखदार और ताकतवर लोग ही इन खामियों से पार पाते है। इसीलिए न्यायपालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हाल यह है कि तारीख पर तारीख लेकर मामले को कमजोर और खत्म करने की कोशिश की जाती है। न्यायायपालिका की कोई जवाबदेही भी नहीं है। एक ऐसा ही बड़ा मामला वीपी सिंह सरकार के दौरान देखने को मिला था। एक तम्बाकू कम्पनी के खिलाफ रेड में 2000 करोड़ से भी ज्यादा की कर चोरी सामने आई थी। हाईकोटर्स में उसके खिलाफ फैसला आया था, खुद कम्पनी मालिकों ने 64 पेज में स्वीकारा था। पर सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका रहा और बाद में कम्पनी पर लगी लेवी को खत्म कर दिया गया।[5]

खामियां कानून में नहीं, खामियां जांच में होती है। खामियां उस प्रणाली में है जिसके अंदर हम सब काम करते है। कोल घोटाले का मामला हो या 2 जी स्पेक्ट्रम का मामला। सरकार कानून या नीति के आधार पर फैसले लेती है। इसका फायदा या असर तो हमेशा निजी लोगों को ही होता है। पर सरकार में बैठे लोगों ने कोई गलत फैसला लिया है तो उन्हें दंडित करने के बजाय आवंटन के मामले में यह शिकायत आई हैं कि जो कंपनियां स्टील, सीमेंट आदि के उत्पादन में कहीं शामिल ही नहीं थी उन्हें भी कानून के विरूद्ध जाकर खदानों का आवंटन किया गया। इस मामले में अब जांच का विषय यह होगा कि कंपनी ने लाईसेंस झूठ बोलकर लिया या फिर जिसने लाइसेंस दिया उसने कंपनी के दावे की सत्यता की जांच नहीं की। पुन: यह सब पूरी तरह से जांच पर निर्भर करता है।[6]

इसीलिए बड़ा सवाल यह उठता है कि जांच एजेंसी जैसे सीबीआई या पुलिस कैसे किसी राजनीतिक दल के अधीन ठीक से काम कर सकती है? अमरीका से तुलना करे तो हमारी प्रणाली में खामी बड़े साफ तौर पर उभर कर सामने आती है। अमरीका में पुलिस प्रमुख किसी नेता को नहीं वरन एटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट करता हैं और एटॉर्नी जनरल जैसे कई पदों पर नियुक्तियों के लिए सीनेट की सहमति जरूरी होती है। सीनेट इन नियुक्तियों पर काफी बहस करती है। पर हमारे यहाँ इस सब का राजनीतिकरण हो चुका है।[7]

हमारी प्रणाली में दूसरी बड़ी शिकायत है कि यहाँ न्याय में इतना समय लगता है कि अदालतें न्याय की राह में हीं रोड़ा बनते प्रतीत होने लगती है। इसका कारण है कि हमारे यहाँ केसों की संख्या बहुत ज्यादा है। हर छोटा मामला जैसे चालान भी कोर्ट में जाता है, उस पर तारीखें मिलती है। ऐसे मामले अमरीका में कोर्ट में जाते ही नहीं है। हमारे यहाँ भी ऑनरेरी मजिस्ट्रेट आदि बनाकर ये मामले निपटाए जा सकते है।

राजनेताओं के मामलों में जांच से लेकर न्यायालय में सुनवाई तक देर होती रहती है। विलम्ब का हर हथकंडा अपनाया जाता है। यही कारण है कि इनको दोषी पाए जाने में कई वर्ष लग गए।[8]

27.09.2014 **आय से अधिक सम्पति: जे.जयललिता**-वर्ष 1991 से 1996 तक मुख्यमंत्री के रूप में पहले कार्यकाल के दौरान आय से अधिक सम्पति एकत्र करने का आरोप लगा। अब जाकर दोषी पाई गई। **विलम्ब-** 18 वर्ष इसके बाद दो बार सीएम बन गई।	03.10.2013 **चारा घोटाला : लालू प्रसाद यादव**-बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान वर्ष 1996 में चारा घोटाला उजागर हुआ। कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज हुआ। वर्ष 2013 में दोषी पाए गए। **विलम्ब-** 17 वर्ष मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री रहें।
19.09.2013 **मेडीकल एंट्रेंस घोटाला :- रसीद मसूद** वर्ष 1990 मं तत्कालीन राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में चिकित्सा मंत्री थे। त्रिपुरा कोटे की मेडिकल सीटों पर अपात्र लोगों को दाखिला दिलवाने का आरोप लगा। **विलम्ब-** 24 वर्ष सांसद बनते रहे।	31.08.2012 **नरोडा पाटिया दंगे- माया कोडनानी**-गोधरा ट्रेन में आग लगाने की घटना के बाद नरोडा पाटिया में हुए दंगों में 90 से अधिक लोग मारे गए थे। महिला-बाल विकास मंत्री कोडनानी भी दोषी पाई गई। **विलम्ब-** 10 वर्ष विधायक और मंत्री बनी रहीं।
18.02.2011 **इदामलयार बांध घोटाला- आर बी पिल्लेई-** पिल्लेई पर राज्य के उर्जा मुंत्री रहते गलत तरीके से पनबिजली ग्रह का ठेका देने का आरोप था। वर्ष 1985 में आरोप लगे। जांच चली और 2011 में दोषी पाए गएं। **विलम्ब-** 26 वर्ष विधायक और मंत्री बनी रहे।	20.11.2011 **टेलीकॉम घोटाला : सुखराम**-नरसिम्हा राव सरकार में दूरसंचार मंत्री थे। सीबीआई ने वर्ष 1996 में छापा मार कर उनके घर से 3.6 करोड़ रूपए जब्त किए। ढाई दशक बाद अदालत ने उन्हें दोषी पाया। विलम्ब- 25 वर्ष राजनीति में बने रहे।

22.01.2012 **शिक्षक भर्ती घोटाला : ओमप्रकाश चौटाला-** चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तक कनिष्ठ शिक्षको के 3208 पदों पर भर्ती हुई थी। चयन सूची में भारी गड़बड़ी की गई। कोर्ट ने चौटाला को दोषी माना। विलम्ब- 13 वर्ष मुख्यमंत्री रहे फिर विपक्ष के नेता।	27.04.2012 **ऑपरेशन वेस्टण्ड: स्व. बंगारू लक्ष्मण-** भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण वर्ष 2001 में कैमरे पर एक लाख रूपए लेते देखे गए। सीबीआई ने जांच की और दोषी पाय । कोर्ट ने भी दोषी माना। विलम्ब- 11 वर्ष देहांत तक राजनीति में बने रहे।

सुझाव

कालेधन पर रोक-भ्रष्टाचार कालेधन की अर्थव्यवस्था का ही अंग है जैसे-जैसे भ्रष्टाचार बढ़ा है वैसे-वैसे कालेधन की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है। ये जो घोटाले हैं वो भ्रष्टाचार के ही संकेतक हैं। न केवल घोटालों की संख्या बढ़ती जा रही है वरन् घोटालों का आकार भी बढ़ता जा रहा है । उदाहरण के लिए 50 और 60 के दशक में ऐसे घोटालों की संख्या जो समाचार पत्रों के पहले पेज पर आए उनकी संख्या मुश्किल से एक ही होती थी 70 के दशक में यह 2 हो गई। 80 के दशक में इन घोटालों की संख्या 8 हो गई। 91 से 96 तक अवधि में इन घोटालों की संख्या 26 हो गई, जिनमे 13 घोटाले 1 हजार करोड़ के थे। सबसे बड़ा घोटाला हर्षद मेहता कांड था जो कि रिपोर्ट के अनुसार 3 हजार करोड़ का था। एक शोधार्थी ने शोध किया है कि 2005 से 2008 के बीच 150 घोटाले हुए। ये सब बड़े-बड़े घोटाले हुए। ये सभी घोटाले कई हजार करोड़ से लेकर लाख करोड़ तक के घोटाले थे। इस तरह न सिर्फ घोटालों की संख्या कई गुना बढ़ी है वरन उनका आकार भी कई गुना बढ़ा है।[9] ऐसा आंकलन है कि आज की तारीख में भारत की अर्थव्यवस्था में 50 प्रतिशत काला धन है इसका आशय है हमारे लेन देन के 50 प्रतिशत मामले विधि विरूद्ध हैं। भारत में काले धन की अर्थव्यवस्था ने न केवल अपनी एक प्रणाली विकसित कर ली है वरन् हमारे सिस्टम का भाग बन चुकी है। मतलब यह है कि इसमें राजकाज के लोग पूरी तरह से शामिल हैं। नौकरशाही, व्यापारी और राजनीतिज्ञ तीनों इसमें शामिल है। पिछले 70 सालों में कालाधन और भ्रष्टाचार को लेकर कम से कम 40 कमेटियां और आयोग बन चुके हैं और हजारों अनुशंसाएं दी जा चुकी हैं। सैंकड़ों लागू भी हो चुकी हैं पर भ्रष्टाचार और कालेधन की बीमारी बढ़ती ही जा रही है। एक आंकलन के अनुसार इंदिरा गाँधी के जमाने में अर्थतंत्र में कालेधन की मात्रा 7 प्रतिशत थी जो आज बढ़कर 50 प्रतिशत हो चुकी है। इंदिरा गाँधी के जमाने में अधिकतम कर सीमा 97 प्रतिशत तक हुआ करती थी जो अब 30 प्रतिशत तक कर दी गई है। इसके बाद भ्रष्टाचार बढ़ा ही है, घटा नहीं। कालेधन से निपटने के लिए अब तक 6 डिस्क्लोजर अर्थात माफी योजनाएं भी लाई जा चुकी है। अंतिम योजना 97 में आई थी। पर सीएजी की रिपोर्ट ने बताया कि इन माफी योजनाओं में अपने कालेधन को उजागर करने वाले लोग वही थे जो कि पिछली पांच योजनाओं में थे। मतलब यह कि लोगों ने कानून से डरने के बजाए इन योजनाओं को काले से सफेद करने का जरिया बना लिया था।

कठोर कानून-आज निचले स्तर पर अपराधिक मामले ज्यादा आते हैं। जनता का काम बिना सुविधा शुल्क दिए होना मुश्किल हो गया है। लेकिन यह भी तो देखे कि इसकी आदत किसने डाली? आज लोगों में कानून का डर पैदा करने की जरूरत है। लोगों को यह एहसास कराने की जरूरत है कि अगर वे कुछ गलत करेंगे तो कानून उन्हें छोड़ेगा नहीं। जहाँ तक ताकतवर लोगों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का सवाल है जिसे हम व्हाईट कॉलर क्राईम भी कहते है। आखिर क्यों बच जाते है कानून के सिकन्जे से? इसका सीधा सा जवाब है कि उनकी राजनेतिक पकड़ इतनी मजबूत होती है कि कोई भी इन पर हाथ डालने से डरता है।[11]

जन जागरूकता- जो लोग सख्त कानून बनाकर अपराधीकरण रोकने की बात कर रहे है, वे यह भूल जाते है कि दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं, जब सख्त कानूनों का विपरीत असर पड़ा है। केवल सख्त कानून बनाने देने भर से स्थिति अगर बदल जाती तो काई भी देश इसमें पीछे नहीं रहता। देश में मौजूद कानून में ही एक क्लर्क से लेकर प्रधानमंत्री तक को पकड़ने की क्षमता है। अगर उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ, तो कानून की कमी के कारण नहीं, बल्कि उसको लागू करने वालों की प्रवृति के कारण हुआ। सिर्फ नए कानून बनाकर यह परिस्थिति बदलने वाली नहीं है, क्योंकि लोग तो वहीं रहेगे। जब तक जनता स्वाभिमानी नहीं होगी, तब तक बहुत ज्यादा सुधार नहीं होने वाला है।

समयबद्ध जवाबदेही-देश में जो न्यायाधीशों की कमी की बात की जाती है वह निराधार है, सिर्फ बहानेबाजी है। न्यायाधीशों की कोई कमी नहीं है। निर्णयों की कमी है। एक एक छोटा सा केस सालों साल टलता रहता है। उदाहरण के लिए 2009 में सत्यम घोटाला सामने आया था और इसी समय अमरीका में मैडोक का केस सामने आया था। सत्यम घोटाला जहाँ 2 अरब डॉलर का था वहीं मैडोफ का पोंजी स्कीम्स घोटाला 50 अरब डॉलर का था। अमरीका में मैडोक मामले का छह महीने में फैसला हो गया और जेल भी हो गई। दूसरी तरफ हमारे यहाँ सत्यम मामला अभी

कोर्ट तक भी नहीं पहुंचा है। हाल के लोकसभा चुनाव में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें वोट बैंक की राजनीति के कमजोर पड़ने के संकेत मिले है। लोगों ने अपनी जाति से उपर उठकर वोट दिया है। इसी तरह एकांउटेबल बनने से ही भ्रष्टों की तिगड़ी टूट सकती है। इसका कोई तत्काल हल नहीं हैं । यह सब धीरे-धीरे ही होगा।[10]

निष्कर्ष

केवल सख्त कानून बनाने देने भर से स्थिति अगर बदल जाती तो काई भी देश इसमें पीछे नहीं रहता। देश में मौजूद कानून में ही एक क्लर्क से लेकर प्रधानमंत्री तक को पकड़ने की क्षमता है। अगर उसका पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ, तो कानून की कमी के कारण नहीं, बल्कि उसको लागू करने वालों की प्रवृति के कारण हुआ। सिर्फ नए कानून बनाकर यह परिस्थिति बदलने वाली नहीं है, क्योंकि लोग तो वहीं रहेगे। जब तक जनता स्वाभिमानी नहीं होगी, तब तक बहुत ज्यादा सुधार नहीं होने वाला है। हाल के लोकसभा चुनाव में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें वोट बैंक की राजनीति के कमजोर पड़ने के संकेत मिले है। लोगों ने अपनी जाति से उपर उठकर वोट दिया है। इसी तरह एकांउटेबल बनने से ही भ्रष्टों की तिगड़ी टूट सकती है। इसका कोई तत्काल हल नहीं हैं। यह सब धीरे-धीरे ही होगा।[11]

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. धर्मवीर, राजनीति समाजशास्त्र, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ.सं. 32
2. प्रो. माथुर, आनन्द, राजस्थान पत्रिका, दिनांक, 02.08.14
3. शेखर, राजेन्द्र, सीबीआई के पूर्व निदेशक, राजस्थान पत्रिका, दिनांक, 05.10.14
4. डॉ.वासुदेव, डॉ. वर्मा, वीरेन्द्र, भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के बदलते आयाम, महिप बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृ.सं. 66
5. शास्त्री,सोमपाल, राजस्थान पत्रिका, दिनांक, 05.10.14
6. के. तन्खा, विवेक, पूर्व एडि.सॉलिसिटर जनरल, राजस्थान पत्रिका, दिनांक 05.10.14
7. गोपीकृष्णन, जे., वरि.पत्रकार, राजस्थान पत्रिका, दिनांक 05.10.14
8. राजस्थान पत्रिका, दिनांक 05.10.14
9. कुमार, प्रो. अरूण, राजस्थान पत्रिका, दिनांक 02.08.14
10. गोपीकृष्णन, जे., वरि.पत्रकार, राजस्थान पत्रिका, दिनांक 05.08.14
11. राघवन, आर.के., सीबीआई के पूर्व निदेशक, राजस्थान पत्रिका, दिनांक 02.08.14

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 103-108

सुशासन की अवधारणा

हेतल कंवर

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

शोध सारांश

सुशासन एक आदर्श है जिसको सम्पूर्ण रूप से प्राप्त करना कठिन है। विश्व की समस्त शासन प्रणालियों ने इसे मान्यता प्रदान की है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप शासन के खिलाफ आन्दोलन शुरू हो गए हैं। अत: समाज के विकास के लिए आवश्यक है कि अच्छे शासन की स्थापना हो जैसा हमारे राष्ट्रपिता की सोच थी जिन्होंने स्वराज्य के संबंध में ऐसे विचार दिए थे। सुशासन स्थापना में सभ्य समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सुशासन का मूल बल इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार जन सामान्य को प्रेरित किया जाए कि वह अपनी सक्षमताओं के साथ-साथ राज्य व समुदाय के विकास में अपनी सेवा व भागीदारी पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। सुशासन का ध्येय यह भी है कि ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे लोक सेवकों के साथ-साथ राजनीतिज्ञ भी सुशासन की चुनौतियों के प्रति जिम्मेदारी से प्रत्युत्तर देने में सक्षम बन सकें। एक सुशासन वह है जिसका लक्ष्य उसकी नीतियों एवं उनको लागू करने के तरीकों तथा उनके नतीजों में हो व इनकी जनता की तरफ जिम्मेदारियों, जनता से व्यवहार, जनता के लिए विभिन्न वायदों व उनकी ईमानदारी में ही इनका लक्ष्य समाहित है। ऐसा शासन ही सुशासन है।

संकेताक्षर : *सुशासन, वैश्वीकरण, आन्दोलन, स्वराज, सभ्य-समाज विकास, मानवाधिकार, नवीन लोक प्रबन्धन*

प्रस्तावना

मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा, जिसमें गरीब से गरीब आदमी भी यह महसूस करे कि यह उनका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज का महत्व है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा, जिसमें ऊंच-नीच का कोई भेद न हो। जातियां मिलजुल कर रहती हों। ऐसे भारत में अस्पृष्यता व शराब तथा नशीली चीजों के अनिष्टों के लिए कोई स्थान न होगा। उसमें स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार मिलेंगे। सारी दुनिया से हमारा सम्बन्ध शांति और भाईचारे का होगा।

महात्मा गाँधी

सुशासन शब्द सामान्यत: अंग्रेजी के 'गुड गवर्नेन्स' शब्द के हिंदी रूपांतर के रूप में प्रयुक्त होता है। यह शब्द वर्तमान लोकतंत्र के साथ अभिन्न है। हम जिस वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं वह अंग्रेजी के 'डेमोक्रेसी' शब्द का हिंदी रूपांतर है और इसका उद्‌भव भी पश्चिम के देश हैं, इसलिए हम इस लोकतंत्र के साथ उनसे जुड़े दूसरे शब्द भी उसी अनुरूप लेते हैं। इस समय सुशासन की ज्यादातर अवधारणाएं और विचार विश्व के पश्चिमी विकसित देशों को आदर्श बनाकर पेश करती हैं। उनका राजनीतिक ढांचा, आर्थिक विकास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उनका व्यवहार, उनके मानवाधिकार, उनकी न्याय प्रणाली, पुलिस व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य ढांचे आदि सुशासन के आदर्श हैं जिनका अनुकरण करके हमें भी अपने देश या राज्य को उसी तरह बनाना है। ऐसा करने में हम जितने सफल होंगे, सुशासन के मापदंड पर भी हम उतने ही सफल माने जाएंगे। आज का सच यही है कि पूरी दुनिया के लिए सुशासन के उपर्युक्त मॉडल सर्व-स्वीकृत हैं और ज्यादातर देश उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो 'प्रशासन' से तात्पर्य 'निर्णय-निर्माण' की क्षमता एवं उन निर्णयों को लागू करने या न करने से है। सुशासन निर्णय-निर्माण एवं क्रियान्वयन की क्षमता का सद्‌भावना पर आधारित होना है।

पाई के अनुसार-''सुशासन वह है जिसमें प्रजा एक शांतिपूर्ण, नियमयुक्त समृद्धि युक्त जीवन जीए।''

जॉन हैले एवं मार्क रॉबिन्सन-प्रथम के अनुसार-''सुशासन एक प्रभावी संगठन है, जिसमें नीति-निर्माण, विशेष रूप से आर्थिक नीतियों का वृद्धि में सहयोग, स्थिरता एवं जनहित शामिल है।''

कॉफी अन्नान ने लिखा है-''सुशासन विकास को बढ़ावा देने वाला

एवं गरीबी को घटाने वाला शायद एक मात्र महत्वपूर्ण कारक है।'' एक अन्य रूप में एच.के. एस्मेरोम सुशासन को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि-''एक प्रजातंत्र की रूपरेखा में ही सुशासन प्रभावी एवं क्षमतायुक्त होता है।'' विवेक चौपड़ा के अनुसार-''सुशासन वह है जो समाज की कीमत समझे एवं उसे बढ़ाए।''

मिनोचा के अनुसार-''सुशासन वह है जिसमें राजनीतिक हिस्सेदारी, स्वतंत्रता का अधिकार, नियमयुक्त वातावरण, सूचना एवं पारदर्शिता हो तथा जनता एवं सरकार के मध्य प्रभावी सामंजस्य हो।'' यू.एस. अग्रवाल के अनुसार-''एक सुशासन वह है जिसका लक्ष्य उसकी नीतियों एवं उनको लागू करने के तरीकों तथा उनके नतीजों में हो व इनकी जनता की तरफ जिम्मेदारियों, जनता से व्यवहार, जनता के लिए विभिन्न वायदों व उनकी ईमानदारी में ही इनका लक्ष्य समाहित है। ऐसा शासन ही सुशासन है।''

यतीश मिश्रा के अनुसार-''सुशासन वह है जिसमें देश का उत्तरदायित्व रखने वाले राजनीतिक संगठनों के लोगों के कार्य करने के तरीके, उनकी जिम्मेदारियाँ तथा उनके जनता की भलाई के लिए किए गए कार्य तथा सभी जन हेतु संघर्ष करने की कार्यशैली सम्मिलित हैं।''

मार्टिन मिनो गाउन ने अच्छे सुशासन को एक व्यापक सुधार रणनीति माना है तथा यह व्यक्त किया है कि सरकार को जवाबदेह, पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए सभ्य समाज को सशक्त करने की पहल करना सुशासन का अभिन्न अंग है।

यूनान के दार्शनिक **प्लेटो** ने अपने आदर्श राज्य, राजा, न्याय व्यवस्था आदि का विस्तृत वर्णन किया है। अरस्तु के चिंतन में राज्य, संविधान, कानून, शासक, नागरिक आदि का उस समय के संदर्भ में विशद वर्णन है। अरस्तु की कुछ पंक्तियों पर नजर दौड़ाइए 'राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है।' 'राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ और सद्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है।' 'राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, अत: इसका कार्य बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना नहीं, वरन मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है।' आज के संदर्भ में प्लेटो एवं अरस्तु के राज्य और शासन संबंधी विचारों की आलोचना होती है, लेकिन सुशासन की दृष्टि से उनके दर्शन के अनेक पहलुओं की प्रासंगिकता हर काल में बनी रहेगी। इसके बाद हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल एक लंबी श्रृंखला उन विचारकों और नेताओं की है जिन्होंने अपनी दृष्टि से और तत्कालीन स्थान, समय और परिस्थितियों के अनुसार सुशासन की कल्पना की है। लेकिन हमें यह सच स्वीकार करना होगा कि सुशासन का जितना गहरा और विशद विचार भारतीय मनीषियों ने किया उतना दुनिया में कहीं नहीं हुआ। अलग-अलग प्रश्नों के उत्तर में राज्य, राजा, प्रजा, अधिकारी सबके कर्तव्यों का जो वर्णन है वही वस्तुत: सुशासन है।

डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब 1959 में भारत आए तो उन्होंने कहा, 'दूसरे देशों में मैं एक पर्यटक की तरह जा सकता हूं, लेकिन भारत में मैं एक तीर्थयात्री हूं।' उन्होंने कहा, 'शायद अन्य बातों से बढ़कर भारत ऐसी भूमि है जहाँ अहिंसक सामाजिक बदलाव की तकनीकें विकसित की गईं, जिन्हें मेरे लोगों ने अलाबामा के मोंटगोमेरी और अमेरिका के पूरे दक्षिण में आजमाया है। हमने उन्हें प्रभावी पाया है- वे काम करती हैं!' जिसके कारण डॉ. किंग भारत आए,वह राह दिखाने वाली रोशनी मोहन दास करमचंद गाँधी, महात्मा थे। बापू दुनियाभर में करोड़ों लोगों को आज भी हौसला दे रहे हैं। प्रतिरोध के गाँधीवादी तरीकों ने कई अफ्रीकी देशों में उम्मीद की भावना प्रज्वलित की। डॉ. किंग ने कहा था, 'जब मैं पश्चिम अफ्रीका में घाना गया तो प्रधानमंत्री नक्रुमाह ने मुझसे कहा कि उन्होंने गाँधीजी के काम के बारे में पढ़ा है और महसूस किया कि अहिंसक प्रतिरोध का वहां विस्तार किया जा सकता है। हमें याद आता है कि दक्षिण अफ्रीका में भी बस बॉयकाट हुए हैं।'

नेल्सन मंडेला ने गाँधीजी को 'पवित्र योद्धा' कहते हुए लिखा, 'असहयोग की उनकी रणनीति, उनका इस बात पर जोर देना कि हम पर किसी का प्रभुत्व तभी चलेगा जब हम हमें अधीन रखने वाले से सहयोग करेंगे। और उनके अहिंसक प्रतिरोध ने हमारी सदी में कई उपनिवेश और नस्लवाद विरोधी आंदोलनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेरित किया।' मंडेला के लिए गाँधी भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी थे। गाँधीजी भी उनसे सहमत होते। उनमें मानव समाज के सबसे बड़े विरोधाभासों में पुल बनने की अनूठी योग्यता थी। 1925 में गाँधी ने 'यंग इंडिया' में लिखारू 'किसी व्यक्ति के लिए राष्ट्रवादी हुए बगैर अंतरराष्ट्रीयवादी होना असंभव है। अंतरराष्ट्रीयवाद तभी संभव होता है जब राष्ट्रवाद एक तथ्य बन जाता है अर्थात जब अलग-अलग देशों के लोग संगठित होते हैं और फिर मिलकर कार्य करने में कामयाब होते हैं।' उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की इस रूप में कल्पना की थी कि जो संकुचित न हो, बल्कि ऐसा हो जो पूरी मानवता की सेवा करे।

सुशासन एक आदर्श है जिसको सम्पूर्ण रूप से प्राप्त करना कठिन है। आज[1] विश्व की समस्त शासन प्रणालिया चाहे वह लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, राजतंत्रीय या तानाशाही क्यों न ले सुशासन को मान्यता प्रदान कर चुकी हैं। सुशासन की अवधारणा

को हम निश्चित शब्दों में नहीं बांध सकते है। आज विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाएं, जिस प्रकार भूमंडलीकरण को अपना रही है, यद्यपि उनसे इस बात पर मतैक्य नहीं है परन्तु सुशासन को लेकर संपूर्ण विश्व की राजनीति में पहली बार अंतराष्ट्रीय मतैक्य स्थापित हुआ प्रतीत होता है।

सकल विश्व की राज्य व्यवस्थाओं पर अर्थव्यवस्थाएं हावी हो रही है तथा मानवीयता, प्रकृति, पर्यावरण और नैतिकता हाशिए पर चली गई प्रतीत होती है, सुशासन ही वह अस्त्र है जिसके संपूर्ण मानव जाति का ही नहीं वरन् धरती का कल्याण संभव है। सुशासन एक विशेषणयुक्त शब्द है तथा अपने आप में कुछ मूल्यों को समेटे हुए हैं, जबकि शासन एक प्रक्रिया है जो मूल्ययुक्त व्यवथा या निरपेक्ष व्यवस्था की और इंगित करती है। सुशासन को प्रजातांत्रिक सांचे में दक्ष और प्रभावी प्रशासन से जोड़ा जाता है। यह उद्‌देश्यपरक तथा विकासोन्मुख प्रशासन के समान जो कि जनसामान्य के जीवन की गुणवत्ता में बढोतरी हेतु कटिबद्ध है।

यह उच्चस्तर की सांगठनिक प्रभाविकता को लागू करता है। यह राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति के केन्द्र की सक्षमता को जोड़ते हुए उसे समाज में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने को तैयर करने से संबंधित है। यह व्यवस्था की साख, उसकी वैद्यानिकता तथा उच्चतम दक्षता को स्थापित करने हेतु शासन के नवीन मूल्यों को आत्मसात करने की और इंगित करता है।[3] साधारण आदमी की नजर में सुशासन बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बेहतर बिजली, पानी और रोटी की समस्या का समाधान करने का विकल्प है। ऐसा शासन जिसके उसकी सुविधाएं बढ़ सके, उसके जीवन में सुधार हो सके, उसे विकास व आगे बढ़ने के समान अवसर तथा उचित परिवेश प्राप्त हो सके, भयमुक्त भेदभाव रहित, उच्च मानवीय मूल्यों के समाज की रचना हो सके, सुशासन कहलाएगा।[4]

सुशासन प्रशासन के उच्च प्रदीय गुणो को स्थापित करने और उसके दुर्गुणों व कुरीतियों को दूर करने का कार्य है। संक्षेप में,सुशासन दक्ष, साखयुक्त और वैधानिक प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना करता है जो कि नागरिक मित्र, मूल्यों को ध्यान में रखने वाली तथा लोक भागीदारी से परिपूर्ण है।[5]

उदारवादी सोचते और बताते है कि उनके द्वारा गढ़े शब्द सुशासन के द्वारा ही सुशासन का उद्‌देश्य प्राप्त कर सकते हैं लेकिन हम कह सकते हैं कि पूँजीवादी व्यवस्था की अनिश्चितताओं की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से सामाजिक असुरक्षा, आर्थिक खारी बाजार में मन्दी तथा आर्थिक मन्दी, दुनिया को एक नई तरह की विचारधारा की तरफ मोड़ रही हैं वर्तमान समय में इन सारी बुराइयों की जड़ कुशासन है। बहुत सारे देशों में पूँजीवादी व्यवस्था के सुशासन के खिलाफ आन्दोलन शुरू हो गए हैं। अत: समाज की भलाई तथा विकास के लिए यह आवश्यक है कि कुशासन का उन्मूलन करके ही भारत में अच्छे शासन की स्थापना की जा सकती है।

आधुनिक भारतीय नेताओं और विचारकों में महात्मा गाँधी को सुशासन संबंधी भारतीय परम्परा की सोच का वारिस कहा जा सकता है। अलग-अलग समस्याओं और प्रसंगों में स्वराज्य के संबंध में उन्होंने जो विचार व्यक्त किए, दरअसल वहीं सुशासन का दर्शन है।

चीन के हमले से भारत के सुशासन को वैश्विक और आन्तरिक दोनों ओर के प्रयास कहो धक्का लगा। भारत को अपनी कल्पना के सुशासन के लिए अभी काफी कुछ करने की जरूरत हैं। जैसे-जैसे सततता आई, यह महसूस किया गया कि वर्तमान और भविष्य के विकास की आवश्यकताओं में सामंजस्य बैठाया जाए। विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण के विषयों का भी ध्यान रखा तथा भावी पीढ़ियों की भी चिंता की जाए। वस्तुत: सुशासन स्वयं विकास के इन विषयों का ध्यान रखकर चलता है।

सुशासन के विकास का एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण वैश्वीकरण की अवधारणा भी है। आज सम्पूर्ण विश्व को एक बाजार के रूप में देखा जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि सुशासन का प्रयोग वैश्वीकरण व बाजारवाद की बुराइयों को दूर करने व उनसे बचने के लिए किया जा सकता है। कई विकासशील देशों ने सुशासन में उपलब्ध मानवाधिकारों, समता, पारदर्शिता जैसे मूल्यों के आधार पर बाजार व वैश्वीकरण से लोहा लेना शुरू कर दिया है।

सुशासन की संकल्पना से समझकर हम ठीक उसके विपरीत कुशासन की अवधारणा को आसानी से समझ सकते हैं। कुशासन की संकल्पना जन प्रशासन के खराब प्रदर्शन या प्रशासन की असफलता से सीधे संबंधित है,यद्यपि इसकी कोई भी कसौटी हो सकती है। इसी प्रकार सुशासन सफल शासन से संबंधित है।

प्रचलित अर्थ में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा में 1974 ई. में अपनी घोषणा नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था एवं राज्यों के आर्थिक अधिकार एवं कर्तव्यों के चार्टर में सुशासन शब्द दिया 1992 में विश्व बैंक द्वारा इसे अनुमोदन प्राप्त हुआ। इससे पहले इस शब्द का जिक्र ओसबोर्न व गैवलर ने अपनी पुस्तक ''रेनवेटिंग

गवर्नमेंट'' में भी किया है।

सुशासन के तत्व

सुशासन के आधार और आवश्यकताओं को निम्न तत्वों के माध्यम से समझा जा सकता है- उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सहभागिता, विश्वसनीयता, विधि का शासन, संवेदनशीलता, प्रभावशीलता, समानता, सामंजस्य या सर्वसम्मति और मानव अधिकार।

सुशासन संकल्पना में नवीनता

सुशासन में विभिन्न मुद्दों को व्यवस्थित और एकीकृत रूप से अद्यतन किया है। यह अंतराष्ट्रीय स्तर पर रखी गई अवधारणा है जिसे सभी की मान्यता प्राप्त है। यह एक वैश्विक शासन की अवधारणा से जुड़ा है।

सुशासन ने शासन की अवधारणों को और व्यापक बनाया है और कुछ हद तक इसे बदलकर रख दिया है। प्रशासकीय राज्य से कल्याणकारी राज्य और अब सेवीय राज्य के रूप में उभर रहा है। आर्थिक विकास और सामाजिक समस्याओं के मध्य संबंध स्थापित कर उन्हें पूर्ण मानवीय विकास और मानव अधिकारों से सुशासन ने जोड़ने के प्रयास किए हैं, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ।

सुशासन सकारात्मक व नकारात्मक दोनों दृष्टिकोणों को साथ लेकर चलता है अर्थात् एक ओर शासन की अच्छाइयों को बढ़ावा देता है दूसरी और उसकी बुराइयों और गंदगी को भी साफ करता है। इस प्रकार समग्र दृष्टिकोण सुशासन की उपज है।

सभ्य समाज और सुशासन

सभ्य समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह या संस्थाएं है जो सामूहिक व लोकहित में कार्य करती हैं, परन्तु राज्य द्वारा सीधे नियंत्रित नहीं होती हैं जैसे स्वयंसेवी संगठन, गैर-सरकारी संगठन, जाति संघ, यूनियन, स्वकार्य समूह इत्यादि।

सभ्य समाज आज एक ऐसा स्थान है जिसकी तीन विशेषताएं है। प्रथम यह कि यह एक सामाजिक स्थान या क्षेत्र हैं जहाँ तर्क एवं ज्ञान के आधार पर निर्णय लिए जाते है व विकल्प बनाए जाते हैं द्वितीय रूप से यह सभ्य समाज की विशेषता है कि यह समाज के सदस्यों को किसी भेदभाव, धर्म जाति, लिंग इत्यादि के बिना उन्मुक्त रूप से जोड़ता है। तीसरी विशेषता के रूप में यह किसी प्रकार राज्य या बलाधारित सत्ता से उन्मुक्त रूप में होता है।

एस. के. दास के शब्दों में, ''सभ्य समाज वह संगठित समाज है, जिस पर राज्य शासन करता है।''

सुशासन में सभ्य समाज की भूमिका

आज सभ्य समाज का राज्य के कार्यों पर निगरानी रखने उसे पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने के प्रयासों द्वारा राज्य की प्रतिष्ठा में तुलनीय भार के रूप में देखा जा सकता है, जो राज्य के कार्यों को भी नियमित व नियंत्रित कर सकता है। सभ्य समाज का उद्देश्य राज्य के क्षेत्राधिकार के बाहर भी स्थान निर्मित करना है। सभ्य समाज को मजबूत बनाकर हम स्थानीय शक्ति को बढाते है तथा विकास की नई परिभाषा गढ़ते हैं कि राज्य को उनके प्रति भी उत्तरदायी बनाया जाए। सभ्य समाज का परम उद्देश्य यही है कि सभी विकास कार्यों में सामान्य आदमी की सीधी भूमिका तथा भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

भारत में इसी प्रकार मेघा पाटेकर द्वारा चलाए जा रहे 'नर्मदा बचाओ' आंदोलन तथा राजेन्द्रसिंह द्वारा चलाए जा रहे 'तरूण भारत संघ' सुशासन प्राप्ति की दिशा में सभ्य समाज की भूमिका को उज्वल रूप से रेखांकित करते हैं तथा स्पष्ट करते है कि सभ्य समाज के जरिए सुशासन तक शीघ्र पहुंचा जा सकता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मात्र एक नदी घाटी बनाने का आंदोलन नहीं रह गया है। आज इसने कई ऐसे सवाल पैदा किए है, जिनका जवाब संपूर्ण विश्व को खोजना ही होगा।

आंदोलन ने सम्पूर्ण शोषणवादी राजनीतिक, व्यवस्था के खिलाफ गंभीर शक व संदेह जाहिर किया है। यह भूमि किसकी है? ये नदियां किसकी है? ये जंगल, मछलियां? इन बड़े-बड़े प्रश्नों को राज्य को गंभीरता से लेना चाहिए। इसी प्रकार राजेन्द्रसिंह भी प्रश्न करते है। इनके शब्दों में, हमारी संघर्ष विकास की प्रक्रिया में समुदाय को कहने के अधिकार को लेकर राज्य विरूद्ध है, प्रशासनिक व्यवस्थाएँ, समुदाय पर विकास कार्यक्रम में अपने नजरिए को थोपती है, बगैर यह जाने कि लोगों की जरूरतें क्या हैं।[10]

इन आंदोलनों का उद्देश्य स्थानीय राष्ट्रीयता से भी ऊपर मानवता तथा सामुदायिक लाभ की दिशा में विकास को पुन: परिभाषित करने की बहस को बढ़ावा देना है। यही राष्ट्रीय व अंतर राष्ट्रीय संरचनाओं की सत्ता को बेहतर जवाब भी दे सकते हैं। ये सभ्य समाज के अंग राज्य, स्थानीय स्तर के अलावा राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर तक अपने जैसे अन्य संगठनों के साथ तालमेल बैठाकर आंदोलनों द्वारा निरंतर वैश्विक स्तर पर सुशासन के लिए प्रयासरत है।

नागरिक, सभ्य समाज तथा शासन को बेहतर रूप से जोड़ने हेतु प्रयास

नागरिक, सभ्य समाज तथा शासन को बेहतर रूप से जोड़ने के लिए पारदर्शिता जरूरी है। जब तक प्रशासन स्वच्छ व अच्छी मानसिकता के साथ कार्य नहीं करेगा तब तक लोगों को भागीदारी

की तरफ विकास कार्यों की और मोड़ना कठिन होगा।

जे.एस. वर्मा समिति ने नागरिक कर्तव्यों को लागू करने की बात कही है, जो सक्रिय नागरिक निर्माण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार को भी पर्याप्त शक्तियां पहले दी गई है। उन्हें भी स्थानीय स्तर तक सभ्य समाज के संगठनों से जोड़ा जाए, तो शासन पर उत्तरदायित्व व पारदर्शिता के लिए दबाव बढेगा तथा सुशासन की दिशा में हम और आगे बढ़ सकेगें। इस प्रकार सभ्य समाज को राज्य के परिपूरक रूप से लाने के नित नए प्रयासों की आवश्यकता है, तभी प्रशासन का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा सभ्य समाज को राज्य के विकल्प के तौर पर देखा जाए। वस्तुत: इनके जरिए दम बाजार पर भी अपेक्षित नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, जो आज की आवश्यकता बन रहा है।

इस प्रकार सुशासन एक जिम्मेदार प्रजातांत्रिक समाज की समस्त नैतिक अभिलाषाओं मूल्यों और लक्ष्यों के साथ साम्य रखता है और स्वयं शासन के प्रत्येक हिस्से में व्यापकता रखने के साथ समाज के प्रत्येक हिस्से में व्याप्त होने का प्रयास करता है सुशासन अपने आपमें एक बहुत बड़ी अवधारणा है जिसमें प्रशासनिक सक्षमता, राजनीतिक विकास प्रणाली, राज्य की विकास अवस्था, अन्तर्राष्ट्रय तत्व, सभी कुछ शामिल है जो इसके कार्यान्वयन को चुनौतिपूर्ण बनाते हैं।

सुशासन के ध्येय

- प्रभावी और दक्ष प्रशासन की स्थापना व उसे उतरोतर बढ़ाना
- नागरिकों के जीवन गुणवता में निरंतर सुधार
- प्रशासन को संवेदनशील, नागरिक मित्र, नागरिकतात्मक व उत्तरदायी बनाना
- सूचना तथा बोलने की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के साथ-साथ शासन की लागत घटाना।
- प्रत्येक विभाग को निष्पादन अभिमुख बनाने के साथ-साथ लोक सेवा गुणवता को बढ़ाना।
- कार्मिकों की उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करना।
- भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर सरकार की साख में वृद्धि।
- सत्ता-प्रयोग में मध्यस्थता या दलाली को दूर करना
- प्रशासकीय प्रविधियों को सरल और गुणवतापूर्ण बनाने व सरकार-नागरिक संवाद को बेहतर बनाने में आई.टी. का प्रयोग।
- लोक सेवकों के साथ-साथ राजनीतिज्ञ भी सुशासन चुनौतियों के प्रति जिम्मेदारी से प्रत्युत्तर देने में सक्षम बन सकें।

नवीन लोक प्रबंधन की अवधारणा भी सुशासन से जुड़ी है-

नवीन लोक प्रबंधन वित्तीय अनुशासन पर बल देता है और सुशासन में भी भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा दक्षता व प्रभावशीलता को प्राप्त करने के लिए वित्तीय अनुशासन को जरूरी समझा गया।

सुशासन तदर्थ नौकरशाही की बात करता है तथा लचीली बदलावशील संरचनाए इस हेतु जरूरी है। नवीन लोक प्रबन्धन सरकार के पुन:र्निमाण के कार्यक्रमों से जुड़ा है और सुशासन के लिए व्यापक उद्देश्यों की दक्षता से प्राप्त करने के संदर्भ में सरकार का पुन निर्माण जरूरी है।

सुशासन में अर्थव्यवस्था को केन्द्रीय विषयवस्तु के रूप में रखा गया है उसके सुधार के प्रयास है और नवीन लोक प्रबंधन में पहले से ही आर्थिक गतिविधियों में काफी स्तर तक प्रयोग किया जाता रहा है। इस प्रकार सुशासन भी लोक प्रबन्ध का भागीदार है।

नवीन लोक प्रबंधन में सरकार सदैव प्रासंगिक होनी चाहिए और वंचितों के प्रति ज्यादा से ज्यादा उन्मुख होनी चाहिए। सरकार को सदैव मूल्याक्षित तथा समता लाने वाला होना चाहिए जिसके लिए सतत विकास व परिवर्तन प्रथम शर्त है।

रॉबर्ट गोल व्यूस्की के अनुसार नवीन लोक प्रशासन के तीन प्रति लक्ष्य महत्वपूर्ण है-

- नवीन लोक प्रशासन प्रत्यक्षवाद का विरोधी है जो मूल्य मुक्त रूप वाले लोक प्रशासन की परिभाषा को नकारता है।
- नवीन लोक प्रशासन तकनीकीवाद का विरोधी है।
- यह नौकरशाही पदसोपान विरोधी है।

वैश्वीकरण और सुशासन

वैश्वीकरण एक सरल परिघटना नहीं है, यह एक जटिल एवं सबको समाहित करने वाली एक विस्तृत अवधारणा है, यह एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है। जो विश्व के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न अर्थो व संदर्भो के रूप में अपने पंख फैला रही है। यह एक रेखीय प्रक्रिया या एकल अवस्था नहीं है। यह एक बहुआयामी परिघटना है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां,आदान-प्रदान, सहसंबंधों के विविध समूह आदि शामिल हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था, व्यापार, राजनीति, तकनीकी, संस्कृति व पर्यावरण जगत भी है। एक विश्वव्यापी प्रक्रियाा होने के कारण वैश्वीकरण दो भिन्न-चरित्र रखता है। एक तरह से यह राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजि गतिविधियों की रुढ़ियों के रूप में अंतर परिप्रेक्ष्य रखता है, तो

दूसरी तरफ राज्यों व समाजों के मध्य व उनके अंदर सह संबंधों, अंतर्व्यवस्था, जुड़ाव के सघन स्तर को व्यस्त करता है।[12]

सुझाव

- प्रभावी और दक्ष प्रशासन की स्थापना
- नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार
- संस्थाओं की साख व वैधानिकता को सुनिश्चित करना।
- प्रशासन को संवेदनशील, नागरिक मित्र, नागरिक पालक व उत्तरदायी बनाना।
- सूचना तथा बोलने की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के साथ-साथ शासन की लागत घटाना।
- प्रत्येक विभाग को निष्पादन अभिमुख बनाने के साथ-साथ उसकी लोक सेवा गुणवत्ता को बढ़ाना।
- कार्मिकों की उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करना।
- भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर सरकार की साख में वृद्धि करना।
- सत्ता के प्रयोग में मध्यस्थता या दलाली को दूर करना
- प्रशासकीय प्रविधियों को सरल और गुणवत्तापूर्ण बनाने व सरकार- नागरिक संवाद को बेहतर करने में सूचना तकनीकी का प्रयोग करना।

निष्कर्ष

सुशासन का मूल बल इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार जन सामान्य को प्रेरित किया जाए कि वह अपनी सक्षमताओं के साथ-साथ राज्य व समुदाय के विकास में अपनी सेवा व भागीदारी पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। सुशासन का ध्येय यह भी है कि ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे लोक सेवकों के साथ-साथ राजनीतिज्ञ भी सुशासन की चुनौतियों के प्रति जिम्मेदारी से प्रत्युत्तर देने में सक्षम बन सकें। इन चुनौतियों में अपने कर्तव्य के प्रति बोध, जनता की सेवा करने की भ्ज्ञावना और उसके कल्याण व विकास के लिए चिंता व जिम्मेदारी लेना भी शामिल है। ये सभी मूल्येां को बढ़ाने वाली बाते हैं, जिनसे अंतत: लोकतंत्र मजबूत होगा। यह व्यावसायिकता, कर्तव्य और सेवा पर आधारित आदर्श त्याग की संकल्पना पर भी आधारित है जो बिना व्यक्तिवाद, अहं, स्वार्थ और लालच के जनसेवा की शिक्षा देती है। 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' की यह संकल्पना एक लोक सेवक, जो कि लोक कर्त्तव्यों का पालन कर रहा होता है, में साझा भावना व आत्मीयता उत्पन्न करती है। यही सुशासन का उद्देश्य है कि शासन और शासित में भेद ही खत्म हो जाए।

अंत में, संक्षेप में यह कहना उचित होगा कि सुशासन की खोज एक अंतहीन यात्रा है, जिसमें आगे कई पड़ाव आते रहेंगे। राज्य की उत्पत्ति के साथ ही सत्ताधारियों के लिए सदैव से चुनौतीपूर्ण रहा है कि 'सुशासन' क्या है और क्या होना चाहिए चाहे राज्य का स्वरूप, ढांचा और प्रकार कुछ भी रहा हो। एलेक्जेंडर पोप का कथन उचित प्रतीत होता है और सुशासन की आत्मा को प्रकट करता है कि ''सरकार के प्रकारों के लिए मूर्खो को लड़ने दो; जो भी कुछ अच्छी तरह से शासित हो वही सर्वोत्तम है।''

संदर्भ सूची

1. गुप्ता, सुनील एवं सिंह, कमल कुमार, सुशासन, 2014, पृ.सं. 2
2. मिनोचा, ओ.पी., गुड गवर्नेंस, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, आई.जे. पी.ए., जुलाई-सितंबर, पृ.सं. 272
3. तिवारी, आर.एस., गुड गवर्नेंस : पोप्यूलिस्ट डेमोक्रेसी टू क्वालिटी डेमोक्रेसी, आर.जे.पी.ए., अक्टूबर-दिसम्बर, 2004, पृ.सं. 584
4. हूड क्रिस्टोफर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिजीज, पृ.सं. 435-54
5. गुड गवर्नेंस : पोप्यूलिस्ट डेमोक्रेसी टू क्वालिटी डेमोक्रेसी, आर. जे.पी.ए., अक्टूबर-दिसम्बर, 2004, पृ.सं. 589
6. जेनेकिंस, रोब एंड मैरी एनी, हिनन डवलपमेंट रिपोर्ट, चैप्टर-3, 1999, कंस्ट्रेटेस इन सिविल सोसाइटी, केपैसिटी टू कर्ब करप्शन, आई.डी.एस. बुलेटिन
7. सिंह, राजेन्द्र, आइ वाज कोलु डेकोइट : टेरोनस्ट एंड कोड, हिन्दुस्तान टाइम्स, 2001, अगस्त 12 एडिट पेज
8. दुबे, अशोक कुमार, 21 वीं शताब्दी में लोक प्रशासन, टाटा मैक्ग्राहिल, नई दिल्ली, 2008, पृ.सं. 187-210
9. बर्थवाल, सी.पी., गुड गवर्नेंस इन इण्डिया, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली, 2003, पृ.सं. 5
10. राव, एम.जी. रमाकांत, गुड गवर्नेंस, मोडर्न ग्लोबल एण्ड रीजनल पर्सपैक्टिव्स, कनिष्का पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2008, पृ.सं. 3-5

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 109-114

भारत एवं दक्षिण एशिया में सहयोग : उभरती प्रवृतियां एवं चुनौतियाँ

रूबी मीना

अध्यापिका, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, शिव गाँव, लूनी, जोधपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

दक्षेस एक ऐसा संगठन है जिसका गठन द्विपक्षीय मामलों से अछूता रखने के संकल्प के साथ किया गया था, पर यह हमेशा द्विपक्षीय मामलों को उठाने का मंच बना रहा। विशेषकर पाकिस्तान ने इसका उपयोग क्षेत्रीय न्यायालय की तरह करना चाहा। इसी कारण दक्षेस अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, जबकि दक्षेस का मूल उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग मजबूत करना था पिछले डेढ़ दशक से दक्षेस के शिखर सम्मेलनों में गरीबी उन्मूलन, निरक्षरता मिटाने, आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग व आतंकवाद से निपटने जैसे कई मसलो पर सहमति जताई गई, पर दो सबसे बडे. राष्ट्रो (भारत-पाकिस्तान) के बीच तनाव बने रहने से इन पर प्रभावी प्रगति नहीं हो पाई। पाकिस्तान ने भारत के साथ संबंध सुधारने की रट के बावजूद अपनी हठ धर्मी नहीं छोड़ी है, क्योकि दक्षेस घोषणा-पत्र का एक मान्य सिद्धान्त है कि उसके मंच से कोई भी सदस्य देश अपने आपसी मसले नहीं उठायेगा। भारत-पाक की वर्तमान स्थिति में हमारे लिए एक विशेष सबक है। अगर हम सचेत नहीं हुए और आपसी एकता और सहयोग की भावना को उजागर नहीं किया, तो हो सकता है कि भविष्य में एडोल्फ हिटलर जैसा कोई अन्य विकृत मस्तिष्क वाला राजनायक उत्पन्न हो और दक्षिण एशियाई सभ्यता को जडमूल से ही नष्ट कर दे। वर्तमान संदर्भ में दक्षेस के सदस्यों के बीच जब तक विश्वास की भावना जागृत नहीं होगी, तब तक अविश्वास की खाई रहेगी और दक्षेस अपने मूल उद्देश्यो से भटकता रहेगा।

संकेताक्षर : *उपनिवेशिक विरासत, आर्थिक मुद्दे, आतंकवाद, आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग*

प्रस्तावना

दक्षिण एशियाई देशों के सामने जो चुनौतियाँ हैं, वे उनके मैत्री एवं सहयोग सिद्धांत के सामने एक चुनौती के रूप में खडी है, जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय आतंक वाद, मादक पदार्थों की बड़े पैमाने पर तस्करी, क्षेत्र में परमाणु प्रसार का खतरा, हथियारों की होड़, सदस्य राष्ट्रों का बढता रक्षा-व्यय तो राजनीतिक समस्याएँ हैं ही, साथ ही साथ सदस्य देशों में निर्धनता, भुखमरी, बेरोजगारी, अन्तर्राष्ट्रीय कर्ज का बोझ, विदेशी शक्तियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आदि ऐसी समस्याएँ हैं जो सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक शक्तियों की और झुकने को मजबूर कर देती है। शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ हैं। शिशु कुपोषण के शिकार हैं। महिलाओं की दशा अच्छी नहीं है। इतना ही नहीं, दक्षेस देशों के सभी सदस्य देश घोर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इन देशों में निवास करने वाली लगभग डेढ़ अरब जनता का तीन चौथाई भाग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इन सदस्य देशों में भी श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत अन्य देशों से अधिक खराब है विश्व बैंक के एक प्रतिवेदन में उल्लेख है कि विश्व के कुल लगभग एक अरब 10 करोड़ निर्धन लोगों में 50 करोड़ 20 लाख लोग दक्षिण एशिया में निवास करते हैं। इस तरह के घोर गरीबी वाले क्षेत्रों में बाँग्लादेश, नेपाल और भूटान हैं जहाँ न तो औद्योगिक इकाइयाँ पर्याप्त हैं और न उन्नत कृषि। ये देश सूखे और बाढ़ से भी ग्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में दक्षेस देशों का संकल्प क्षेत्र मेल-मिलाप कायम करके ऐसे रास्ते की तलाश करना है जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति संभव हो सके। पिछड़ेपन के साथ ही दक्षेस सदस्यों में घोर आपसी विवाद और आन्तरिक कलह भी है, जिनका सामना इन देशों को करना पड़ रहा है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल आतंकवादी कार्यवाहियों से बुरी तरह प्रभावित हैं।

भारत-पाक की वर्तमान स्थिति में हमारे लिए एक विशेष सबक है। अगर हम सचेत नहीं हुए और आपसी एकता और सहयोग की

भावना को उजागर नहीं किया, तो हो सकता है कि भविष्य में एडोल्फ हिटलर जैसा कोई अन्य विकृत मस्तिष्क वाला राजनायक उत्पन्न हो और दक्षिण एशियाई सभ्यता को जडमूल से ही नष्ट कर दे। वर्तमान संदर्भ में दक्षेस के सदस्यों के बीच जब तक विश्वास की भावना जागृत नहीं होगी, तब तक अविश्वास की खाई रहेगी और दक्षेस अपने मूल उद्देश्यों से भटकता रहेगा। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी को कहना पड़ा कि भारत ने जब-जब पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढाया, उसे बदले में छल मिला। मैं दोस्ती के लिए लाहौर गया तो पुरस्कार में मुझे कारगिल का युद्ध मिला। हमने आगरा बुलाया तो हमें जम्मू-कश्मीर विधान सभा ओर संसद पर आतंकवादी हमले का तोहफा मिला। इसलिए दक्षेस की सफलता के लिए आवश्यक है कि पाकिस्तान जैसे कुछ अन्य सदस्य देशों को अपना नजरिया बदलना होगा और कुछ इतिहास की बातें दरकिनार करनी होंगी।

आज दक्षेस का प्रत्येक देश आतंकवाद से ग्रसित है। सभी देशों में नारकोटिक आधारित आतंकवादी घटनाओं ने अपनी छाया डाली है। ऐसे में यदि दक्षेस के सदस्य देश आपसी मतभेद ओर एकजुटता का परिचय नहीं देते हैं, तो यह दक्षेस वास्तव में अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा।

दक्षेस के मार्ग में आने वाले ये मुद्धे राजनीतिक आतंकवादी और आर्थिक भी हैं। इन पर दृष्टिपात करना सामाचीन होगा-

1. राजनीतिक मुद्दे-दक्षिण एशियाई देशों के मध्य विवादित राजनीतिक समस्याओं को पाँच भागों में बॉटा जा सकता है।

उपनिवेशिक विरासत से जन्में विवाद

दक्षिण एशिया के भूगोल व सभ्यता में एकता है। उपनिवेशकाल में ब्रिटिश ने यहाँ एक प्रशासनिक इकाई के रूप में काम किया। हालाँकि इन राष्ट्रों को स्वतंत्रता इस इकाई से टूटन पर मिली। छोटे राष्ट्र राज्यों में उभरे राष्ट्रवादी नेतृत्व ने भारत से अलग अपनी विरासत को सिद्ध किया। पाकिस्तान धर्म-आधारित दो राष्ट्र सिद्धान्तों पर जन्मा। भारतीय सत्ता-अभिजनों के श्रेष्ठदभ एवं भारत के आकार व शक्ति ने भी पड़ोसियों के डर को बढ़ाया। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिससे इन पड़ौसी देशों की सीमा मिलती है।[1]

दक्षिणी एशियाई देशों में तत्कालीन सत्ताओं की स्थिरता से रहा है। विवादित मुद्दों के द्विपक्षीय समाधन की दिशा में राजनीतिक नेतृत्व उनका व्यवहार भी निर्णायक भूमिका अदा करता है एवं पाकिस्तान में गैर-सैनिक शासकों के समय इन देशों के संबंध भारत से मधुर व सामान्य रहे। विवादित मुद्दे या तो आए ही नहीं या उनका समाधान किया गया।

दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति में सीमा-विवादों ने संबंधों को बहुत प्रभावित किया है। सीमाएँ क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षा व विकास को गहरा धक्का पहुँचा सकती है या भयानक संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकती है। दक्षिण एशिया के क्षेत्र के देशों की सीमाओं पर तस्करी व मादक द्रव्यों से जुड़ा आतंकवाद व ड्रग तस्करी में सीमाएँ राष्ट्र-राज्यों के मध्य सम्पर्क के स्थान पर आर्थिक गतिरोध के रूप में अधिक काम कर रही हैं।[2]

दक्षिणी एशियाई देशों का विश्व की ओर देखने का दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न है। उनके द्वारा नि:शस्त्रीकरण विश्व अर्थव्यवस्था परमाणु नीतियाँ तृतीय विश्व में महाशक्तियों के हस्तक्षेप जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी कोई सामूहिक क्षेत्रीय नीति अपनाना मुश्किल होता है। पाकिस्तान स्वयं को दक्षिण एशिया की अपेक्षा दक्षिण-पश्चिम एशिया से जोड़ना पसंद करता है एवं क्षेत्र में अमेरिकी रणनीतिक हितों की पूर्ति करने के लिए अग्रपंक्ति देश की भूमिका निभाने को आतुर रहता है।[3]

प्रो. अनिरूद्ध गुप्ता लिखते हैं कि जब दक्षेस ने एक संस्थागत रूप ले लिया तो हर संभव प्रयास किया गया कि इसे राजनीतिक रूप से तटस्थ बनाया जाए लेकिन अराजनीतिक मामलों में सक्रिय बनाया जाए जैसे आर्थिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक व अन्य क्षेत्रों में। किसी भी सदस्य देश को दूसरे देश से अपने मतभेदों को इस समिति के समक्ष लाने से रोकना नहीं चाहिए। सारे द्विपक्षीय विवादों का हल द्विपक्षीय तरीके से किया जाना चाहिए और दूसरा देश इन विवादों के समाधान के लिए बाहरी ताकतों की ओर देखता है। दोनों तरीकों ने क्षेत्रीय संस्था के रूप में दक्षेस की क्षमता को नुकसान पहुँचाया है।[4]

भौगोलिक लघुपन की कुंठा

राष्ट्रीय शक्ति और क्षमता की दृष्टि से भारत अपने सभी पड़ोसियों से क्षेत्र व जनसंख्या एवं सैन्य शक्ति व अर्थव्यवस्था व वैज्ञानिक तकनीकी विकास आदि हर रूप में अधिक समक्ष व शक्तिशील है- व्यक्तिगत रूप से हर देश की तुलना में भी और सारे देशों को एक साथ रखने पर भी। भारत की विशालता पड़ोसियों में भौगोलिक लघुपन की कुंठा को जन्म देती है। भौगोलिक सामीप्य भी भारत के प्रति इन पड़ोसियों को बहुत शंकालू बनाता है। भौगोलिक ही नहीं बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक और यहाँ तक की आर्थिक रूप से भी लघुपन की भावना से ग्रस्त रहते हैं। इस मनोवैज्ञानिक चुनौती को दृष्टिगत रखकर वे भारत के प्रभाव को संतुलित करने के लिए क्षेत्र की बाहरी ताकतों का सहारा लेते हैं। भारत दक्षिण एशिया में अपने स्वशासी स्तर के प्रति चिंतित रहा है। भारत की स्वायत्ता

की माँग यह रही है कि दक्षिण एशिया में बाहरी प्रभावों के हस्तक्षेप का विरोध किया। भारत सभी दक्षिणी एशियाई देशों की क्षेत्रीय अखण्डता संप्रभुता एवं स्वतंत्रता चाहता है।[5]

भारत और उसके पड़ोसियों के बीच तीन स्तरों पर संबंध है जो कि ऐतिहासिक अनुभवों से विकसित हुए है। पहले स्तर पर भूटान व मालदीव जैसे देश हैं जो भारत से अपनी विषमता को अपना प्रारम्भ मान चुके हैं और कुशलतापूर्वक स्थितियों के अनुसार संबंधों को पूरा-पूरा लाभ उठाते हैं। दूसरे स्तर पर नेपाल, बांगलादेश ओर श्रीलंका जैसे देश है जो की भारत के साथ अपने अन्तर को अपूरणीय मानते है और असुविधाजनक मुद्दो के प्रति संतुलित रहने की कोशिश करते हैं। तीसरे स्तर पर पाकिस्तान है, जो भारत से बराबरी का प्रयास करता है। उसने तीन युद्ध लड़े, भारतीय भूक्षेत्र पर कब्जा जमाए हुए है। उसने भारतीय भूमि चीन को उपहार स्वरूप दे रखी है, नाभिकीय विस्फोट में बराबरी की, आतंकवाद का निर्यात किया, कश्मीर में गुप्तयुद्ध जारी रखे है।[6]

भारत के प्रति पाकिस्तान का रुख दक्षेस की सफलता में मुख्य बाधा है।

अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाएँ

इस क्षेत्र के राष्ट्रों में पाये जाने वाली विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण भी क्षेत्रीय सहयोग की तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सकता है। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र, तथा पाकिस्तान में सैनिक प्रभुत्व वाली संसदात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है।[7]

पड़ौसी राष्ट्र भारत पर यह आरोप लागाते हैं कि वह उसके देश में प्रजातंत्र की स्थापना की आड़ में विद्रोहियों को प्रोत्साहित और मदद करता रहा है।

भारत की नीति इस क्षेत्र में शान्ति, स्थायित्व एवं वस्तु स्थिति बनाये रखने की रही है जबकि पड़ोसी राष्ट्र वर्तमान स्थिति में हर सम्भव उनके हित में परिवर्तन के आकांक्षी रहे हैं।[8]

भारत-पाक तनाव

दक्षेस की दो महाशक्तियाँ भारत व पाकिस्तान के मध्य में सीमा: आतंकवाद सम्बन्धी विवाद है जो दक्षेस के कार्य में बाधा पहुचाते हैं।

स्वतंत्रता के बाद से ही पाकिस्तान की क्षेत्रीय नीति दो बिन्दुओं पर आश्रित रही है-

1. कश्मीर की स्वतंत्रता ताकि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का औचित्व स्थापन किया जा सके।
2. भारत के बराबर शक्ति संतुलन स्थापित करना।

इन दो उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाकिस्तान ने सदैव क्षेत्र के बाहर से समर्थन चाहा और भारतीय प्रभाव को चुनौती देने की कोशिश की।

द्विपक्षीय मुद्दों की छाया

द्विपक्षीय व विवादास्पद मुद्दों को दक्षेस के विचार-विमर्श से बाहर रखा है। परन्तु द्विपक्षीय मुद्दे दक्षेस को सामूहिक चेतना में बेसुरापन बढाते है। दक्षेस में सद्भावना, सहयोग और विश्वास का वातावरण तभी पनप सकता है जब विवादास्पद द्विपक्षीय मुद्दों का समुचित समाधान निकाला जाये। दक्षेस अपने जीवन की अल्पावधि में ही विवादों और मतभिन्नताओं का शिकार हो गया है। दक्षेस के छोटे राष्ट्र अपने राजनीतिक लाभ के लिए संयुक्त रूप से दक्षेस के मंच से भारत पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं।[9]

2. आर्थिक मुद्दे-दक्षिण एशिया में व्यापार और निवेशको प्रोत्साहित करने का न तो राजनीतिक माहौल रहा है न ही आर्थिक अनुकूलता। सार्क देश की अर्थव्यवस्था व अधो संरचनाएँ उत्तर-दक्षिण रेखाओं पर विकसित है क्योंकि वे अपने उपनिवेश कालीन मालिकों के बाजारों के लिए प्राथमिक उत्पादन के उद्देश्य से विकसित की गई थीं।

दक्षिण एशिया में भारत महान् आर्थिक शक्ति है। कुल दक्षिण एशिया की जनसंख्या का 76 प्रतिशत आयात बाजार, 59 प्रतिशत निर्यात अर्जन, 62 प्रतिशत बाहरी स्त्रोत 41 प्रतिशत निर्मित उत्पादन 79 प्रशित निर्मित उत्पादो का निर्यात् 68 प्रतिशत है। निर्यात योग्य सामग्रियों में भारत के पास 5600 सामग्रियाँ हैं। सिर्फ पाकिस्तान भारत के करीब है जिसके पास 4000 सामग्रियाँ है। हालाँकि बाजार के आकार व औद्योगिक विकास में पाकिस्तान की भारत से तुलना नहीं की जा सकती।[10] भारत के आर्थिक वर्चस्व का पड़ोसियों में भय दक्षिण एशिया में व्यापारिक सहयोग के मार्ग में बाधा है।

दक्षेस देशों की अर्थव्यवस्थाओं में एक आतंरिक कमजोरी यह है कि चूँकि इन अर्थव्यवस्थाओं का आकार इनके उपनिवेशवादी शासकों की जरूरत के हिसाब से दिया गया था, अत: वे कुछ ही उत्पादों का समान रूप से उत्पादन करते हैं जैसे कपास, जूट, चाय, शक्कर, कॉफी, नारियल, तेल आदि। इस कारण परस्पर व्यापार में पूरकता के स्थान पर प्रतिस्पर्धा है।

दक्षिण एशियाई देशों की सीमित संरक्षित आयात नीतियाँ एशिया में सर्वाधिक ऊँचे-ऊँचे टेरिफ दर होने के लिए जिम्मेदार है। सारे दक्षिण एशियाई देश सतत् घाटे के व्यापार का सामना करते हैं। इस घाटे को पूरा करने के लिए वे टेरिफ, पैराटेरिफ एवं गैर- टेरिफ दरों

के माध्यम से कड़े व्यापार नियंत्रण उपायों को लादते हैं। पिछले वर्षों में जैसे ही टेरिफ दर कम किए गए, उसके सुपरिणाम इन देशों का मिलते हैं।

दक्षिण एशिया पश्चिमी औद्योगिक उत्पादों के लिए विशाल बाजार बन पड़ा है। तकनीक, पूँजी एवं विशेषज्ञता के क्षेत्र में निर्भरता अत्यधिक है। एक सार्क अध्ययन दल के अनुसार क्षेत्र के देशों का अनुमानत: 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक आयात बाहरी सहयोग से वित्त पोषित है। आर्थिक सहायता, व्यापार और पूँजी निवेश के लिए पश्चिम पर निर्भरता दक्षिण एशियाई देशों को आत्मनिर्भरता पाने के रास्ते में बाधा है। इससे विकसित देशों के प्रति इन देशों की सौदेबाजी की शक्ति कमजोर होती है। साफ्टा का उपयोग इस निर्भरता के प्रति सामूहिक विकल्प पेश कर सकता है। इसके लिए दक्षेस देशों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी।[11]

अनौपचारिक व्यापार यानि वह व्यापार जो कि सरकारी अधिकारिक व्यापार के बाहर का है, इसमें तस्करी भी शामिल है। पाकिस्तान व श्रीलंका के साथ भारत का अनौपचारिक व्यापार बड़े पैमाने पर होता है। इस अनौपचारिक व्यापार के कारण सरकार को राजस्व का बहुत अधिक घाटा होता है, जिससे घरेलू कीमत के स्तर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि अनौपचारिक व्यापार को औपचारिक बना दिया जाए तो बढ़े हुए राजस्व से भारत व श्रीलंका के बीच भुगतान का संतुलन स्थापित किया जा सकता है। अनौपचारिक व्यापार को रोके बिना दक्षेस की सफलता संदिग्ध है।

दक्षिण एशिया के बाजारों में भौगोलिक सामीप्य होने के बावजूद क्षेत्रीय यातायात व उपयुक्त संचार व्यवस्था अपर्याप्त है। एशियाई राजमार्ग परियोजना या ट्रॉस एशियान रेलवे परियोजना विकसित अतंर्देशीय जलमार्ग की व्यवस्था, क्षेत्रीय जहाजरानी निर्माण एवं मरम्मत की सुविधाएँ या विकसित वायु सम्पर्क इन देशों के बीच नहीं है। नेपाल व भूटान जैसे भूवेष्ठित देशों की मुसीबतें इससे और अधिक बढ़ी है इसी प्रकार संचार में सहयोग का भी अभाव है।[12]

दक्षेस देशों के मध्य आपसी व्यापार की दयनीय हालत के पीछे कई सरंचनात्मक एवं नीतिगत अवरोध भी हैं। निर्माण आपूर्ति करने की कम क्षमता तकनीकी पिछड़ापन एवं कम बचत दर के कारण पूँजी निवेश संसाधनों के अभाव को संरचनातमक अवरोध के रूप देख सकते है। सार्क देश न सिर्फ सहयोग करने के लाभों के प्रति जागरूक नहीं है, बल्कि असहयोग की हानियों के प्रति भी चेतन नहीं हैं।[13]

3. आतंकवाद-दक्षेस भी दक्षिण एशिया में पनप रहे आतंकवाद से त्रस्त हो गया प्रतीत होता है। आतंकवाद का मसला दक्षेस मंच पर सर्वप्रथम श्रीलंका ने उठाया था। श्रीलंका लिट्टे की आतंकवादी कार्यवाही से त्रस्त था तथा चाहता था कि दक्षेस के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला किया जाए लेकिन आतंकवाद के विरोध की सशक्त रूप में प्रस्तुति काठमाण्डू शिखर सममेलन में हुई। इस बार प्रसंग था कि पाकिस्तान का आर्थिक पिछड़ापन आतंकवाद यद्यपि पाकिस्तान को सीधे रूप में इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। दक्षेस शिखर सममेलन में सभी सदस्य देशों ने इस बात का समर्थन किया कि आतंकवाद से मुकावला करने क लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। पाकिस्तानी भी आतंकवाद के विरुद्ध घोषणा में सम्मिलित था। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पाकिस्तान के दोहरे मापदण्ड है। एक ओर वह यह कहता है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ संघर्षरत देशों के साथ है लेकिन दूसरी और वह पड़ोस में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। जबकि प्रारम्भ से ही अमेरीका सहित सभी देशों ने इस बात का समर्थन किया है कि सीमा पार से आतंकवाद को नष्ट किया जाना चाहिए।

4. सामाजिक-आर्थिक मुद्दे-दक्षेस के समक्ष एक चिन्ता का प्रश्न यह भी है कि सामाजिक-आर्थिक मुद्दे जो कि उसके गठन के मूल आधार थे, पृष्ठभूमि में जा रहे है। क्यों नहीं दक्षेस देश सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते? दक्षेस के बहुत से कार्य क्रम महज औपचारिकता बनते जा रहे है, क्योकि धीरे-धीरे यह धारणा बलबती होती जा रही है कि भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते कुछ नहीं हो सकता लेकिन यह स्थिति अच्छी नहीं है। इससे दक्षेस और अधिक शिथिल हो जाएगा।

दक्षेस ने दक्षिण एशिया के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों को आगे बढाने का प्रयास न किया हो। गरीबी उनमूलन, साक्षरता, स्वास्थ्य जैसे बहुत सी समस्याओं को दक्षेस मंच पर उठाया गया तथा कई कार्यक्रम बने। दक्षिण एशिया को साक्षर बनाने, गरीबी उन्मूलन से कार्यक्रम रखे गए।

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय व्यापार के लिए व्यापक सम्भावनाएँ हैं। दक्षेस ने क्षेत्रीय व्यापार बढाने की साफ्टा व साफ्टा जैसी योजनाएँ बनाई भी हैं। भारत का प्रारम्भ से ही कहना था कि साफ्टा को क्रियान्वित करने के लिए प्रयास करने चाहिए तभी साफ्टा की और आगे बढना सम्भव होता। लेकिन दक्षेस देशों ने एक स्तर से आगे इनमें उत्साह नहीं दिखाया गया है। इन योजनाओं के लक्ष्य पिछड़ते जा रहे है। यदि दक्षेस की अन्य क्षेत्रीय संगठनों के संदर्भ में आंका जाए तो इसकी स्थिति पिछड़ी है। अत: दक्षेस क्षेत्रीय सहयोग को बढा पाने में विफल रहा है।[14]

5. महाशक्तियों का बढ़ता प्रभाव-आज विश्व की दो प्रमुख शक्तियाँ अमेरीका और चीन, हिन्द महासागर में अपना अधिपत्य जामाने में लगे हुये हैं। ये दोनों ही देश हिन्द महासागर के तटीय राष्ट्रों से बन्दरगाह प्राप्त करने लगे हुये हैं या फिर उन्हें विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। और उनके इन क्रिया-कलापो ने हिन्द महासागर को एक युद्ध का क्षेत्र बना दिया है। फिर चाहे वो चीन द्वारा अरब सागर स्थित पाकिस्तान के ग्वादर बन्दरगाह को विकसित करना हो या अमेरीका द्वारा हिन्द महासागर स्थित डियागोगर्सिया द्वीप को नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित करना। दोनों महाशक्तियों के क्रियाकलापों ने हिन्द महासागर में शक्ति संघर्ष को बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत की थलीय सीमा हिन्द महासागर से जुड़ी है, इसलिये भारत का चिन्तित होना स्वाभाविक है। भारत का प्रारम्भ से ही हिन्द महासागर के तटीय राष्ट्रों से सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध रहे हैं और भारत ने सदैव ही हिन्द महासागरीय क्षेत्र में शान्ति और विकास को बढ़ावा दिया है। शीत युद्ध काल में भारत ने बाहरी शक्तियों को हिन्द महासागर से दूर रखने का भरपूर प्रयास किया था और वह उसमें काफी हद तक सफल भी रहा। लेकनि सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनति में काफी बदलाव आया। एक ओर जहाँ अमेरीका ने अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाया, वहीं दूसरी ओर एक नयी शक्ति यानी चीन का उद्भव हुआ और उसने भी विश्व राजनीति से अपनी शक्ति प्रसार किया और दोनों ही शक्तियों की मुख्य दिलचस्पी हिन्द महासागर के क्षेत्र में हो गयीं।

वर्तमान समय में भारत को अमेरीका से कुछ विशेष सुरक्षा समस्याएँ नहीं है, किन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि हिन्द महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों से निश्चित तौर पर भारतीय हित प्रभावित होंगे। जो भारत व दक्षेस की गतिविधियों को प्रभावित करेंगे।[15]

6. पर्यावरण का मुद्दा-जलवायु परिवर्तन मौजूदा समय में मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यह चुनौती विकासशील देशों, खास तौर से दक्षिणी एशिया के लिए सबसे ज्यादा गंभीर है। जलवायु परिवर्तन का सबसे जयादा असर गरीबों पर पड़ता है। उनके पास अपनी स्थिति बचाए रखने ओर पर्यावरणीय बदलाव से रक्षा के लिए संसाधनों का अभाव रहता है। विश्व बैंक ने 2009 के अपने दृष्टिकोण पत्र में अवलोकन किया है कि दक्षिण एशिया की करीब 60 करोड़ आबादी रोजाना 3.25 डॉलर से भी कम पर जीवन बसर करती है। अत: एक छोटा सा जलवायु परिवर्तन भी अपूर्णीय क्षति पैदा करेगा और एक बड़ी आबादी को निराश्रित कर देगा। जलवायु परिवर्तन के एक छोटे से प्रभाव का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले दो दशकों में दक्षिण एशिया के 75 करोड़ से ज्यादा लोग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। मानवीय और आर्थिक आँकड़े काफी ज्यादा है करीब 230,000 मौतें और 45 खरब डॉलर का नुकसान हुआ है।

दक्षेस ने अपने शिखर सममेलनों में 1985 से 1990 के बीच पर्यावरण मुद्दा को रखा है। उसके बाद अपने प्रत्येक सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का विचार रखा है। सार्क का 16वाँ शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन को समर्पित था। सत्रहवें सार्क शिखर सम्मेलन में क्षेत्र में जलवायु खतरे सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणाीय चुनौतियों से समग्र रूप से निपटने के जरिए पर अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए महासचिव को आयोग गठित करने का निर्देश दिया। जलवायु परिवर्तन पर प्रतिपालन और जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना, अन्य कदमों में ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रात्सोहन देना और सबसे बेहतर व्यवहार न्यून कार्बन निर्भरता और क्षेत्र के सम्मिलित विकास को प्रोत्साहन देना। ऐसे सार्क तंत्र स्थापित करने की सम्भावना का पता लगााने के लिए अध्ययन कराना जो न्यून कार्बन तकनीक और नवीकरणीय उर्जा को प्रोत्साहित करने वाली परियोजनाओं और दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय में न्यून कार्बन अनुसंधान एवं विकास संस्थान के लिए धन मुहैया करा सके। जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव से दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय में न्यून कार्बन अनुसंधान एवं विकास संस्थान के लिए धन मुहैया करा सके। जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभाव से दक्षिण एशिया के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक स्मारको व ढाँचे को बचाने और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय परियोजना और जहाँ जरूरी हो वहाँ क्षेत्रीय परियोजना का विकास। जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की अनिवार्यता पर जोर और क्षेत्र के पर्वतों के शामिल करते हुए पर्वतीय परिस्थितिकी की निगरानी पर बल देना। पर्यावरणीय सहयोग पर सार्क सम्मेलन के लिए संपुष्टि प्रक्रिया कम से कम समय में पूरा करना ताकि यह लागू होने में समक्ष हो सकें।[16]

निष्कर्ष

कुछ आलोचकों का तर्क है कि सार्क के पास ऐसा रोडमैप है जिसमें केवल मैप है, रोड पर कोई गतिविधि नहीं है। दक्षेस दशों खास तौर से इसके दो बड़े सदस्य भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण कार्यान्वियन असंतोषप्रद है। हालाँकि दोनों ही देशों के प्रतिष्ठान में रिश्ते को सामान्य बनाने का बोध जगा है। दक्षिण एशिया में तेजी से उभर रहे नागरिक समुदायों का भी क्षेत्र के देशों के बीच संबंधों में सुधार का जोरदार दबाब पड़ रहा है। यदि सदस्य

देशों के बीच शान्ति और विश्वास बहाल हो जाता है तो सार्क प्रभावशाली हो सकता है।

ऐसे में इस संगठन के सबसे बड़े और प्रगतिशील राष्ट्र होने के कारण भारत की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सदस्य देशों के बीच सम्बद्धता और साझेदारी के निर्माण का महान् दायित्व ग्रहण कर और दक्षेस के पाँचो स्तम्भों यानी व्यापार, निवेश, सहायता, सभी क्षेत्रो में सहयोग, क्नेक्टिविटी को मजबूत बनाने का कार्य करे। लेकिन यह तभी संभव होगा जब अन्य देश भी भविष्य की और देखें और कड़वे अतीत को भुलाने की कोशिश करें। भारत ने तो काठमाडूं में अपने दायित्वों को ग्रहण करने की हामी भरते हुये दुनिया के इस अंधकारमय कोने को प्रकाशमान बनाने की महत्वाकाक्षां पेश की है, लेकिन शेष देशों को अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गोसेलवस, एरिक, साउथ एशियन कॉपरेशन एन एजेन्डा एण्ड ए विजन फार दि फ्यूचर, क्रमांक 1, पृ.सं. 34
2. मोहंत्ती, मनोरंजन, बार्डरलस सार्क रीन: ए डिस्टेंट ड्री, मेनस्ट्रीम, खंड -35, क्र. 26, जून 1997, पृ.सं. 11-12
3. धोजल, जी.एस., सार्क टुवार्ड्स ग्रेटर इंकानोमि कॉ-ऑपरेशन, मेनस्ट्रीम, खण्ड 29, क्र. 22, मार्च 23, 1991, पृ.सं. 321
4. गुप्ता, अनिद्धा, सार्क एण्ड रीजनल कॉ-ऑपरेशन मेनस्ट्रीम, खण्ड 30, क्र. 22, मार्च 21,1992 पृ.सं. 25-26
5. दास, किशेर सी., द पॉलिटिकल एकॉनोमी ऑफ रीजनल कॉ-ऑपरेशन इन साउथ एशिया, पेसेफिक अफेयर्स, खण्ड 69, क्र.-2, ग्रीष्म, 1996, पृ.सं. 190-91
6. प्रधान, बी.ए., इडियाज रोल न दि फ्युचर ऑफ सार्क, स्टेटजि एनालिसिस, खण्ड 17, क्र.-11 फरवरी 1995, पृ.सं. 1367
7. अयूब, मोहम्मद, सार्क इल कम्पेरेटिव पर्सपेक्टिव एशियन सर्वे, वो. गगग न. 4 अप्रैल 1985, पृ.सं. 452
8. टाइम्स ऑफ इण्डिया (नई दिल्ली) सितम्बर, 8, 1996
9. चड्डा, पी.के., अन्तराष्ट्रीय संबंध, आदर्श प्रकाशन, जयपुर, 1998, पृ.सं. 236
10. अहमद, शबरी, साफ्टा-ए- प्रिलिमिनरी एनलिसिस, रीजनल स्टडीज, खण्ड 14, क्र. 2, शरद, 1996, पृ.सं. 17
11. अहमद, शब्बीर, क्र. 11, पृ.सं. 191
12. भल्ला और भल्ला, आसियान एण्ड सार्क, आर.आई.एस. डाइजेस्ट, खण्ड-13, क्र. 2-4, दिसम्बर 1996, पृ.सं. 81
13. प्रधान, बी.ए., इंजियाल रोल इन दि फ्यूचर ऑफ सार्क, आर. आई.एस. डाइजेस्ट, खण्ड-13, क क्रमांक 2-4 दिसम्बर 1996
14. हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, सितम्बर 9, 1985
15. यादव, डा. मुन्ना लाल, भारत की शान्ति-सुरक्षा : नवीन आयाम एवं चुनौतियां, प्रत्यूश पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2016, पृ.सं. 247-248
16. शर्मा, डॉ. सुमन, पर्यावरण का मुद्दा और सार्क की पहल, वर्ल्ड फोक्स, नवम्बर 2012, पृ.सं. 17-22

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 115-120

मध्य अरावली क्षेत्र में बदलते जनांकिकीय स्वरूप का भौगोलिक अध्ययन

डॉ. एस. एल. चौपड़ा

सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा, जयपुर (राजस्थान)

डॉ. बी. सी. जाट

सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय, नीमकाथाना, सीकर (राजस्थान)

शोध सारांश

विश्व में जनंसख्या एक ऐसा कारक है जिसका प्रभाव किसी देश या क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्थाओं पर पड़ता है। जनसंख्या संरचना, वृद्धि, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, लिंगानुपात, ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या अनुपात आदि जनसंख्या के ऐसे कारक है जो सम्पूर्ण प्रदेश के विकास स्तर मापन, सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों को प्रभावित करते है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि सभी प्रकार के विकास को प्रभावित करती है। लेकिन जनसंख्या में साक्षरता का स्तर वहाँ की व्यावसायिक संरचना को प्रभावित करता है। वर्तमान में साक्षरता की स्थिति के द्वारा ही नगरीय-ग्रामीण अनुपात, व्यवसाय जैसे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि का निर्धारण होता हैं। अमेरिकन, यूरोपीय महाद्वीप के देशों में उच्च साक्षरता के कारण ही अधिकतर जनसंख्या तृतीय, चतुर्थ एवं द्वितीय व्यवसायों में लगी हुई है, जबकि एशियन, अफ्रीकी महाद्वीपीय देशों में निम्न साक्षरता के कारण 60 से 80 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, आखेट, एकत्रीकरण, मत्स्य पालन है। इसके साथ-साथ इन महाद्वीपों की अधिकतर जनसंख्या भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। जैसे-जैसे साक्षरता का स्तर उच्च होता जाता है। व्यावसायिक संरचना भी बदलती जाती है। प्रस्तुत शोध में मध्य अरावली पहाड़ी क्षेत्र में साक्षरता के साथ बदलते व्यावसायिक संरचना का ही अध्ययन किया गया है।

संकेताक्षर : *जनसंख्या संरचना, नगरीय-ग्रामीण अनुपात, लिंगानुपात, आयु संरचना, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना*

प्रस्तावना

जनंसख्या की संरचना का अध्ययन वर्तमान में जनसंख्या भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। इसके अन्तर्गत जनसंख्या के गुण जैसे लिंगानुपात, आयु संरचना, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, धार्मिक संरचना, भाषा, राष्ट्रीयता, वैवाहिक स्तर, पारिवारिक संरचना, जाति, रोजगार की स्थिति, शैक्षिक उपलब्धियाँ, आय का स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या संरचना के आंकड़ों के आधार पर ही मानव संसाधनों की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धता का आकलन किया जाता है। किसी भी क्षेत्र के भावी विकास कार्यक्रम एवं पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन जनसंख्या संरचना के अध्ययन के आधार पर ही किया जाता है। क्योंकि मानव स्वयं एक संसाधन होने के साथ-साथ सम्पूर्ण संसाधनों के उपयोग का केन्द्र बिन्दु भी होता है। आर्थिक संसाधनों के रूपान्तरण अनुकूलन तथा क्षेत्रीय विकास में मानव संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मानव संसाधन की उपयोगिता साक्षरता में वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती जाती है। साक्षरता जनसंख्या संरचना का महत्वपूर्ण पक्ष है जो मानव के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास को प्रभावित करता हैं।

साक्षरता के साथ-साथ किसी देश या स्थान विशेष का विकास का स्तर भी प्रभावित होता हैं। भारत में साक्षरता के साथ-साथ विगत दो दशकों में व्यावसायिक सरचंना में भी आमूल चूल परिवर्तन आए हैं। प्राथमिक व्यवसायों की अपेक्षा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व्यवसायों में वृद्धि हो रही है साथ ही नगरीयकरण में भी तीव्रता से वृद्धि होती जा रही है जिसका प्रमुख कारण बढ़ती साक्षरता ही है। साक्षरता ने लिंगानुपात को भी प्रभावित किया है। 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात बढ़ा है। जिसका मुख्य कारण बढ़ती साक्षरता हैं। राजस्थान में विगत दो दशकों में जनसंख्या संरचना एवं व्यावसायिक संरचना में तीव्रता से परिवर्तन आ रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र में बदलते जनांकिकीय स्वरूप का राजस्थान के मध्य आरावली पहाड़ी क्षेत्र में भौगोलिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जहाँ वर्ष 2001 से 2011 के मध्य हुए परिवर्तनो को प्रमुखता से लिया गया है।

ISSN 2348-3857

अध्ययन क्षेत्र

राजस्थान के भौतिक विभागों में अरावली पर्वतीय प्रदेश प्रमुख भौतिक विभाग है। अरावली पर्वत श्रेणी के विविध लाभदायक पहलुओं को देखते हुए इस अध्ययन क्षेत्र का चयन किया गया है। अरावली पर्वतीय श्रेणी की कुल लम्बाई 692 किलोमीटर है, जो दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश की सीमा से गुजरात में खेड़ ब्रह्मा तक उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम दिशा में फैली हुई है।

अध्ययन क्षेत्र मध्य अरावली पहाड़ी क्षेत्र है, जो 25°25' से 26°57' उत्तरी अक्षांश तथा 73°25' से 75°07' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 9353.08 वर्ग किलोमीटर हैं। मध्य अरावली पहाड़ी क्षेत्र मुख्य रूप से अजमेर, पाली एवं राजसमन्द जिलों में विस्तृत है।

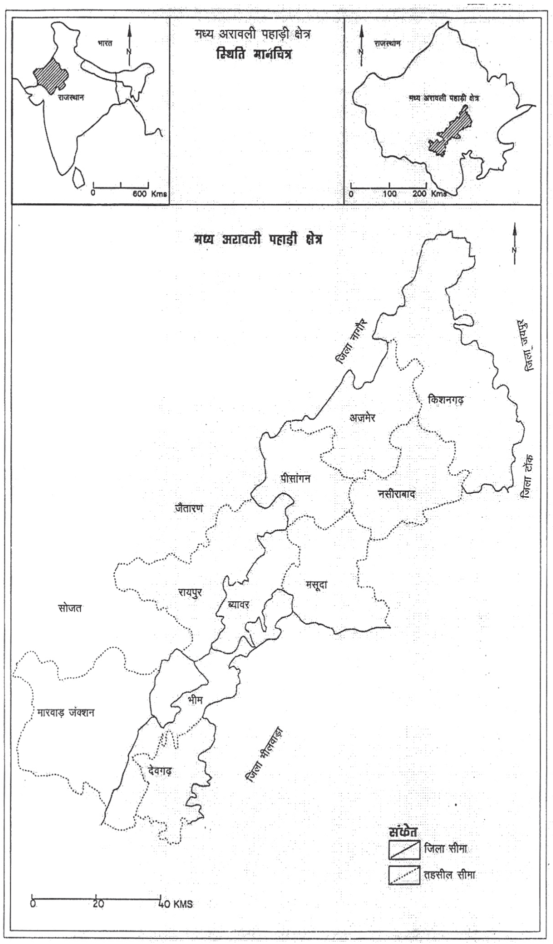

चित्र 1 : अवस्थिति मानचित्र

सारणी 1 : अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित प्रशासनिक विभाग

क्र. सं.	जिला	सम्मिलित तहसीलों की संख्या	तहसीलों के नाम
1.	अजमेर	06	1. अजमेर 2. किशनगढ़ 3. नसीराबाद 4. पीसागंन 5. ब्यावर 6. मसूदा
2.	पाली	02	1. रायपुर 2. मारवाड़ जक्शन
3.	राजसमंद	02	1. भीम 2. देवगढ़

मध्य अरावली पहाड़ी क्षेत्र के उत्तर-पश्चिम में नागौर जिला, पश्चिम में नागौर एवं जोधपुर जिला, द.पू. में भीलवाड़ा जिला, पूर्व में टोंक एवं जयपुर जिला स्थित हैं।

मध्य अरावली पहाड़ी क्षेत्र की जलवायु उपआर्द्र है। यहाँ वर्षा गर्मियों में मानसूनी हवाओं से होती है। थार्नथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार इस क्षेत्र को DA'W (अर्द्ध शुष्क एवं उपार्द्र) में शामिल किया गया हैं। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 60 सेन्टीमीटर से अधिक है। वर्षा का अधिकतर भाग वर्षा ऋतु में दक्षिणी-पश्चिमी मानसूनी हवाओं द्वारा होता है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है।

यहाँ औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 26° से 41° सेन्टीग्रेड तथा शीत ऋतु में 8° से 20° सेन्टीग्रेड रहता है। इसकी सभी नदियाँ मौसमी प्रवाह वाली है, जिसमें रूपनगढ़, सागरमती, बारा, लीलड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, व खारी प्रमुख है। यहाँ कई महत्वपूर्ण खनिज पाये जाते हैं। जैसे संगमरमर, एस्बेस्टॉस, फेल्सपार, मैग्नेसाइट, गारनेट इत्यादि।

अध्ययन क्षेत्र की जनांकिकीय विशेषताएँ

- मध्य अरावली पहाड़ी क्षेत्र की सन् 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 2785068 है, जिसमें पुरूष 1421110 तथा महिलाएँ 1363958 है। 2001 की जनगणना में इस क्षेत्र में कुल जनसंख्या 2373136 थी जिसमें पुरूष 1220031 तथा महिलाएं 1153105 थी।
- 2001 से 2011 के मध्म अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर 17.35 प्रतिशत रही है।
- यहाँ लिंगानुपात 2011 की जनगणना में 960 रहा, जो 2001 की जनगणना में 945 था। अर्थात 2001 से 2011 के मध्य इस क्षेत्र में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है।

- यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 2011 में 298 रहा है जो 2001 में 254 था।
- अध्ययन क्षेत्र में 2011 में कुल साक्षरता 59.23 प्रतिशत है जो 2001 में 49.81 प्रतिशत थी।

प्रादेशिक विकास

किसी भी प्रदेश के समग्र विकास के लिए तीन तत्वों को आवश्यक माना जाता है। (1) प्राकृतिक संसाधन (2) सामाजिक-आर्थिक संरचना (3) तकनीकी विकास।

- प्राकृतिक संसाधन जहाँ प्रादेशिक विकास के लिए आधारशीला प्रस्तुत करते हैं, वहीं सामाजिक-आर्थिक संरचना, विकास अथवा पिछडेप़न का ढाँचा उपस्थित करती है, जिसे प्रदेश में निर्वासित मनुष्य तकनीकी विकास के माध्यम से अपने अनुकूल बनाकर विकास के लिए अवसर उपस्थित करता है।
- समग्र विकास के स्तर का आकलन अनेक मानकों द्वारा किया जाता है, उनमें शिक्षा-साक्षरता का स्थान अग्रणी होता है। क्योंकि इससे विकास की अवस्था के स्पष्टीकरण के साथ-साथ संस्थागत ताना-बाना भी तैयार होता है। इस प्रकार शैक्षिक अवस्था क्षेत्रीय विकास का प्रभावी सूचकांक है, जो अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्रभावित करता है।

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र मध्य अरावली पहाड़ी प्रदेश में शैक्षिक दशा एवं इसमें परिवर्तन का अध्ययन कर तहसील स्तरीय मूल्यों के सन्दर्भ में साक्षरता की स्थिति का अध्ययन करना है। साक्षरता की स्थिति के आधार पर सामाजिक एव व्यावसायिक सरचंना में आ रहे परिवर्तनों का अध्ययन करना इसका मूल उद्देश्य है।

- मध्य अरावली पहाड़ी क्षेत्र में शैक्षिक दशा का आंकलन करना।
- अध्ययन क्षेत्र में शैक्षिक दशा में परिवर्तन का आंकलन करना।
- तहसील स्तरीय मूल्यों का अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में आंकलन कर शिक्षा साक्षरता की दशा का क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप ज्ञात करना।
- भौतिक विकास का सामाजिक स्तर (व्यावसायिक संरचना) पर प्रभाव का विवेचन करना।

आंकड़ों का स्रोत्र एवं शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक आंकडें.जिला सांख्यिकी रूपरेखा अजमेर, पाली एवं राजसमन्द जिलों से प्राप्त किए गए है। प्राथमिक आंकडें. क्षेत्र में व्यक्तिगत सर्वेक्षण द्वारा एवं प्रश्नावली भरवाकर प्राप्त किए गए है। शोध पत्र में विभिन्न मानचित्रण तकनीकों एवं सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम विभिन्न स्रोतों विशेषकर आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय प्रकाशन से प्राप्त शिक्षा साक्षरता संबंधी सूचनाओं व जनगणना विभाग से प्राप्त सूचनाओं व तथ्यों का विश्लेषण व सारणीयन किया गया।

उपर्युक्त सांख्यिकीय विधियों से प्राप्त तथ्यों का प्रदर्शन कोरोप्लेथ, चक्र आलेख आदि द्वारा किया गया है।

मध्य अरावली क्षेत्र में साक्षरता का स्तर

2001 में कुल साक्षरता-शोध क्षेत्र में 2001 में कुल साक्षरता 49.81 प्रतिशत रही, जिसमें पुरूष साक्षरता 59.90 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 39.14 प्रतिशत रही है। इस अवधि में न्यूनतम साक्षरता ब्यावर (36.27 प्रतिशत) तथा रायपुर (39.61 प्रतिशत) तहसीलों में रही।

45-50 प्रतिशत के बीच साक्षरता किशनगढ़ (47.91 प्रतिशत) तथा नसीराबाद (49.90 प्रतिशत) तहसीलों में रही। इस समय सर्वाधिक साक्षरता अजमेर तहसील (65.34 प्रतिशत) में रही।

40-45 प्रतिशत के बीच साक्षरता पीसांगन (41.65 प्रतिशत), मारवाड़ जक्शन (41.76 प्रतिशत), तथा देवगढ़ (43.50 प्रतिशत) में रही।

2011 में कुल साक्षरता-शोध क्षेत्र में 2011 में कुल साक्षरता 59.23 प्रतिशत रही, जिसमें पुरूष साक्षरता 70.12 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 47.90 प्रतिशत रही। इस अवधि में न्यूनतम साक्षरता रायपुर तहसील (49.60 प्रतिशत) में रही।

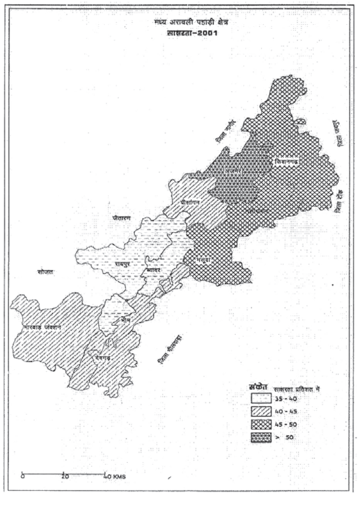

चित्र 2 : साक्षरता- 2001

50-55 प्रतिशत के बीच साक्षरता पीसांगन (50.84 प्रतिशत),देवगढ़ (50.77 प्रतिशत), मसूदा (51.09 प्रतिशत), मारवाड़ जंक्शन (51.49 प्रतिशत) व किशनगढ़ (54.82 प्रतिशत) तहसीलों में रही।

55-60 प्रतिशत के बीच साक्षरता नसीराबाद (56.97 प्रतिशत) व भीम (55.44 प्रतिशत) तहसीलों में रही।

इस दौरान अधिकतम साक्षरता अजमेर (69.95 प्रतिशत) तथा ब्यावर (64.20 प्रतिशत) तहसीलों की रही।

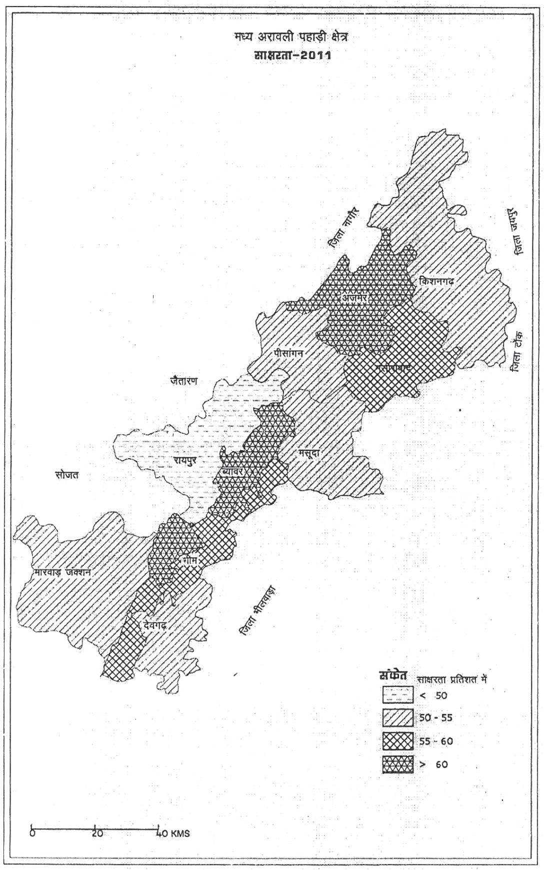

चित्र 3 : साक्षरता -2011

साक्षरता के स्तर में परिवर्तन (2001-2011)

मध्य अरावली पहाड़ी क्षेत्र में 2001 से 2011 की अवधि के दौरान सभी 10 तहसीलों में साक्षरता के प्रतिशत में धनात्मक परिवर्तन रहा। इस अवधि में न्यूनतम परिवर्तन मसूदा (4.14 प्रतिशत) व अजमेंर (4.57 प्रतिशत) तहसीलों में रहा।

5 से 10 प्रतिशत के बीच वृद्धि दर पांच तहसीलों में रही जो क्रमश: किशनगढ़ (6.91 प्रतिशत), नसीराबाद (7.07 प्रतिशत), देवगढ़ (7.23 प्रतिशत), पीसांगन (9.19 प्रतिशत) व मारवाड़ जंक्शन (9.73 प्रतिशत)। 10 से 15 प्रतिशत के बीच वृद्धि दर दो तहसीलों रायपुर (10.08 प्रतिशत) व भीम (11.56 प्रतिशत) में रही। सर्वाधिक वृद्धि दर ब्यावर (27.93 प्रतिशत) तहसील में रही।

मध्य अरावली क्षेत्र में व्यावसायिक संरचना

व्यावसायिक संरचना में विभिन्न व्यवसायों में संलग्न जनसंख्या के अनुपात को प्रदर्शित किया जाता है। व्यावसायिक संरचना को सामाजिक आर्थिक विकास के संकेतांक के रूप में जाना जाता है। शोध क्षेत्र में 2001 में 904599 व्यक्ति (38.11 प्रतिशत) कार्यशील थे, जिनमें विभिन्न व्यवसायों में संलग्न व्यक्तियों का अनुपात निम्न रहा है।

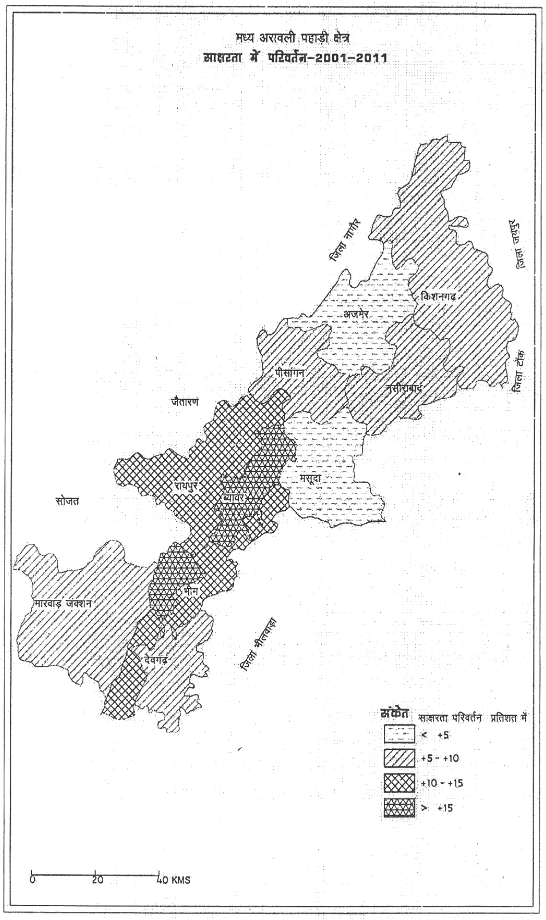

चित्र 4 : साक्षरता के स्तर में परिवर्तन(2001-2011)

सारणी 2 : व्यवसायानुसार जनसंख्या का वितरण (प्रतिशत), 2001

क्र. सं.	तहसील	कुल कार्यशील जनसंख्या	काश्तकार	खेतीहर मजदूर	पारिवारिक उद्योग	अन्य कार्य करने वाले
1	किशनगढ़	38.71	41.29	10.26	2.89	45.54
2	अजमेर	30.52	11.94	5.12	5.36	77.55
3	नसीराबाद	44.51	37.74	9.47	3.28	49.40
4	पीसांगन	41.79	51.75	20.66	4.05	29.40
5	ब्यावर	33.73	37.42	7.54	6.06	48.96
6	मसूदा	45.75	46.11	9.53	3.07	41.26
7	रायपुर	40.56	46.63	23.37	2.81	27.26
8	मारवाड़ जंक्शन	41.64	41.27	22.18	5.26	33.34
9	भीम	41.63	51.64	21.59	1.95	24.79
10	देवगढ़	47.17	53.23	11.43	2.06	33.26
	योग	**38.11**	**36.37**	**12.02**	**4.05**	**48.02**

स्रोत : शोधकर्ता द्वारा किया गया विश्लेषण

शोध क्षेत्र में काश्तकार जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक देवगढ़ (53.23 प्रतिशत) में रहा व सबसे कम अनुपात अजमेर (11.94 प्रतिशत), खेतीहर मजदूरों का सर्वाधिक अनुपात रायपुर (23.37 प्रतिशत) व सबसे कम अनुपात अजमेर (05.12 प्रतिशत) तहसीलों में रहा।

पारिवारिक उद्योग में लगे व्यक्तियों का सर्वाधिक अनुपात अजमेर (5.36 प्रतिशत) व सबसे कम अनुपात भीम (1.95 प्रतिशत) तहसील में रहा।

अन्य कार्य करने वाले व्यक्तियों का सबसे ज्यादा अनुपात अजमेर (77.55 प्रतिशत) में जो जिला मुख्यालय भी है तथा इसकी भौगोलिक स्थिति भी जिले के मध्य में है। तथा सबसे कम अनुपात भीम (24.79 प्रतिशत) तहसील में रहा। इसका समस्त भाग पहाड़ियों से भरा पड़ा है तथा जनसंख्या का घनत्व भी कम है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यातायात तथा खेती की सुविधा भी कम है।

सुझाव

- वर्तमान समय तक भी इस क्षेत्र में सर्वाधिक भाग पहाड़ी होने के कारण लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं हैं। अत: राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न साक्षरता अभियानों का इस क्षेत्र में अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।
- लोगों को साक्षरता के प्रति जागरूक करने के लिए नूक्कड़ नाटकों घर-घर जाकर शैक्षिक अभियानों की जानकारी दी जानी चाहिए।
- भीम, ब्यावर, रायपुर तहसीलों में साक्षरता की दर विशेष रूप से महिला साक्षरता कम है। अत: इन क्षेत्रों में महिला साक्षरता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

मध्य अरावली पहाड़ी क्षेत्र में साक्षरता के स्तर में वृद्धि के साथ-साथ व्यावसायिक संरचना में भी परिवर्तन आता जा रहा है। जैसा कि उक्त शोध कार्य से स्पष्ट हो रहा हैं। जैसे-जैसे साक्षरता का स्तर बढ़ रहा है उस क्षेत्र विशेष में काश्तकार खेतीहर मजदूर की अपेक्षा अन्य व्यवसायों में जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अजमेर जिले की साक्षरता अधिक होने के कारण ही यहाँ अधिकतर लोग अन्य कार्य में लगे हुए है जबकि राजसमन्द, पाली जिले की तहसीलों में साक्षरता कम होने के कारण कृषि एवं खेतीहर मजदूरी में अधिक लोग लगे हुए है। आने वाले समय में लोगों की प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भरता को कम करने के लिए इस क्षेत्र में साक्षरता के साथ-साथ इस क्षेत्र में गरीबी उन्मुलन कार्यक्रमों पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए क्योकि आर्थिक विकास एवं साक्षरता दोनों एक दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जाट, बी. सी., राजस्थान मानचित्रावली, आर. बी. डी. पब्लिकेशंस, जयपुर, 2013, पृ.सं. 160

2. भल्ला, एल.आर., राजस्थान का भूगोल, कुलदीप प्रकाशन, जयपुर, 2014, पृ.सं. 33
3. जिला सांख्यिकी रूपरेखा, आर्थिक एवं सामाजिक निदेशालय, राज. जयपुर, 2015
4. खुल्लर, डी.आर., प्रयोगात्मक भूगोल के तत्व, न्यू एकेडमिक पब्लिशिंग कम्पनी, जालन्धर, 2015
5. गुर्जर, आर.के. एवं जाट, बी.सी., मानव भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2019
6. गुर्जर, आर.के. एवं जाट, बी.सी., संसाधन भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2019
7. गुर्जर, आर.के. एवं जाट, बी.सी., पर्यावरण अध्ययन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2018
8. क्लार्क. जे.आई., पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ऑक्सफोर्ड, 1972, पृ.सं. 66
9. ट्रिवार्था, जी.टी.ए., ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, वर्ल्ड पैटर्न जान विलयर्ड सन्स, न्यूयार्क, 1869, पृ.सं. 171

Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
UGC App. No. 64785 | Impact Factor (IIJIF): 4.213 | Vol. 7, Issue 1 | May 2019 - Oct. 2019 | pp. 121-125

राजस्थान में उच्च शिक्षा अध्ययन में महिला सहभागिता: स्थिति एवं चुनौतियां

ISSN 2348-3857

डॉ. मंजू शर्मा

अधिष्ठाता एवं प्राचार्य, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

प्रीति शर्मा

शोधार्थी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

शोध सारांश

राजस्थान में उच्च शिक्षा के सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 250 राजकीय 1577 निजी एवं 904 शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित है। इसके अतिरिक्त 11 राजकीय, 5 डीम्ड विश्वविद्यालय और लगभग 40 से अधिक निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय भी कार्यरत है। इन सभी संस्थाओं में लगभग 10.2 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत है। जिसमें छात्राओं का नामाकंन 5.46 लाख है। अत: सकल दृष्टि से राज्य में 50% से अधिक छात्राएँ अध्ययनरत है परन्तु यदि राष्ट्रीय स्तर पर सकल नामाकंन को ध्यान में रखा जाये तो बीते सत्र में राज्य में छात्राओं का नामाकंन 19.3 ही रहा है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का औसत सकल नामाकंन 24.5 है। अत: इस दृष्टि से राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्राओं को अधिक प्रोत्साहन, सुविधा व सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं की शिक्षा में सहभागिता को अधिक सुदृढ़ किया जा सके। वही राज्य के अनुसुचित जाति व जनजाति वर्गो से महिला नामाकंन की स्थिति ओर भी कम है, यह एक विचारणीय बिन्दु है। राजस्थान जैसे परम्परागत रूठिवादी राज्य में जहाँ लिंगभेद एक विकट समस्या है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र से उच्च शिक्षा में महिला सहभागिता पहले ही अपेक्षित कम रहती है, जिस पर बेटियों की शिक्षा को परिवहन व सामाजिक असुरक्षा कारणों से ओर उपेक्षित किया जाता हैं। अत: सरकार, समाज व परिवार तीनों स्तरों पर यह चिंतन की आवश्यकता है कि किस प्रकार बेटी शिक्षा को सुरक्षा प्रदान की जाये और प्रोत्साहित किया जाये। केवल बेटी बचाओं व बेटी पढ़ाओं के नारे उच्च शिक्षा में महिला सहभागिता को सुदृढ़ नहीं कर सकते है। साथ ही छात्राओं को आत्मसुरक्षा, रोजगार कौशल तथा स्वरोजगारन्मुख क्षमता विकास पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उच्च शिक्षा में छात्रा सहभागिता की योजनाएँ व प्रयास केवल कागजों में न होकर उनका प्रभाव भी परिलक्षित हो।

संकेताक्षर : *सकल नामांकन अनुपात, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास*

प्रस्तावना

सामाजिक विकास में महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी यदि समान रहे तो विकास संतुलित स्थायी दीर्घावधिक एवं सकारात्मक होगा, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे समाज का आर्थिक उन्नति के साथ-साथ राजनीतिक परिपक्वता की ओर अग्रसर होना अवश्यसम्भावी है। विश्व के अनेकों देशों में महिलाओं की शिक्षा को उतनी ही प्राथमिकता दी जाती है जितनी की पुरुषों को, और ऐसी मानसिकता एक विकसित, स्वस्थ एवं समृद्ध समाज का प्रतीक है। भले ही देशों में जहाँ कि महिला शिक्षा का स्तर उच्च है, में अन्य सामाजिक कुरूतियों यथा कुलीन रहन सहन, पारिवारिक विवाद और एकल परिवार, अपव्यय आदि समाविष्ट हो चुकी है तथापि इन्हें विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर विकास का स्तर प्रति व्यक्ति आय, सामजिक सुरक्षा, वैचारिक खुलापन आदि सकारात्मक पहलु भी विद्यमान है जो कि विकासशील व अल्पविकसित राष्ट्रों की श्रेणी में देखने को नही मिलते है।

अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी जापान जैसे देशों के विकास के पीछे संतुलित समाज विकास की अहम भूमिका है, जिसके कारण भले ही इन राष्ट्रों में एशियाई देशों की अपेक्षा आबादी प्रतिशत कम है परन्तु इनका आर्थिक विकास स्तर उच्च है। दूसरी ओर ऐशियाई व अफ्रीकी विकासशील व अल्पविकसित राष्ट्र भी है जहाँ आर्थिक पिछड़ापन,गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक शोषण,

सामाजिक विद्वेष, अन्य कुप्रथाओं की गहरी जड़े विद्यमान है जिसके मूल कारण मे असम्मित शिक्षा परिदृश्य है।

भारत जैसे देश में भी यदि महिला और पुरुषो की शिक्षा के स्तर में तुलना की जाये तो महिलाओं की अपेक्षाकृत स्थिति पीछे ही है। वर्ष 1961 में भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत 15.4 ही था जबकि औसत साक्षरता 40.4 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में सकल साक्षरता प्रतिशत 75.2 हो गया परन्तु महिलाओ का प्रतिशत 53.7 ही हो पाया। वर्ष 2011 में राष्ट्रीय साक्षरता औसत 82.14 प्रतिशत रहा है जबकि महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत 65.46 रहा है जो भारत में साक्षरता की स्थिति के संबंध लिंग आधार पर भिन्नता को स्पष्ट दर्शाता है। यदि भारत में साक्षरता की राज्यवर स्थिति को देखा जाये तो एक तरफ केरल जैसा राज्य है जहाँ महिला साक्षरता का प्रतिशत 91.98 है तो दूसरी ओर राजस्थान जैसा राज्य है, जहाँ महिला साक्षरता सभी केन्द्र शासित प्रदेश व राज्यों की तुलना में न्यूनतम (52.66 प्रतिशत) है। इस प्रकार केरल और राजस्थान की तुलना में ही लगभग 39.3 प्रतिशत का अन्तर है जो यह प्रदर्शित करता है कि भारत में महिला साक्षरता में काफी क्षेत्रीय विविधता है।

यदि राजस्थान के संदर्भ को लिया जाये तो यहाँ पर भी महिला और पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत में अन्तर दृष्टिगत होता है। राजस्थान में वर्ष 2011 में साक्षरता का सकल प्रतिशत 66.11 प्रतिशत रहा है। जिसमें पुरुष एवं महिला साक्षरता प्रतिशत क्रमश: 79.19 तथा 52.12 प्रतिशत रहे है। इस प्रकार महिला व पुरुष साक्षरता में 27 प्रतिशत से अधिक का अन्तर है। राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर (38.47 प्रतिशत) में अंकित हुई है तो अधिकतम साक्षरता प्रतिशत 39.3 जिला जयपुर (64.02 प्रतिशत) में रहा है। इस प्रकार महिला साक्षरता स्तर में राज्य क्षेत्रीय विविधता की स्थिति परिलक्षित हो रही है। राज्य में उच्चतम व न्यूनतम मान में लगभग 26 प्रतिशत का अन्तर है। राज्य में 60 प्रतिशत से अधिक महिला साक्षरता वाले केवल दो ही जिले-जयपुर व झुन्झुनूं ही रहे हैं। जबकि 5 जिलों-गंगानगर, हनुमानगढ, अलवर, सीकर एवं अजमेर में यह महिला साक्षरता प्रतिशत मान 55 से 60 के बीच है।

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2015-16 प्रति 100 लड़को की तुलना में लडकियो का पंजीकरण 84.62 प्रतिशत रहा जो कि वर्ष 2016-17 में थोडा बढ़कर 85.02 प्रतिशत हो गया। इसका आशय यह है कि स्कूल शिक्षा के संदर्भ में अभी भी लगभग 15 प्रतिशत लडकियाँ शिक्षा से बाहर है।

इन सबसे आगे यदि भारत में उच्च शिक्षा की तस्वीर देखी जाये तो वर्ष 2017-18 के लिये देश में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन लगभग 36.6 मिलियन रहा जिसमें से 17.4 मिलियन (47.6 प्रतिशत) लड़कियों का रहा है। अत: उच्चशिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता राष्ट्रीय औसत स्तर पर तो पुरुषो की अपेक्षाकृत लगभग उनके समान ही है परन्तु यदि इसमें प्रादेशिक एवं राज्यवार विविधता देखी जाये तो स्थितियाँ आश्चर्यजनक है। कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों (जैसे चण्डीगढ, दादर व नगर हवेली दमन एवं द्वीप,गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल,लक्षद्वीप, मणिपुर मेघालय, नागालैण्ड, पांडिचेरी, सिक्किम, तमिलनाडू में महिलाओं का पंजीकरण स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पुरुषो की अपेक्षा अधिक है जबकि राजस्थान में इन पाठ्यक्रमों में महिलाओं का पंजीकरण 46.7 प्रतिशत रहा है। स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय सकल स्तर पर महिलाओं का पंजीकरण पुरुषो की तुलना में अधिक है।

राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा तथा जनसंख्या की दृष्टि से 8वाँ बड़ा राज्य है। भौगोलिक विविधताओं, जलवायवीय विषमताओं तथा प्राकृतिक संसाधनों के अभाव के कारण राज्य में आर्थिक विकास की दर देश के कुछ राज्यों की अपेक्षा कम है। उच्च शिक्षा की दृष्टि से नवीनतम आँकड़ों (AISHE Report 2017-18) के अनुसार देश में कुल 903 विश्वविद्यालय, 39050 महाविद्यालय एवं 10011 एकांकी संस्थाएँ हैं। इन सबके उपरांत भी देश में सकल नामांकन अनुपात 25.8 प्रतिशत है, जो कि महिला शिक्षा के संदर्भ में तो 25.4 प्रतिशत ही है। राजस्थान राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों की भरमार के उपरांत भी राज्य अभी भी देश में बेहतर उच्च शिक्षा के प्रथम 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं है। राजस्थान के संदर्भ में भी स्नातकोत्तर, एम फिल, डाक्टरोल उपाधियों के लिये इन पाठ्यक्रमों मे महिलाओं का पंजीकरण मान तो अधिक किया जाये तो परिदृश्य भयावय है क्योंकि राज्य में उच्च शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता की यह तस्वीर कुछ बड़े शहरों -जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर एवं कुछ बडे जिला मुख्यालयों जैसे -भरतपुर, अलवर, सीकर, झुन्झूनु, चुरू में ही परिलक्षित हो रही है।

सामान्य उच्च शिक्षा में महिलाओं की प्रस्थिति का दृष्टिकोण

शिक्षा को अपने में साध्य तथा अन्य वांछनीय लक्ष्यों की पूर्ति का साधन माना गया है। शिक्षा के कारण व्यक्ति के बौद्धिक एवं व्यक्तित्व के विकास के साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक

गतिशीलता में भी वृद्धि होती है। अत: प्रत्येक व्यक्ति के लिए शिक्षा आवश्यक है लेकिन महिलाओं के लिए इसका महत्व अधिक है क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही महिलाएँ सक्षम व अपने अधिकारों से परिचित हो रही है। प्राचीन काल से ही महिला शिक्षा में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाता था लेकिन मध्य काल में महिलाओं की स्वतंत्रता कम होने लगी तथा विभिन्न कुरूतियों जैसे-सती प्रथा, बाल-विवाह, पर्दा पथा आदि ने महिला शिक्षा को प्रभावित किया तथा शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति निम्न होती गयी। स्वतंत्रता के पश्चात् महिला शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ लेकिन भारत में सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारणों के कारण महिलाएँ शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर नहीं हो पायी। जैसे-बाल विवाह, लिंगभेद, सुविधाओं का अभाव, गरीबी आदि।

देश के सर्वांगीण विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान तो दिया जा रहा है फिर भी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के निष्कर्ष से यह पता चलता है कि महिला-पुरुष साक्षरता में अभी भी काफी असमानता है।

विभिन्न राज्यों में महिला साक्षरता के अध्ययन से स्पष्ट है कि महिलाओं में साक्षरता स्तर में सुधार हुआ है। जनगणना वर्ष 2001 में महिला साक्षरता 54.16 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 65.46 प्रतिशत हो गयी है, जो महिला साक्षरता वृद्धि को दर्शाती है।

यदि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाये तो महिलाओं की स्थिति पहले की तुलना से बेहतर है। स्नातक की पढ़ाई के बाद, पुरुषों की संख्या में वृद्धि तथा महिलाओं की संख्य में कमी पाई गई है क्योंकि स्नातक के बाद महिलाओं के नामांकन में निरन्तर कमी होती जाती है। इसका प्रमुख कारण लड़का व लड़की में भेद, गरीबी, सुरक्षा की भावना, सुविधाओं का अभाव आदि है।

राजस्थान के संदर्भ में देखा जाये तो महिलाओं की उच्च शिक्षा में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान में लड़कों से ज्यादा लड़कियाँ उच्च शिक्षा ले रही है। आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में 100 लड़कों पर 108 लड़कियाँ कॉलेजों में पढ़ रही हैं। पिछले 19 वर्षो में यह आँकड़ा लगभग दुगुना हो गया है। 2000-01 में सौ लड़कों पर मात्र 54 लड़कियाँ थी। यह आँकड़ा 2018-19 में बढ़कर 108 लड़कियाँ प्रति 100 लड़कों तक पहुँच गया। वर्ष 2008-09 में महज 1.63 लाख लड़कियाँ कॉलेजों में नामांकित थी, अब सरकारी व निजी कॉलेजों में 5.80 लाख लड़कियाँ पढ़ाई कर रही है।

सामान्य उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन का प्रतिरूप

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा में नामांकित महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महिला नामांकन 10 प्रतिशत से कम था। वर्ष 2005-06 के दौरान महिला नामांकन बढ़कर 40.50 प्रतिशत हो गया। गत दो दशकों के दौरान महिला नामांकन की गति तेज रही है। वर्ष 1950-51 से 2005-06 के दौरान पंजीकृत प्रति सौ पुरुष महिलाओं के नामांकन में लगभग पाँच गुना वृद्धि हुई है।

वर्ष 2005-06 के दौरान सभी राज्यों में कुल नामांकन की तुलना में महिलाओं के नामांकन में प्रतिशत वृद्धि लगभग स्थिर रही है। कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिला नामांकन की दृष्टि से केरल का स्थान 61 प्रतिशत सबसे ऊपर रहा। उसके बाद गोवा (59.20 प्रतिशत), पंजाब (51.77 प्रतिशत) आदि का स्थान रहा। ऐसे 8 राज्य थे जिनमें 40.50 की राष्ट्रीय प्रतिशतता की तुलना में महिलाओं का नामांकन अधिक था। शेष राज्यों में नामांकित महिलाओं की प्रतिशतता राष्ट्रीय स्तर से कम थी। वही वर्ष 2017-2018 में महिला नामाकंन लक्षद्वीप में सर्वाधिक रहा (78.99 प्रतिशत) उसके पश्चात् गोवा (55.66 प्रतिशत) रहा।

राजस्थान के संदर्भ में देखा जाये तो महाविद्यालयों में सामान्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली अध्ययनरत छात्राओं की संख्या वर्ष 2003-04 में 1.03 लाख, 2008-09 में 1.63 लाख थी जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 5.46 लाख हो गई है। इस प्रकार राजस्थान में महिलाओं की उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। वर्ष 2000-01 में जहाँ सौ छात्रों पर 54 छात्राएँ अध्ययनरत थी, वहीं वर्ष 2018-19 में यह संख्या 108 हो गई है जो अब तक का अधिकतम है। राजस्थान में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि का प्रमुख कारण महिला महाविद्यालयों की बढ़ोत्तरी है। वर्ष 1997-98 में जहाँ महिला महाविद्यालयों की संख्या 100 थी जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 509 हो गई है।

सामान्य उच्च शिक्षा में महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन

भारत में महिलाओं की स्थिति व उनकी शिक्षा में स्वतंत्रता के बाद सकारात्मक व क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, परन्तु इसके बावजूद भी महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति संतोषप्रद नहीं है। महिला उच्च शिक्षा के मार्ग में अभी भी कुछ ज्वलंत समस्याएँ हैं, जो वर्तमान व आने वाले समय में भी अगर समाधान से वंचित रहती है, तो उच्च शिक्षा में बाधाएँ उत्पन्न करेंगी। महिला शिक्षा में सामान्य समस्याओं को हम देखते रहते हैं, पर जो समस्याएँ शिक्षा व सामाजिक परिवेश से संबंध रखती है, वे अधोलिखित हैं :-

- महिला शिक्षा के लिए उपयुक्त व व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अभाव पाया जाता है। महिलाओं की रुचियों, आवश्यकताओं को न देखते हुए रोजगार विहीन पाठ्यक्रम एक जटिल समस्या है। रोजगारपरक शिक्षा के अभाव में महिलायें आज भी आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर है।
- महिला महाविद्यालयों व महिला अध्यापकों का अभाव।
- लिंगीय असमानता व रूढ़िवादी विचारधारा एक चुनौती।
- कम उम्र में विवाह, घरेलू कार्य में संलग्नता, महाविद्यालयों का दूर होना, पर्दा प्रथा, गरीबी, सामाजिक वातावरण आदि महिलाओं की उच्च शिक्षा में बाधक है।
- महिला शिक्षा से संबंधित भौतिक संसाधनों की कमी भी एक समस्या है।
- घर से दूर महाविद्यालय होने के कारण महिलाओं के लिए आवागमन के साधनों का अभाव तथा अनेक सामाजिक असुरक्षा कारण भी एक जटिल समस्या है।

राजस्थान जैसे परम्परागत रूढ़िवादी राज्य में जहाँ लिंगभेद एक विकट समस्या है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र से उच्च शिक्षा में महिला सहभागिता पहले ही उपेक्षित रहती है जिस पर बेटियों की शिक्षा को शिक्षा व परिवहन व सामाजिक असुरक्षा कारणों से और उपेक्षित किया जाता है।

महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास

- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत सभी वर्ग की छात्राएँ शिक्षण-शुल्क से मुक्त हैं।
- महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 1997-98 में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या 0.60 लाख तथा वर्ष 2003-04 में 1.03 लाख, 2008-09 में 1.63 लाख थी, जो 2017-18 में बढ़कर 5.46 लाख हो गई है।
- वर्ष 1997-98 में राज्य में महिला महाविद्यालयों की संख्या 100 थी, जो वर्ष 2003-04 में 183, 2008-09 में 361 तथा वर्ष 2017-18 में बढ़कर 509 हो गई है।
- महिला महाविद्यालयों में स्थान रिक्त रहने पर न्यूनतम उत्तीर्णांक तक प्रवेश दिया जाता है।
- अनुसूचित जाति की उन छात्राओं को जिनके माता-पिता आयकर नहीं देते हैं, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु पुस्तक बैंक योजना का विस्तार किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2011-12 से प्रारंभ की गई।
- राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण होकर आगामी कक्षा में अध्ययनरत रहने पर स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष में रुपये दस-दस हजार वार्षिक तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध में रुपये बीस-बीस हजार वार्षिक प्रोत्साहन राशि का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है।
- Youth Employability Skill (YES) Programme परियोजनान्तर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) नई दिल्ली के माध्यम से उद्यमिता एवं कौशल विकास संबंधी 20 सर्टिफिकेट एवं 4 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों सहित कुल 24 पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
- महाविद्यालय में छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी नेपकिन की सुविधा।
- जनवरी 2019 से प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महाविद्यालयों में नि:शुल्क कोचिंग क्लासेज का आरंभ किया जा रहा है।
- महाविद्यालयों में भय मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रकोष्ठ स्थापित करवा दिये गये हैं जैसे - छात्रा मैण्टरिंग सैल, एण्टी रैगिंग सैल, विद्यार्थी परामर्श केन्द्र, आन्तरिक शिकायत समिति।
- उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्ग की छात्राओं को मैरिट के आधार पर स्कूटी दी जाये।

उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएँ क्रियान्वित है तथा कुछ योजनाएँ अभी प्रस्तावित है जिससे महिलाओं को उन सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके तथा उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि हो।

निष्कर्ष

पिछले छ: दशकों में महिला शिक्षा व उच्च शिक्षा हेतु प्रयास किये गये हैं तथा निरन्तर जारी हैं, जिसका प्रभाव भी महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दिखायी दे रहा है। किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य तथा भावी समय को ध्यान में रखकर ये प्रयास निरन्तर तथा अथक रूप से जारी रखने होंगे तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने में

महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, मानसिक व भौगोलिक स्तर पर आने वाली समस्याओं की ओर ध्यान देना होगा तथा उनका समाधान करना होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में बदलाव के लिए सरकार के साथ-साथ समाज का भी प्रयत्नशील होना आवश्यक है, महिलाएं भी अपने अधिकारों को लेकर सजग हो तथा शिक्षा की जलती हुई जोत से अपना जीवन रोशन करे। उच्च शिक्षा में में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में लिंग समानता अनिवार्य है। महिलाओं को व्यवसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण देकर अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. आप्टे, प्रभा, *भारतीय समाज में नारी*, क्लासिक पब्लिशर्स, 1996
2. गुप्ता, आशा, *उच्चतर शिक्षा के बदलते आयाम*, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, 2011
3. एज्युसर्च, वोल्यूम-7, नं. 1, अप्रैल 2016, पीपी 12-13
4. भारत सरकार (2016-17) सलेक्टेड एजुकेशन स्टेटिक्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
5. एचटीटीपीएसः//डीसीई.राजस्थान.जीओवी.इन
6. नॉर्थ, एस., हायर एज्यूकेशन एण्ड वीमन पार्टिसिपेशन इन इण्डिया, जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एण्ड सोशल साइंस रिसर्च, 2014 आईएसएसएन नं. 2319-5614, वॉल्यूम 3(2), पीपी 43-47.
7. कुमार, डॉ. विनोद डी., वुमन एज्युकेशन इन 21 सेंचुरी, मिरेकल ऑफ टीचिंग, क्वाटरली जनरल ऑफ टीचिंग, 2004, वॉल्यूम VII, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2004
8. चांद, तारा, ''डवलपमेंट ऑफ एज्यूकेशन सिस्टम इन इंडिया, अनमोल पब्लिकेशन, 2004
9. शर्मा, बी.एम., वुमन एण्ड एज्युकेशन, कॉमन वेल्थ (एडिटर), महिलशर, न्यू देहली, 2005
10. भदोरिया, एम., एक्सेस ऑफ वुमन टू हॉयर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी न्यूज, 2005, 43(06), 13-15
11. बनर्जी, रंजना, टेक्लिंग जेण्डर डिस्पेरटी इन प्राइमरी एण्ड़ सैकण्डरी एज्युकेशन एण्ड द् एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, एन आर्टिकल, 2008
12. सिद्दगी, मकबूल हसन, वुमन एण्ड एज्युकेशन : ए रिसर्च रिपोर्ट, आशिष्ट पब्लिशिंग हाऊस, 2004
13. श्रीवास्तव, गौरी, वुमन्स हायर एज्युकेशन इन द् 19 सेंचुरी, कंसेप्ट पब्लिशिंग कार्पोरेशन, न्यू देहली, 2000
14. एचटीटीपीएसः//डब्ल्यु डब्ल्यु डब्ल्यु.रिसर्चगेट.नेट/
15. भारत सरकार (2016-17) सलेक्टेड एजुकेशन स्टेटिक्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
16. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वार्षिक रिपोर्ट (2017-18); नई दिल्ली, 2018
17. एआईएसएचई फाइनल रिपोर्ट (2017-18), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2018

Research Reinforcement

ISSN 2348-3857